वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

गति से प्रगति

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

(भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों का एक संयुक्त उपक्रम)

वार्षिक रिपोर्ट
2022-23

लक्ष्य

जन–मानस के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हेतु साम्यिक, तीव्र, विश्वसनीय, सुरक्षित, सुखद, दक्ष एवं सतत् गतिशीलता समाधान प्रदान कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के आर्थिक विकास को गति देना

वार्षिक रिपोर्ट

2022-23

सांविधिक लेखा परीक्षक
मैसर्स वी एम सी ए एंड एसोसिएटस्
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

सचिवीय लेखाकार
मेसर्स शिफा बद्री एंड एसोसिएटस्
कम्पनी सचिवीय, नोएडा

आंतरिक लेखाकार
मैसर्स जी.के. केडिया एंड कं
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली

कंपनी सचिव
श्री विजय कुमार

बैंकर्स
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नैशनल बैंक
एक्सिस बैंक लिमिटेड
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
आइसीआइसीआइ बैंक लिमिटेड

पंजीकृत एवं निगम कार्यालयः
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए, नई दिल्ली–110023
फोनः +91 11 24666700, फैक्सः +91 11 24666723
CIN: U60200DL2013GOI256716
ई.मेलः contactus@ncrtc.in
वेबः www.ncrtc.in

अनुक्रमणिका

1	निदेशक मंडल	6
2	अध्यक्ष का भाषण	7
3	बोर्ड की रिपोर्ट	9
4	सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट	24
5	एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	44
6	एकल वित्तीय विवरण	52
7	एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	113
8	समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	119
9	समेकित वित्तीय विवरण	125
10	समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	189
11	सहायक कंपनी – एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	195

निदेशक मंडल

(31 अगस्त 2023 को)

श्री मनोज जोशी
अध्यक्ष, एनसीआरटीसी
सचिव,
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएनः 02103601

श्री विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

श्रीमती वीनू गुप्ता
निदेशक
अपर मुख्य सचिव, उद्योग और
डीएमआईसी, राजस्थान सरकार
डीआईएनः 02170999

श्रीमती अर्चना अग्रवाल
निदेशक
सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी
डीआईएनः 02105906

श्री नितिन रमेश गोकर्ण
निदेशक
प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी
नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार
डीआईएनः 07619691

श्री अरुण कुमार गुप्ता
निदेशक
प्रमुख सचिव, टाउन एवं कंट्री प्लानिंग
एवं शहरी संपदा विभाग,
हरियाणा सरकार
डीआईएनः 05265538

श्री आशीष कुंद्रा
निदेशक
प्रमुख सचिव–सह–आयुक्त (परिवहन)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
डीआईएनः 06966214

श्री कुलदीप नारायण
निदेशक
संयुक्त सचिव
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
डीआईएनः 03276525

श्री दिनेश कुमार
निदेशक
अतिरिक्त सदस्य/भूमि एवं सुविधाएं
(एल एंड ए), रेलवे बोर्ड
रेल मंत्रालय
डीआईएनः 07660325

श्री अनिल कुमार सिंगारिया
निदेशक/परियोजना
डीआईएनः 08507367

श्री महेंद्र कुमार
निदेशक/ई एंड आरएस
डीआईएनः 07093637

श्री नवनीत कौशिक
निदेशक/सिस्टम और संचालन
डीआईएनः 08624052

श्रीमती नमिता मेहरोत्रा
निदेशक/वित्त और सीएफओ
डीआईएनः 07916304

अध्यक्ष महोदय का संबोधन

प्रिय शेयरधारकों,

निदेशक मंडल की ओर से मुझे, आपके निगम की 10वीं वार्षिक आम सभा के आयोजन के अवसर पर, आप सभी का स्वागत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है। आप सभी की उपस्थिति के लिए मैं हृदय से आभारी हूं।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के साथ निदेशक मंडल की रिपोर्ट, लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट (स्टैंडएलोन एवं समेकित) और साथ ही भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा इनके संबंध में की गई टिप्पणियां, आपको पहले ही प्रस्तुत की जा चुकी हैं तथा मुझे आशा है, और मैं यह मानकर आगे बढ़ रहा हूं कि आप सभी ने इन्हें पढ़ लिया होगा।

क्षेत्रीय रेपिड परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर), जिसमें दिल्ली एवं इसके पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के कुछ भाग आते हैं, में यात्रा करने वाले यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय एवं आरामदायक यात्रा माध्यम प्रदान करना है। माननीय प्रधान मंत्री की इस संकल्पना *"अवसंरचना सीमेंट और कंक्रीट के अलावा भी बहुत कुछ है, अवसंरचना बेहतर भविष्य की गारंटी है, अवसंरचना लोगों को परस्पर कनेक्ट करती है"* को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए आपका निगम आरआरटीएस जैसी परिवर्तनकारी परियोजना का कार्यान्वयन कर रहा है।

वर्ष 2022–23 में हमने हमारी प्रमुख परियोजना – दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर में हुई महत्वपूर्ण प्रगति देखी है। मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इसके निर्माण की दिशा में हमें अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हो गई हैं। मेट्रो रेल संरक्षा आयुक्त (सीएमआरएस) द्वारा जून, 2023 में इसके 17 किलोमीटर की लम्बाई वाले प्राथमिक भाग को राजस्व परिचालनों के लिए प्रमाणित कर दिया गया है। सेवाओं के प्रारंभ होने के पश्चात हमारा यह पहला आरआरटीएस कॉरिडोर न केवल दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा के समय को कम करेगा, अपितु इससे हमारी सड़कों से यातायात की भीड़ भी कम होगी जिससे क्षेत्र में स्वच्छ वायु का प्रसार हो सकेगा।

इसके अलावा, परिवहन के विभिन्न माध्यमों को एकीकृत करने के हमारे प्रयास निर्बाध जारी हैं। आरआरटीएस, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के बीच इंटरकनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है जिससे कि आरआरटीएस के परिचालन प्रारंभ होने के पश्चात यात्रियों को व्यापक, कुशल एवं बाधा मुक्त यात्रा अनुभव प्राप्त हो सकें।

आपका निगम दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को चालू करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सभी टीम सदस्य पूर्ण निष्ठा के साथ अथक परिश्रम कर रहे हैं। आपके निगम का यह मानना है कि इस वर्ष के अंत तक दुहाई से मेरठ के बीच स्पैन स्थापना तथा सुरंग बोरिंग के कार्यों के साथ साथ सभी प्रमुख निर्माण प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी। दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस के सम्पूर्ण कॉरिडोर के वाणिज्यिक परिचालन जून, 2025 के निर्धारित लक्ष्य से पहले प्रारंभ करने के लिए पूरी टीम प्रतिबद्ध है।

आपका निगम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन की विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना प्रदान करने के अपने विज़न के साथ आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा को सदैव की भांति प्राथमिकता दी जाती रहेगी और यह सुनिश्चय किया जाएगा कि हमारे परिचालन सुरक्षा, विश्वसनीयता के उच्चतर मानकों के अनुरूप हों और इसमें कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और साथ ही संधारणीय परिवहन विकल्पों को प्रोत्साहित करने की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। आपके निगम को यह पूर्ण विश्वास है कि आरआरटीएस परियोजना, क्षेत्र के परिवहन परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी तथा देश के समग्र विकास में योगदान देगी।

हमारे प्रयासों में समावेश एवं पहुँच को सदैव से ही प्राथमिकता दी गई है। हमने इस सुनिश्चय के लिए विशेष प्रयास किए हैं कि दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित हमारी परिवहन सुविधाओं तक प्रत्येक की पहुंच हो सके। यूनिवर्सल पहुंच प्रदान करके हम एक ऐसे समावेशी समाज का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें आधुनिक परिवहन प्रणाली के लाभ हर किसी को प्राप्त हो सकें।

आपके निगम के निदेशक मंडल की ओर से, मैं आप सभी को, हमारे मूल्यवान शेयरधारकों, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान राज्य सरकारों से अनवरत एवं सदैव प्राप्त सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इससे हमें अपने प्रयासों एवं राष्ट्र के लिए पूर्ण लगन के साथ मूल्यों का निर्माण करने का प्रोत्साहन मिला है।

मैं वर्ष के दौरान, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग, भारत सरकार के अन्य विभागों और एजेंसियों तथा अन्य विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से आपके निगम के हितों में संवर्धन एवं विकास के लिए प्राप्त आवश्यक इनपुट के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं।

इस परियोजना के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा दिए गए समर्थन को भी रिकॉर्डबद्ध करना चाहता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षकों, आंतरिक लेखा परीक्षकों, वित्तीय संस्थानों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य संवर्धन सेवा भागीदारों, बैंकरों एवं सभी व्यावसायिक सहयोगियों से निरंतर प्राप्त सहायता एवं सहयोग की मैं यहां स्वीकृति देने के साथ साथ आभारोक्ति भी करना चाहता हूं।

मैं यहां एनसीआरटीसी के सभी कर्मचारियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने ढेरों चुनौतियों के बावजूद भी, पूर्ण साहस एवं प्रतिबद्धता के साथ इस महान दायित्व को निभाने के लिए कार्य की गति को कभी धीमा नहीं होने दिया है।

धन्यवाद।

हस्ता/–
(मनोज जोशी, आई ए एस)
अध्यक्ष,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 18.09.2023

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

सेवा में

शेयरधारक,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
नई दिल्ली

प्रिय महोदय/महोदया,

हम निदेशक मंडल की ओर से 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों (स्टैंडएलोन तथा समेकित) एवं सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट (10वीं) की सहर्ष प्रस्तुति कर रहे हैं।

1. वित्तीय विशिष्टताएं

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष से संबंधित वित्तीय परिणाम (स्टैंडएलोन एवं समेकित) निम्नलिखित हैं:–

(₹ लाख में)

विवरण	एकल		समेकित	
	2022-23	**2021-22**	**2022-23**	**2021-22**
कुल आय (मुख्यतः सावधि जमा/फ्लैक्सी जमा से प्राप्त ब्याज आय)	13,953.72	89,46.88	13,957.20	89,51.47
व्यय (कर्मचारी हितलाभ व्यय, वित्त लागतें, मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय एवं अन्य व्यय)	3,124.31	27,58.91	3,127.48	27,61.69
कर पूर्व लाभ	**10,829.41**	**6,187.97**	**10,829.72**	**61,89.78**
कर व्यय	28,38.81	14,84.13	28,29.48	14,85.12
कर पश्चात लाभ	**7,990.60**	**4,703.84**	**8,000.24**	**47,04.66**
वर्ष के अंत में निवल सम्पति	2,26,026.53	18,29,49.67	2,26,033.13	18,29,46.63
वर्ष के अंत में संचयी पूंजी व्यय	15,69,018.96	83,85,33.37	15,69,017.50	83,85,31.91

2. पूंजीगत संरचना

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी की प्राधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी एवं चुकता इक्विटी शेयर पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तथा यह 100.00 करोड़ रुपए है। समग्र चुकता शेयर पूंजी का धारण निम्नानुसार भारत सरकार एवं प्रतिभागी राज्य सरकारों द्वारा किया गया है:

क्र.सं.	शेयरधारकों के नाम	राशि लाख रुपये में	प्रतिशत
1	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	22,50.00	22.50
2	रेल मंत्रालय	22,50.00	22.50
3	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय योजना बोर्ड	5,00.00	5.00
4	दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार	12,50.00	12.50
5	हरियाणा सरकार	12,50.00	12.50
6	राजस्थान सरकार	12,50.00	12.50
7	उत्तर प्रदेश सरकार	12,50.00	12.50
	योग	**1,00,00.00**	**100**

3. भविष्य से प्रत्याशाएं एवं परियोजना की स्थिति

आपके कंपनी ने महामारी से उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना किया है और आगे बढ़ते हुए अपने भौतिक एवं वित्तीय निष्पादन को बनाए रखा है। विचाराधीन वर्ष के दौरान, आपके कंपनी ने सुरक्षा के उच्चतर मानकों का अनुरक्षण करके विश्व श्रेणी की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के निर्माण के अपने ध्येय की प्राप्ति की दिशा में काफी अच्छी प्रगति की है।

भारत में आधुनिक अवसंरचना के निर्माण की दिशा में सार्वजनिक निवेश के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति भारत की अत्याधुनिक क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली एवं प्रमुख अवसंरचना परियोजना से होती है जो केन्द्रीय बजट 2022–23 में निर्धारित रूपरेखा के अनुरूप है। क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) जैसी परिवर्तनकारी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से आपका कंपनी हमारे माननीय प्रधान मंत्री के दृष्टिकोण एवं संकल्पना को साकार कर रहा है जिसके शब्द कुछ इस प्रकार हैं *"अवसंरचना सीमेंट और स्टील के अलावा भी बहुत कुछ है। अवसंरचना हमें बेहतर भविष्य की गारंटी देती है। अवसंरचना लोगों को परस्पर जोड़ने का कार्य करती है"*

आरआरटीएस का लक्ष्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) दिल्ली एवं इसके पड़ोसी राज्यों हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को तीव्र, विश्वसनीय एवं आरामदायक यात्रा प्रणाली प्रदान करना है। आरआरटीएस, अब परियोजना कार्यान्वयन के अपने अगले चरण में प्रवेश करने जा रहा है, जिसमें कुछ ऐसे अनेक प्रमुख कारक निर्मित होंगे जिससे भविष्य की संभावनाओं का एक स्वरूप तैयार हो सकेगा।

पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान, आपके कंपनी ने परिवर्तनकारी आरआरटीएस का कार्यान्वयन करने एवं आरआरटीएस परियोजनाओं की अनुसूची के सही मार्ग का सुनिश्चय करने के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी मजबूत पकड़ ली है।

आपकी कंपनी प्रतिबद्ध है और साथ ही टीम के सभी सदस्य दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच 17 किलोमीटर के प्राथमिकता प्राप्त खंड को चालू करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपकी कंपनी को यह विश्वास है कि इस वर्ष के अंत तक दुहाई से मेरठ के बीच स्पैन निर्माण और सुरंग बोरिंग के कार्यों सहित सभी प्रमुख निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। समग्र टीम जून 2025 के निर्धारित लक्ष्य से पहले समग्र दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर को परिचालनात्मक बनाने की प्रतिबद्धता संजोए हुए है।

आरआरटीएस परियोजना में शामिल दिल्ली से मेरठ, दिल्ली से अलवर तथा दिल्ली से पानीपत, का पहला चरण जब परिचालनात्मक हो जाएगा तो इससे यात्रियों का यात्रा समय को काफी कम होगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास तेज होगा और ऐसा होने से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं पड़ोसी राज्यों के अन्य भागों में आरआरटीएस नेटवर्क के विस्तार का मार्ग प्रशस्त होगा। क्षेत्र में इससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी और यात्रियों को यात्रा के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे। इससे हरित परिवहन के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी एवं क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार आएगा।

आपकी कंपनी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं पड़ोसी राज्यों को विश्व स्तरीय परिवहन अवसंरचना प्रदान करने के अपने संकल्प की पूर्ति के लिए प्रतिबद्ध है। सुरक्षा को प्राथमिकता देकर अपने परिचालन सुरक्षा, विश्वसनीयता के उच्चतर मानकों के अनुरूप होने एवं कार्बन फुटप्रिंट को न्यून करने पर ध्यान केन्द्रित करने के सुनिश्चय के साथ आपका कंपनी संवहनीय परिवहन प्रोत्साहित कर रहा है। आपकी कंपनी को विश्वास है कि आरआरटीएस परियोजना क्षेत्र में परिवहन परिदृश्य को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और देश के समग्र विकास में अपना योगदान देगी।

क. वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्धियाँ और परियोजना की स्थितिः

आपकी कंपनी ने आरआरटीएस परियोजना का कार्यान्वयन समय पर होने का सुनिश्चय करने के लिए अनेकों नव प्रयास किए हैं तथा इस दिशा में प्राप्त कुछ प्रमुख उपलब्धियां नीचे सूचीबद्ध हैं:–

क. विचाराधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी द्वारा आरआरटीएस ट्रेन सेवाओं को 'RAPIDX' नाम दिया है।

ख. दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर के प्राथमिकता खंड (साहिबाबाद से दुहाई डिपो) के संबंध में आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी (ईबीडी) परीक्षणों सहित उच्च गति एवं स्पंदन परीक्षण पूरे कर लिए गए हैं।

ग. दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का प्राथमिकता प्राप्त खंड जन उपयोग के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश सरकार से सहमति प्राप्त हो गई है तथा उत्तर प्रदेश में आरआरटीएस की व्यापक सुरक्षा प्रणाली के लिए सुरक्षा एजेंसी के कार्य उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (यूपीएसएसएफ) को सौंपे गए हैं।

घ. सर्वसाधारण को गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदान करने एवं सिस्टम की वित्तीय संवहनीयता के सुनिश्चय के लिए परिचालन एवं अनुरक्षण की ओर एक महत्वपूर्ण आवश्यकता के रूप में ध्यान दिए जाने का सुनिश्चय किया जाना है जिसके लिए डॉयशे बान इंजीनियरिंग एवं कंसल्टिंग इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के साथ दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के साथ परिचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा, आपकी कंपनी द्वारा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के लिए भी करार किया गया है।

ङ) एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) के उपाध्यक्ष श्री शिक्सिन चेन द्वारा दिनांक 6 सितम्बर, 2022 को दुहाई डिपो में

नवाचार केन्द्र '**अपरिमित**' का उद्घाटन किया गया जो प्रौद्योगिकी उत्तोलन की दिशा में आगे बढ़ाया गया कदम है।

च) दिनांक 10 अक्तूबर, 2022 को एलटीई नेटवर्क पर यूरोपीय ट्रेन नियंत्रण प्रणाली लेवल 2 सिग्नलिंग का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया तथा दुहाई डिपो के परीक्षण ट्रैक पर एलटीई संचार नेटवर्क से ईटीसीएस लेवल 2 सिग्नलिंग के साथ आरआरटीएस ट्रेनसेट का डायनामिक परीक्षण चालन किया गया। परीक्षण चालन सफल रहा तथा तकनीकी प्रत्याशाओं के अनुरूप सिग्नलिंग प्रणाली एवं आरआरटीएस ट्रेनसेट ने परिचालन किया/परस्पर संचार किया। ऐसा विश्व में पहली बार हुआ है कि इसके लिए लॉंग टर्म इवोल्युशन (एलटीई) रेडियो पर ऑटोमेटिक ट्रेन आपरेशन (एटीओ) युक्त अद्यतन ईटीसीएस स्तर 2 का उपयोग किया गया हैं।

छ) फरवरी, 2023 में आपकी कंपनी की मेजबानी में 'परियोजना एवं सार्वजनिक कार्यों का जोखिम प्रबंधन' के विषय पर आयोजित आईआईपीए कार्यक्रम में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मंडल द्वारा प्रतिभागिता की गई। उपस्थित प्रतिनिधि मंडल उन जटिलताओं को समझने के प्रति अत्यधिक उत्सुक थे जिनका सामना आपकी कंपनी को आरआरटीएस परियोजनाओं के निष्पादन के दौरान करना पड़ा है।

ज) सुरक्षा को सर्वोपरि स्थान प्रदान करके दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के कार्यान्वयन की दिशा में आपकी कंपनी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान जो अभूतपूर्व प्रगति प्राप्त की है, उसकी सराहना उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ, श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, श्री दुर्गा शकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग, भारत सरकार, श्री उर्जित आर. पटेल, उपाध्यक्ष, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी), श्री आर.एन. सुनकर, सदस्य (अवसंरचना), रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय, सुश्री अश्विनी भिड़े, प्रबंध निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमआरसीएल) एवं अन्य अनेक द्वारा की गई है। मल्टी–माडल एकीकरण, विशेषतः भारतीय रेल तथा दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों एवं अंतर्राज्य बस अड्डों तथा नगरीय वातावरण में घनी आबादी में स्थित स्थानीय बस स्टैंडों के साथ आरआरटीएस के प्रस्तावित एकीकरण, की दिशा में आपके कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना सभी गणमान्य व्यक्तियों द्वारा की गई है जो कि यात्रियों के लिए परिवर्तनकारी वरदान प्रमाणित होगा।

ख. आरआरटीएस चरण–I के तीन प्राथमिकता प्राप्त कॉरिडोर की कार्यान्वयन स्थिति का विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है:

I. दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर:

कॉरीडोर की कुल 82.15 किलोमीटर लम्बाई के निर्माण कार्य पूर्ण प्रवाह के साथ प्रगति पर हैं। परियोजना की गतिविधियों की स्थिति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:

i. प्राथमिकता खंड (साहिबाबाद से दुहाई डिपो) के 17 किलोमीटर भाग में में निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। गतिविधियां पूरी हो चुकी हैं। आपातकालीन ब्रेकिंग दूरी (ईबीडी) परीक्षणों सहित उच्च गति एवं स्तभन परीक्षण के कार्य भी पूरे कर लिए गए हैं।

ii. निर्माण और सिस्टम स्थापना के कार्य पूरे कर लिए गए तथा दुहाई में आरआरटीएस डिपो चालू हो गया है।

iii. प्राथमिकता प्राप्त खंड में लिफ्ट, एस्केलेटर और प्लेटफॉर्म स्क्रीन द्वार (पीएसडी) की स्थापना तथा परीक्षण और कमीशनिंग कर ली गई है।

iv. दस ट्रेनसेट प्राप्त हो चुके हैं। प्राथमिकता प्राप्त खंड में एस एंड टी एवं रोलिंग स्टॉक प्रणाली का एकीकृत परीक्षण और कमीशनिंग पूरा हो गया है।

v. गाजियाबाद रिसीविंग सब–स्टेशन (आरएसएस) चालू हो गया है। मुरादनगर में आरएसएस चालू हो गया है।

vi. गाजियाबाद आरएसएस की रूफ टॉप पर 20 KWP की सौर क्षमता चालू हो गई है।

vii. मुख्य लाइन और दुहाई डिपो एएसएस पर प्राथमिकता प्राप्त खंड में सभी सहायक उप–स्टेशन (एएसएस) चालू कर दिए गए हैं।

viii. यमुना नदी पर पुल का निर्माण कार्य निर्धारित अनुसूची के अनुसार किया जा रहा है।

ix. निर्धारित अनुसूची के अनुसार सुरंग निर्माण के कार्य किए जा रहे हैं तथा 07 सुरंग बोरिंग मशीनें (सुदर्शन) उपयोग में लाई गई हैं।

x शेष कॉरीडोर में अनुसूची के अनुसार सिविल निर्माण कार्य, वास्तुशिल्प फिनिशिंग कार्य एवं ट्रैक स्थापना कार्य प्रगति पर हैं।

II. एसकेके – एसएनबी आरआरटीएस कॉरिडोर:

क) दिल्ली–एसएनबी कॉरीडोर (दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर का चरण–1):

आपकी कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) दिसम्बर, 2018 में अनुमोदित की गई थी। राज्य सरकारों यथा हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा इसके संबंध में क्रमशः फरवरी, 2019, जून, 2019 एवं अगस्त, 2019 में अनुमोदन प्रदान किया गया था। भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्ति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सम्मुख विचाराधीन है।

आपकी कंपनी को दिल्ली और हरियाणा में सुरंगों/भूमिगत स्टेशनों के निर्माण के लिए विभिन्न स्टेकधारकों से अनापत्ति प्रमाण पत्र/सैद्धांतिक अनुमोदन पहले ही प्राप्त हो चुका है। निर्माण पूर्व/समर्थन कार्य अग्रिम चरण में हैं तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने के तुरत पश्चात इस परियोजना के निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएंगे।

ख) एसएनबी – सोतानाला आरआरटीएस कॉरिडोर (दिल्ली–अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर का चरण–2):

राजस्थान सरकार से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन प्रतीक्षित है।

III. दिल्ली–पानीपत आरआरटीएस कॉरिडोर:

संबंधित राज्य सरकारों (हरियाणा सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) को अप्रैल 2020 में तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को जून, 2020 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। हरियाणा सरकार द्वारा दिसम्बर, 2020 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए अनुमोदन दे दिया गया है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

4. पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी

आपकी कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (एनईटीआरए) है। आपकी कंपनी की कोई सम्बद्ध कंपनी अथवा संयुक्त उद्यम कम्पनियां नहीं हैं।

5. समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियमों तथा भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) से अनुरूपता के साथ कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण किया गया है जिसमें कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी यथा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरण भी शामिल हैं जिनकी प्रस्तुति भी कंपनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के साथ कंपनी की आगामी वार्षिक आम सभा में की जाएगी। पिछले वर्ष से संबंधित समेकित वित्तीय विवरण एवं कंपनी की सहायक कंपनी के लेखापरीक्षित लेखे कंपनी की वेबसाइट www.ncrtc.in और साथ ही कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में भी उपलब्ध हैं जिनकी जांच सभी शेयरधारक कार्यालय समय के दौरान कर सकते हैं। इसके अलावा, ये दस्तावेज किसी भी सदस्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जांच के लिए भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। कंपनी के किसी सदस्य से इनकी ईमेल से प्राप्ति का अनुरोध प्राप्त होने पर कंपनी इनकी एक प्रति उपलब्ध करवा सकती है।

6. सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताओं से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(3) के परंतुक के अंतर्गत 'सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की मुख्य विशेषताएं' से संबंधित सूचना के विवरण कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों में कंपनी (लेखा) नियमावली,2014 के नियम 5 का अनुसरण करके फार्म **एओसी–1** में संलग्न हैं।

7. लाभांश

आपकी कंपनी के दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के वाणिज्यिक प्रचालन अभी प्रारंभ नहीं हुए हैं। तदनुसार, विचाराधीन वर्ष के लिए किसी लाभांश की अनुशंसा नहीं की गई है।

8. सामान्य रिजर्व का विनियोजन

कर पश्चात निवल को धारित आय माना गया है तथा विचाराधीन वर्ष के लिए सामान्य रिजर्व में अंतरण हेतु किसी राशि की अनुशंसा नहीं की गई है।

9. जमा

विचाराधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी द्वारा किसी प्रकार के जमा न तो स्वीकार किए गए हैं तथा न ही इनकी प्राप्ति की गई है।

10. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 (12) के अंतर्गत कर्मचारियों का विवरण

कॉर्पोरेट कार्यालय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को विचार में लेते हुए कंपनी (प्रबंधक कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अंतर्गत अपेक्षित सूचना कंपनी के संबंध में लागू नहीं है।

11. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के अंतर्गत निदेशक मंडल द्वारा अपने स्वयं एवं अपनी समितियों एवं वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन से संबंधित विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कंपनी एक सरकारी कंपनी है जिसके विचार से कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) एवं सम्बद्ध नियमावली के प्रावधान लागू नहीं हैं।

12. सम्बद्ध पार्टी संव्यवहार

सम्बद्ध पक्षकार संव्यवहार के विवरणों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए फार्म **एओसी–2** में अपेक्षित प्रकटीकरण **अनुलग्नक–I** में प्रस्तुत है।

13. ऋणों, गारंटियों एवं निवेशों के विवरण

विचाराधीन वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा ऐसे कोई ऋण, गारंटियां अथवा निवेश नहीं किए गए हैं जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 में निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक हों।

14. अधीनस्थ ऋण

भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से 31 मार्च 2023 तक दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए 1,41,100.00 लाख रुपए का अप्रतिभूत ब्याज मुक्त गौण ऋण प्राप्त हुआ है।

15. सामग्रीगत परिवर्तन एवं प्रतिबद्धताएं

वित्तीय विवरणों से सम्बद्ध वित्तीय वर्ष के अंत एवं इस रिपोर्ट की तिथि के मध्य कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई किसी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

16. लागत रिकार्ड का अनुरक्षण

केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत की गई निर्दिष्टि के अनुसार कंपनी से लागत रिकार्डों का अनुरक्षण किए जाने की अपेक्षा नहीं है।

17. लेखा परीक्षक

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मैसर्स वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। सांविधिक लेखापरीक्षक ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखों (स्टैंडएलोन एवं समेकित) से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। लेखा परीक्षकों द्वारा अपनी रिपोर्ट में कोई अर्हता नहीं दी गई है।

18. वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित स्टैंडएलोन तथा समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट निदेशक मंडल की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के लिए उक्त स्टैंडएलोन एवं समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड ए.जी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इस प्रकार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां और उनके संबंध में प्रबंधन के उत्तर, यदि कोई हों, को अलग से इसमें परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जाएगा।

19. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2022–23 की सचिवीय लेखा परीक्षा के लिए मैसर्स शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स, कंपनी सचिव की सेवाएं प्राप्त की हैं। 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट **अनुलग्नक–II** में प्रस्तुत है ।

कंपनी के सदस्यों को संबोधित सचिवीय लेखा परीक्षा की रिपोर्ट सदस्यों के विचारार्थ एवं सूचना के उद्देश्य से प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट का अंग है। रिपोर्ट और इसकी सामग्री स्व–व्याख्यात्मक है और इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी अर्हता/प्रेक्षण नहीं है तथा इस विचार से, प्रबंधन द्वारा इनके संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

20. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम, 2013 का अनुसरण करते हुए विचाराधीन वर्ष के दौरान, सीएसआर समिति और निदेशक मंडल द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों के निवल के 2% औसत यथा 97.49 लाख रुपए की राशि का सीएसआर बजट निर्धारित किया गया है जो जारी कार्यक्रमों/परियोजनाओं से संबंधित है। तदनुसार, कंपनी ने दिनाक 27.04.2023 को एक अलग बैंक खाते में व्यय न की गई 97.49 लाख रुपए की राशि जमा की है। कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अंतर्गत इससे संबंधित विवरण वार्षिक रिपोर्ट में **अनुलग्नक–III** में प्रस्तुत किए गए हैं।

21. निदेशक उत्तरदेयता विवरण

आपका निदेशक मंडल यह पुष्टि करता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसरण में:

क) वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा सामग्रीगत विचलन, यदि कोई है, तो उनके संबंध में यथोचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और अवधि से संबंधित कंपनी के लाभ और हानि की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उन्हें ज्ञात करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार के सुनिश्चय के लिए किया है। तथा

ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विकसित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्यशील थीं।

22. निदेशक मंडल और इसकी बैठकें

22.1 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी का निदेशक मंडल निम्नानुसार था:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1	श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष	29.12.2021
2	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक	04.08.2016
3	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	एनसीआर योजना बोर्ड द्वारा नामित	07.05.2019
4	श्री कुलदीप नारायण	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से नामित	28.12.2022
5	श्री बृजेश कुमार	रेल मंत्रालय से नामित	08.06.2022
6	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश द्वारा नामित	01.05.2022
7	श्री आशिष कुन्द्रा	रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार द्वारा नामित	17.08.2021
8	श्रीमती वीणु गुप्ता	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	06.05.2022
9	श्री अरूण कुमार गुप्ता	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	03.08.2022
10	श्री अनिल कुमार सिंगारिया	निदेशक/परियोजना	15.07.2019
11	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक/ई एंड आरएस	15.07.2019
12	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं परिचालन	15.07.2019
13	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ	20.09.2019

22.2 वर्ष के दौरान/पिछली वार्षिक आम सभा की तिथि से अब तक निम्नलिखित व्यक्तियों की नियुक्ति निदेशक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) के रूप में की गई थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश सरकार से नामित	01.05.2022
2.	श्रीमती वीणु गुप्ता	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	06.05.2022
3.	श्री बृजेश कुमार	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	08.06.2022
4.	श्री अरूण कुमार गुप्ता	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	03.08.2022
5.	श्री कुलदीप नारायण	आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से नामित	28.12.2022

22.3 वर्ष के दौरान/पिछले वार्षिक आम सभा की तिथि से निम्नलिखित व्यक्ति निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक नहीं हैं:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	नियुक्ति की तिथि	समाप्ति की तिथि
1.	श्री दीपक कुमार	उत्तर प्रदेश सरकार से नामित	20.09.2019	01.05.2022
2.	श्री टी.रविकांत	राजस्थान सरकार से नामित	04.02.2022	06.05.2022
3.	श्री ओ.पी. सिंह	रेल मंत्रालय से नामित	27.09.2021	31.05.2022
4.	श्री देवेन्द्र सिंह	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	30.11.2021	31.07.2022
5.	श्री कामरान रिज़वी	आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से नामित	28.01.2020	28.12.2022

22.4 स्वतंत्र निदेशक

आपका निदेशक मंडल आगे यह पुष्टि करता है कि दिनांक 5 जुलाई 2017 की कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति एवं अर्हता) संशोधन नियमावली, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी से स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की अपेक्षा नहीं है।

22.5 निदेशक मंडल की बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, आपके निदेशक मंडल की चार (04) बैठकें नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में दिया गया है ।

31वीं बैठक	32वीं बैठक	33वीं बैठक	34वीं बैठक
15.07.2022	09.11.2022	23.12.2022	29.03.2023

23. निदेशक मंडल की समितियां

कंपनी में अनेक समितियां स्थापित हैं जिनकी स्थापना उत्तम कॉर्पोरेट शासन व्यवहारों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 के सम्बद्ध प्रावधानों की अपेक्षाओं के अनुपालन में की गई हैं।

कंपनी में निदेशक मंडल स्तर की निम्नलिखित तीन (03) समितियां हैं:

क) लेखा परीक्षा समिति

ख) निवेश समिति

ग) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

उपरोक्त समितियों के गठन, बैठकें और उपस्थिति का विवरण इस रिपोर्ट के साथ संलग्न **'कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट'** में दिया गया है।

24. कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

आपकी कंपनी प्रत्येक स्तर पर स्टेकधारकों के हितों के संरक्षण के उद्देश्य से पारदर्शिता एवं उत्तरदेयता के सुनिश्चय के लिए कॉर्पोरेट शासन के मानकों के अनुरक्षण के प्रति प्रतिबद्ध है। 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष की कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट **अनुलग्नक IV** में प्रस्तुत है तथा यह वार्षिक रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

25. विनियामकों द्वारा पारित महत्वपूर्ण और सामग्रीगत आदेश

प्राधिकरणों द्वारा ऐसे कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किए गए हैं जिनसे भविष्य में कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति और कंपनी के प्रचालन प्रभावित हो सकें।

26. वार्षिक रिपोर्ट:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट https://www.ncrtc.in/reports पर प्रस्तुत की गई है।

27. कंपनी की ओर से यह पुष्टि की जाती है कि:

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार कोई भी निदेशक नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं है।

ख. कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी के साथ कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किए हैं।

ग. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक तथा सचिवीय लेखा परीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है।

घ. निदेशक के किसी भी संबंधी को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था।

ङ. कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय V के अंतर्गत शामिल कोई जमा नहीं हैं।

च. व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

छ. कंपनी द्वारा वित्तीय विवरणों का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी लेखांकन मानकों के अनुसार किया गया है तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ ये वार्षिक रिपोर्ट का भाग हैं।

ज. कंपनी के पास ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित किया जाना अपेक्षित था।

झ. कंपनी ने आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक यथा एसएस–1 और एसएस–2 का क्रमशः 'निदेशक मंडल की बैठकें' और 'आम सभा' के संबंध में विधिवत पालन किया गया है।

ञ. स्वतंत्र लेखा परीक्षक की स्टैंडएलोन और समेकित वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट के अनुसार धारा 143(12) के अंतर्गत जालसाजी की ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हो।

ट. कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(xi) के अंतर्गत प्रकटीकरण: वर्ष के दौरान दिवालियापन एवं ऋणशोधन संहिता 2016 के अंतर्गत कोई आवेदन अथवा कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। इसके अलावा, एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के मध्य के अंतर का विवरण लागू नहीं होता है।

ठ. कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(xii) के अंतर्गत प्रकटीकरण: बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों से कोई ऋण नहीं लिया गया है।

28 शेयरधारकों के लिए सूचना

कंपनी के वित्तीय विवरण और संबंधित विस्तृत सूचना कंपनी के शेयरधारकों के लिए उपलब्ध है। कोई भी शेयरधारक किसी भी समय कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में व्यावसायिक घंटों के दौरान संबंधित जांच कर सकता है।

29 कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(5)(viii) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(q) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता से संबंधित सूचना

आपकी कंपनी में कंपनी के आकार और व्यवसाय की प्रकृति के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्रव्यवस्था और आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली स्थापित है। आंतरिक लेखा परीक्षक अनुभवी चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म है। आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है, अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है, और लेखा परीक्षा रिपोर्ट को लेखा परीक्षा समिति के सम्मुख विचार के लिए प्रस्तुत किया जाता है।

30. कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन

क. कर्मचारी कल्याण एवं विशिष्ट पहल

i. वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी ने संगठन की अपेक्षाओं के अनुसार विभिन्न नीतियों का निर्माण/संशोधन किया है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कविता लेखन, रंगोली, जिंगल/पद, ओरिगेमी आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। वेंकटेश्वर अस्पताल, द्वारका के संयोजन से कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सुरक्षा जागरूकता सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा, सतर्कता जागरूकता सप्ताह जैसे विभिन्न आयोजन किए गए थे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए थे। वार्षिक दिवस का आयोजन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया था तथा इस अवसर पर कार्यालय तथा/अथवा परियोजन स्थलों पर कर्मचारियों के अनुकरणीय निष्पादन को प्रबंधन द्वारा स्वीकृति दी गई। कर्मचारियों के उत्कृष्ट निष्पादन की स्वीकृति के रूप में प्रबंध निदेशक द्वारा योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए थे। ये सभी प्रयास कर्मचारियों के कल्याण के लिए थे तथा इससे परियोजना के प्रति उनका मनोबल एवं प्रतिबद्धता सुदृढ़ बनी रहेगी।

ii. आपकी कंपनी ने 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत 6 से 15 अगस्त, 2022 के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था तथा प्रत्येक इस महत्वपूर्ण दिवस को पूर्ण उल्लास एवं उत्साह के साथ आयोजित किया गया था।

iii. आपकी कंपनी ने एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल के माध्यम से अधिवार्षित सम्बद्ध परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना में योगदान जारी रखे हैं जो कर्मचारियों के लिए स्वस्थकर सेवानिवृति निधि के निर्माण में सहायक हुआ है। समूह वैयक्तिक दुर्घटना पॉलिसी का नवीकरण आपकी कंपनी ने वर्ष के दौरान करवा लिया था जिसमें कार्य के निर्वाह के दौरान घटित होने वाली दुर्घटना से मृत्यु होने अथवा घायल होने की स्थितियों को कवर किया गया है।

ख. औद्योगिक संबंध

विचाराधीन वर्ष के दौरान प्रबंधन ने श्रम घंटों के नष्ट न होने का सुनिश्चय किया है तथा कर्मचारियों ने व्यवसाय अपेक्षाओं की पूर्ति संगठन की इष्टतम अपेक्षाओं के अनुसार की है। आपकी कंपनी की सभी यूनिटों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं समन्वय पूर्ण रहे हैं।

ग. जनशक्ति एवं रोजगार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कंपनी की नियमित वेतनसूची के अनुसार जनशक्ति निम्नानुसार है:

क्र. सं.	पदों का स्तर	जनशक्ति बल (संख्या में)	
		31.03.2023 को स्थिति	31.03.2022 को स्थिति
1	विभाग प्रमुख (ई9–ई8)	10	10
2	उप विभाग प्रमुख(ई7 से ई4)	93	77
3	कार्यकारी (ई3 से ई0)	209	161
4	गैर–कार्यकारी	84	83
योग		396	331

घ. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अंतर्गत जनशक्ति

कंपनी द्वारा अनुसूचित जातियों (एस सी)/अनुसूचित जनजातियों (एस टी.) तथा अन्य पिछड़े वर्गों (ओ बी सी) की भर्ती एवं पदोन्नति योजनाओं के संबंध में केन्द्र सरकार की नीतियों एवं दिशानिर्देशों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लगभग 114 नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं।

ङ कंपनी में महिला कर्मचारियों की सांख्यिकी

दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार कंपनी में कार्यरत महिला कर्मचारियों की कुल संख्या 43 थी।

च. प्रशिक्षण एवं विकास

i. कर्मचारियों के ज्ञान, कौशल एवं क्षमताओं में सुधार के लिए प्रशिक्षण एवं विकास अनिवार्य है। इससे कर्मचारियों के निष्पादन को बेहतर बनाने, कर्मचारियों का मनोबल एवं कार्य संतुष्टि में वृद्धि करने, प्रतिभा आकर्षण एवं प्रतिधारित करने, प्रौद्योगिकी एवं उद्योग के रुझानों में होने वाले परिवर्तनों को अंगीकार करने, कार्य व्यवस्था जारी रहने की योजना तैयार करने में सहायता मिलती है। संक्षेप सार यह कि प्रशिक्षण एवं विकास किसी संगठन को प्रतिस्पर्धी एवं लोचक बनाता है। आपकी कंपनी का सदैव से ही शिक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करने का प्रयास रहा जिससे न केवल कर्मचारियों के कौशल एवं दक्षताओं में बढ़ोतरी हो सके अपितु इससे संगठनात्मक क्षमता के निर्माण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए संगठन के भीतर ज्ञान के प्रसार की एक प्रणाली स्थापित होना भी सुनिश्चित हो सके। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आपकी कंपनी ने कर्मचारियों को ज्ञान, ज्ञान के प्रसार, प्राप्त ज्ञान का प्रलेखन एवं कौशल तथा दक्षता में संवर्धन के लिए समान अवसर प्रदान करने की परिकल्पना की है।

ii. कर्मचारी ज्ञान के संदर्भ में वित्तीय वर्ष 2022–23 एक व्यस्त वर्ष था। वर्ष के दौरान 133 प्रशिक्षण प्रदान किए गए जो कि वर्ष प्रति वर्ष 141.8% की वृद्धि दर है, इनमें से 91.7% प्रशिक्षण तकनीकी

क्षेत्र के लिए आयोजित किए गए. 1.5% प्रशिक्षण व्यवहार संबंधी पहलुओं पर कँद्रित थे तथा 2.2% प्रशिक्षण नेतृत्व निर्माण के लिए आयोजित किए गए थे। कर्मचारी ऑन–बोर्डिंग और इंडक्शन प्रशिक्षण को पर्याप्त महत्व देकर वर्ष के दौरान 06 इंडक्शन कार्यक्रम आयोजित करके 149 नए कर्मचारियों तक पहुंच बनाई गई। बाहरी प्रशिक्षकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षणों के अलावा, आंतरिक क्षमता के निर्माण के लिए आंतरिक संकायों द्वारा ज्ञान हस्तातरण सत्र आयोजित किए गए थे। कर्मचारियों को उनके ज्ञान और कौशल को रिफ्रेश करने के लिए माइक्रोसाफ्ट एक्सेल/वर्ड/पावर प्वाइंट के लिए अनुकूलित इन–हाउस प्रशिक्षण आयोजित किए गए थे। एनसीआरटीसी ने न केवल कर्मचारियों की वित्तीय साक्षरता को बढ़ाने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि गैर–वित्त अधिकारी वित्तीय विश्लेषण और प्रस्तावों के साथ अधिक परिचित और सहज हैं, श्गैर–वित्त के लिए वित्तश पर एक अनुकूलित इन–हाउस पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए मेसर्स एक्सएलआरआई के साथ भी सहयोग किया है। टीमों के भीतर और उनके बीच सहयोग बढ़ाने के लिए, वर्ष के दौरान श्टीमवर्क और सहयोगश पर केंद्रित कई आउटबाउंड प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किए गए। उपरोक्त हस्तक्षेपों में विभिन्न कार्यों और परियोजना कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा जबरदस्त समर्थन और भागीदारी देखी गई।

iii. प्रशिक्षण के व्यवधानों को सुव्यवस्थित करने तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए डेटा चालित निर्णय लेने के सुनिश्चय के लिए प्रशिक्षण रिकॉर्ड को सटीक बनाने का एक इन–हाउस प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया था।

छ. कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी में कार्यस्थल पर महिलाओं के प्रति लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4(i) के उपबंधों के अंतर्गत कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जांच के लिए एक आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) का गठन किया गया है। निदेशक (वित्त) आंतरिक शिकायत समिति के पीठासीन अधिकारी हैं। अन्य सदस्यों में एनजीओ से एक महिला सदस्य तथा एनसीआरटीसी से 2 कर्मचारी (1 महिला एवं 1 पुरूष) इसके सदस्य हैं। आंतरिक शिकायत समिति के सम्मुख लैंगिक उत्पीड़न का कोई मामला प्रस्तुत नही हुआ है तथा वर्तमान तिथि के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति के सम्मुख कोई मामला लंबित नहीं है।

31. सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण

आपकी कंपनी सम्पूर्ण संगठन के अपने सभी क्रियाकलापों में सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण में उत्कृष्टता की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रतिबद्धता से न केवल हमारे अपने कर्मचारी अपितु परियोजना के लिए कार्यरत सभी कामगार एवं स्टेकधारक भी सम्बद्ध हैं।

परियोजना स्थल (स्थलों) पर कार्यान्वित/सुनिश्चित किए गए कुछ प्रमुख कार्यों/उपायों का संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिया गया है:

i. कंपनी द्वारा सेवा में लिए गए अधिकांश ठेकेदार आईएसओ 45001 एवं आईएसओ 14001 प्रमाणित हैं। कंपनी द्वारा वेब प्लेटफार्म यथा 'सुरक्षा डैशबोर्ड' एप्प इनहाउस विकास स्पीड पोर्टल में किया गया है जिसमें परियोजना स्थलों का सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण से संबंधित डेटा केप्चर किया जाता है तथा उसकी निगरानी की जाती है।

ii. इस वर्ष भी आपके कंपनी ने 04 से 10 मार्च 2023 के दौरान सुरक्षा जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया था जिसमें व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा शपथ ग्रहण करने, सुरक्षा स्लोगन प्रतियोगिता, सुरक्षा पेंटिंग प्रतियोगिता, प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं, से संबंधित गतिविधियां आयोजित की गई थी। आपके कंपनी के अलावा ठेकेदारों द्वारा जन जागरूकता की उत्पति के लिए विभिन्न सुरक्षा प्रचार गतिविधियां भी आयोजित की गई थी।

iii. आपकी कंपनी का ऐसा मानना है कि निरंतर ज्ञान से स्थल पर सुरक्षित व्यवहारों का सुनिश्चय संभव हो सकता है तथा इसके कार्यान्वयन के लिए प्रभावी एवं आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण व्यवस्था की गई है जिसमें स्थल कार्मिकों के लिए साप्ताहिक आधार पर प्रशिक्षण प्राप्त करने की व्यवस्था है।

iv. इसके अलावा, परियोजना का निष्पादन समय पर एवं सुरक्षित रूप में किया जाना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण घटक है तथा इसका सुनिश्चय करने के लिए आपके कंपनी ने परियोजना स्थल (स्थलों) पर उपयोग में लाए जा रहे कुछ प्रमुख उपायों में प्रभाव संरक्षण वाहन, डमी की भूमिका निभाने वाले पुतले, कंक्रीट क्रैश बैरियर, रेट्रो रिफ्लेक्टिंग प्लास्टिक ड्रम/कॉन्स, रोप लाइट, ब्लिंकर्स, फोकस लाइट, फ्लड लाइट, चमकने वाले डाइवर्जन संकेत, रब्बल स्ट्रिप्स (फ़िक्स किए गए एवं अस्थाई दोनों)/सौर स्टडस जैसे वाहनों की गति कम करने करने वाले उपाय शामिल हैं।

v. कंपनी द्वारा किए गए कार्यान्वयन की प्रशंसा भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (एनएससी) द्वारा भी की गई है तथा कंपनी का 'सर्वश्रेष्ट सुरक्षा पुरस्कार' (स्वर्ण ट्राफी)' से सम्मानित किया गया है।

vi. आपकी कंपनी व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में सुधार के लिए सर्वोत्तम व्यवहारों एवं नवोपायों का संज्ञान करने एवं अंगीकार करने के निरंतर प्रयास कर रहा है।

32. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आमेलन तथा अनुसंधान और विकास पर व्यय

कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित सूचना निम्नलिखित है:–

क. ऊर्जा संरक्षण

क) किए गए उपाय अथवा ऊर्जा संरक्षण का प्रभावः

आपकी कंपनी ने ऊर्जा के इष्टतम उपयोग के सुनिश्चय के उद्देश्य से विभिन्न प्रणालियों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का चयन करने के साथ डिजाइन चरण में ही विभिन्न संरक्षण उपायों का समावेश किया है। तदनुसार, ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर्स, एयर कंडीशनिंग की आउटडोर और इनडोर यूनिटों को विभिन्न स्थानों यथा स्टेशनों, यार्डों, रिसीविंग सबस्टेशन,

सहायक सबस्टेशन, डिपो आदि पर व्यवस्थापन किया जाता है। ऊर्जा की बचत के लिए रोलिंग स्टॉक, एस्केलेटरों और लिफ्टों को पुनर्निवेशी ब्रेकिंग सुविधा से सुसज्जित किया जा रहा है।

ख) ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के उपयोग के लिए किए गए उपायः

i. दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडॉर में इन–हाउस सौर प्रणाली की स्थापनारू राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन कंपनी द्वारा आरआरटीएस/एमआरटीएस स्टेशनों, डिपो एवं अन्य पूरक भवनों की छतों के विशालतम क्षेत्र को ध्यान में रखकर छत पर स्थापित किए जाने वाले लगभग 11 मेगावाट पावर वाले सौर संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है, जिसमें से 6.1 मेगावाट पावर के लिए कार्य आदेश जारी किया जा चुका है। 11 मेगावाट पावर के सौर सयंत्र से प्रतिवर्ष 10 मिलियन यूनिट की सौर ऊर्जा की उत्पति होगी जिससे सीओ2 उत्सर्जन स्तर में प्रतिवर्ष लगभग 9,250 टन की कमी आएगी। गाजियाबाद रिसिविंग सब–स्टेशन (आरएसएस) में 20 किलोवाट पावर क्षमता का सौर रूफटॉप कार्यशील हो गया है।

ii. मिश्रित अक्षय ऊर्जा का प्रापणः आपकी कंपनी दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए मिश्रित अक्षय ऊर्जा की 250 मिलियन यूनिट के क्रय की योजना बना रहा है। इससे सीओ2 के उत्सर्जन में लगभग 230,000 टन की वार्षिक कमी लाई जा सकेगी। इसके लिए विभिन्न स्रोतों से हरित ऊर्जा प्राप्ति के विकल्पों का अंवेषण किया जा रहा है।

ग) ऊर्जा संरक्षण उपकरण में पूंजी निवेशः

कोई महत्वपूर्ण निवेश नहीं किया गया है।

ख. प्रौद्योगिकी आमेलन, अनुकूलन एवं नवोपाय (प्रयास एवं लाभ)

i. आपकी कंपनी असंतुलित बिजली आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस), रिजिड ओवरहेड कैटेंनरी सिस्टम (आरओसीएस), स्प्रिंग टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस (एटीडी), मॉड्यूलर कैंटिलीवर असेंबली, एक्टिव पावर फिल्टर तथा यात्रियों की सुविधा के लिए विंड स्पीड सेंसरों, भूकंप सेंसरों, शीतल संयत्र प्रबंधन के प्रावधान करने, रिमोट मॉनिटरिंग प्रणाली इत्यादि जैसी उत्कृष्ट प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर रहा है।

ii. आपकी कंपनी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्मार्ट शहरी परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने एवं जलवायु परिवर्तन को लोचक बनाने में सक्षम प्रौद्योगिकी मध्यवर्तन के अंवेषण के लिए एडीबी से अनुदान की प्राप्ति हुई है। तदनुसार, आपकी कंपनी ने भवन सूचना प्रबंधन प्रयोगशाला के विकास से संबंधित परियोजनाएं प्रारंभ की हैं जो परियोजना का बेहतर खाका और योजना निर्माण, सिस्टम में दोष के संभावित स्थलों की पहचान के लिए वितरित ध्वनिक सेंसिंग सिस्टम के कार्यान्वयन और वायाडक्ट के निष्पादन के मूल्यांकन के संरचनात्मक स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली के लिए सहायक हैं। इसके अलावा कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, आपकी कंपनी ने डिपो में सोलर डेलाइट ट्यूबों का कार्यान्वयन किया है तथा कम्यूटर सुरक्षा में सुधार के लिए सम्पर्क मुक्त यात्री फ्रिस्किंग से संबंधित समाधान ज्ञात किए जा रहे हैं।

iii. दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की प्रक्रियाएं भवन सूचना मॉडलिंग (बीआईएम) के अनुसार की जा रही हैं, जिससे समन्वय में लगने वाला समय कम हुआ है तथा बेहतर इंटरफेस और विजुअलाइज़ेशन के माध्यम से ड्राइंग की गुणवत्ता में सुधार आया है। बेहतर समन्वित डिजाइन से स्थल पर कार्यों का दोहराव समाप्त हो जाता है जिससे अप्रत्यक्ष बचत होती है। बीआईएम की सभी प्रस्तुतियां कॉमन डेटा एनवायरनमेंट (सीडीई) प्लेटफॉर्म पर की जाती हैं जो एक पेपरलेस प्रक्रिया है तथा इससे समय और ऊर्जा की बचत होती है।

iv. दिल्ली–मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर की सभी परिसम्पतियां बीआईएम मॉडल पर हैं पूर्णतः समन्वित ड्राइंगों की बीआईएम मॉडल से की गई प्राप्ति उपलब्ध हैं। निर्माण कार्य इन्हीं ड्राइंगों के आधार पर की जा रही है। बीआईएम मॉडल में अब अपेक्षित अतिरिक्त डेटा की पूर्ति संबंधित ठेकेदारों द्वारा परिसंपत्ति प्रबंधन के लिए की जा रही है। इन मॉडलों का ओ एंड एम के लिए हैंडओवर परिसम्पति प्रबंधन प्रणाली के साथ एकीकृत करके किया जाएगा।

ग. आयातित प्रौद्योगिकी (वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित) के मामले में प्रस्तुत की जाने वाली सूचनाः

- देश में पहली बार 180 किमी प्रति घंटे की डिजाइन स्पीड बालास्ट मुक्त ट्रैक निर्मित किया जा रहा है। उच्चतर गति वाले बालास्ट मुक्त ट्रैक की स्थापना का सफल अनुभव न तो भारतीय रेलवे और न ही मेट्रो को ही प्राप्त है। आपकी कंपनी ने आरआरटीएस के लिए 'ऑस्ट्रियन स्लैब ट्रैक सिस्टम' का निर्धारण किया है, जो उच्च प्रीकास्टिड घटकों के साथ उच्च गति पर इसकी प्रमाणिकता पर आधारित है।

क.	आयातित प्रौद्योगिकी	एक (01)
ख.	आयात का वर्ष	2020
ग.	क्या प्रौद्योगिकी का पूर्ण आमेलन किया गया है	प्रक्रियाधीन
घ.	यदि पूर्ण आमेलन नहीं किया है तो उन क्षेत्रों का उल्लेख तथा ऐसा न किए जाने के कारण तथा भावी कार्रवाई योजना के बारे में बताएं जहां ऐसा नहीं किया गया।	ट्रैक कार्य प्रगति पर है

घ. अनुसंधान एवं विकास पर व्यय

प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स (पीएसडी) से यात्रियों का प्लेटफॉर्म से ट्रैक पर दुर्घटनावश गिरने से बचाव होता है। आरआरटीएस और मेट्रो की गाड़ियां कम समय अंतराल के साथ चलती हैं और इस गिरने से लोगों की जान जाती है। पीएसडी से ऐसी घटनाओं की रोकथाम करके सुरक्षा प्रदान की जाती है।

एनसीआरटीसी द्वारा पीएसडी का स्वदेशीकरण करके 'मेक इन इंडिया' मिशन में योगदान की दिशा सक्रिय रूप से किया गया प्रथम प्रयास

एनसीआरटीसी' के इंजीनियरों को पीएसडी का व्यापक अनुभव प्राप्त है तथा इस प्रकार एनसीआरटीसी ने स्थानीय स्तर पर

पीएसडी का विकास करने के लिए भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड (बीईएल) के साथ गठबंधन किया है। पीएसडी का प्रोटोटाइप तैयार हो गया है और बीईएल, पंचकूला में 10 मिलियन परिचालनों का उपयोज्यता काल परीक्षण क्रम पूरा हो गया है। नवंबर 2021 में स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकक से प्रोटोटाइप का सुरक्षा प्रमाणन प्राप्त कर लिया गया है। स्वदेशी रूप से विकसित पीएसडी का दुहाई डिपो पर प्रतिस्थापन प्राथमिकता प्राप्त कॉरीडोर के डाउन प्लेटफार्म पर किया जाएगा। इस प्लेटफार्म के लिए अप्रैल 2023 में में स्वतंत्र सुरक्षा मूल्यांकक से सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है। 31 मार्च, 2023 तक आपकी कंपनी द्वारा पीएसडी प्रोटोटाइप के विकास के लिए लगभग 1.16 करोड़ रुपए का व्यय किया गया हैं।

33. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

विदेशी मुद्रा आय/व्यय	राशि रुपए लाख में	
	2023 को समाप्त वर्ष के लिए	2022 को समाप्त वर्ष के लिए
आय		
विनिमय उतार–चढ़ाव लाभ (निवल)	478.17	283.18
निम्नलिखित पर व्यय		
परामर्श शुल्क	5,635.63	3,807.70
कार्य	69,878.34	52,051.57
अन्य	-	-
विनिमय उतार–चढ़ाव हानि	34,319.44	5390.90
योग व्यय	**1,09,833.41**	**61,250.17**

34. जोखिम प्रबंधन

1. जोखिम प्रबंधन एनसीआरटीसी में नीति निर्माण और निर्णय निर्धारण एक अभिन्न अंग है। आपकी कंपनी परियोजना (परियोजनाओं) के कार्यान्वयन से सम्बद्ध जोखिमों/चुनौतियों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन कर रहा है और इन जोखिमों के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की पहचान करने और उन्हें न्यून करने के लिए संगठन में विभिन्न स्तरों पर जोखिम प्रबंधन रणनीतियों को अंगीकार किया गया है। जोखिम प्रबंधन के लिए संरचनात्मक और अनुशासित अभिमुखता के लिए, एक उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) की रूपरेखा विकसित की गई है तथा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

2. उद्यम जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ईआरएम की रूपरेखा का विकास आईएसओ 31000 – (जोखिम प्रबंधन सिद्धांत और दिशानिर्देश) की अपेक्षाओं और ट्रेडवे कमीशन (सीओएसओ) के प्रायोजक संगठनों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया है। यह सभी स्टेकधारकों के लिए लागू है और इसमें उनके ज्ञान और विचारों का सहभाजन करने की व्यवस्था है जिससे आपके कंपनी की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया की गुणवत्ता में और सुधार आएगा।

3. ईआरएम की रूपरेखा में कंपनी जोखिमों को संज्ञान में लेने, विश्लेषण करने, कार्रवाई योजना का कार्यान्वयन करने, निगरानी करने, समीक्षा करने, जोखिमों को समाप्त करने तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार किए जाने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। जोखिम समन्वय कर्ताओं/जोखिम स्वामियों के साथ समन्वय एवं जोखिमों के मूल्यांकन तथा उनकी शमन योजनाओं के विश्लेषण तथा कंपनी प्रबंधन को महत्वपूर्ण सूचना प्रसारित करने के लिए एक विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारी को जोखिम प्रबंधन अधिकारी (सीआरओ) को नामित किया गया है। इसके अलावा, कार्यात्मक निदेशकों की एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन जोखिमों की समीक्षा करने तथा जोखिमों के निवारण की योजनाओं के प्रभाव आंकने के लिए किया गया है।

4. आपकी कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन समिति का गठन भी किया गया है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी विदेशी मुद्रा के उतार चढ़ाव तथा ब्याज दरों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करते हैं।

35. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

क) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी की वेबसाइट पर अपीलीय प्राधिकारी, जन सूचना अधिकारी और सहायक जन सूचना अधिकारी के नाम सहित आवश्यक अद्यतन जानकारी प्रस्तुत की गई है।

ख) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्राप्त होने वाले आवेदनों पर कार्रवाई के लिए कंपनी में एक परिभाषित तंत्रव्यवस्था स्थापित है। सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख के लिए विभाग प्रमुख स्तर के अधिकारी को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए), विभाग के उप प्रमुख स्तर के अधिकारियों को केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) तथा सहायक जन सूचना अधिकारी (एपीआईओ) नामित किया गया है।

ग) वर्ष के दौरान, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 125 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनके उत्तर देकर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में निपटान कर दिया गया है। इसके अलावा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के सम्मुख 06 अपील प्रस्तुत की गई थी जिनका निपटान निर्धारित समय काल में कर दिया गया था।

36. राजभाषा

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी द्वारा राजभाषा (ओएल) नीति, इससे संबंधित नियमों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने और रोजमर्रा के कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। इन बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक करते हैं। इन बैठकों में कपनी के कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण निर्णय निम्नलिखित हैं:

क) कंपनी के अधिकारियों/कर्मचारियों को राजभाषा के प्रयोग के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक माह हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं। वर्ष के दौरान आयोजित इन कार्यशालाओं में लगभग 188 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

ख) कंपनी के नवनियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए आयोजित प्रवेश कार्यक्रमों में राजभाषा नीति और नियमों/विनियमों और राजभाषा से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी प्रदान की गई थी।

ग) वर्ष 2022–23 के दौरान 1.05 लाख रुपए मूल्य की हिंदी पुस्तकें खरीदी गई हैं, जिनका वितरण वर्ष के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं/कार्यक्रमों में पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों को किया गया है।

घ) वर्ष के दौरान कंपनी के 10 कर्मियों को ऑनलाइन पारंगत हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किया गया था।

ङ) कंपनी में 14 सितंबर 2022 से 28 सितंबर 2022 की अवधि के दौरान हिंदी पखवाड़ा का आयोजन किया गया था। 14 सितंबर 2022 को हिंदी पखवाड़ा के उद्घाटन के अवसर पर प्रबंध निदेशक द्वारा कार्यालय के कामकाज में हिंदी का उपयोग करने की अपील की गई थी। इस दौरान कविता पाठ, प्रश्नोत्तरी, निबंध और हिंदी अनुवाद आदि विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिनमें बड़ी संख्या में अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की थी। इस अवसर पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पदमश्री डा. सुनील जोगी, श्री प्रताप फौजदार, श्री अनिल अग्रवंशी, सुश्री मधु मोहनी उपाध्याय एवं श्री राजेश जैन चेतन ने अपनी कविताएं प्रस्तुत की थीं।

च) हिन्दी के कार्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष के दौरान, "प्रबंध निदेशक प्रोत्साहन योजना" कंपनी में लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत कंपनी के वार्षिक दिवस समारोह के अवसर पर हिंदी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच कर्मियों को प्रबंध निदेशक द्वारा रुपये 10,000 का नकद पुरस्कार दिया गया था।

छ) रोजमर्रा के कार्यालयीन कार्यों में हिंदी के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष के दौरान 'प्रबंध निदेशक राजभाषा शील्ड पुरस्कार योजना का शुभारंभ भी किया गया था, जिसके अंतर्गत एक शील्ड विभागों में से सबसे अधिक कार्य हिन्दी में करने वाले विभाग को शील्ड प्रदान की जाती है तथा अन्य शील्ड परियोजना कार्यालयों में उत्तम करने वाले परियोजना कार्यालयों को प्रदान की जाती हैं। वर्ष के दौरान प्रबंध निदेशक द्वारा यह पुरस्कार 30 सितम्बर, 2022 को आयोजित हिन्दी पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन अवसर पर प्रदान किया गया था।

ज) परियोजना कार्यालयों में भी राजभाषा कार्यान्वयन का सुनिश्चय किया गया है1 परियोजना कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों के आयोजन किए जाते हैं। इस वर्ष से कॉर्पोरेट कार्यालय द्वारा परियोजना कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी किया गया है। इस अवधि के दौरान मुख्य परियोजना प्रबंधक –दिल्ली, मुख्य परियोजना प्रबंधक–मेरठ, मुख्य परियोजना प्रबंधक–दिल्ली एसएनबी, मुख्य परियोजना प्रबंधक–गुड़गांव के कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाए आयोजित की गई थी जिनमें लगभग 70 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिभागिता की थी।

झ) दिनांक 16.01.2023 को को संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्य परियोजना प्रबंधक, मोदीनगर के कार्यालय का निरीक्षण किया गया था। समिति ने मुख्य परियोजना प्रबंधक, मोदीनगर के कार्यालय द्वारा किए गए राजभाषा कार्य के प्रति संतुष्टि व्यक्त की थी।

ञ) दिनांक 10.03.2023 को कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए विशेष हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला के अंत में एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और प्रत्येक 10 विजेताओं को हिंदी पुस्तकें प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की गई थी।

37 सतर्कता

वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त शिकायतों के निराकरण के साथ साथ विभिन्न कार्यक्रम/गतिविधियाँ भी आयोजित की गईं थी। केन्द्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त निर्देशों के अनुसार एनसीआरटीसी द्वारा दिनांक 31 अक्तूबर, से 6 नवम्बर, 2022 के दौरान "भ्रष्टाचार मुक्त भारत–विकसित भारत' – "Corruption free India for a developed Nation" थीम के साथ सतर्कता जागरूता सप्ताह का आयोजन किया गया था।

- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022–23 का दिनांक 31 अक्तूबर, 2022 को शुभारंभ प्रबंध निदेशक द्वारा एनसीआरटीसी टीम के सदस्यों के साथ ग्रहण की गई सत्यनिष्ठा शपथ के साथ हुआ था।
- सप्ताह के दौरान जागरूकता के प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। इस अवसर पर एक विशेषज्ञ वक्ता को आरआरटीएस जैसी बड़ी अवसंरचना परियोजना के विभिन्न चरणों के दौरान सामना की गई स्थितियों के संबंध में अपने विशाल अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था।
- निबंध लेखन एवं ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था जिसमें दिल्ली तथा एनसीआर क्षेत्रों में स्थिति फील्ड कार्यालयों से अधिकारियों ने बढ़चढ़ कर भाग लिया। विजेताओं को उचित पुरस्कार प्रदान किए गए थे।

38 स्वच्छ भारत अभियान

कंपनी द्वारा अपने कार्यालय एवं अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने के भरसक प्रयास किए गए थे। स्वच्छ भारत अभियान के विजन के अनुसार आपकी कंपनी ने एनसीआरटीसी के कार्यालय एवं स्थल कार्यालयों में वर्टिकल गार्डन आदि सहित पौधा रोपण, हरित वातावरण एवं बागवानी की व्यवस्था की थी।

39. सूचना प्रौद्योगिकी

i. **वार्षिक संपत्ति रिटर्न (एपीआर)**–यह स्पीड पर विकसित वार्षिक संपत्ति रिटर्न मॉड्यूल का एक टूल जिसके उपयोग से कर्मचारी मानव संसाधन विभाग को आनलाइन अपने सम्पति विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं। इस साफ्टवेयर के उपयोग से कर्मचारी को अपनी वैयक्तिक सूचना एवं पिछले वर्ष के सम्पति विवरण का एक फार्म भरना होगा है।

ii. **वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ट्रैकिंग सिस्टम (एपीएआर)** यह स्पीड पर विकसित वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट ट्रैकिंग मॉड्यूल आपकी कंपनी के कर्मचारियों के एपीएआर के लिए एक डिजिटल ट्रैकर है। इससे मानव संसाधन विभाग यह ज्ञात कर पाता है कि मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए कोई विशेष एपीएआर किस स्तर पर लंबित है।

iii. **पावर बीआई डैशबोर्ड**–एनसीआरटीसी के उच्च प्रबंधन के लिए परियोजना निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक परिष्कृत डैशबोर्ड डिजाइन किया गया है। यह रिपोर्ट लगभग वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन की जाती है। स्पीड में एम्बेडिड होने के कारण यह पूरी तरह से सुरक्षित है तथा इसके डेटा कंपनी द्वारा विकसित प्रमाणित एपीआई के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

पावर बीआई डैशबोर्ड के डिजाइन और विकास के दौरान अनेक स्पीड मॉड्यूल विकसित किए गए जो प्रबंधन को परियोजना की स्थिति की उच्च दृश्यता प्रदान करने के साथ–साथ पावर बीआई डैशबोर्ड के लिए डेटा इनपुट और प्रोस्सेसिंग की सुविधा प्रदान करते हैं।

iv. **गतिविधियां डब्ल्यूबीएस** – इस मॉड्यूल का उपयोग ट्री फॉर्मेट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए किया जाता है। सभी तत्वों और गतिविधियों को संरचना और उप संरचना स्वरूप में दिखाया जाता है। यह मॉड्यूल स्पीड में गुणवत्ता नियंत्र एप्प, परियोजना प्रगति, बैठक समीक्षा आदि जैसी सभी परियोजना संबंधित माड्यूल्स के आधार का निर्माण करता है। यह अनेक पैकेजों के लिए संपूर्ण परियोजना से संबंधित मेट्रिक्स को अपडेट करने का एकीकृत दृष्टिकोण है।

v. **क्यूसी एप्प** – इंटेलिजेंट कंट्रोल के अंतर्गत गुणवत्ता को क्यूसी एप्प भी कहा जाता है तथा निर्माण कार्यों की नव विधि से निगरानी करने में सक्षम इस एप्प का निर्माण सूचना प्रौद्यागिकी एवं गुणवत्ता टीम द्वारा सामूहिक रूप से किया गया है। इसमें निम्नलिखित उप–मॉड्यूल शामिल हैं:

1. **सीआरएफआई:** ठेकेदार के प्रतिनिधि क्यूसी एप्प में सभी आरएफआई (निरीक्षण के लिए अनुरोध) की उत्पति एवं प्रबंधन कर सकते हैं। क्यूसी एप्प के निर्माण का आशय कागज मुक्त प्रलेखन करना और निर्माण क्रियाकलापों को ज्ञात करना है।
2. **एनसीएन (गैर–अनुरूपता नोटिस) तथ एनसीआर (गैर–अनुरूपता रिपोर्ट):** इस मॉड्यूल का उद्देश्य एनसीएन और एनसीआर की उत्पति एवं अनुमोदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाना है जिससे दक्षता में वृद्धि एवं समय का बेहतर प्रबंधन हो सके।
3. **ओबीएस** – गुणवत्ता और सुरक्षा: क्यूसी एप्प में क्वालिटी वॉक रिपोर्ट की भी सुविधा है, जिसके माध्यम से संबंधित प्राधिकारी गुणवत्ता वॉक के दौरान किए गए प्रेक्षणों को रिकार्ड एवं अनुरक्षण कर सकते हैं।
4. **क्यूयूआईसी डैशबोर्ड:** उपयोगकर्ता सभी निर्माण गतिविधियों का पैकेज–वार समेकित डेटा देख सकते हैं। यह आरएफआई, एनसीएन, एनसीआर और ओबीएस के निष्पादन एवं पूर्व की गई कार्रवाईयों की केन्द्रीकृत प्रस्तुति करता है। क्यूयूआईसी डैशबोर्ड में पाई चार्ट के माध्यम से ग्राफिकल विजुअलाइज़ेशन की सुविधा भी है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता एनसीएन/ओबीएस/सीआरएफआई का परिमाण किए जाने योग्य डेटा तथा क्लोज्ड एवं ओपन रिपोर्ट के अनुपात की निगरानी एवं प्रेक्षण कर सकता है।
5. **एमआरएफआई:** ठेकेदार के प्रतिनिधि एमआरएफआई की उत्पति कर सकते हैं तथा एप्प में अन्य ऐसे कार्य कर सकते हैं जिन्हें एप्प के भीतर स्वीकृत/अग्रेषित/अस्वीकार करना अपेक्षित होता है।

vi. **शिकायत पोर्टल** – स्पीड पर विकसित शिकायत प्रबंधन मॉड्यूल के उपयोग से आपकी कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिकायतों अथवा प्रतिवेदनों का निवारण तथा समाधान में सहायता मिलती है। इसके उपयोग से विवेकी विधि से शिकायत दर्ज की जा सकती है, उनकी स्थिति की जांच की जा सकती है, फीडबैक तथा नोटिफिकेशन प्राप्त होती हैं तथा मानव संसाधन विभाग शिकायत के मामलों की रिपोर्टें एवं सांख्यिकी प्राप्त कर सकते हैं।

vii. **बेंगलुरु मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीएमआरसीएल) को स्पीड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सिस्टम पट्टे पर प्रदान करना**– एनसीआरटीसी द्वारा आंतरिक रूप से निर्मित परियोजना मॉनीटरिंग प्रणाली बीएमआरसीएल को उनकी परियोजना प्रबंधन आवश्यकताओं के लिए पट्टे पर दी गई है।

viii. **हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचआरआईडीसी) को जीपीएस आधारित उपस्थिति सूचना (जीएटीआई) उपस्थिति एप्प पट्टे पर देना** – आपकी कंपनी द्वारा एचआरआईडीसी के साथ परियोजना की कुशल डिलीवरी (स्पीड) (आंतरिक रूप से निर्मित) के लिए सिस्टेमेटिक कार्यक्रम विकास की सभी सुविधाओं/मॉड्यूल के कार्यान्वयन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

40 कॉर्पोरेट संचार/जनसंपर्क:

1) आपकी कंपनी नियमित रूप से कंपनी की वेबसाइट www.ncrtc.in और लिंकेडिन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एवं कू जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परियोजना, महत्वपूर्ण गतिविधियों, उपलब्धियों, लक्ष्यों आदि से संबंधित जानकारी का प्रसार करती है। कंपनी के सोशल मीडिया पेज क्रमश: https://www.linkedin.com/company/ncrtc/, https://www.youtube.com/ncrtc, https://www.instagram.com/ncrtc_official/, National Capital Region Transport Corporation Limited | Facebook, (1) National Capital Region Transport Corporation Ltd- (@officialncrtc)/ Twitter] Follow National Capital Region Transport Corporation Ltd- (@officialncrtc) & Koo (kooapp-com) हैं।

2) आपकी कंपनी के लिंकेडइन पर 36,000 से अधिक ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं और कू पर 37,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने आधिकारिक यूट्यूब चौनलों पर परियोजना के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए कई वीडियो पोस्ट किए हैं। इनमें से एक वीडियो जिसमें कैलेंडर वर्ष 2022 के दौरान परियोजना की प्रगति दिखाई गई है, उसे यूट्यूब पर 6 लाख से अधिक बार देखा गया।

3) आपकी कंपनी द्वारा मीडिया को प्रमुख परियोजनाओं से संबंधित जानकारी ऑन गोइंग आधार पर प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस नोट एवं परस्पर चर्चा के माध्यम से साझा की जाती है। इस वर्ष परियोजना की प्रगति को दर्शाने वाले ऑपिनियन अंश/साक्षात्कार, परियोजना के लिए अंगीकार की गई नवयुग की प्रोद्योगिकियों तथा आरआरटीएस से यात्रियों को लाभ जैसे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों को नियमित रूप से कवरेज मिल रही है। इनमें से टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, नवभारत टाइम्स, हिंदू बिजनेस लाइन, बिजनेस वर्ल्ड, ग्लोबल रेलवे रिव्यू, द स्टेट्समैन कुछ उल्लेखनीय नाम हैं। इसके अलावा, टेलीविजन प्रसारण चौनलों – डीडी न्यूज, सीएनबीसी टीवी–18, न्यूज नेशन, एबीपी न्यूज, न्यूज 18, रिपब्लिक भारत, गुड न्यूज टुडे, ईटी नाउ, आज तक जैसे टेलीविजन प्रसारण चौनलों ने भी हमारी परियोजनाओं को कवर किया है।

4) आपकी कंपनी के प्रबंधन एवं कर्मचारियों ने काफी बड़े जनसमूह एवं वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित अनेक सेमिनारों एवं सम्मेलनों में प्रतिभागिता की है। इनमें लखनऊ में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स शीर्ष सम्मेलन 2023, नई दिल्ली में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2022, कोच्चि में आयोजित 15वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो में भागीदारी शामिल है। कंपनी के वरिष्ठ नेतृत्व ने मुख्य भाषण दिए और कई उद्योग के अग्रणी सम्मेलनों और सेमिनारों के हिस्से के रूप में आयोजित पैनल चर्चाओं में भाग लिया, जैसे नई दिल्ली में कंसल्टिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीईएआई) द्वारा आयोजित सेमिनार, नई दिल्ली में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स इंफ्रा फोकस शिखर सम्मेलन, नई दिल्ली में आयोजित 'रेल एनालिसिस इनोवेशन एंड एक्सीलेंस समिट 2023' और मलागा, स्पेन में रेल लाइव 2022 सम्मेलन। ऐसे अवसरों का उपयोग आरआरटीएस परियोजना के लिए वांछित दृश्यता और सार्वजनिक जागरूकता की उत्पति के लिए किया गया था।

5) कंपनी द्वारा दिल्ली–मेरठ कॉरीडोर के साथ साथ विभिन्न स्थलों पर सामुदायिक संवाद कार्यक्रम (सीआईपी) के आयोजन किए गए हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान आपकी कंपनी ने मेरठ, साहिबाबाद एवं मुरादनगर में आरआरटीएस स्टेशनों के आसपास संरचित सीआईपी और नुक्कड़ नाटकों के आयोजन किए हैं। सीआईपी और नुक्कड नाटकों के आयोजनों के दौरान निवासियों, व्यापारियों और व्यावसायिक इकाईयों जैसे स्टेकधारकों को परियोजना की प्रमुख विशेषताओं, इसके लाभों और चल रहे विकास से अवगत कराया गया, और साथ ही उन्हें सुधार के लिए अपने विचार और सुझाव साझा करने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया।

6) आपकी कंपनी परियोजना अपडेट्स, उपलब्धियों, उत्तम व्यवहारों एवं वैश्विक विकास से संबंधित आंतरिक संचार एवं सूचना सहभाजन को सुदृढ़ करने के लिए त्रैमासिक न्यूजलैटर 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' का प्रकाशन कर रही है। वर्ष 2022–23 में 'एनसीआरटीसी कनेक्ट' न्यूजलेटर के चार संस्करण जारी किए गए थे।

41. आभार अभिव्यक्ति:

क. आपके निदेशक मंडल आवासन शहरी कार्य मंत्रालय, रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, संचार मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार प्रोत्साहन विभाग, भारत सरकार की एजेंसियों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड तथा विनियामक एवं सांविधिक प्राधिकरणों से मूल्यवान सहयोग, परामर्श एवं सहायता के प्रति आभार की अभिव्यक्ति करता है।

ख. आपके निदेशक मंडल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, सांविधिक लेखापरीक्षकों, सचिवीय लेखापरीक्षकों, आंतरिक लेखापरीक्षकों, परामर्शदाताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं, मूल्य संवर्धन सेवा साझेदारों, बैंकों एवं अन्य सभी व्यवसाय सहयोग के प्रति भी प्राप्त प्रोत्साहन एवं उनसे प्राप्त सहायता एवं सहयोग के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता है।

ग. निदेशक मंडल एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कंपनी में उनके विश्वास और परियोजना की दीर्घकालिक संवहनीयता के लिए निधियन और वित्त एवं इनपुट प्रदान करने के संबंध में प्राप्त निरंतर समर्थन, उनके योगदान की सराहना एवं धन्यवाद प्रस्तुत करता है।

घ. आपके निदेशक इस अवसर पर कंपनी के कर्मचारियों से प्राप्त सहयोग का उल्लेख भी करना चाहता है तथा परियोजना की प्रगति और निष्पादन की दिशा में काम करने वाले सभी लोगों के योगदान के लिए उनकी सराहना सराहना करता है ।

42. अनुलग्नक

विवरण	अनुलग्नक
फॉर्म एओसी–2	I
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट	II
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट	III
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	IV
स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट और इंडएएस वित्तीय विवरण (स्टैंडएलोन और समेकित)	-
भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ	-

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के ओर से

हस्ता./–
(नमिता मेहरोत्रा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन:
07916304

हस्ता./–
(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएन:
06497700

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 30.06.2023

अनुलग्नक-I

फॉर्म नंबर एओसी–2

31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसार)

कपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें 31 मार्च, 2023 तक उसके तीसरे परंतुक के तहत कुछ निकटवर्ती के लेन–देन।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–दैन का ब्योरा, जो निकटवर्ती आधार पर न हो:

   समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी द्वारा कोई अनुबंध या व्यवस्था या लेन–देन नहीं किया गया जो किसी भी संबंधित पक्ष के साथ नजदीकी आधार पर नहीं थे।

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या आर्मस लेंथ के आधार पर लेनदेन का विवरण

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड़)	(च)
संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	**अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति**	**संविदा की अवधि/व्यवस्था/लेनदेन**	**अनुबंध या व्यवस्था की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित, यदि कोई हो**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख/तारीखें**	**अग्रिमों के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (रु में)**
एन सी आर टीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (एनसीआरटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)	ऑपरेटर के साथ दिल्ली– गाजियाबाद – मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के ओ एंड एम अनुबंध के प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में संलग्न होने के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के साथ समझौता	करार दिनांक 02 मार्च 2023 को निष्पादित किया गया था, और यह 03 वर्ष तक की अवधि के लिए लागू रहेगा	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड द्वारा निष्पादित गतिविधियों की लागत का भुगतान, अनुबंध मूल्य (जीएसटी को छोड़कर) के अनुसार देय राशि के 6% की दर से प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रचालक को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के नाते किया जाएगा	लागू नहीं	शून्य
	एनसीआरटीसी का कार्यालय परिसर पट्टे पर लेने के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के साथ पट्टा करार	01.10.2022 से आरंभ होकर 01.09.2023 तक ग्यारह (11) महीने	18 नवंबर 2022 को रु 15,535/– प्रतिमाह किराए, लागू करों के साथ, का पट्टा करार निष्पादित किया गया	लागू नहीं	शून्य

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल के ओर से

हस्ता./–
(नमिता मेहरोत्रा)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः
07916304

हस्ता./–
(विनय कुमार सिंह)
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः
06497700

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2023

अनुलग्नक-II

फार्म संख्या एमआर–3

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) तथा कंपनी (नियुक्ति एवं प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 9 के अनुसरण में]

सेवा में,

सदस्य,

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

सीआईएनः U60200DL2013GOI256716

गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (सीआईएनः U60200DL2013GOI256716) (एतद्वारा कम्पनी के नाम से संदर्भित) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों एवं उत्तम निगमित व्यवहारों का अनुपालन किए जाने के लिए सचिवीय लेखापरीक्षण किया है। सचिवीय लेखापरीक्षा का आयोजन ऐसी विधि से किया गया है जिससे हमें अपने मत की अभिव्यक्ति के लिए कॉर्पोरेट आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन के लिए औचित्यपरक आधार की प्राप्ति हो सके।

क. कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड के सत्यापन तथा कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों एवं प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा सचिवीय लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान प्रदान की गई सूचना के आधार पर, हम एतद्वारा यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार, कंपनी ने, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान एतद् सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन नीचे की गई रिपोर्टिंग की शर्त पर विधिवत रूप से किया गया है तथा कंपनी में निदेशक मंडल प्रक्रियाओं एवं अपेक्षित अनुपालन तंत्रव्यवस्था स्थापित है:

ख. हमने निम्नलिखित के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के संबंध में कंपनी की बहियों, प्रपत्रों, कार्यवृत्त पुस्तकों, फार्मों एवं फाइल की गई विवरणियों तथा कंपनी में अनुरक्षित अन्य रिकार्ड की जांच की है:–

i. कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) एवं उसके अध्याधीन निर्मित नियम

ii. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियम एवं विनियम जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, ओवरसीज प्रत्यक्ष निवेश एवं बाहा वाणिज्यिक ऋण के लिए विस्तारित हैंय (लागू नहीं)

iii. डिपोजिटरी अधिनियम, 1996 तथा उसके अध्याधीन विनियम एवं उप–नियमय (लागू नहीं)

iv. प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) अधिनियम, 1956 ('एससीआरए') तथा उसके अध्याधीन निर्मित नियमय (लागू नहीं)

v. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड 1992 ('सेबी अधिनियम') के अंतर्गत निर्धारित निम्नलिखित विनियम एवं दिशानिर्देशय (लागू नहीं)

vi. लागू औद्योगिक एवं श्रम कानून, मेट्रो रेल (कार्य निर्माण) अधिनियम, 1978, मेट्रो रेल (परिचालन एवं अनुरक्षण) अधिनियम, 2002, सामान्य प्रकटीकरण कानून यथा आरटीआई आदि

ग. हमने निम्नलिखित के संबंध में लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

i. इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरिज द्वारा जारी निदेशक मंडल की बैठकों से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस–1) तथा आम सभा से संबंधित सचिवीय मानक (एसएस–2) ।

ii. कंपनी द्वारा स्टाक एक्सचेंजों के साथ किए सूचीबद्धता अनुबंध (लागू नहीं)

घ. विचाराधीन अवधि के दौरान तथा हमें प्रदान की गई सूचना, स्पष्टीकरणों एवं प्रबंधन की ओर से की गई प्रस्तुतियों के अनुसार कंपनी ने ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

ङ. हम आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) कंपनी के निदेशक मंडल का गठन विधिवत किया गया है। विचाराधीन अवधि के दौरान किया गया निदेशक मंडल का गठन अनुबंध के प्रावधानों का अनुपालन करके किया गया हैं।

(ii) सभी निदेशकों को निदेशक मंडल की बैठकों की अनुसूची, कार्यसूची एवं कार्यसूची के विस्तृत नोटों के साथ पर्याप्त नोटिस अग्रिम तौर पर सात दिन पूर्व भेजा गया है तथा बैठक के आयोजन से पूर्व एवं बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता के उद्देश्य से कार्यसूची की मदों के संबंध में अग्रेतर सूचना एवं स्पष्टीकरण मांगने एवं प्राप्त करने के लिए व्यवस्था स्थापित की गई है।

(iii) निदेशक मंडल तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णयों का निर्धारण सदस्यों के विचार प्राप्त करके एवं रिकार्ड करके, यदि कोई हों, बैठक के कार्यवृत्त में शामिल किया गया है।

च. हम, आगे यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में व्याप्त अनुपालन व्यवस्था की समीक्षा एवं सम्बद्ध दस्तावेजों एवं रिकार्ड के आधार पर हमारे मतानुसार कम्पनी के आकार एवं कम्पनी के परिचालनों के अनुसार निगरानी एवं लागू कानूनों, नियमों, विनियमों तथा दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं एवं प्रक्रियाएं स्थापित की गई है।

नोटः इस रिपोर्ट का पठन हमारे समतिथि के उस पत्र के साथ किया जाना है जो 'अनुलग्नक क' में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न भाग है।

कृते **शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिवीय
एफआरएनः S2016UP441800
पीयर रिव्यू संख्या 2783/2022

हस्ता/–
शिफा बद्री
स्वत्वधारी
सदस्यता संख्या F 7965
सीपी संख्या. 17399
यूडीआईएनः F007965E000436954

स्थानः नोएडा
दिनांकः **31.05.2023**

अनुलग्नक – 'क'

सेवा में,
सदस्य,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड,
सीआईएनः U60200DL2013GOI256716
गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023

यह समतिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पठनीय है।

1. सचिवीय रिकार्ड का अनुरक्षण कंपनी के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व इन सचिवीय रिकार्डों की हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर अपने मत की अभिव्यक्ति करना है।

2. हमने प्रत्येक उन लेखांकन व्यवहारों एवं प्रक्रियायओं का उपयोग किया है जो सचिवीय रिकार्डों के सार की शुद्धता का औचित्यपरक आश्वासन प्राप्त करने के लिए उचित हैं। सचिवीय रिकार्डों में प्रस्तुत तथ्यों के सही होने का परीक्षण आधार पर सत्यापन किया गया था। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अनुसरण की गई प्रक्रियाएं एवं व्यवहार हमारे मत की अभिव्यक्ति का उचित आधार है।

3. कॉपरिट एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों के अनुपालन का दायित्व प्रबंधन का है। हमार द्वारा किया गया परीक्षण औचक आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।

4. हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा केवल कंपनी द्वारा लागू कानूनों के विधिसम्मत अनुपालन तक ही सीमित है, हमने इनके संबंध में व्यावहारिक पहलू की जांच नहीं की है।

5. हमने कंपनी के वित्तीय रिकार्डों तथा लेखा बहियों की शुद्धता एवं उपयुक्तता एवं विनिर्दिष्ट कानूनों के अंतर्गत कंपनी से प्रस्तुति के लिए अपेक्षित विभिन्न प्रकटीकरणों तथा विवरणों में सूचित मूल्यों एवं आंकड़ों की शुद्धता का सत्यापन नहीं किया है। तथापि, हमने कुछ सीमा तक इन विवरणों में दी गई सूचना का उपयोग किया है।

6. इस लेखापरीक्षा में कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कानूनों जैसे कम्पनी के संबंध में लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन की समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि इसकी समीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा अन्य नामोद्दिष्ट व्यावसायिकों द्वारा की जानी है तथा रिपोर्ट में दिए गए सार का पठन उसके समुच्चय में किया जाना है तथा न कि किसी अन्य लेखापरीक्षक (लेखापरीक्षकों)/एजेंसियों/प्राधिकरणों द्वारा कम्पनी के संबंध में प्रस्तुत/प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट (रिपोर्टों) में किए गए प्रेक्षणों, यदि कोई हों, से पृथक किया जाना है।

7. जहां कहीं अपेक्षित हुआ है, हमने कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा घटित घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन से प्रस्तुतिकरण प्राप्त किए हैं।

8. यह सचिवीय रिपोर्ट कंपनी की किसी प्रकार की भावी व्यवहार्यता का न तो प्रमाणन करती है तथा न ही यह कम्पनी के प्रबंधन द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों की कार्य कुशलता अथवा प्रभाव्यता के संबंध में किसी प्रकार का आश्वासन है।

कृते **शिफा बद्री एंड एसोसिएट्स**
कम्पनी सचिव
एफआरएनः S2016UP441800
पीयर रिव्यू संख्या 2783/2022

हस्ता/–
शिफा बद्री
स्वत्वधारी
सदस्यता संख्या F 7965
सीपी संख्या 17399
यूडीआईएनः F007965E000436954

स्थानः नोएडा
दिनांकः 31.05.2023

अनुलग्नक –III

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (एनसीआरटीसी)

वित्तीय वर्ष 2022–23 के संबंध में

सीएसआर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

1.	कम्पनी की कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:	1. स्टेकधारकों की प्रत्याशाओं के अनुसार गतिविधियों के ऐसे क्षेत्र निर्धारित करना जो चयनित क्षेत्रों, सीएसआर के निर्वाह के लिए एनसीआरटीसी की योजनागत परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संबंध में प्रतिफल आधारित प्रभाव उन्मुख हों। 2. सीएसआर की ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के निष्पादन की रूपात्मकता। 3. सीएसआर की ऐसी परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों की देखरेख की प्रक्रिया के लिए। 4. उपरोक्त उद्देश्य के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त शक्तिप्राप्त संगठनात्मक संरचना का निर्माण करना।		
2.	सीएसआर समिति की संरचना:			
क्र. सं.	**निदेशक का नाम**	**पदनाम/निदेशक पदधारिता की प्रकृति**	**वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या**	**वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की कितनी बैठकों में भाग लिया**
i.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, सदस्य सचिव, एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	2	2
ii.	श्री अनिल कुमार सिंगारिया, निदेशक/परियोजना, एनसीआरटीसी	सदस्य	2	2
iii.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक/वित्त एवं सीएफओ, एनसीआरटीसी	सदस्य	2	2
3.	वह सभी वेब–लिंक सूचित करें जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति एवं निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर योजनाओं का प्रकटीकरण कंपनी की वेबसाइट पर किया गया है			https://www.ncrtc.in/csr/
4.	सीएसआर परियोजनाओं के संबंध में नियम 8 के उप नियम (3) के अनुसरण में किए गए प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू हैं, के वेबलिंक के साथ कार्यकारी सार संक्षेप प्रस्तुत करें।			लागू नहीं, क्योंकि परियोजना अभी पूरी नहीं हुई है

₹ लाख में

5.	(क)	धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कम्पनी का औसत निवल लाभ	4874.29
	(ख)	धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	97.49
	(ग)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में से अधिशेष	-
	(घ)	वित्तीय वर्ष में सेट ऑफ के लिए अपेक्षित राशि, यदि कोई हो	-
	(ड़)	वित्तीय वर्ष के लिए सीएसआर दायित्वों का योग [(ख)+(ग)–(घ)]	97.49

₹ लाख में

6.	(क)	सीएसआर परियोजनाओं पर व्यय की गई राशि (जारी परियोजनाएं तथा जारी परियोजनाओं के अलावा, दोनों)	6.82
	(ख)	प्रशासनिक ओवरहैड में व्यय की गई राशि	Nil
	(ग)	प्रभाव मूल्यांकन, यदि लागू है, पर व्यय की गई राशि	Nil
	(घ)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि [(क)+(ख)+(ग)]	6.82

(ङ) वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अथवा व्यय न की गई सीएसआर राशिः

वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि (₹ लाख में)	व्यय न की गई राशि (₹ लाख में)				
	धारा 135 की उप–धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित की गई कुल राशि		धारा 135 की उप–धारा (6) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट किसी निधि में अंतरित की गई राशि		
	राशि	अंतरण की तिथि	निधि का नाम	राशि	अंतरण की तिथि
6.82*	97.49**	27.04.2023	शून्य	-	शून्य

*अव्ययित सीसीआर खाते (2020–21) में से ₹ 6.82 लाख रुपए का व्यय वित्तीय वर्ष 2020–21 में अनुमोदित जारी सीएसआर परियोजना से संबंधित है।

**27.04.2023 को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए अव्ययित सीएसआर खाते में धनराशि हस्तांतरित की गई

(च) सेट ऑफ के लिए अतिरेक राशि, यदि कोई होः

क्र.सं.	विवरण	₹ लाख में
(1)	(2)	(3)
(i)	धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुसार कम्पनी के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत	97.49
(ii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई कुल राशि	6.82
(iii)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई अतिरेक राशि [(ii)–(i)]	शून्य
(iv)	पूर्व वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों अथवा गतिविधियों में से अधिशेष	शून्य
(v)	उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में सेटऑफ के लिए उपलब्ध राशि [(iii)–(iv)]	शून्य

7. पिछले तीन वर्षों में व्यय न की गई कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व राशि के विवरणः

1	2	3	4	5	6		7	8
क्र.सं	पिछला वित्तीय वर्ष	अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में अंतरित राशि (₹ लाख में)	अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के अंतर्गत अव्ययित सीएसआर खाते में शेष राशि (₹ लाख में)	वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	अधिनियम की धारा 135 की उप–धारा (6) के दूसरे परंतुक के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत निर्दिष्ट निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो		उत्तरवर्ती वित्तीय वर्षों में व्यय के लिए शेष राशि (₹ लाख में)	न्यूनता, यदि कोई हो
					राशि (₹ लाख में)	अंतरण की तिथि		
1	2019-20	-	-	-	30*	03.04.2020	1.48**	-
2	2020-21	27.99**	-	-	-		27.99	
3	2021-22	58.71***	-	13.34	-	-	45.37	-
	योग	**88.18**		**13.34**	**30**	**-**	**74.84**	

*वर्ष 2019–20 के दौरान प्रधान मंत्री केयर निधि में ₹ 30 लाख रुपए अतरित किए गए।

** वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए 30.04.2021 को ₹ 1.48 लाख अव्ययित सीएसआर खाते में हस्तांतरित किए गए, साथ ही वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹ 27.99 लाख (अर्थात कुल स्थानांतरित राशि ₹ 29.47 लाख है) चल रहे सीएसआर प्रोजेक्ट यानी कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा करने के लिए आधुनिक खेती के तरीके।

***23.04.2022 को ₹ 58.71 लाख अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित किए गए।

8. क्या वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय की गई राशि के माध्यम से किन्हीं पूंजी परिसम्पतियों का निर्माण अथवा अधिग्रहण किया गया है: नहीं

( ) हां (•) नहीं

यदि हां, तो निर्मित/अधिग्रहित पूंजी परिसम्पतियों की संख्या लिखें

वित्तीय वर्ष में कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के लिए व्यय की गई राशि के माध्यम से निर्मित अथवा अधिग्रहित की गई ऐसी परिसम्पति (परिसम्पतियों) से संबंधित ब्यौरा प्रस्तुत करें:

क्र. सं.	सम्पति अथवा परिसम्पति (परिसम्पतियों) का संक्षिप्त विवरण ख्सम्पति के पूरे पते एवं स्थल सहित,	सम्पति अथवा परिसम्पति (परिसम्पतियों) के पिनकोड	उत्पति की तिथि	व्यय की गई सीएसआर राशि	पंजीकृत स्वामी की इकाई/प्राधिकरण/लाभग्राही का विवरण		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
					सीएसआर पंजीकरण संख्या, यदि लागू है	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं							

9. यदि कम्पनी धारा 135 की उप–धारा (5) के अंतर्गत औसत निवल लाभ के दो प्रतिशत का व्यय नहीं कर पाई है, तो उसका कारण (उसके कारण) सूचित करें: कम्पनी द्वारा अनुमोदित जारी परियोजना के लिए सीएसआर राशि का व्यय धारा 135 की उप–धारा (5) के अनुपालन में किया जा रहा है।

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
(प्रबंध निदेशक)
डीआईएनः 06497700

हस्ता/–
अर्चना अग्रवाल
(अध्यक्ष, सीएसआर समिति)
डीआईएनः 02105906

तिथिः 30.06.2023
स्थानः नई दिल्ली

अनुलग्नक-IV

कॉर्पोरेट प्रशासन से संबंधित कम्पनी की रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट प्रशासन के तत्वविचार पर कम्पनी की संक्षिप्त अभिव्यक्ति:

अपने विजन स्टेटमेंट के अनुरूप, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (कंपनी) एनसीआर में आर्थिक विकास को सक्षम करने वाले न्यायसंगत, तेज, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल और टिकाऊ गतिशीलता समाधान प्रदान करके लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में प्रयास कर रहा है। कंपनी अपने प्रशासन को नियंत्रित करने वाले नियमों, विनियमों और नीतियों के एक नैतिक ढांचे का पालन करती है और शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने के लिए स्थायी आधार पर हितधारकों के मूल्यों और व्यापार के संचालन के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है।

कॉर्पोरेट शासन के उत्तम व्यवहारों से सभी संघटकों में विश्वास एवं भरोसे का वातावरण निर्मित हुआ है। कंपनी अपने क्रियाकलापों में कंपनी के विजन की प्राप्ति के लिए अत्यंत पारदर्शिता, सत्यनिष्ठा एवं उत्तरदेयता के सुनिश्चय के लिए कॉर्पोरेट शासन के सिद्धांतों एवं व्यवहारों पर अडिग रहने के प्रयास कर रही है।

वर्तमान में कंपनी एक असूचीबद्ध पब्लिक कंपनी है। कॉर्पोरेट शासन की यह रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत है।

2. निदेशक मंडल:

2.1 निदेशक मंडल का आकार:

कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या 3 (तीन) से कम तथा 15 (पंद्रह) से अधिक होनी अपेक्षित नहीं है। ये निदेशक पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक एवं नामित निदेशक हो सकते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 2(45) की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एक सरकारी कंपनी है तथा यह भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए), रेल मंत्रालय (एमओआर) तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एनसीआरपीबी), तथा दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), हरियाणा, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है ।

2.2 निदेशक मंडल की संरचना:

क. कंपनी के निदेशक मंडल में निम्नानुसार 13 (तेरह) निदेशक हैं:

i. भारत सरकार से 04 (चार) नामित निदेशक तथा भारत सरकार के सचिव (आवासन एवं शहरी कार्य) निदेशक मंडल के पदेन अध्यक्ष हैं।

ii. प्रत्येक राज्य सरकारें जैसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं राजस्थान से एक नामित निदेशक के साथ 04 (चार) नामित निदेशक ।

iii. प्रबंध निदेशक सहित 05 (पांच) पूर्णकालिक कार्यात्मक निदेशक

ख. दिनांक 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार निगम के निदेशक मंडल की संरचना निम्नानुसार है:–

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष
2	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
3	श्रीमती अर्चना अग्रवाल	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के नामिति
4	श्री कुलदीप नारायण	भारत सरकार के नामिति, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय
5	श्री बृजेश कुमार	रेल मंत्रालय के नामिति
6	श्रीमती वीनू गुप्ता	राजस्थान सरकार के नामिति
7	श्री नितिन रमेश गोकर्ण	उत्तर प्रदेश सरकार के नामिति
8	श्री अरुण कुमार गुप्ता	हरियाणा सरकार के नामिति
9	श्री आशिष कुन्द्रा	एन.सी.टी की सरकार दिल्ली के नामिति
10	श्री अनिल कुमार सिंगारिया	निदेशक/परियोजना
11	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/ई एवं आरएस
12	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं संचालन
13	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं मुख्य वित्त अधिकारी

2.3 निदेशक मंडल की भूमिकाएं एवं उत्तरदायित्व:

निदेशक मंडल कंपनी का शीर्ष निकाय है जो कंपनी के समग्र क्रियाकलापों की देखरेख करता है। निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं एवं प्रत्येक सम्बद्ध लागू नियमों एवं विनियमों का अनुसरण किया जाता है। इसकी उत्तरदेयता कंपनी की संरचना से सम्बद्ध कॉर्पोरेट शासन की आधारभूत विधियों के अनुपालन, प्रोमोटरों की प्रत्याशाओं की पूर्ति एवं स्टेकधारकों के अधिकारों का सुनिश्चय करना है जिनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति निदेशक मंडल की प्रक्रियाओं से स्पष्ट होती है। निदेशक मंडल को यथोचित एवं सामयिक

प्रकटीकरणों के माध्यम से विधिक रूपरेखा, वित्तीय लेखांकन एवं रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यपरकता एवं स्टेकधारकों के दृष्टिकोण से विश्वसनीयता के अनुपालन के सुनिश्चय के लिए रणनीतिक सूझबूझ का उपयोग करना होता है।

2.4 निदेशक मंडल की आयोजित बैठकों की संख्या एवं आयोजन की तिथिः

वर्ष 2022–23 के दौरान कंपनी के निदेशक मंडल की निम्नानुसार चार बैठकें आयोजित की गई थीः–

31वीं	32वीं	33वीं	34वीं
15.07.2022	09.11.2022	23.12.2022	29.03.2023

2.5 निदेशकों के पदनाम, श्रेणी, वर्ष 2022–23 में आयोजित निदेशक मंडल की बैठकों में प्रतिभागिता की संख्या एवं निदेशक मंडल की बैठक तथा अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा (एजीएम) में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया हैः

क्र. सं.	निदेशक का नाम	श्रेणी	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लेने के पात्रता है	निदेशक मंडल की कितनी बैठकों में भाग लिया	26.09.2022 को अंतिम आयोजित वार्षिक आम सभा में उपस्थिति	अन्य कम्पनियों में धारित निदेशक पद
1.	श्री मनोज जोशी, अध्यक्ष, एनसीआरटीसी एवं सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	भारत सरकार द्वारा नामित	4	4	हां	10
2.	श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक	4	4	हां	3
3.	श्री कामरान रिजवी, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (28.01.2020 से 28.12.2022)	भारत सरकार द्वारा नामित	3	1	नहीं	1
4.	श्रीमती अर्चना अग्रवाल, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	एनसीआरपीबी से नामित	4	4	हां	1
5.	श्री कुलदीप नारायण, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं संयुक्त सचिव (एचएफए), आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (28.12.2022)	भारत सरकार द्वारा नामित	1	1	लागू नहीं	2
6.	श्री बृजेश कुमार, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अतिरिक्त सदस्य/कार्य, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (08.06.2022 से)	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	4	4	हां	2
7.	श्री ओ.पी.सिंह, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सदस्य/भूमि एवं सुविधाएं, रेलवे बोर्ड, रेल मंत्रालय (27.09.2021 से 31.05.2022)	रेल मंत्रालय द्वारा नामित	शून्य	शून्य	लागू नहीं	1
8.	श्री नितिन रमेश गोकर्ण, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश (01.05.2022 से)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	4	1	नहीं	1
9.	श्री दीपक कुमार, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश (20.09.2019 से 01.05.2022)	उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नामित	शून्य	शून्य	लागू नहीं	1
10.	श्री आशिष कुन्द्रा, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं प्रधान सचिव सह आयुक्त (परिवहन), एन.सी.टी की सरकार दिल्ली	दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) द्वारा नामित	4	2	हां	4
11.	श्रीमती वीनू गुप्ता, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर मुख्य सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (06.05.2022 से)	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	4	1	नहीं	4

12.	श्री टी. रविकांत, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर प्रधान सचिव, उद्योग एवं डीएमआईसी, राजस्थान (04.02.2022 से 06.05.2022)	राजस्थान सरकार द्वारा नामित	शून्य	शून्य	लागू नहीं	4
13.	श्री अरुण कुमार गुप्ता, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं क्षेत्र योजना तथा शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा (03.08.2022 से)	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	3	2	नहीं	7
14.	श्री देवेन्द्र सिंह, निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, नगर एवं क्षेत्र योजना तथा शहरी सम्पदा विभाग, हरियाणा (30.11.2021 से 31.07.2022)	हरियाणा सरकार द्वारा नामित	1	शून्य	नहीं	6
15.	श्री अनिल कुमार सिंगारिया	निदेशक/ परियोजना	4	3	हां	1
16.	श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक/ ई एवं आरएस	4	4	हां	2
17.	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक/प्रणाली एवं संचालन	4	4	हां	1
18.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक/वित्त एवं सीएफओ	4	4	हां	3

2.6 निदेशक मंडल की प्रक्रियाएं:

क. निदेशक मंडल/समिति की बैठकों का आयोजन निदेशक मंडल/समिति के अध्यक्ष से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात यथोचित नोटिस देकर किया जाता है। सभी महत्वपूर्ण मामलों के समर्थित दस्तावेजों और अन्य व्याख्यात्मक वर्णन के साथ कार्यसूची के विस्तृत नोट सदस्यों को अग्रिम तौर पर भेजे जाते हैं। ऐसा करने से बैठकों में सार्थक, सूचित और ध्यान केन्द्रित चर्चा एवं निर्णय निर्धारण सुविधा से हो पाता है।

ख. कार्यसूची प्रपत्र संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा तैयार किए जाते हैं और अनुमोदन के लिए इनकी प्रस्तुति प्रबंध निदेशक को करने से पूर्व संबंधित कार्यात्मक निदेशकों से सहमति प्राप्त की जाती है। इसके पश्चात, कंपनी सचिव द्वारा विधिवत अनुमोदित कार्यसूची प्रपत्र निदेशक मंडल के सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं। विशेष और असाधारण परिस्थितियों में, निदेशक मंडल के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यसूची में अतिरिक्त अथवा अनुपूरक मदों पर चर्चा की जाती है।

ग. प्रबंध निदेशक द्वारा विवरण:

निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में, प्रबंध निदेशक द्वारा निदेशक मंडल के सदस्यों को परियोजना की स्थिति और विभिन्न क्षेत्रों में कंपनी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों/विकास सहित प्रमुख विकास के बारे में जानकारी दी जाती है।

घ. निदेशक मंडल बैठक की कार्रवाई का कार्यवृत्त रिकार्ड करना:

निदेशक मंडल की बैठक के कार्यवृत्त कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और लागू सचिवीय मानकों के अनुसार जारी किए जाते है। निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त रिकार्ड किए जाते हैं और अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित कार्यवृत्त पुस्तिका में इनकी प्रविष्टि की जाती है। निदेशक मंडल की समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त भी रिकॉर्ड किए जाते हैं और समिति के अध्यक्ष के अनुमोदन और हस्ताक्षर के पश्चात बोर्ड के सदस्यों को परिचालित जाता है।

ङ. निदेशक मंडल बैठक के सम्मुख प्रस्तुत सूचना:

निदेशक मंडल को कंपनी की प्रत्येक सूचना तक पूर्ण पहुंच प्राप्त है। मंडल को नियमित रूप से दी जाने वाली सुचनाओं में सम्मिलित हैं:-

i. कंपनी की प्रगति की आवधिक समीक्षा।

ii. वार्षिक रिपोर्ट, निदेशक मंडल रिपोर्ट आदि।

iii. निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति और निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त।

iv. अन्य कंपनियों में निदेशक पद की धारिता और स्थिति के बारे में निदेशकों द्वारा हित का प्रकटीकरण।

v. शक्तियों का प्रत्यायोजन।

vi. सामग्रीगत रूप से महत्वपूर्ण अन्य सूचनाएं।

2.7 मंडल की बैठक का आयोजन होने के बाद की प्रक्रिया:

प्राशासन प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में कपनी के कंपनी सचिव विभाग के प्रमुखों को आवश्यक अनुमोदन और अनुमतिध्प्राधिकरण के साथ मंडल की बैठक के परिणाम को प्रसार करते हैं और हर बैठक के उपरान्त एक अनुपालन प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आवश्यक मंडल/समितियों द्वारा इस प्रकार दिए गए अनुमोदन पर की गई/लंबित कार्यवाहियों हेतु अनुवर्ती कार्रवाई, समीक्षा और रिपोर्टिंग की जाती है।

2.8 निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिकः

प्रबंध निदेशक, पूर्ण–कालिक कार्यात्मक निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण वार्षिक विवरण (फॉर्म एमजीटी–7) में दिया गया है तथा यह निगम के वेबसाइट पे अपलोड है।

2.9 सरकार से नामित निदेशकों को सीटिंग शुल्क का भुगतानः

सरकार द्वारा नामित निदेशकों को सीटिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

3. निदेशक मंडल की समितियांः

कंपनी में निदेशक मंडल स्तरीय निम्नलिखित तीन (3) समितियां हैं–

क. लेखापरीक्षा समिति

ख. निवेश समिति

ग. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति

4. लेखापरीक्षा समितिरू

4.1 संदर्भ शर्तों का संक्षेप साररू

लेखापरीक्षा समिति की संदर्भ शर्तें एवं क्रियाकलाप कंपनी अधिनियम, 2013 एवं लागू नियमों के अनुसरण हैं।

4.2 संस्थापन, संघटन, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नामः

क. कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट शासन के अनुसरण में दिनांक 15.09.2015 से अपने निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है तथा विद्यमान लेखापरीक्षा समिति में तीन नामित निदेशक हैं। इसका संघटन, कोरम, शक्तियां, भूमिका एवं कार्यक्षेत्र कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में है। कम्पनी सचिव लेखापरीक्षा समिति के सचिव हैं। वर्ष 2022–23 के दौरान लेखापरीक्षा समिति की एक (1) बैठक का आयोजन किया गया था।

13वीं लेखापरीक्षा समिति
12.07.2022

ख. वित्तीय वर्ष 2022–23 में लेखापरीक्षा के संघटन, बैठकों एवं उपस्थिति से संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	अध्यक्ष	1	1
2.	**श्री कामरान रिज़वी,** निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य	1	0
3.	**श्री बृजेश कुमार,** निदेशक, एनसीआरटीसी एवं अपर सदस्य/कार्य, रेल मंत्रालय	सदस्य	1	1

5. निवेश समितिः

5.1 संदर्भ शर्तें : निवेश समिति कंपनी की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार अधिशेष के निवेश के लिए परीक्षण एवं अनुशंसाए करती है।

5.2 बैठकों की संख्याः वर्ष के दौरान निवेश समिति की सात (07) बैठकें आयोजीत की गई थी।

27वीं	28वीं	29वीं	30वीं
22.04.2022	02.08.2022	30.08.2022	01.11.2022
31वीं	**32वीं**	**33वीं**	
25.11.2022	28.12.2022	03.03.2023	

5.3 निवेश समिति का संघठन एवं इसके सदस्यों की श्रेणी तथा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है: –

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	सदस्य	7	6
2.	**श्री विनय कुमार सिंह,** प्रबंध निदेशक, एनसीआरटीसी	सदस्य	7	7
3.	**श्री अनिल कुमार सिंगारिया,** निदेशक/परियोजना, एनसीआरटीसी	सदस्य	7	7

6. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) समिति:

6.1 संदर्भ शर्तें: – कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति की संदर्भ शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसरण में हैं।

6.2 बैठकों की संख्या: – वर्ष के दौरान कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति की दो (02) बैठके आयोजित की गई थी।, (7वीं)– दिनांक 12.07.2022 और (8वीं)– दिनांक 24.03.2023.

6.3 वित्तीय वर्ष 2022–23 में के अनुसार कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व समिति का संघठन एवं इसके सदस्यों की श्रेणी तथा बैठकों में उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	स्तर	कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	कितनी बैठकों में भाग लिया
1.	**श्रीमती अर्चना अग्रवाल,** निदेशक, एनसीआरटीसी एवं सदस्य सचिव एनसीआरपीबी	सदस्य	2	2
2.	**श्री अनिल कुमार सिंगारिया,** निदेशक / परियोजना, एनसीआरटीसी	सदस्य	2	2
3.	**श्रीमती नमिता मेहरोत्रा,** निदेशक / वित्त और सीएफओ, एनसीआरटीसी	सदस्य	2	2

7. सांविधिक लेखापरीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एवं एजी) द्वारा वर्ष 2022–23 हेतु निम्नलिखित चार्टर्ड लेखाकार फर्म की नियुक्ति कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में की गई है:–

मैसर्स वी एम सी ए एंड एसोसिएट्स, फर्म पंजीकरण संख्या 015546 सी, चार्टर्ड लेखाकार, नई दिल्ली।

वर्ष 2022–23 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षा शुल्क का भुगतान रु.1,65,000 / – (रुपये एक लाख पैंसठ हजार मात्र) जिसमें कर अतिरिक्त है।

8. आम सभा:

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान आयोजित कंपनी की आम सभाओं का विवरण निम्नलिखित है:–

वार्षिक आम सभा / असाधारण आम सभा की संख्या	वित्तीय वर्ष	तिथि	समय	स्थल	पारित विशेष संकल्प
9वीं वार्षिक आम सभा	2021-22	26.09.2022	12:30 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	नहीं
8वीं वार्षिक आम सभा	2020-21	29.11.2021	05:45 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	हां
7वीं वार्षिक आम सभा	2019-20	25.09.2020	4:30 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	हां
असाधारण आम सभा	2021-22	22.12.2021	3:45 अपराह्न	सम्मेलन कक्ष, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली –110001	नहीं

9. प्रकटीकरण:

क. निदेशक मंडल की रिपोर्ट में लागू नियमों के अंतर्गत अपेक्षित प्रकटीकरण किए गए हैं।

ख. निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए अभिज्ञता कार्यक्रम:

नए निदेशकों को कॉर्पोरेट ब्राउशर्स, वार्षिक रिपोर्ट, संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद, निदेशकों की सूची एवं निगम के शेयरधारकों की सूची उपलब्ध करवाई जाती है।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) की परिभाषा के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एक सरकारी कंपनी है तथा यह भारत सरकार (आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, एनसीआरपीबी) एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों का एक संयुक्त उद्यम है। निगम के इक्विटी शेयर हैं तथा इसकी प्राधिकृत एवं चुकता पूंजी की राशि रूपये 100 करोड़ है।

घ. स्वीट इक्विटी एवं स्टॉक विकल्प: – निगम ने अपने निदेशकों कर्मचारियों को कोई भी स्वीट इक्विटी शेयर तथा स्टॉक विकल्प जारी नहीं किए हैं।

ङ. संचार का माध्यमरू वार्षिक वित्तीय विवरण, निविदाएं एवं रोजगार के अवसरों इत्यादि की प्रस्तुति कम्पनी की वेबसाइट पर की जाती है। स्टेकधारकों के साथ निगम का संचार का प्रसारण इलेक्ट्रानिक, प्रिंट एवं सोशल मीडिया के उपयोग से कम्पनी के जन सम्पर्क विभाग के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी के सोशल मीडिया पृष्ठों पर क्रमशः https://www.linkedin.

com/company/ncrtc/, https://www.youtube.com/ncrtc, https://www.instagram.com/ncrtc_official/, twitter एवं facebook respectively के माध्यम से पहुंच स्थापित की जा सकती है।

च. **संचार के माध्यमः** – निगम की वेबसाइट www.ncrtc.in एक उपयोगकर्ता के अनुकूल साईट हे जिसमे सभी नवनीत विकास शामिल है।

छ. निगम की वार्षिक रिपोर्ट में अन्यों के साथ साथ वित्तीय विवरणों, निदेशक मंडल की रिपोर्ट, स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां होती हैं तथा इसे सभी सदस्यों एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार संबंधित पात्र व्यक्तियों को वितरित किया जाता है तथा इसकी प्रस्तुति संसद/राज्य सभा के पटलों पर की जाती है।

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता./–	हस्ता./–
(नमिता मेहरोत्रा)	(विनय कुमार सिंह)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	प्रबंध निदेशक
डीआईएनः	डीआईएनः
07916304	06497700

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30.06.2023

रैपिडएक्स सेवा व ट्रेनों को परिचालन के लिए मिली सीएमआरएस की मंजूरी

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरिडोर का प्राथमिक खंड परिचालन के लिए तैयार

मोरपंख के रंगों की आभा में रंगे रैपिडएक्स स्टेशन

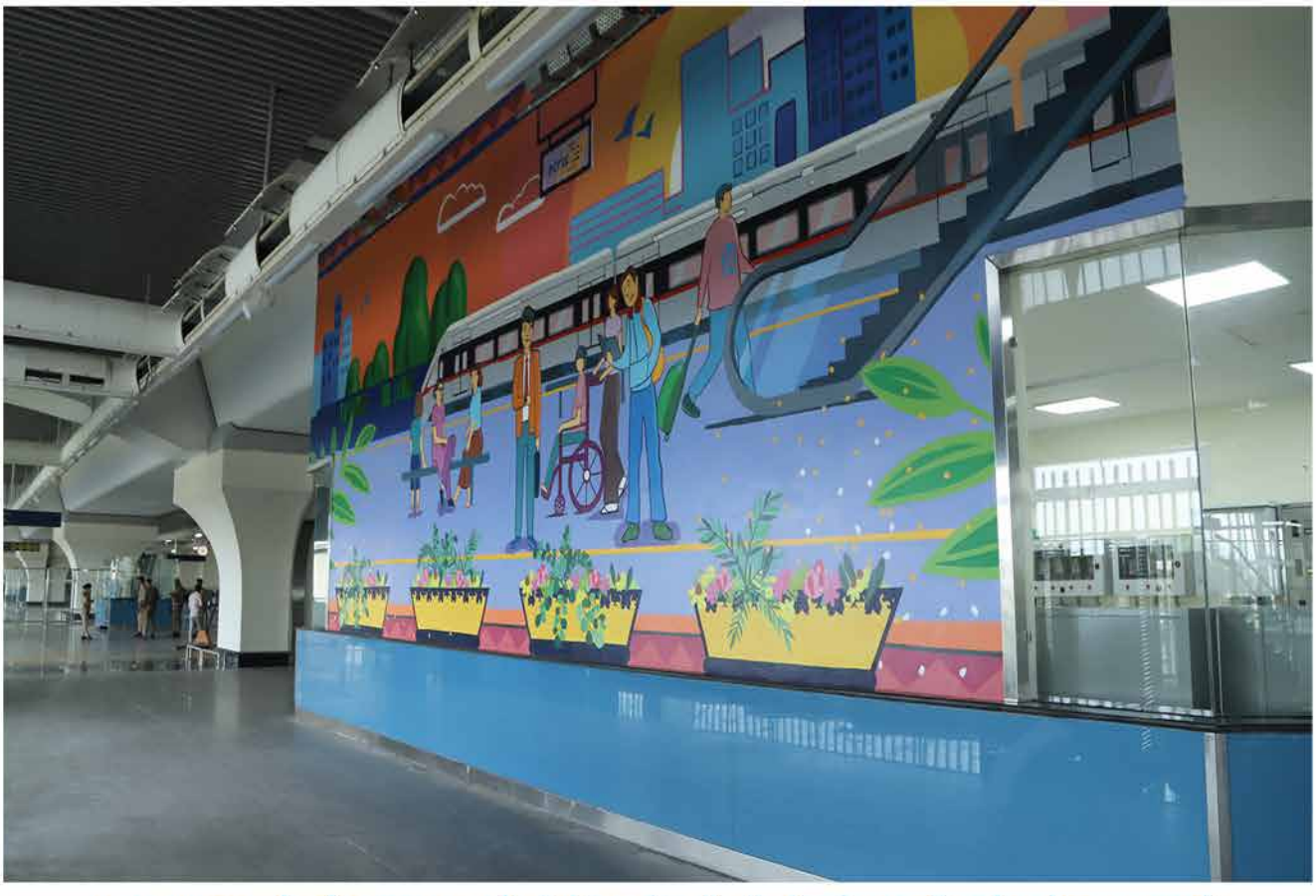

यात्रा अनुभव को और सुखद बनाने के लिए स्टेशनों की दीवारों पर की गई मनोहर कलाकारी

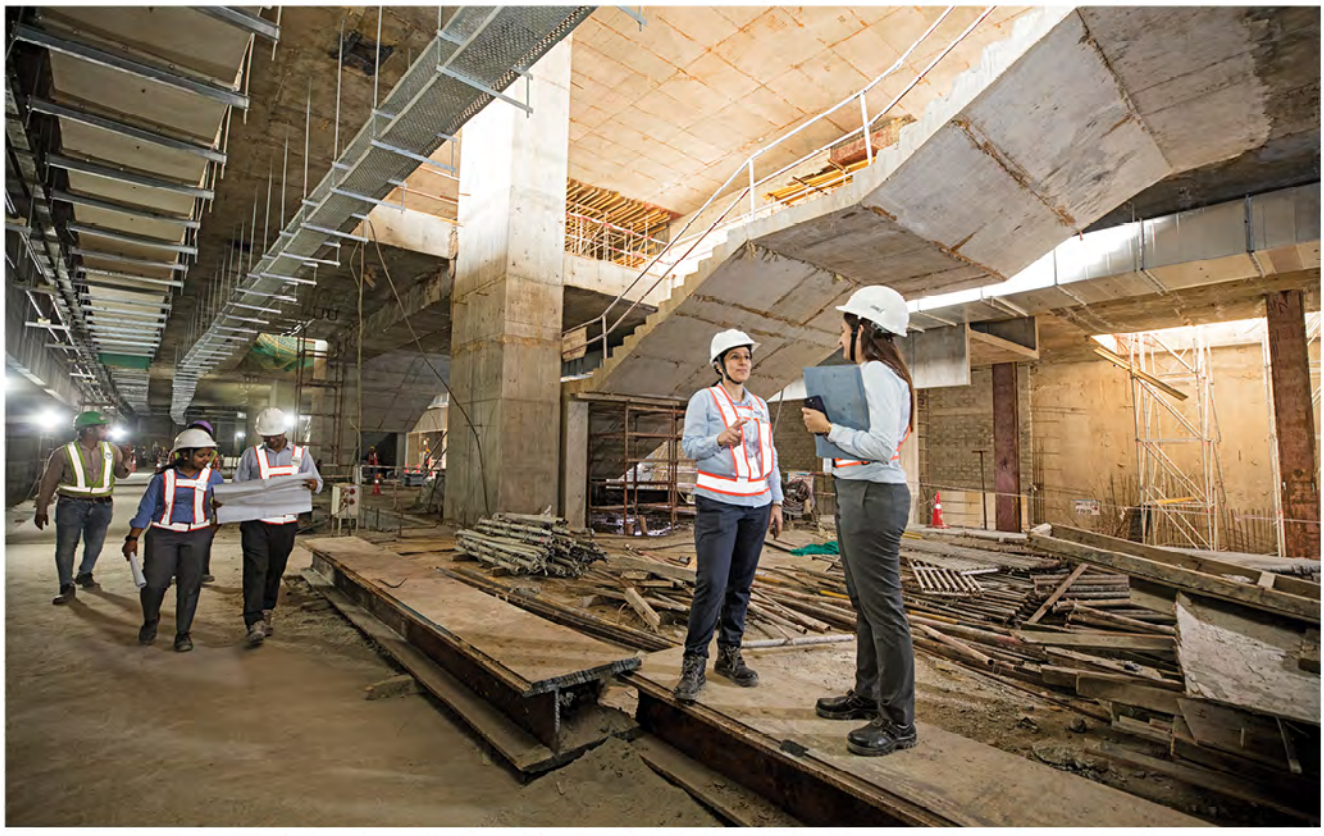

रैपिडएक्स यात्रियों के लिए सर्वोतम सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए
दिन–रात कार्यरत है टीम एनसीआरटीसी

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के लिए टनलिंग का कार्य पूरा

पूरे कॉरिडोर पर कमीशनिंग का कार्य लगातार जारी

हजारों की संख्या में श्रमजीवी दिन–रात कर रहे कार्य

585 kWp की कैपेसिटी के सोलर प्लांट की स्थापना के साथ दुहाई डिपो बना ग्रीन डिपो

अत्याधुनिक इनोवेशन सेंटर– "अपरिमित" में ऑपरेशन स्टाफ को दिया जा रहा सर्वोतम प्रशिक्षण

दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ कॉरिडोर के संचालन एवं रखरखाव के लिए
डीबी इंडिया के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर

आकार लेने लगा सराय काले खां आरआरटीएस स्टेशन जल्द बनेगा ट्रांसपोर्ट हब

न्यू अशोक नगर में आरआरटीएस वायाडक्ट ने 20 मीटर की ऊंचाई पर
दिल्ली मेट्रो ब्लू लाइन को किया क्रॉस

गाज़ीपुर ड्रेन को पार करने के लिए दिल्ली के कोंडली में 6 विशाल स्पेशल स्टील स्पैन की हो रही स्थापना

सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करते हुए विशाल प्री–कास्ट सेग्मेंट द्वारा रफ्तार से हो रहा निर्माण कार्य

विभिन्न जटिलताओं और चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर मेरठ में भूमिगत सेक्शन में
तेजी से प्रगति कर रहा कार्य

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** ("कम्पनी") के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र (बैलेंस शीट), इसी तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि के विवरण (अन्य वृहत आय सहित) इक्विटी परिवर्तन विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक सूचना के सार के साथ साथ स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट शामिल है।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर ऊपर उल्लिखित स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण, यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिथि के अनुसार, कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह के विवरण उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में की गई है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट में स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षक के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम कम्पनी से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों एवं उनसे संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल की गई सूचनाएं आती हैं परन्तु इनमें स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

हमारे मतानुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणों के अंतर्गत अन्य सूचना नहीं आती है तथा उनके संबंध में हम निष्कर्ष रूपी आश्वासन की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से जुड़ा हमारा दायित्व ऊपर विचार में ली गई अन्य सूचना को पढ़ने, जब कभी हमें उपलब्ध हो, तथा ऐसा करते हुए, स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें प्राप्त जानकारियों अथवा अन्यथा रूप में वस्तुगत स्वरूप में गलतबयानी की प्रतीति होने, अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अन्य सूचना में, हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई वस्तुगत गलतबयानी प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य को रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के निर्माण के संबंध में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) एवं भारत में सामान्यतरू स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाहों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव करनेय उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करनेय औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करने एवं अनुमान लगानेय तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार वस्तुगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से डिजाइन करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णत के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे हैं, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चय, जिनका उपयोग उपर्युक्तानुसार कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है, करने के उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

यदि प्रबंधन की मंशा अपनी सम्बद्ध इकाईयों का ऋणशोधन करने अथवा अपने परिचालन बन्द करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तो कम्पनी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कम्पनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य अपने मत के साथ स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को जारी करने के लिए इस औचित्यपरक आवश्वासन की प्राप्ति करना है कि क्या ये किसी वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त हैं अथवा नहीं हैं। औचित्यपरक आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा से वस्तुगत गलतबयानी, यदि कोई हों, की सदैव प्राप्ति निश्चित तौर पर होने की गारंटी नहीं होती है । वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी अथवा चूक के कारण, हो सकती है अथवा इसे वस्तुगत तभी माना जा सकता है जब इनसे अलग अथवा समस्त रूप से इन स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों के

आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना की गई हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान हमें व्यावसायिक तौर पर संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं। हमारे द्वारा निम्नलिखित प्रक्रियाएं भी की गई हैं:–

- इंड एएस स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों में वस्तुगत गलतबयानी के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान करना तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके, अपने मत के आधार के लिए, ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण वस्तुगत गलतबयानी का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी प्रकार की साठ गांठ, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई क्रियाएं, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है अथवा नहीं की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं, जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत सशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण बन सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय–सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हम, शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं तथा हमारी लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्ध ता सूचित करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित किया गया विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. केन्द्र सरकार द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) के उपबंधों के अनुसार जारी कम्पनी (लेखापरीक्षा रिपोर्ट) आदेश 2020 ("आदेश") की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए हमने आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में निर्दिष्ट मामलों का विवरण अनुलग्नक क में प्रस्तुत किया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर यह रिपोर्ट करते हैं कि:–

   हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

(क) हमारे मतानुसार, कम्पनी ने विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में की गई हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

(ख) इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ व हानि विवरण लेखाबहियों से मेल खाते हैं।

(ग) हमारे मतानुसार उपरोक्त स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखांकन मानकों के अनुरूप हैं।

(घ) कम्पनी एक सरकारी कम्पनी है इसलिए कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

(ङ) कम्पनी के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता एवं ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता का विवरण "अनुलग्नक–ख" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दिया गया है।

(च) लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11के अनुसरण में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार:–

- अपने वित्तीय विवरणों में कम्पनी ने लंबित न्यायिक मामलों के प्रभाव का प्रकटीकरण (संदर्भ नोट संख्या 36.2) कर दिया है।
- कम्पनी के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
- कम्पनी से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान किसी राशि का अंतरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।
- प्रबंधन ने, अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, लेखांकन नोटों में किए गए प्रकटीकरण के अलावा यह प्रस्तुति की है कि:–

i. कम्पनी द्वारा किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (मध्यवर्ती संस्थाएं) को ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि मध्यवर्ती संस्था द्वारा कम्पनी ("परम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) जारी नहीं की गई हैं।

ii. कम्पनी ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई ("निधियन पार्टी") से ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि कम्पनी द्वारा किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी ("परम लाभग्राहियों") की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) प्राप्त नहीं की हैं।

iii. परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के उपयोग के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जो हमारी ऐसी किसी मान्यता का कारक बने कि ऊपर (i) एवं (ii) में दिए गए अनुसार नियम 11(ङ) के उप–वाक्य (i) एवं (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुतियों में किसी प्रकार की कोई गलतबयानी की गई है।

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी ने किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान नहीं किया है।

(छ) कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक कम्पनी के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने के कारण कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ज) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5.6.2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र. सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
(1)	क्या कम्पनी में सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन–देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	कम्पनी में सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से किए जाते हैं तथा लेखों की सत्यता के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय उलझाव नहीं है।
(2)	क्या कम्पनी ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण कम्पनी के किसी ऋणदाता द्वारा कम्पनी को किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू हैं)	कम्पनी के संबंध में किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा से संबंधित कोई मामला नहीं है।
(3)	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान/राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युत्क्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	जी, हां। ऐसे सभी संव्यवहारों का उचित स्वरूप में लेखांकन एवं नियम एवं शर्तों के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOZA1451
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष से संबंधित कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा एवं यथोचित विचार तथा हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर, हम यह प्रस्तुत करते हैं कि:–

(i)(क) क. कंपनी द्वारा पूर्ण विवरण से युक्त उचित रिकार्ड का रख रखाव किया गया है, जिसमें सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का प्रमाणात्मक विवरण एवं उनकी स्थिति दर्शाई गई है।

ख. कम्पनी द्वारा अमूर्त परिसम्पतियों के पूर्ण विवरण की प्रस्तुति करने वाले उचित रिकार्ड का अनुरक्षण किया गया है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार प्रबंधन द्वारा वर्ष के अंत में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार ऐसे सत्यापन से किसी प्रकार सामग्रीगत अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है।

(ग) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि के अलावा, जिनके संबंध में संबंधित सरकार अथवा एजेंसियों द्वारा जारी आबंटन पत्र उपलब्ध है, कम्पनी की अचल सम्पतियों के शीर्ष प्रलेख कम्पनी के नाम पर हैं। (संदर्भ नोट संख्या 3(i)(ई), 3(ii) (एच) तथा 3(ii)(i)।

(घ) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार वर्ष के दौरान कम्पनी ने अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का पुनर्मूल्यन नहीं किया है।

(ङ) कम्पनी के प्रति बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988 (धारा 45 बेनामी संव्यवहार (प्रतिबंध) अधिनियम, 1988) एवं उसके अध्याधीन नियमों के अंतर्गत बेनामी सम्पति के धारण के लिए कोई प्रकियाएं प्रारंभ नहीं की गई हैं अथवा लंबित नहीं हैं।

(ii) (क) कम्पनी के पास कोई मालसूची नहीं है।

(ख) वर्ष के दौरान किसी भी समय कम्पनी के लिए किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्थान द्वारा कार्यशील पूंजी की सीमा स्वीकृत नही की गई है।

(iii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने कम्पनियों, फर्मों, सीमित दायित्व साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों में किसी प्रकार के निवेश नहीं किए गए हैं; किसी प्रकार की गारंटी अथवा प्रतिभूति नहीं दी गई है अथवा प्रतिभूत अथवा गैर–प्रतिभूत ऋण प्रदान नहीं किए गए हैं। तथापि, कम्पनी ने अपने ठेकेदारों को अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत अग्रिम प्रदान किए हैं तथा उनकी वसूली अनुबंधों की शर्तों के अनुसार उनके बिलों में से की जा रही है। तदनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश, 2020 का उपवाक्य (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ङ) एवं (च) कम्पनी के संबंध में लागू नहीं है।

(iv) कंपनी के पास एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी, में इक्विटी शेयर के रूप में निवेश के अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 तथा 186 में संदर्भित ऐसे कोई ऋण, गारंटियां, प्रतिभूतियां अथवा निवेश नहीं हैं।

(v) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी द्वारा जनता से किसी प्रकार के जमा अथवा राशियां स्वीकार नहीं की गई हैं। अतरू आदेश के खंड 3(अ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(vi) हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार कम्पनी द्वारा की गई गतिविधियों के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत रिकार्डों के अनुरक्षण के लिए निर्धारण नहीं किए गए हैं।

(vii)(क) सांविधिक देयताओं के संबंध में रिकार्डों की जांच, हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार कम्पनी ने संबंधित प्राधिकरणों को वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, आय कर, सीमा शुल्क, उप–कर, एवं स्वयं के संबंध में अन्य लागू अविवादित सांविधिक देयताओं से संबंधित भुगतान सामान्यतः समय पर किए हैं तथा 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार किसी योग्य प्राधिकरण को देय, जो भुगतान किए जाने की तिथि से छः माह से अधिक लंबित हों, ऐसी कोई अन्य सांविधिक देयता अथवा देय अविवादित राशि भुगतान के लिए लंबित नहीं है। कम्पनी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा लागू नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपर्युक्त उप–वाक्य (क) के संबंध में 31 मार्च, 2023 ऐसी को विवादित सांविधिक देयता नहीं है जो जमा न करवाई गई हो।

(viii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार ऐसे कोई संव्यवहार नहीं है जो लेखा बहियों में रिकार्ड न किए गए हों अथवा त्याग दिए गए हों अथवा आय कर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वर्ष के दौरान कर निर्धारणों के लिए जिनका आय के रूप में प्रकटीकरण किया गया हो।

(ix) हमारे मतानुसार एवं हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी ने ऋणों अथवा अन्य उधारों अथवा उनके संबंध में किसी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान के प्रति पुनर्भुगतान में किसी प्रकार की चूक नहीं की है। तदनुसार, कम्पनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2020 के उप–वाक्य (ix), (ख),(ग),(घ), (ङ) तथा (च) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(x)(क) कम्पनी द्वारा किसी प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव अथवा किसी आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव (नामे प्रपत्रों सहित) और सावधि ऋणों के माध्यम से धन की उत्पति नहीं की गई है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा शेयरों तथा पूर्णतरू अथवा आंशिक परिवर्तनीय लाभांशों के लिए किसी प्रकार का अधिमान्य आबंटन अथवा निजी नियोजन नहीं किया गया है।

(xi)(क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार

कम्पनी द्वारा अथवा कम्पनी के प्रति वर्ष के दौरान किसी प्रकार की जालसाजी की स्थिति प्रकाश में नहीं आई है अथवा सूचित नहीं की गई है।

(ख) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (12) के अंतर्गत लेखापरीक्षकों द्वारा कम्पनी(लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 में किए गए निर्धारण के अनुसार फार्म एडीटी–4 में केन्द्र सरकार के सम्मुख कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है।

(ग) वर्ष के दौरान कम्पनी को व्हिसल ब्लोअर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(xii) हमारे मत एवं हमें प्रदान की गई सूचना के अनुसार यह कम्पनी निधि कम्पनी नहीं है। है। इस प्रकार आदेश के पैरा 3 के खंड (xii) कम्पनी की ओर से की जाने वाली रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(xiii) हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा कम्पनी के रिकार्ड के संबंध में की गई जांच के अनुसार कम्पनी द्वारा संबद्ध पक्षकारों से किया गया लेन देन व्यवहार,जहां लागू हो, अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुसरण में किया गया है तथा इससे संबंधित प्रकटीकरण लागू लेखाकन मानकों की अपेक्षा के अनुसार स्टैंएलोन इंड ए एस वित्तीय विवरणों इत्यादि में किया गया है।

(xiv) (क) कम्पनी में इसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली स्थापित है।

(ख) अवधि से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों को हमने विचार में लिया है।

(xv) हमें प्रस्तुत की गई सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी द्वारा निदेशकों अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार का गैर–नकदी लेन व्यवहार नहीं किया गया है।

(xvi) कम्पनी गैर–बैंकिंग वित्त कम्पनी एवं प्रमुख निवेश कम्पनी नहीं है तथा तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–।। के प्रावधानों के अंतर्गत पंजीकरण करवाना अपेक्षित नहीं है। तदनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) आदेश के उपवाक्य (xvi) (क),(ख),(ग),(घ) की अपेक्षाएं लागू नहीं हैं।

(xvii) हमें प्रदान की गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों तथा हमारे द्वारा की गई कम्पनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर कम्पनी को वित्तीय वर्ष एवं निकटतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान नकदी घाटे नहीं हुए हैं।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, वित्तीय परिसम्पतियों के उपयोग काल एवं प्रतिफल की संभावित तिथियों तथा वित्तीय देयताओं के भुगतान एवं वित्तीय विवरणों से संगत अन्य सूचना तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर हमारी यह धारणा बनी है कि लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तिथि को किसी प्रकार की सामग्रीगत अनिश्चितता व्याप्त नहीं है तथा तुलन पत्र की तिथि को अपनी विद्यमान देयताओं की पूर्ति तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान उनके देय होने पर कर सकने में समर्थ है।

(xx)(क) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरण तथा हमारे द्वारा कम्पनी की जांच के आधार पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रति जारी परियोजनाओं के अलावा, जो कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में की गई निर्दिष्टि के अनुसार उक्त अधिनियम की धारा की धारा 135 उप–धारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर अंतरित की जानी अपेक्षित हैं, कोई व्यय न की गई राशि नहीं है।

(ख) हमें प्रदान की गई सूचना एवं दिए गए स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के संबंध में हमारी जाच के आधार पर कम्पनी ने जारी सीएसआर परियोजना से संबंधित शेष व्यय न की गई राशि का अंतरण उक्त अधिनियम की धारा 135 की उप–धार (6) के प्रावधानों का अनुपालन करके विशेष खाते में कर दिया है।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOZA1451
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष से संबंधित कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप धारा 3 के उप वाक्य (1) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के संबंध में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त कथित तिथि के कम्पनी के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार, इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में कम्पनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियत्रण के संबंध में अपना मत अभिव्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) के दिशानिर्देश नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों, दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी, के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियंत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आतरिक वित्तीय नियत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शमिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, वस्तुगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। इंड एएस स्टैंडएलोन विवरणों में वस्तुगत गलतबयानी, जालसाजी या त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा अपनी रिपोर्ट के संबंध में प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए पर्याप्त और उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के लिए युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की विशेष निर्मित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल होती है, जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जो उचित, विस्तृत एवं सटीक होते हैं तथा कम्पनी की परिसम्पतियों के व्यवहार और निपटान को यथोचित रूप से प्रदर्शित करती हैं जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ कंपनी की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो, (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और कम्पनी की प्राप्तियों और व्यय के संव्यवहार केवल कम्पनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार से किए गए हैंय (3)जिससे कंपनी की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आतरिक वित्तीय नियंत्रण की अतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका संज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आंतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, कम्पनी ने प्रत्येक वस्तुगत स्वरूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली की स्थापना की है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOZA1451
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निदेशों/उप–निदेशों का अनुसरण करते हुए की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन हमने किया है।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOZA1451
नई दिल्लीः 30 जून, 2023

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र (₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
I.	**परिसम्पतियां**			
1	**गैर–चालू परिसम्पतियां**			
	(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	3	13,18,39.84	7,98,68.64
	(ख) उपयोग अधिकार परिसम्पतियां	4	1,28.68	1,82.97
	(ग) पूंजी कार्य प्रगति पर	5	1,32,38,11.87	62,09,57.21
	(घ) अमूर्त परिसम्पतियां	6.1	1,07,27.05	20,11.77
	(ङ) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	6.2	643.19	65.02
	(च) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) निवेश	7.1	1,00.00	1,00.00
	(ii) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2	19,71.91	2,435.40
	(छ) आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)	8	-	-
	(ज) अन्य गैर–चालू परिसम्पतियां	9	10,23,52.17	13,58,86.04
			1,57,15,74.71	84,15,07.05
2	**चालू परिसम्पतियां**			
	(क) वित्तीय परिसम्पतियां			
	(i) व्यापार प्राप्य	10.1	-	-
	(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	1,34,40.09	9,35,42.27
	(iii) उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	10.3	19,71,24.49	17,35,71.92
	(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	10.4	95,70.83	26,59.44
	(ख) चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	11	15,52.88	17,11.80
	(ग) अन्य चालू परिसम्पतियां	12	2,51.89	2,83.42
			22,19,40.18	27,17,68.85
	योग परिसम्पतियां		**1,79,35,14.89**	**1,11,32,75.90**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOZA1451
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के अनुसार स्टैंडएलोन तुलन पत्र

(₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,00,00.00	1,00,00.00
	(ख) अन्य इक्विटी	14	21,60,26.53	17,29,49.67
			22,60,26.53	18,29,49.67
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर–चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) ऋण	15	1,17,39,84.21	7,16,955.77
	(ii) पट्टा देयताएं	16.1	–	8.23
	(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	74.78	48.55
	(ख) आस्थगित कर देयता (निवल)	8	38,03.95	10,25.30
	(ग) प्रावधान	17	23,00.37	14,97.88
	(घ) अन्य गैर–चालू देयताएं	18	2,52,50.00	2,34,50.00
			1,20,54,13.31	74,29,85.73
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) पट्टा देयताएं	19.1	8.23	7.96
	(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.2	5,16,47.92	2,38,55.71
	(iii) व्यापार देय	20	-	-
	(ख) अन्य चालू देयताएं	21	31,01,83.36	16,33,31.27
	(ग) अल्पकालिक प्रावधान	22	2,35.54	1,45.56
			36,20,75.05	18,73,40.50
	योग इक्विटी एवं देयताएं		**1,79,35,14.89**	**1,11,32,75.90**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2
लेखांकन नोट	3 to 51

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंटस
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन रू 23098796BGZOZA1451
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन लाभ एवं हानि विवरण (₹ लाख में)

	विवरण	टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालनों से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	**23**	1,39,53.72	89,46.88
III	**कुल आय (I+II)**		**1,39,53.72**	**89,46.88**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**24**	10,73.37	7,05.50
	वित्त लागतें	**25**	-	3.97
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**26**	4,71.38	5,40.97
	अन्य व्यय	**27**	15,79.56	15,08.47
IV	**योग व्यय (IV)**		**31,24.31**	**27,58.91**
V	**अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**1,08,29.41**	**61,87.97**
VI	अपरिहार्य मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ (V - VI)**		**1,08,29.41**	**61,87.97**
VIII	कर व्यय:	**28**		
	(1) चालू कर			
	– वर्तमान अवधि कर	-	2,70.51	
	– पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		**37.38**	**(95.05)**
	(2) आस्थगित कर (निवल)			
	– वर्तमान अवधि कर		27,05.32	13,08.67
	– पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		96.11	-
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**79,90.60**	**47,03.84**
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**79,90.60**	**47,03.84**
XIV	अन्य व्यापक आय			
	क. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		(43.06)	(3.68)
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		22.78	0.93
	ख. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		-	-
XV	**अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (XIII+XIV) [अवधि के दौरान लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय युक्त]**		**79,70.32**	**47,01.09**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर आय:**	**29**		
	(जारी परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपए में)	**29.1**	79.91	47.04
	(2) डायल्युटिड (रुपए में)	**29.2**	79.91	47.04

XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपए में)	-	-	
	(2) पतला (रुपए में)	-	-	
XVII	**प्रति इक्विटी शेयर आयः**			
	(जारी एवं बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपए में)	**29.1**	79.91	47.04
	(2) डायल्युटिड (रुपए में)	**29.2**	79.91	47.04

ये नोट इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न भाग हैं।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOZA1451
नई दिल्लीः 30 जून, 2023

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ		**1,08,29.41**	**61,87.97**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
मूल्यह्रास		4,71.38	5,40.97
पट्टा देयता पर ब्याज		-	3.97
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से हानि		0.66	
वित्तीय परिसम्पतियों से ब्याज आय		(95.68)	(55.94)
ब्याज आय		(1,24,70.94)	(84,54.77)
अनुदान का परिशोधन		(2,77.19)	-
बट्टा की गई परिसम्पतिया		0.07	2.02
विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नता		1.07	2.79
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(15,41.22)**	**(17,72.99)**
निम्नलिखित के लिए समायोजन			
अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (घटत)/बढ़त		31.53	(70.61)
अन्य चालू वित्तीय देयता में (घटत)/बढ़त		(33,86.89)	(5,83.47)
अन्य गैल चालू वित्तीय परिसम्पत्तियों में (घटत)/बढ़त		5,59.17	(3,93.16)
अन्य वित्तीय देयता में (घटत)/बढ़त		2,24,68.72	(40,03.74)
अन्य चालू देयता में (घटत)/बढ़त		12,70.10	31,36.36
दीर्घ अवधि प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		7,59.43	5,77.25
अन्य अवधि प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		89.98	77.76
	(2)	2,17,92.04	(12,59.61)
नकदी उत्पति वाले परिचालन	**(1+2)**	**2,02,50.82**	**(30,32.60)**
चुकता आयकर (धनवापसियों का निवल)		1,21.54	(13,45.74)
परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी उत्पति		**2,03,72.36**	**(43,78.34)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसम्पतियां एवं विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (बिक्री लाभ का निवल)		(70,95,93.41)	(40,45,35.30)
प्राप्त ब्याज		89,00.88	8,631.51
पूंजी अग्रिम		3,35,79.43	(5,96,48.62)
अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		(2,35,52.57)	(4,44,34.68)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(69,06,65.67)**	**(49,99,87.09)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
प्राप्त अनुदान से लाभ	**3,53,83.73**	**2,81,42.55**
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम –		
–भारत सरकार (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय) से पास थ्रू सहायता के प्रति	14,55,81.99	11,39,81.58
– हरियाणा सरकार	18,00.00	82,00.00
ऋणों से लाभः–		
– भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दि.सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ प्रहण	14,11,00.00	12,25,00.00
– एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	10,91,14.19	21,33,99.21
– न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	5,02,62.35	2,63,78.55
– एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	12,22,32.47	-
सुरक्षा जमा	26.23	48.55
पट्टा भुगतान	(7.96)	(149.79)
पट्टा देयता पर चुकता ब्याज	(1.21)	(12.45)
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार	(1,53,00.66)	(18,34.78)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी उत्पति	**59,01,91.13**	**51,06,53.42**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़त/(घटत) (क+ख+ग)	(8,01,02.18)	**6,287.99**
प्रारंभ नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,35,42.27	8,72,54.28
समापन नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,34,40.09**	**9,35,42.27**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल		
बैंकों में शेषः		
–चालू खाते एवं फ्लैक्सी जमा खाते में	1,34,36.38	5,40,36.63
–इम्प्रेस्ट खाते में	3.71	5.64
3 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधी जमा	–	3,95,00.00
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,34,40.09**	**9,35,42.27**

31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	पट्टा देयता	योग
संदर्भ नोट	**14.2**	**18 & 21**	**15**	**19.2**	**16 & 19.1**	
प्रारंभ शेष (क)	**16,10,82.80**	**18,17,24.78**	**71,69,55.77**	**3,26.36**	**16.19**	**1,06,01,05.90**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	-		-	(1,53,00.66)	(9.17)	**(1,53,09.83)**
वर्ष के दौरान प्राप्त	3,53,83.73	14,73,81.99	422,709.01	-	-	**60,54,74.73**
योग (ख)	**3,53,83.73**	**14,73,81.99**	**42,27,09.01**	**(1,53,00.66)**	**(9.17)**	**59,01,64.90**
गैर नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	-	-	3,43,19.44	-	-	**3,43,19.44**
वसूली योग्य	-					-
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	-	-	-	2,06,23.08	1.21	**2,06,24.29**
अनुदान परिशोधन	(2,77.19)	-	-	-	-	**(2,77.19)**
योग (ग)	**(2,77.19)**	**-**	**3,43,19.44**	**2,06,23.08**	**1.21**	**5,46,66.54**
अंत शेष (क+ख+ग)	**19,61,89.34**	**32,91,06.77**	**1,17,39,84.22**	**56,48.78**	**8.23**	**1,70,49,37.34**

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	पट्टा देयता	योग
संदर्भ नोट	**14.2**	**18 & 21**	**15**	**19.2**	**16 & 19.1**	
प्रारंभ शेष (क)	**13,18,65.00**	**5,95,43.20**	**34,92,87.11**	**1,39.67**	**1,65.98**	**54,10,00.96**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	-	-	-	(18,34.78)	(1,62.24)	**(19,97.02)**
वर्ष के दौरान प्राप्त	2,81,42.55	12,21,81.58	36,22,77.76	-	-	**51,26,01.89**
योग (ख)	**2,81,42.55**	**12,21,81.58**	**36,22,77.76**	**(18,34.78)**	**(1,62.24)**	**51,06,04.87**
गैर नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	-	-	53,90.90	-	-	**53,90.90**
वसूली योग्य	10,75.25	-	-	-	-	**10,75.25**
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	-	-	-	2,021.47	12.45	**20,33.92**
योग (ग)	**10,75.25**	**-**	**53,90.90**	**20,21.47**	**12.45**	**85,00.07**
अंत शेष (क+ख+ग)	**16,10,82.80**	**18,17,24.78**	**71,69,55.77**	**3,26.36**	**16.19**	**1,06,01,05.90**

स्पष्टीकरण नोटः –

(i) स्टैंडएलोन नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस – 7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

चालू वर्ष के साथ तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकडों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOZA1451
नई दिल्लीः 30 जून, 2023

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए स्टैंडएलोन इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2023 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनरूउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	1,00,00.00	-	-	-	1,00,00.00

2. 31 मार्च, 2022 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	1 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनरूउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	1,00,00.00	-	-	-	1,00,00.00

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2023 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			योग
	सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	**-**	**16,10,82.80**	**1,18,66.87**	**17,29,49.67**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	79,90.60	79,90.60
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	-	-	**(20.28)**	**(20.28)**
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	**-**	**16,10,82.80**	**1,98,37.19**	**18,09,19.99**
जोड़ें: वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ टिप्पणी 14.2.1)	-	3,51,06.54	-	3,51,06.54
चुकता लाभांश	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष	**-**	**19,61,89.34**	**1,98,37.19**	**21,60,26.53**

2. 31 मार्च, 2022 की स्थिति

(₹ लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			योग
	सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति के अनुसार शेष	-	**13,18,65.00**	**71,65.78**	**13,90,30.78**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	47,03.84	47,03.84
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	-	-	(2.75)	(2.75)
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	**13,18,65.00**	**1,18,66.87**	**14,37,31.87**
जोड़ें: वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ टिप्पणी 14.2.1)	-	2,92,17.80	-	2,92,17.80
चुकता लाभांश		-	-	-
31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	-	**16,10,82.80**	**1,18,66.87**	**172949.67**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOZA1451
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं
वित्त और सीएफओ
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के नोट

1. कम्पनी सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है, तथा इसका निगमन भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यथोचित, द्रुतगामी, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल एवं संवहनीय यात्रा समाधान प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.01 निर्माण का आधार – अनुपालन विवरण

कम्पनी के स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के प्रोदभवन आधार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) एवं लागू अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके गोइंग कंसर्न के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/घोषणाओं को भी कम्पनी ने यथालागू अपेक्षा के अनुसार अंगीकार किया है। कम्पनी ने प्रस्तुत अवधियों के संबंध में लेखांकन नीतियों का उपयोग समान रूप से किया है।

कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक–जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.02 मापन का आधार

उचित मूल्य पर मापन की गई कुछ वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत एवं उपार्जन आधार पर किया गया है तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन सम्बद्ध इंड–एएस की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।

2.03 अनुमानों एवं प्रबंधन विवेक का उपयोग

इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से प्रबंधन को ऐसे न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं रिपोर्ट की गई परिसम्पतियों, देयताओं की राशियों, स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसम्पतियों और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि प्रभावित हो सकती है। वास्तविक परिणाम लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। अनुमानों में परिवर्तन तथा वास्तविक परिणामों के मध्य भिन्नता के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा अनुमानों की स्वीकृति उस अवधि के लिए की गई है जिसके लिए परिणाम ज्ञात हुए हैं/व्यवहार में लाए गए हैं।

2.04 प्रत्येक वित्तीय सूचना भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई है तथा यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो सभी मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड ऑफ किया गया है।

2.05 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की गई है जबकि गैर–नकदी प्रकार एवं किन्हीं पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय के संव्यवहारों के प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) का समायोजन किया गया है। कम्पनी के प्रचालनों, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों से नकद एवं नकद समतुल्यों में उपलब्ध नकदी, बैंकों में नकदी शेष, बैंकों में मांग जमा, बैंक ओवरड्राफटों का वह निवल जिसका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है तथा जो कम्पनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग है, शामिल है।

2.06 कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों का मापन उस मूलभूत आर्थिक परिवेश की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) के उपयोग से किया गया है जिसमें कम्पनी अपने प्रचालन करता है। स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (आईएनआर) में की गई है जो कम्पनी की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की प्रस्तुति उनके संव्यवहार की तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के उपयोग से की गई है। विदेशी मुद्राओं वाली मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न होने वाली विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है जो कि ऐसी विनिमय भिन्नताओं के लिए नहीं की जाती है जो ब्याज लागतों के समायोजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न हुई हों तथा जिन्हें ऋण लागत माना गया हो।

2.07 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल है:

i. परिसम्पतियों के अधिग्रहण से संबद्ध प्रत्यक्ष लागत जिनमें

परिसम्पति को स्थल पर लाने तथा आशित उद्देश्य के लिए उसे परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने की लागतें शामिल हैं।

ii. मदों को खंडित करने अथवा हटाने तथा यदि स्वीकृति मापदंड पूरे होते हैं तो उसके मूल स्थल पर पुनरूस्थापित करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य।

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत का पूंजीयन स्वीकृति मापदंडों की पूर्ति होने पर किया जाता है।

(ग) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति निपटान किए जाने अथवा परिसम्पतियों के निरंतर उपयोग से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न होने की स्थिति में समाप्त की जाती है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का निपटान अथवा परित्याग किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त होने वाले धन एवं परिसम्पति की वहन राशि के मध्य भिन्नता के अनुसार किया जाता है तथा लाभ अथवा हानि विवरण में इसकी स्वीकृति की जाती है।

मूल्यह्रास

(क) फर्निचर जुडनार, कार्यालय उपकरण एवं आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई अन्य परिसम्पतियों, जिनका मूल्यह्रास 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है, के अलावा सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के उपयोग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची प्प में किए गए विनिर्देशन के अनुसार परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल में किया जाता है।

(ख) 5,000/– रुपए अथवा कम मूल्य की वैयक्तिक परिसम्पतियों का 100% मूल्यह्रास उनके क्रय के वर्ष में उनके वाणिज्यिक काल को विचार में लेकर तथा पहचान के उद्देश्य से 1 रुपए के टोकन मूल्य को स्वीकृति देकर किया जाता है।

(ग) यदि किसी भाग की लागत किसी मद की कुल लागत से अधिक है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल परिसम्पति के शेष उपयोज्यता काल से भिन्न है तो सम्पति,संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग अलग किया जाता है।

सम्पति,संयंत्र एवं उपकरण की महत्वपूर्ण मदों के संबंध में परिसम्पतियों का चालू एवं तुलनात्मक अवधि का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नलिखित हैः–

परिसम्पतियां	उपयोज्यता काल (वर्ष में)
संयंत्र एवं मशीनरी	15
कम्प्यूटर	3
अस्थाई भवन/संरचना	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
भवन	60
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई परिसम्पतियां	4

(घ) पट्टाधारित सुधारों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान उस माह से किया गया है जिस माह में ऐसे सुधारों का पूंजीयन हुआ है।

(ङ) मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

2.08 अमूर्त परिसम्पतियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

अनुसंधान व्यय की स्वीकृति व्यय के रूप में तब की जाती है जब इनका व्यय किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति अमूर्त परिसम्पति के रूप में तब की जाती है जब यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसम्पतिया' के पात्रता मापदंडों के अनुरूप हो तथा ऐसा न होने पर इसकी स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से उनके संबंधित अनुमानित उपयोज्यता काल में किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार हैः–

क) ऐसे साफ्टवेयर (अधिग्रहित/स्वयं तैयार किया गया), जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 3 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया जाता है।

ख) अन्य अमूर्त परिसम्पतियों (अधिग्रहित/स्वयं तैयार की गई) का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 5 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया जाता है।

2.09 पूंजी कार्य प्रगति पर

क) ऐसे व्यय जिनकी प्रत्यक्ष पहचान कम्पनी द्वारा निवर्हन की जा रही परियोजना से संबंधित हो सकती है उसे "पूंजी परियोजना व्यय" के अंतर्गत "पूजी कार्य प्रगति पर" में नामे किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ एवं अप्रत्यक्ष व्यय जैसे परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना में प्रभारित किए गए है। अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

ख) निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि जैसी निर्माण अवधि से संबंधित आय का समायोजन निर्माण के दौरान किए गए व्यय में किया गया है।

2.10 पूंजी अग्रिम

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के प्रति चुकता किए भुगतान के बकाया का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में वर्गीकरण अन्य गैर–चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में किया गया है।

2.11 भूमि

क. भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत स्टैंडएलोन इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के फ्रेमवर्क की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रण के आधार पर भूमि की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में की गई है।

ख. विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भू–स्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए भूखंडों का पूंजीयन कम्पनी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने अथवा भुगतान किए जाने, जो भी हो, के समय कर लिया जाता है तथा ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने एवं मूल्य ज्ञात न होने की स्थिति में नहीं किया जाता है।

ग. सरकार से टोकन मूल्य पर प्राप्त भूमि, जिसके स्वामित्व अधिकार कम्पनी के पास हैं, की स्वीकृति इस विचार से टोकन मूल्य पर की जाती है कि भूमि का आबंटन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है।

घ. संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को राशि के अनुमान न लगाए जा सकने के कारण तब प्रभारित किया जाएगा जब भुगतान देय होता है।

ङ. भूमि से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की लागत एवं अन्य सम्बद्ध किए जाने योग्य व्यय भूमि में लागत में जोड़े जाते हैं।

च. कब्जा प्राप्त पट्टाधारित भूमि सहित अस्थाई/अनुवर्ती प्रभाव से भूमि की लागत अथवा प्रतिपूर्ति के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, जिसमें से ध्वंस की गई संरचनाओं से प्राप्त बिक्री प्रतिफल को घटाया जाना है, को भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माना जाता है।

छ. कम्पनी के लिए भूमि की खरीद के "भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी' (सीएएलए) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को प्रारंभ में भूमि के लिए अग्रिम माना जाता है। सीएएलए खातों में से भू–स्वामियों को उक्त उद्देश्य से सीधे किए गए भुगतान का समायोजन भूमि की लागत में किया जाता है तथा सीएएलए में बकाया शेष को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

2.12 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि

परिसम्पतियों की क्षमता हानि से संबंधित इंड एएस 36 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या इनमें किसी प्रकार के क्षमता हानि के संकेत प्रतीत हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के अनुमान उचित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की लागत एवं उपयोग मूल्य को घटाकर लगाए जाते हैं। लाभ एवं हानि विवरण में किसी क्षमता हानि की स्वीकृति तब की जाती है जब किसी परिसम्पति अथवा इनकी नकद उत्पति यूनिट की वहन राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूलीयोग्य हानि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा ऐसी हानियों का अब कोई अस्तित्व नहीं है अथवा ये कम हो गई हैं तो पूर्व लेखांकन अवधियों में अक्षमता हानि के लिए प्रदान की गई स्वीकृति को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षमता हानि में किए गए ऐसे रिवर्सल की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

2.13 (क) राजस्व स्वीकृति

i. राजस्व की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जब यह सभावना हो कि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। तथापि, राजस्व में पहले से ही शामिल किसी प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वसूली न किए जाने योग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, की स्वीकृति पहले से ही स्वीकृत की गई राजस्व राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में की जाती है।

ii. ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया जाता है जो कम्पनी माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करता है।

iii. प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य प्रतिफल के राजस्व का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उस लेखांकन अवधि में की जाती है जिस अवधि में सेवाएं प्रदान की गई हैं। राजस्व की स्वीकृति समय अथवा समय के किसी एक बिन्दु पर निष्पादन दायित्व पूरे किए जाने के आधार पर की जाती है।

क. किसी समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट होने के मामले में राजस्व की स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रदान की गई कुल सेवाओं के अनुपात के आधार पर की स्वीकृति की जाती है। ऐसे निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, संव्यवहार की कुल अनुमानित लागत के वहन के लिए अद्यतन व्यय, व्ययतित समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उचित समझी गई अन्य किसी विधि के आधार पर किए जाते हैं।

ख. अन्य मामलों मे, जहां समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट नहीं होते हैं, राजस्व की स्वीकृति समय बिन्दु पर की जाती है।

ग. ऐसे अनुबंधों के मामले में जिनमें ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर नियत राशि का भुगतान करता है, तो यदि कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक होती हैं तो अनुबंध परिसम्पति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होते हैं तो अनुबंध दायित्व की स्वीकृति की जाती है।

घ. संग्रहण शुल्क को गतिविधियों/अनुबंधध्कार्य आदेश के निबधनों के अनुसार संव्यवहारों के पूर्ण होने के चरण के आधार पर राजस्व की स्वीकृति दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है।

ङ. धनवापसी योग्य एवं आपूर्तियों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

च. निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए राजस्व की स्वीकृति प्रबंधन, ग्राहक से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए निर्धारित कार्य सम्पन्नता/निर्माण लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

(ख) अन्य राजस्व स्वीकृति

i. ब्याज आय की स्वीकृति समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से बकाया राशि के लेखे एवं लागू ब्याज दर को विचार में लेकर की जाती है।

ii. लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने, इकाई को आर्थिक लाभ प्रवाहित होने एवं राशि का मापन विश्वसनीयता के साथ किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

2.14 सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** कम्पनी द्वारा भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित अंशदान चुकता किए जाते हैं। कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत चुकता/देय भुगतान की स्वीकृति उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवा समाप्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ, सामान भत्ता शामिल हैं। इनकी देयताओं की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर तुलन पत्र तिथि को की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि (पीयूसी) के उपयोग से की जाती है।

- कम्पनी द्वारा परिभाषित हितलाभ योजना के निवल दायित्व की तुलन पत्र में स्वीकृति निवल दायित्व के रूप में की जाती है।
- पुनरू मापन किए गए निवल परिभाषित देयता के माध्यम से लाभ अथवा हानि की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है।
- निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसम्पति) पर सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत/(आय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

(ग) बीमांकित लाभ एवं हानियों से युक्त पुनरूमापन के लिए, परिभाषित हितलाभ दायित्व एवं योजनागत परिसम्पतियों के प्रतिफल (निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा) के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा, परिसम्पति की ऊपरी सीमा के प्रभाव की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में संबंधित अवधि में तत्काल स्वीकृति तब की जाती है जब यह घटित होता है। अनुवर्ती अवधि में लाभ एवं हानि के पुनरूमापन का पुनरूवर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(घ) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तों के आधार पर विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान/दायित्व पूरे किए जाते हैं तथा इन्हें प्रोद्भवन आधार पर चुकता अथवा लेखा बहियों में लेखांकित किया जाता है।

2.15 ऋण लागतें

सामान्य तथा विशिष्ट ऋण लागतों, जिनकी संबद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है, का पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया जाता है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

अर्हक परिसम्पति वह परिसम्पति है जिसे आशित उपयोग के लिए किसी निश्चित समय अवधि में तैयार किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं का समायोजन ब्याज लागतों में तब किया जाता है जब उन्हें ऐसी ऋण लागत माना जाता है जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे सम्बद्ध है।

समायोजन के लिए योग्य विनिमय दर उतार चढ़ाव हानि का निर्धारण विदेशी मुद्रा में ऋण लागत तथा संचयी अवधि एप्रोच पर उतार चढ़ाव वाली विदेशी मुद्रा की ऋण के मध्य तुलना करके किया जाता है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आकलित करयोग्य आय एवं कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

चालू कर परिसम्पतियों एव चालू कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब स्वीकृत राशियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा परिसम्पतियाँ एव देयताओं का निवल आधार पर निपटान किए जाने की मंशा हो।

अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित चालू कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

ख) आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा "आय कर" के संबंध में जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस 12) के अनुसार

i. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति ऐसी अस्थाई भिन्नताओं के लिए की जाती है जिनका आकलन

कर दरों एवं प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग तिथि को वस्तुतरू प्रवर्तित कर विधियों के उपयोग से किया जाता है।

ii. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि उससे करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का अग्रेषण तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब चालू कर से संबंधित देयताओं के प्रति परिसम्पतियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं की सम्बद्धता समान शासी करधान विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से हो।

iv. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से किया जाता है जो प्रवर्तित अथवा तुलन पत्र तिथि को वस्तुतरू प्रवर्तित हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को कम्पनी अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों, यदि कोई हों, का पुनरू मूल्यांकन करता है।

v. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की वहन राशि की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना प्रतीत नहीं होती है कि इससे उपयोग में लाई जाने वाली प्रत्येक अथवा आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे।

vi. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

2.17 निवेश सम्पतियां

क) निवेश सम्पति में सम्पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति वित्त पट्टे के अंतर्गत वह सम्पति शामिल होती है जिसका धारण व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए न किए जाने के स्थान पर किराया उपार्जित करने अथवा पूंजी प्रतिफल प्राप्त करने अथवा दोनों के लिए किया गया हो।

ख) निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति लागत पर, संचित मूल्यह्रास एवं उत्पन्न अक्षमता हानियों का निवल, यदि कोई हो, की जाती है।

ग) मूल क्रय किए जाने की तिथि से कम्पनी द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए वर्णन के अनुसार निवेश सम्पति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास किया जाता है।

क) निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनकी बिक्री कर दी गई हो अथवा उन्हें स्थाई रूप से उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के मध्य भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि में स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि में की जाती है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

क) देयताओं के संबंध में प्रावधानों की स्वीकृति केवल तब की जाती है जब अनुमानों के किसी महत्वपूर्ण स्तर तक उनका मापन किया जाना संभव हो, जिसके लिए:

i. कम्पनी के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो।

ii. संसाधनों के बर्हिप्रवाह से दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होय तथा

iii. जब दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है।

प्रावधानों को न्यून करना

जब धन का समय मूल्य प्रभाव वस्तुगत होता है तो प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संभावित व्यय होती है।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता है:–

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न कोई विद्यमान दायित्व, जिसमें दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना न हो; अथवा

ii. विद्यमान दायितव के लिए विश्वसनीय अनुमान न लगाए जा सकते होंय अथवा

iii. यदि संसाधन के बर्हिप्रवाह की संभावना काफी कम नहीं है तो किसी संभावित दायित्व के लिए

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पति के प्रति अपेक्षित प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे

(क) पट्टाधारक के रूप में

(i) कम्पनी द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति एवं पट्टा देयताए की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को की जाती है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान जमा व्यय की गई कोई प्रत्यक्ष लागत तथा परिसम्पति को विखंडित करने तथा हटाने अथवा परिसम्पति अथवा स्थल, जहां यह स्थित है, को पुनरू स्थापित पर व्यय की गई प्रारंभिक लागत में से प्राप्त प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन घटाकर समायोजन के साथ पट्टा देयताए की प्रारंभिक राशि शामिल होती है।

(ii) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का अनुवर्ती मूल्यह्रास उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के उपयोज्यता काल अथवा पट्टा काल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके किया जाता है। उपयोग अधिकार

वाली परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण भी सम्पति, संयत्र एवं उपकरण के समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की आवधिक न्यूनता अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के लिए की जाती है तथा इन्हें पट्टा देयताएं के कतिपय पुनरूमूल्यांकनों में समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयताएं का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि दर का निर्धारण तत्काल नहीं किया जा सकता है तो कम्पनी की आवर्धित ऋण दर में कटौती करके, किया जाता है।

(iv) प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से पट्टा देयताएं का परिशोधन लागत पर मापन किया जाता है, इसका पुनरूमापन तब किया जाता है जब सूचकांक अथवा में परिवर्तन के कारण भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब इस प्रकार से पट्टा देयताएं का पुनरूमापन किया जाता है तो उपयोग अधिकार वाली सम्पति की वहन राशि में अनुवर्ती समायोजन किए जाते हैं अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि में रिकार्ड किया जाता है।

(v) कम्पनी द्वारा उस उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की प्रस्तुति की जाती है जो तुलन पत्र में "उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति" के लिए निवेश परिसम्पति एवं पट्टा दायित्वों के लिए तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय दायित्वों" की परिभाषा में नहीं आती है।

(vi) अल्पावधि के पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे:–

कम्पनी ने अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के संबंध में कम्पनी ने 12 माह से कम पट्टा काल के पट्टों तथा न्यून मूल्य की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं पट्टा देयताओं की स्वीकृति न करने का चयन किया है। कम्पनी ऐसी परिसम्पतियों से सम्बद्ध पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में पट्टा काल के लिए करता है।

(ख) पट्टाकार के रूप में

जब कम्पनी पट्टाकार के रूप में प्रक्रिया करता है तो इसके द्वारा प्रारंभ में प्रत्येक पट्टे के संबध में किसी पट्टे के वित्त पट्टे होने अथवा परिचालन पट्टे होने का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए कम्पनी सम्पूर्ण मूल्यांकन करके यह ज्ञात करता है कि क्या पट्टा अंतरणों से पट्टे के स्वामित्व से जुड़े इसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण होता है अथवा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो तो वित्त पट्टा होता है तथा यदि नहीं होता है तो यह परिचालन पट्टा होता हैं। अपने मूल्यांकन के अंतर्गत कम्पनी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक उपयोज्यता काल से सम्बद्ध कारकों के होने तथा होने जैसे विभिन्न सूचकों पर भी विचार करती है।

कम्पनी द्वारा परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा विधि के उपयोग से "अन्य आय" के अंतर्गत पट्टा काल के लिए आय के रूप में की जाती है।

2.20 अनुदान

(i) सरकार से इक्विटी के प्रति परिसम्पतियों के निर्माण हेतु पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(ii) परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के रूप में अन्यों से प्राप्त तकनीकी अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(iii) राजस्व व्यय के लिए अन्यों से प्राप्त अनुदान को व्यय के वास्तविक वहन के दौरान राजस्व व्यय माना गया है।

2.21 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मौलिक आय का आकलन अवधि से संबंधित निवल लाभ अथवा हानि को इक्विटी शेयर धारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की सख्या के भारित औसत से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय का आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष में अर्जित निवल लाभ अथवा हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत से सम्बद्ध करके उनका समायोजन संभावित इक्विटी शेयरों पर डाय्ल्युटिड प्रभाव के लिए किया जाता है।

2.22 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्त/देय लाभांश की स्वीकृति उस वर्ष के लिए की जाती है जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त के रूप में अनुमोदित किया जाता है।

2.23 उचित मूल्य मापन

i. कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कतिपय वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री किए जाने पर प्राप्त होने अथवा देयता के अंतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, अथवा
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

कम्पनी के लिए प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे।

कम्पनी उन मूल्यांकन तकनीकों का प्रयोग करता है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

2.24 वित्तीय लिखतः–

(i) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति तब की जाती है जब कम्पनी लिखत के संविदागत प्रावधानों में पार्टी बनता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए मापन किए गए उचित मूल्य जोड़ अथवा घटा दिया जाता है।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसम्पतियां

वित्तीय परिसम्पतियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया हैः–

क. परिशोधन लागत पर

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब वित्तीय परिसम्पतियों का धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य ऐसी परिसम्पतियों के धारण से संविदागत नकदी प्रवाह का संग्रह करना है तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापन तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का धारण किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री, दोनों, के माध्यम से पूर्ति करना हो तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ग. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों का मापन तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर इनका मापन परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न किया गया हो। वित्तीय परिसम्पतियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों तथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से देयताओं के उचित मूल्य की त्वरित स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की जाती है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार हैः–

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं की प्रस्तुति आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर की जाती है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

कम्पनी ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसपत्ति का भाग अथवा समान वित्तीय परिसपत्तियों के कम्पनी का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है अथवा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरित करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का पालन हो जाता है अथवा वे रद्द अथवा समाप्त हो जाते हैं। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानिः

कम्पनी क्षमता हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल (ईसीएल) का प्रयोग करता है। कम्पनी व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए कम्पनी को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ईसीएल के उपयोज्यता काल के आधार पर क्षमता हानि को स्वीकृति दी जाती है।

कम्पनी परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्रों के माध्यम से अग्रेषित अपनी परिसंपत्तियों को संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करता है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षमता हानि भत्ते

(रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आयध्व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

2.25 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की मूलतरू वसूली बिक्री संव्यवहार के माध्यम से की जानी हो तथा बिक्री की संभावना अत्यधिक प्रबल हो। बिक्री की संभावना को अत्यधिक प्रबल तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान कम्पनी अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसमें बिक्री के प्रत्याहार की संभावना न हो और वर्गीकरण किए जाने की तिथि से बिक्री एक वर्ष में किए जाने की संभावना हो। बिक्री के धारित के रूप वर्गीकृत किए गए निपटान कम्पनी की प्रस्तुत निम्नतर वहन राशि एवं बिक्री लागत घटा उचित मूल्य पर की जाती है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की गई सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों में अलग से की जाती है।

"बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियां तथा समाप्त प्रचालन" से संबंधित इंड एएस 105 में उल्लिखित मापदंड यदि पूरे नहीं होते हैं तो बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। बिक्री के धारित के वर्गीकरण से बाहर की गई गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (प) बिक्री के लिए धारित के रूप में किए गए वर्गीकरण से पूर्व की उनकी वहन से न्यून स्तर पर करके उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया जाता है जिसकी स्वीकृति तब की जाती यदि परिसम्पति का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में न किया जाता, तथा (पप) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि न्यून स्तर पर है जब बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान कम्पनी का वर्गीकरण समाप्त हुआ था।

2.26 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं एवं तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं) के अनुसरण में स्टैंडएलोन वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय विचार में लिया जाता है।

2.27 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश का वहन लागत में से संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। जब क्षमता हानि के संकेत विद्यमान होते हैं तो निवेश की वहन राशि का मूल्यांकन किया जाता है तथा इसकी वसूलीयोग्य राशि का प्रतिलेखन किया जाता है। निवेश के निपटान के पश्चात निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशियों के मध्य के अंतर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है।

2.28 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि की सामग्रीगत चूकों में पूर्वव्यापी तौर पर सुधार करके उनका पुनर्लेखन तुलनात्मक राशियों के उल्लेख के साथ उन पूर्वावधियों के लिए किया जाता है जिस अवधि में चूक हुई है। यदि चूक की उत्पति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की है तो पूर्व प्रस्तुत पूर्वावधि के लिए परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के अथ शेषों का, यदि अव्यवहार्य नहीं है, पुनरू उल्लेख किया गया है तथा अव्यवहार्य होने के मामले में तुलनात्मक सूचना का समायोजन व्यवहार्य पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.29 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में कम्पनी से सम्बद्ध नहीं है उनके संबंध में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। जब कभी ऐसी लेखांकन नीतियां सम्बद्ध होंगी तो प्रकटीकरण किए जाएंगे।

टिप्पणी 3: संपति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संपति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	5,53,74.77	3,73,83.40	(48,24.50)	8,79,33.67	-	-	-	-	8,79,33.67
पट्टाधारित भूमि	2,03,61.47	1,46,29.93	45,54.19	3,95,45.59	-	-	-	-	3,95,45.59
फ्रीहोल्ड भवन	4,76.66	1,75.27	-	6,51.93	2.96	-	-	2.96	6,48.97
पट्टाधारित सुधार	22,23.69	6,22.35	(0.25)	28,45.79	5,99.38	10,34.86	-	16,34.24	12,11.55
अस्थाई भवन	13,41.82	-	-	13,41.82	7,62.08	4,42.98	-	12,05.06	1,36.76
ईडीपी परिसम्पतियां	4,23.07	9,97.21	(52.12)	13,68.16	2,33.72	2,76.38	(41.27)	4,68.83	8,99.33
कार्यालय उपकरण	8,55.89	2,08.80	(3.52)	10,61.17	2,98.52	1,62.19	(2.59)	4,58.12	6,03.05
फर्नीचर एवं जुड़नार	9,02.90	1,61.84	(13.86)	10,50.88	1,94.97	98.26	(1.10)	2,92.13	7,58.75
संयंत्र एवं मशीनरी	-	10.58	-	10.58	-	0.48	-	0.48	10.10
यात्री स्क्रीनिंग	-	1,09.45	-	1,09.45	-	17.38	-	17.38	92.07
योग	**8,19,60.27**	**5,42,98.83**	**(3,40.06)**	**13,59,19.04**	**20,91.63**	**20,32.53**	**(44.96)**	**40,79.20**	**13,18,39.84**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संपति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 की स्थिति	1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2022 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	4,16,43.39	74,68.94	62,62.44	5,53,74.77	-	-	-	-	5,53,74.77
पट्टाधारित भूमि	2,42,86.18	23,37.73	(62,62.44)	2,03,61.47	-	-	-	-	2,03,61.47
फ्रीहोल्ड भवन	-	4,76.66	-	4,76.66	-	2.96	-	2.96	4,73.70
पट्टाधारित सुधार	10,68.51	17,63.28	(6,08.10)	22,23.69	7,67.76	4,39.72	(6,08.10)	5,99.38	16,24.31
अस्थाई भवन	13,39.54	2.28	-	13,41.82	3,41.64	4,20.44	-	7,62.08	5,79.74
ईडीपी परिसम्पतियां	3,42.88	1,07.57	(27.38)	4,23.07	1,51.56	1,03.60	(21.44)	2,33.72	1,89.35
कार्यालय उपकरण	4,42.01	4,19.72	(5.84)	8,55.89	1,77.73	1,25.85	(5.06)	2,98.52	5,57.37
फर्नीचर एवं जुड़नार	6,12.71	3,10.82	(20.63)	9,02.90	1,01.94	98.79	(5.76)	1,94.97	7,07.93
योग	**6,97,35.22**	**1,28,87.00**	**(6,61.95)**	**8,19,60.27**	**15,40.63**	**11,91.36**	**(6,40.36)**	**20,91.63**	**7,98,68.64**

स्पष्टीकरण नोट

(i) फ्री होल्ड भूमि, इसमें निम्नलिखित शामिल है:–

क जिला गाजियाबाद में दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर संथिल ग्रामों में दुहाई डिपो के लिए 0.9514 हेक्टेयर (6.14 हेक्टेयर) की निजी भूमि की लागत की 8,76.99 लाख रुपए (61,62.51 लाख रुपए) की स्टाम्प ड्यूटी सहित राशि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 33.385 हेक्टेयर (29.71 हेक्टेयर) माप की भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 17.885 हेक्टेयर (21.22 हेक्टेयर) माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

ख जिला मेरठ के गांव सिवाया में मोदीपुरम डिपो के लिए 21.33 हेक्टेयर की निजी भूमि की स्टाम्प ड्यूटी सहित 1,41,02.70 लाख रुपए की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 20.05 हेक्टेयर माप की भूमि का नाम परिवर्तन कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 1.28 हेक्टेयर माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

ग जिला गाजियाबाद के बोहांजा, दुहाई तथा धारगल में 62,599.17 वर्गमीटर भूमि की लागत की स्टाम्प ड्यूटी सहित 2,21,39.82 लाख रुपए की राशि का पूंजीयन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्वयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है।

घ दिल्ली में चाक चिल्ला ग्राम में 293.82 वर्गमीटर की भूमि की स्टाम्प ड्यूटी सहित 7.80 लाख रुपए की राशि की लागत का पूंजी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है।

ङ विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि, अनुबंध के कारण विलंबित अंतरण, का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम/ वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से संपति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपए लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019-20	1588.54 वर्गमीटर	2,01.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान, दिल्ली	2020-21	2.98 एकड़	18,44.91	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2021-22	7241.54 वर्गमीटर	13,69.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021-22	12.56 वर्गमीटर	1.92	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	259.50 वर्गमीटर	39.70	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					34,57.36		

*सकल वहन राशि में 2,56.10 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की हक विलेख के अंतरण के समय चुकता की जाने वाली अनुमानित राशि शामिल है जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कर लिया गया है।

(ii) पट्टाधारित भूमि

(क) जंगपुरा, दिल्ली में 5.27 हेक्टेयर भूमि की 80,61.63 लाख रुपए की राशि (स्टांप शुल्क और स्वामित्व हस्तांतरण शुल्क 5,97.16 लाख रुपए) शामिल है, जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 में भूमि विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आवंटन किए जाने पर किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आईएसबीटी के निर्माण के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) को सराय काले खां और आनंद विहार में भूमि पार्सल आवंटित किए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डीटीआईटीसी को आईएसबीटी सराय काले खान, दिल्ली में आबंटित 17528 वर्गमीटर तथा आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली आबंटित 10198 वर्गमीटर भूमि का पूंजीयन, भूमि के क्रय मूल्य के रूप में डीटीआईडीएस को दिनांक 10.12.2020 को 45,54.19 लाख रुपए का भुगतान फ्रीहोल्ड भूमि के लिए किया गया है जिसका कब्जा 11.12.2020 को, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदन/सहमति प्राप्त होने की शर्त के साथ, प्राप्त किया गया है। यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की होने के विचार से इसका पट्टा सीधे डीडीए से प्राप्त करना उचित समझा गया था तथा डीडीए से लीजहोल्ड भूमि के रूप में प्राप्त मांग के आधार पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान डीडीए को 4975.82 लाख रुपए का भुगतान किया तथा भूखंड का पुनवर्गीकरण, पट्टे के पंजीकरण के समय चुकता की जाने वाली 3,97.95 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी सहित, 53,73.78 लाख की पट्टा धारित भूमि के रूप में किया है। डीटीआईडीसी को भुगतान की गई 45,54.19 लाख रुपए की राशि को 31 मार्च 2023 तक वसूली योग्य अन्य राशि (संदर्भ नोट 10.4 – अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति) में शामिल किया गया है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1,75,08.65 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन किए जाने पर जंगपुरा, दिल्ली में 3,62.70 वर्गमीटर (3123 वर्गमीटर) भूमि की लागत, 70.30 लाख रुपए (स्टांप ड्यूटी और स्वामित्व अंतरण शुल्क 5.21 लाख रुपए सहित) (5,60.45 लाख रुपए) एवं अन्य खर्चों सहित, का पूंजीयन वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया है।

(घ) साहिबाबाद आरआरटीएस (प्रवेश और निकास), गाजियाबाद में 12,18.15 लाख रुपए (स्टांप शुल्क और स्वामित्व हस्तांतरण शुल्क 90.23 लाख रुपए सहित) की 2500 वर्गमीटर की भूमि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(ङ) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिंडन मोटल मेरठ तिराहा, गाजियाबाद में आवंटित 7,29.85 लाख रुपए (भूमि भुगतान के लिए 99 लाख रुपए सहित) मूल्य की 2417 वर्ग मीटर का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(च) मेरठ (शताब्दी नगर स्टेशन प्रवेश और निकास) में 22,69.67 वर्गमीटर भूमि तथा शताब्दी नगर, गाजियाबाद में आरएसएस के लिए 40,00.00 वर्गमीटर भूमि का पूंजीयन क्रमशः 67.67 लाख ₹ (भूमि भुगतान के लिए 50 लाख रुपए सहित) तथा 1,08,42 लाख रुपए (भूमि भुगतान के लिए 50 लाख रुपए सहित) की राशि के लिए वित्त वर्ष 22–23 के दौरान पट्टधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(छ) मुरादनगर (मुरादनगर में आरएसएस) में 45,83.53 वर्ग मीटर की 1,68.66 लाख रुपए (स्टांप ड्यूटी और स्वामित्व अतरण शुल्क 1,68.66 लाख रुपए सहित) की भूमि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान पट्टधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(ज) निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है: –

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम /वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (₹ लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	भूमि एवं विकास अधिकारी आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019-20	12 हेक्टेयर	1,83,57.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपड़गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2020-21	335 वर्गमीटर	72.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

3	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	2153 वर्गमीटर	3,37.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020-21	4500 वर्गमीटर	7,05.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	गुलधर, गाजियाबाद	2021-22	6059.02 वर्गमीटर	9,41.38	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रुवमेंट बोड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	297 वर्गमीटर	6,91.22	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	दिल्ली जल बोड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	3123 वर्गमीटर	6,05.29	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021-22	313 वर्गमीटर	60.66	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2021-22	398 वर्गमीटर	2,18.10	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	दिल्ली जल बोर्ड	कल्याणपुरी कॉडली ब्रिज के निकट, दिल्ली	2022-23	362.70 वर्गमीटर	70.30	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2022-23	5.27 हेक्टेयर	80,61.63	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2022-23	2500 वर्गमीटर	12,18.15	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय कालेखान, दिल्ली	2022-23	17528 वर्गमीटर	33,97.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आनंद विहार, दिल्ली	2022-23	10198 वर्गमीटर	19,76.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

15	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मुरादनगर, जिला गाजियाबाद	2022-23	4583.53 वर्गमीटर	1,68.66	नहीं	हक विलेख के अंतरण का निष्पादन 20 अप्रैल, 2023 को कर दिया गया है।
	योग				**3,68,82.92**		

*सकल वहन मूल्य में 49,22.08 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त भूखंड के लिए 32,93.20 लाख रुपए के साथ हक विलेख अंतरण के समय चुकता की जानी है।

(i) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों/प्राधिकरणों से टोकन मूल्य पर स्थाई आधार पर अंतरित भूमि पर कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:–

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि* (रुपए लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	मुरादनगर स्टेशन, मुरादनगर, गाजियाबाद	2020-21	9,569.00	3,36.83	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	सब–स्टेशन अर्थला, दिल्ली	2020-21	40,00.00	25.60	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, जनुबी, चौराहा, दिल्ली	2020-21	613.21	4.09	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश – गंगा	स्टेशन प्रवेश/निकास, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	8,000.00	17.64	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	चेनेज 2507 से 23043 के बीच निर्माण, अर्थला, दिल्ली	2020-21	639.00	2.54	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर	2020-21	6,390.00	1,68.66	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

7	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	स्थानीय आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	920.00	3,93.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मुरादनगर सब स्टेशन, गाजियाबाद	2020-21	4,583.00	1,38.34	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	गाजियाबाद नगर निगम	वैशाली से गाजियाबाद तिराहा, गाजियाबाद वाया डक्ट निर्माण	2020-21	14,144.00	72.82	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	साहिबाबाद साहिबाबाद स्टेशन, गाजियाबाद	2020-21	7,860.00	2,35.06	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	मुरादनगर मुरादनगर स्टेशन	2020-21	2,220.00	14.45	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली भैसाली स्टेशन	2020-21	7,534.00	11.16	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद	दुहाई दुहाई डिपो	2020-21	3,285.00	28.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद	दुहाई डिपो, भीकनपुर, गाजियाबाद	2020-21	9,302.00	0.72	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	जिला न्यायाधीश, मेरठ	सिवाया गांव मोदीपुरम डिपो	2020-21	23,476.00	0.64	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
16	जिला न्यायाधीश, मेरठ	भूलब्राल अमीनपुर मेरठ दक्षिण स्टेशन	2020-21	470.00	4.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा खादर, दिल्ली	2020-21	94.34	66.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

18	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोंदा बागर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	3,560.72	1,48.98	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
19	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, ढल्लूपुरा, दिल्ली	2020-21	1,628.65	60.20	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
20	सिंचाई एवं ज़ल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, कोंडली, दिल्ली	2020-21	1,423.14	26.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
	कुल				**17,56.78**		

*सकल वहन राशि में 17,56.76 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की अनुमानित राशि शामिल है जिसका भुगतान हक विलेख अंतरण के समय किया जाना है तथा जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है।

(iii) फ्रीहोल्ड भवन में सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली के लिए वित्तीय वर्ष 22–23 में चुकता किए भुगतान एवं आंतरिक कार्य के 1,75.27 लाख रुपये के भुगतान (पिछले वर्ष 4,76.66 लाख रुपए) स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार आदि की राशि सहित शामिल हैं।

(iv) पट्टाधारित सुधार में वित्तीय वर्ष 2022–23 में लक्ष्मी बाई नगर, आईएनए, नई दिल्ली में स्थित परियोजना कार्यालय के संबंध में पूंजीयन की गई 5,71.48 लाख रुपये की राशि शामिल है।

टिप्पणी 4: उपयोग अधिकार परिसम्पतियां **(₹ लाख में)**

विवरण	भूमि	भवन	योग
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**36.89**	**751.24**	**7,88.13**
आवर्धन	3,05.28	-	3,05.28
निपटान/समायोजन	-	(751.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**3,42.17**	**-**	**3,42.17**
आवर्धन	28.33	-	28.33
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**3,70.50**	**-**	**3,70.50**
मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	**14.86**	**623.56**	**6,38.42**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1,44.34	127.68	2,72.02
निपटान/समायोजन	-	(751.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,59.20**	**-**	**1,59.20**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	82.62	-	82.62
निपटान/समायोजन		-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**2,41.82**	**-**	**2,41.82**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**1,28.68**	**-**	**1,28.68**
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,82.97**	**-**	**1,82.97**

स्पष्टीकरण नोट

(i). उपयोग अधिकार (भूमि) के आवर्धन में भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लक्ष्मी बाई नगर, आईएनए में 28.33 लाख रुपए के मूल्य पर आबंटित कार्यालय भवन की पट्टाधारित भूमि शामिल है।

टिप्पणी 5: पूंजी कार्य प्रगति पर (₹ लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ शेष	**22,14,15.99**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	40,11,20.09
समायोजन (पूंजीयन)	(15,78.87)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**62,09,57.21**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	70,39,54.04
समायोजन (पूंजीयन)	(10,99.38)
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**1,32,38,11.87**

टिप्पणी 5.1:– पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	1.4.2021 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	1.4.2022 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.3.2023 की स्थिति
क) पूंजी डब्ल्यूआईपी–अन्य (गैर–परियोजना)							
पट्टा धारित सुधार	4,99.88	6,32.56	(11,32.44)	-	-	-	-
अन्य	3,05.28	-	(3,05.28)	-	-	-	-
योग (क)	**8,05.16**	**6,32.56**	**(14,37.72)**	-	-	-	-
ख) परियोजना व्यय							
स्थाई मार्ग (वे)	77,76.96	1,59,97.92	-	2,37,74.88	4,05,94.74	-	6,43,69.62
रोलिंग स्टॉक	56,23.87	22,65.52	-	78,89.39	4,05,81.73	-	4,84,71.12
वायाडक्ट पुल, टन्नल्स, पुलिया बंडर	8,88,74.06	19,16,76.57	-	28,05,50.63	28,94,23.30	-	56,99,73.93
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	4,85.53	90,23.95	-	95,09.48	1,98,78.83	-	2,93,88.31
सुरक्षा उपकरण	2.99	-	-	2.99	-	-	2.99
संयंत्र एवं मशीनरी	-	13,17.80	-	13,17.80	-	(553.20)	7,64.60
स्टेशन भवन	8,90.83	4,98,54.74	-	5,07,45.57	7,53,76.80	-	12,61,22.37
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	1,69.60	1,19,87.28	-	1,21,56.88	1,26,71.47	-	2,48,28.35
स्टाफ क्वार्टर्स	11,78.69	35,79.46	-	47,58.15	70,58.95	-	1,18,17.10
डिपो एवं कार्यशाला	14,17.56	10515.01	-	1,19,32.57	1,43,44.10	483.42	2,67,60.09
जीएसटी / सीमाशुल्क पूंजीयन	2,88,50.78	4,85,75.67	(1,34.72)	7,72,91.73	8,65,10.23	(61.18)	16,37,40.78
स्वचालित किराया संग्रहण	-	-	-	-	8,86.78	-	8,86.78

प्लेटफार्म स्क्रीन डोर	-	-	-	-	1,80.08	-	1,80.08
निर्माण के दौरान व्यय (निवल)	6,17,01.01	3,60,70.97	-	9,77,71.98	4,48,78.55	(485.00)	14,21,65.53
निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.2)	2,36,38.95	1,91,39.22	(6.43)	4,27,71.74	7,15,68.48	-	11,43,40.22
योग (ख)	**22,06,10.83**	**40,00,04.11**	**(1,41.15)**	**62,04,73.79**	**70,39,54.04**	**(615.96)**	**1,32,38,11.87**
ग) पारगमन में मशीन							
डिपो सह कार्यशाला	-	4,83.42	-	4,83.42	-	(483.42)	-
योग (ग)	**-**	**4,83.42**	**-**	**4,83.42**	**-**	**(483.42)**	**-**
कुल योग	**22,14,15.99**	**40,11,20.09**	**(15,78.87)**	**62,09,57.21**	**70,39,54.04**	**(1099.38)**	**1,32,38,11.87**

स्पष्टीकरण नोटः

(i) वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में पूंजी अग्रिम का अनंतिम निपटान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी को ₹ 91,60.95 लाख–का अंतरण 19 ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया गया है जो कि इन ट्रांमिशन लाइनों को प्रारंभ करने एवं ऊर्जावान करने के अनुमानों पर आधारित है।

(ii) कम्पनी ने सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को आपूर्तियों/कार्य इत्यादि के लिए किए गए 8,84,95.54 लाख रुपये (पिछले वर्ष 4,85,21.63 लाख रुपये) के भुगतान के प्रति जीएसटी/सीमाशुल्क का पूंजीयन किया है जो व्यय से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत अपात्र जीएसटी क्रेडिट है। जीएसटी को कॉरीडोर वित्तीय मॉडल के आधार पर सीडब्ल्यूआई माना गया है तथा दिनांक 7 मार्च, 2019 के स्वीकृति आदेश के प्रति अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क एवं जीएसटी) का निधियन गौण नामे के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके अलावा, कम्पनी को गौण नामे के प्रति 13,90,00.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 6,81,00.00 लाख रुपए) की कर राशि प्राप्त हुई है जिसके प्रति 31 मार्च, 2023 तक के लिए जीएसटी के संबंध में 16,60,12.28 लाख रुपये (पिछले वर्ष 7,75,16.74 लाख रुपये) का व्यय हुआ है।

(iii) कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भूमि पर कार्य के लिए अस्थाई आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र.सं.	हक विलेख किस नाम से धारित है/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति का धारण है	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	अर्थला, दिल्ली में वायाडक्ट का निर्माण	2020-21	7705.00
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली भैसाली स्टेशन, मेरठ	2020-21	7586.00

(iv) वर्ष के दौरान पूंजीयन किया गया पूंजी कार्य प्रगति लक्ष्मी बाई नगर, आईएनए, नई दिल्ली में स्थिति परियोजना कार्यालय भवन के पट्टाधारित सुधारों के लिए 5,71.48 लाख रुपये (सदर्भ टिप्पणी 3) तथा भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28.33 लाख रुपए (संदर्भ टिप्पणी 4) मूल्य पर आबंटित परियोजना कार्यालय की पट्टाधारित भूमि के पूंजीयन से संबंधित है।

नोट 5.2:– निर्माण के दौरान आनुशंगिक व्ययों का विवरण **(₹ लाख में)**

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**24**	95,12.88	67,21.51
वित्त लागतें	**25**	5,49,43.73	74,20.85
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें	**26**	20,46.26	11,26.92
अन्य व्यय	**27**	50,65.61	38,69.94
योग		**7,15,68.48**	**1,91,39.22**

टिप्पणी 5.3:– सीडब्ल्यूआई की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	70,28,54.66	39,95,41.22	16,51,01.37	5,63,14.62	1,32,38,11.87
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**70,28,54.66**	**39,95,41.22**	**16,51,01.37**	**5,63,14.62**	**1,32,38,11.87**

31 मार्च 2022 (रुपए लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	40,03,46.28	16,42,96.31	4,45,42.46	1,17,72.16	62,09,57.21
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**40,03,46.28**	**164296.31**	**44542.46**	**1,17,72.16**	**62,09,57.21**

टिप्पणी 5.4:– सीडब्ल्यूआईपी कार्य निष्पादन विलम्ब अनुसूची

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

31 मार्च 2022 (₹ लाख में)

CWIP	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				**Total**
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

तुलन पत्र की तिथि को ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार मूल अनुमान से अधिक लागत हुई हो।

टिप्पणी 6.1:– अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफार्म स्क्रीन डोर अधिकार	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति को प्रारंभ शेष	-	-	**16,24.49**	**1,89.20**	**18,13.69**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-	-	2,55.38	2,55.38
समायोजन	-	-	**2,92.41**	-	**2,92.41**
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	-	-	**19,16.90**	**4,44.58**	**23,61.48**
वर्ष के दौरान आवर्धन	77,24.59	4,15.86	5,71.44	4,05.88	91,17.77
समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**77,24.59**	**4,15.86**	**24,88.34**	**8,50.46**	**1,14,79.25**
परिशोधन					-
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति को प्रारंभ शेष	-	-	**76.34**	**68.86**	**1,45.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	68.51	1,36.00	2,04.51
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	-	-	**1,44.85**	**2,04.86**	**3,49.71**
वर्ष के दौरान परिशोधन	84.65	1.60	69.03	2,47.21	4,02.49
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-

31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**84.65**	**1.60**	**2,13.88**	**4,52.07**	**7,52.20**
निवल वहन मूल्य					
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**76,39.94**	**4,14.26**	**22,74.46**	**3,98.39**	**1,07,27.05**
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**-**	**-**	**17,72.05**	**2,39.72**	**20,11.77**

टिप्पणी:

(i) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा भारत सरकार को विशिष्ट सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए स्पैक्ट्रम प्रभारों के प्रति जीएसटी सहित 77,24.59 लाख रुपये चुकता किए गए हैं।

(ii) वर्ष के दौरान कम्पनी ने 4,15.86 लाख रुपये के व्यय के अंशभाग को स्वीकृति दी है जो अमूर्त परिसम्पतियों के रूप में मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ प्लेटफार्म डोर टैक्नोलॉजी के विकास के लिए संयुक्त रूप से व्यय किए गए थे। प्लेटफार्म स्क्रीन डोर की 1,80.08 लाख रुपये की लागत को पूंजी व्यय प्रगति पर (प्लेटफार्म स्क्रीन डोर) में नामे किया गया है।

टिप्पणी 6.2:– विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	एसएपी एस 4 /एचएएनए	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर/मोबाइल एप्प	योग
1 अप्रैल, 2021	**-**	**-**	**2,43.67**	**2,43.67**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	**65.02**		**65.02**
समायोजन/(पूंजीयन)	-	-	(2,43.67)	(2,43.67)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**-**	**65.02**	**-**	**65.02**
वर्ष के दौरान आवर्धन	5,41.33	5,30.92	1,01.86	11,74.11
समायोजन/(पूंजीयन)	-	(5,95.94)		(5,95.94)
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**5,41.33**	**-**	**1,01.86**	**6,43.19**

टिप्पणी 6.2.1:– विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च, 2023 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
साफ्टवेयर/मोबाइल एप्प	1,01.86	-	-	-	1,01.86
एसएपी एस4/एचएएनए	5,41.33	-	-	-	5,41.33
योग	**6,43.19**	**-**	**-**	**-**	**6,43.19**

31 मार्च 2022 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की राशि				योग
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
पीएसडी परियोजना प्रगति पर	65.02	-	-	-	65.02
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**65.02**	**-**	**-**	**-**	**65.02**

टिप्पणी 6.2.2: ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं जिनका निष्पादन विलंबित हो अथवा जो अनुमानित लागत से अधिक हुई हों।

टिप्पणी 7: वित्तीय परिसम्पतियां–गैर–चालू

टिप्पणी 7.1: निवेश

निवेश 7.1.1: पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनियों में निवेश (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
उद्धरण न की गई, लागत (पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी) एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (100/– रुपए मूल्य प्रत्येक के 100000 शेयर)	100.00	100.00
योग	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी: 7.1.2 7.1.2 उद्धृत एवं उद्धृत न किए गए निवेश का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
(क) उद्धृत निवेश एवं उनके बाजार मूल्य की राशि का योगफल	-	-
(ख) उद्धृत न किए गए निवेश की राशि का योगफल	100.00	100.00
(ग) निवेशों के मूल्य में क्षमता हानि की राशि का योगफल	-	-
योग	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी 7.2: अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	19,54.43	15,48.21
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा (संदर्भ टिप्पणी 7.2.1)	15.77	8,87.19
पूर्व चुकता व्यय	1.71	-
योग	**19,71.91**	**24,35.40**

टिप्पणी 7.2.1 ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा का विवरण (जिनकी परिपक्वता रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह से अधिक हो)

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.76	0.76
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, आई एंड एफसी विभाग	-	5,00.00
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	-	3,72.87
कार्यकारी अभियंता, नगर निगम गाजियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	7.63	6.18
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	7.18	7.18
योग	**15.77**	**8,87.19**

टिप्पणी 8:– आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएं		
संपति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	(97,39.65)	(10,13.36)
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	-	(11.94)
आस्थगित कर देयताओं का योग	**(97,39.65)**	**(10,25.30)**
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियां		
व्यापार हानियां	59,24.86	-
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	10.84	-
आस्थगित कर परिसम्पतियों का योग	**59,35.70**	**-**
आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं) निवल	**(38,03.95)**	**(10,25.30)**

टिप्पणी 8.1: आस्थगित कर परिसम्पति/(देयता) में मूवमेंट (₹ लाख में)

विवरण	अग्रेषित हानियां	प्रावधान	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	योग
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ शेष	**-**	**(12.87)**	**2,95.31**	**282.44**
वर्ष 2021–22 में (प्रभारित)/क्रेडिट				
लाभ एवं हानि में	-	-	(13,08.67)	(13,08.67)
अन्य व्यापक आय में	-	0.93	-	0.93
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**-**	**(11.94)**	**(10,13.36)**	**(10,25.30)**
वर्ष 2022–23 में (प्रभारित)/क्रेडिट				
लाभ एवं हानि में	59,24.86	-	(87,26.29)	(28,01.43)
अन्य व्यापक आय में	-	22.78	-	22.78
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**59,24.86**	**10.84**	**(97,39.65)**	**(38,03.95)**

टिप्पणी 9:– अन्य गैर चालू परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
– निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया) (संदर्भ टिप्पणी 1)	7,33,45.33	11,43,40.96
– भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम (संदर्भ टिप्पणी 2)	2,85,23.00	2,11,06.80
ख) उचित मूल्य समायोजन – प्रतिभूति जमा (संदर्भ टिप्पणी 3)	4,83.84	4,38.28
योग	**10,23,52.17**	**13,58,86.04**

स्पष्टीकरण नोट:–

1. ठेकेदारों को बैंक गारंटियों, रेहन आदि के साथ दिए गए 5,97,11.28 लाख रुपये (पिछले वर्ष 10,37,12.73 लाख रुपये) का अग्रिम
2. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप दी गई राशि, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "सक्षम प्राधिकारी को गाजियाबाद एवं मेरठ में भूमि अधिग्रहण बैक खाता' में जमा करवाई गई है।
3. यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एव सव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।
4. वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में पूंजी अग्रिम का अनंतिम समाधान नहीं हुआ है। तथापि, निर्माण कार्यों के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की कमीशनिंग एवं इन्हें ऊर्जावान किए जाने के अनुमानों के आधार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआई को 19 ट्रांसमिशन लाइनों के संबंध में 91,60.95 लाख रुपये की राशि अंतरित की गई है।

टिप्पणी 10: वित्तीय परिसम्पतियां–चालू

टिप्पणी 10.1: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के लिए तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

टिप्पणी 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
उपलब्ध नकदी	-	-
बैंकों में जमा:		
– चालू खाते में	2.10	54,11.59
– फ्लैक्सी जमा (संदर्भ नोट 10.2.1)	1,34,34.28	4,86,25.04
– अग्रदाय	3.71	5.64
सावधी जमा*	-	3,95,00.00
योग	**1,34,40.09**	**9,35,42.27**

*प्राप्ति की तिथि से 3 माह में परिपक्व होने वाले

टिप्पणी 10.2.1: फ्लैक्सी जमा में 6,82.81 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की फ्लैक्सी जमा से प्राप्त भूमि अधिग्रहण के अग्रिम का ब्याज सम्बद्ध है।

टिप्पणी 10.3: नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सावधी जमा (3 माह से कम परन्तु 12 माह से अधिक परिपक्वता वाले)	18,68,00.00	17,35,52.68
ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा (संदर्भ टिप्पणी10.3.1)	1,02,56.49	0.58
बैंकों में चिन्हांकित शेष (संदर्भ नोट 10.3.2)	68.00	18.66
योग	**19,71,24.49**	**17,35,71.92**

टिप्पणी 10.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1,15.12	0.58
साख पत्र के प्रति मार्जिन धन	92,67.00	-
अधिशासी अभियंता, सिविल डिवीजन सं. III, सिंचाई एवं वन संरक्षण विभाग	5,00.00	-
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	3,72.87	-
आयुक्त दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	1.50	-
योग	**1,02,56.49**	**0.58**

टिप्पणी 10.3.2: बैंको में चिन्हांकित शेष बैंक खाते में से व्यय न किए गए सीएसआर के शेष हैं।

टिप्पणी 10.4: अन्य चालू वित्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	44,59.69	8,89.63
अन्य प्राप्य	49,15.55	6,07.51
वसूली योग्य एडीबी तकनीकी अनुदान	-	10,75.25
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	1,14.67	6.45
प्रतिभूति जमा किराया	74.92	74.44
अन्य प्रतिभूति जमा	6.00	6.16
योग	**95,70.83**	**26,59.44**

स्पष्टीकरण नोट:

i. सावधि जमा से उपार्जित ब्याज में 3,96.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,07.92 लाख रुपए) के ग्रहणाधिकार वाले एफडीआर का ब्याज शामिल है।

ii. अन्य प्राप्यों में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार डीटीआईडीसी से प्राप्य 45,54.19 लाख रुपए की राशि शामिल है। [संदर्भ टिप्पणी 3(ii) (ख)]

टिप्पणी 11: चालू कर परिसम्पतियां/देयताएं (निवल) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अग्रिम जमा एवं स्रोत पर कर कटौती	15,52.88	42,44.73
घटाएं: आय कर के लिए प्रावधान	-	(25,32.93)
योग	**15,52.88**	**17,11.80**

टिप्पणी 12:– अन्य चालू परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अग्रिम		
कर्मचारियों को चुकता अग्रिम	9.43	2.04
अन्य अग्रिम	33.24	62.91
उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा*	1,09.54	83.00
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	22.24	0.57
पूर्व चुकता व्यय	77.44	1,34.90
स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां	-	2.02
घटाएं: स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां के लिए प्रावधान	-	(2.02)
योग	**2,51.89**	**2,83.42**

*यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

टिप्पणी 13: इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00.00	1,00,00.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00.00	1,00,00.00
योग	**1,00,00.00**	**1,00,00.00**

टिप्पणी 13.1: इक्विटी शेयरों की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर		-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00

13.2: शेयरों से सम्बद्ध राइट्स अधिमान एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयररू कम्पनी के केवल एक ही श्रेणी के प्रति शेयर 100 रुपए मूल्य के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के लिए एक वोट का पात्र है। ऋणशोधन की स्थिति में शेयरधारिता के अनुसार सभी अधिमान राशियों का वितरण किए जाने के पश्चात इक्विटी शेयरधारक कम्पनी की शेष परिसम्पतिया प्राप्त करने के पात्र हैं।

13.3: कम्पनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का :	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का :
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
– रेल मत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
– रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**1,00,00,000**	**100.00%**	**1,00,00,000**	**100.00%**

टिप्पणी 13.4 प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का :	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का :	
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
– रेल मत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	0.00%
राज्य सरकार					
– रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
– हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
– राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
– उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%

13.5: रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या – शून्य

टिप्पणी 14: अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
क. प्रतिधारित उपार्जन*	1,98,37.19	1,18,66.87
ख. आस्थगित आय	19,61,89.34	16,10,82.80
योग	**21,60,26.53**	**17,29,49.67**

*प्रतिधारित उपार्जन कम्पनी के अवितरित लाभ से संबंधित है।

टिप्पणी 14.1: प्रतिधारित उपार्जन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अथ शेष	1,18,66.87	71,65.78
घटाएं: पिछले वर्ष के दौरान पूंजीयन किए गए व्यय का रिवर्सल	-	-
जोड़ें: लाभ एवं हानि में से अंतरित अवधि के दौरान लाभ	79,90.60	47,03.84
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(20.28)	(2.75)
अंत शेष	**1,98,37.19**	**1,18,66.87**

टिप्पणी: 14.2: आस्थगित आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान	19,48,65.00	15,97,65.00
अन्यों के लिए पूंजी अनुदान	13,24.34	13,17.80
अंत शेष	**19,61,89.34**	**16,10,82.80**

14.2.1: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 "सरकारी अनुदान सहायताओं का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण.

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2022 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए						
भारत सरकार	9,60,65.00	88,00.00	10,48,65.00	-	-	10,48,65.00
रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	86,00.00	-	86,00.00	-	-	86,00.00
उत्तर प्रदेश सरकार	5,51,00.00	2,63,00.00	8,14,00.00	-	-	8,14,00.00
योग क	**15,97,65.00**	**3,51,00.00**	**19,48,65.00**	**-**	**-**	**19,48,65.00**
अन्य के लिए						
एशियन डेवलपमेंट बैंक– तकनीकी सहायता	13,17.80	2,83.73	16,01.53	-	2,77.19	13,24.34
योग ख	**13,17.80**	**2,83.73**	**16,01.53**	**-**	**2,77.19**	**13,24.34**
योग (क+ख)	**16,10,82.80**	**3,53,83.73**	**19,64,66.53**	**-**	**2,77.19**	**19,61,89.34**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2021 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए						
भारत सरकार	7,72,65.00	1,88,00.00	9,60,65.00	-	-	9,60,65.00
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	-	86,00.00	-	-	86,00.00
उत्तर प्रदेश सरकार	4,60,00.00	91,00.00	5,51,00.00	-	-	5,51,00.00
योग क	**13,18,65.00**	**2,79,00.00**	**15,97,65.00**	**-**	**-**	**15,97,65.00**
अन्य के लिए						
एशियन डेवलपमेंट बैंक–तकनीकी सहायता	-	13,17.80	13,17.80	-	-	13,17.80
योग ख	**-**	**13,17.80**	**13,17.80**	**-**	**-**	**13,17.80**
योग (क+ख)	**13,18,65.00**	**2,92,17.80**	**16,10,82.80**	**-**	**-**	**16,10,82.80**

स्पष्टीकरण नोट:

वर्ष के दौरान एडीबी–टीए–अनुदान में से निर्मित स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यह्रास से यथानुपात में 2,77.19 लाख रुपए के अनुदान का परिशोधन हुआ है।

टिप्पणी 15: ऋण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त गौण ऋण:–				
क. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार				
गौण नामे	19,09,00.00		17,41,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	4,33,00.00		2,33,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	2,38,00.00	25,80,00.00	2,38,00.00	22,12,00.00
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार				
गौण नामे	1,72,00.00		1,72,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	3,00.00		3,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	4,00.00	1,79,00.00	4,00.00	1,79,00.00
ग. उत्तर प्रदेश सरकार				
गौण नामे	6,28,00.00		11,03,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	4,00,00.00		1,76,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	5,50,00.00		2,65,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	44,00.00	26,22,00.00	35,00.00	15,79,00.00

ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज					
ऋण संख्या	**पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
एलएन3964–आईएनडी	15.02.2029		40,94,33.56	-	27,34,05.50
ब्याज दर: एलआईबीओआर ओवरनाइट 0.50% प्रीमियम 0.20% अधिभार 0.19%	परिपक्वता				
प्रतिबद्धता प्रभार	0.15% प्रतिवर्ष				
ग. भारत सरकार द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज					
ऋण संख्या	**पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
20 आईएन 04	15–03–2029		10,25,22.50		4,65,50.27
ब्याज दर : (एलआईबीओआर 1.35%) प्रतिवर्ष					
प्रतिबद्धता प्रभार रू 0.25% प्रति वर्ष					
घ. भारत सरकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज					
ऋण संख्या	**पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
एल0352ए	15–11–2029		12,39,28.15		-
ब्याज दर	(एसओएफआर 1.29%) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभार	0.25% प्रतिवर्ष				
योग			**1,17,39,84.21**		**71,69,55.77**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कम्पनी को आरआरटीएस के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त गौण ऋण प्राप्त हुए हैं। ऋण का पुर्नभुगतान सीनियर नामे के भुगतान के पश्चात किया जाना है।

(ii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ब्याज मुक्त गौण ऋण का पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के ब्याज युक्त सीनियर ऋणों का पुनर्भुगतान किए जाने के पश्चात किया जाना है।

(iii) ब्याज मुक्त ऋणधगौण नामे का लेखांकन प्राप्ति के मूल्य पर उसी व्यवहार के अनुसार किया जाता है जिसका अनुसरण अन्य मैट्रो कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा उचित मूल्य को विचार में लिया जाता है।

(iv) भारत सरकार ने एडीबी एनडीबी तथा एआईआईबी के साथ प्रत्येक द्वारा 500 मिलियन यूएस डालर का ऋण दिल्ली–मेरठ आरआरटी परियोजना हेतु किए जाने के लिए ऋण अनुबंध किया है। सभी ऋणों का काल 8 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 25 वर्ष है। ऋणदाता एजेंसियों के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार ऋण का लाभ बैक टू बैक आधार पर पास थ्रू सहायता के रूप में कम्पनी को सौंपा जाना है। ऋणों का पुनर्भुगतान अर्ध–वार्षिक आधार पर परिशोधन अनुसूची के अनुसार किया जाना है जो वर्ष 2029 में प्रारंभ होगी।

टिप्पणी 16.1: अन्य वित्तीय देयताएं: पट्टा देयताएं **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
पट्टा देयताएं	-	8.23
योग	**-**	**8.23**
विवरण के लिए उपयोग अधिकार परिसम्पतियों का संदर्भ नोट 44 देखें		

टिप्पणी 16.2: अन्य वित्तीय देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
प्रतिभूति जमा	74.78	48.55
योग	**74.78**	**48.55**

टिप्पणी 17: दीर्घकालिक प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	6,51.78	4,17.36
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	12,00.63	8,49.40
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	4,47.96	2,31.12
योग	**23,00.37**	**14,97.88**

टिप्पणी 18: अन्य गैर–चालू दायित्व (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	2,47,50.00	2,29,50.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	5,00.00	5,00.00
योग	**2,52,50.00**	**2,34,50.00**

स्पष्टीकरण नोट:

(i) यह हरियाणा सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर तथा दिल्ली पानीपत कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

(ii) यह राजस्थान सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

टिप्पणी 19: वित्तीय देयताएं

टिप्पणी 19.1: पट्टा देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
पट्टा देयताएं	8.23	7.96
योग	**8.23**	**7.96**

टिप्पणी 19.2: अन्य वित्तीय देयताएं (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
ब्याज उपचय पर ऋण पर देय नहीं	56,48.78	3,26.36
व्ययों के लिए लेनदार – अन्य	3,80,22.21	2,03,08.00
व्ययों के लिए लेनदार – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	22,91.73	2,45.54
प्रतिभूति जमा	56,85.20	29,75.81
योग	**5,16,47.92**	**2,38,55.71**

टिप्पणी 20: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार देय नहीं है तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के लिए तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

टिप्पणी 21: अन्य चालू देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सांविधिक देय		
स्रोत पर कर कटौती देय	26,36.03	23,02.54
जीएसटी देय (जीएसटी पर टीडीएस सहित)	18,54.90	15,05.04
भुगतान योग्य भवन एवं श्रम कल्याण उप–कर	8,10.33	6,99.13
भविष्य निधि	1,01.94	77.71
अन्य	9,23.39	4,72.07
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम [सदर्भ टिप्पणी (i) नीचे प्रस्तुत]	30,38,56.77	15,82,74.78
योग	**31,01,83.36**	**16,33,31.27**

स्पष्टीकरण नोट

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 28,54,00.00 लाख रुपये (पिछले वर्ष 47,11,00.00 लाख रुपए) का अग्रिम एशियन डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से से पास थ्रू सहायता के रूप में ऋण का वितरण लंबित होने के चलते प्राप्त हुआ है। 25,70,80.07 लाख रुपये (पिछले वर्ष 15,82,74.78 लाख रुपये) के शेष अग्रिम का समायोजन व्यय के पश्चात किया जाना है तथा इसका वित्तीयन अनेक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जाना है।

टिप्पणी 22: अल्पकालिक प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	26.57	6.61
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,06.38	47.60
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	1,02.59	91.35
योग	**2,35.54**	**1,45.56**

टिप्पणी 23: अन्य आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 के लिए	31 मार्च, 2022 के लिए
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज	1,24,70.94	84,54.77
(क)	**1,24,70.94**	**84,54.77**
अन्य गैर–प्रचालन आय		
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय	95.68	55.94
आस्थगित आय (अनुदान परिशोधन)	2,77.19	-
मौद्रिक अनुदान (जेएफपीआर)	67.51	47.11
अन्य विविध आय	2,26.65	45.68
परामर्श आय	3,37.58	60.20
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	4,78.17	2,83.18
(ख)	**14,82.78**	**4,92.11**
योग (क+ख)	**1,39,53.72**	**89,46.88**

टिप्पणी 24: कर्मचारी हितलाभ व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	87,69.31	8,95.83	96,65.14	61,42.00	6,28.24	67,70.24
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,44.50	77.04	2,21.54	1,21.24	11.20	1,32.44
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान*	5,99.07	1,00.50	6,99.57	4,58.27	66.06	5,24.33
योग	**95,12.88**	**10,73.37**	**1,05,86.25**	**67,21.51**	**7,05.50**	**74,27.01**

स्पष्टीकरण नोट:

*भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुट्टी लाभ एवं अन्य टर्मिनल लाभों के लिए 1,21.86 लाख रुपए (पिछले वर्ष 95.60 लाख रुपये) की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित संगठनों को चुकता की गई है/देय है तथा इसे कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 25: वित्त लागतें (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	1.21	-	1.21	8.48	3.97	12.45
ऋण लागत						
क. बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से प्राप्त ऋण	2,06,23.08	-	2,06,23.08	20,21.47	-	20,21.47
ख. ब्याज लागतों में समायोजित विनिमय दर भिन्नता	3,43,19.44	-	3,43,19.44	53,90.90		53,90.90
योग	**5,49,43.73**	**-**	**5,49,43.73**	**74,20.85**	**3.97**	**74,24.82**

स्पष्टीकरण नोट:

विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें" के पैराग्राफ 6(ङ) की उपयोज्यता के दौरान कम्पनी द्वारा "संचयी अवधि एप्रोच' का अनुसरण किया गया है क्योंकि कम्पनी का यह मत है कि विचाराधीन निर्माण परिसम्पतियों की लम्बी निर्माण अवधि के विचार से 'संचयी अवधि एपोंच' अधिक उचित है।

31 मार्च, 2023 तक की 4,05,82.84 लाख रुपये की ब्याज लागत के संचयी समायोजन की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक 4,03,04.40 लाख रुपये की संचयी विनिमय दर हानि का पूंजीयन किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 की 3,43,19.44 लाख रुपए की विनिमय दर हानि की समग्र राशि को ऋण लागत का भाग माना गया है।

टिप्पणी 26: मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3)	16,55.64	3,76.89	20,32.53	8,65.91	3,25.45	11,91.36
उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 4)	61.57	21.05	82.62	1,72.55	99.47	2,72.02
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 6.1)	3,29.05	73.44	4,02.49	88.46	1,16.05	2,04.51
योग	**20,46.26**	**4,71.38**	**25,17.64**	**11,26.92**	**5,40.97**	**16,67.89**

टिप्पणी 27: अन्य व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	12.86	-	12.86	81.84	16.19	98.03
शुल्क, दरें एवं कर	-	4.89	4.89	-	4.49	4.49
मरम्मत अनुरक्षण मशीनरी एवं अन्य	46.13	32.39	78.52	68.27	52.07	1,20.34
ऊर्जा एवं ईंधन	1,28.03	85.99	214.02	1,33.18	73.96	2,07.14
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	15,56.74	1,39.35	16,96.09	10,78.80	1,35.33	12,14.13
यात्रा व्यय	5,74.81	23.85	5,98.66	2,41.06	5.76	2,46.82
इंटरनेट प्रभार	36.45	17.64	54.09	28.10	26.46	54.56
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 27.1)	-	2.60	2.60	-	2.36	2.36
विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	7.99	97.21	1,05.20	98.44	81.47	1,79.91
तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण व्यय	35.11	-	35.11	4,27.32	-	4,27.32
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	-	30.98	30.98	-	59.91	59.91
परामर्श प्रभार	6,99.97	65.04	7,65.01	3,81.60	1,02.86	4,84.46
सुरक्षा व्यय	3,04.95	68.96	3,73.91	1,82.06	41.54	2,23.60
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9.68	83.39	93.07	4.85	1,14.57	1,19.42
संचार व्यय	1,42.00	23.85	1,65.85	84.12	16.82	1,00.94

पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1.24	3.98	5.22	0.61	8.79	9.40
विज्ञापन एवं प्रचार– अन्य	62.97	29.86	92.83	10.30	13.72	24.02
विज्ञापन एवं प्रचार – निविदा	72.12	0.10	72.22	57.61	1.55	59.16
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	67.02	78.80	1,45.82	48.53	1,07.83	1,56.36
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	14.86	9.55	24.41	0.38	8.71	9.09
हाउसकीपिंग व्यय	53.07	2,57.04	3,10.11	1.72	2,73.32	2,75.04
साफ्टवेयर व्यय	1,28.14	31.74	1,59.88	1,12.73	54.47	1,67.20
आउटसोर्सिंग व्यय	8,34.05	2,02.73	10,36.78	7,83.24	1,16.01	8,99.25
कार्यालय व्यय	2,75.91	1,53.62	4,29.53	45.18	1,30.38	1,75.56
विविध व्यय	1.51	1,29.11	1,30.62	-	42.52	42.52
बट्टा लेखित परिसम्पतियां	-	0.07	0.07	-	2.02	2.02
परिसम्पतियों की प्रतिक्षित बट्टा लेखन स्वीकृति / इक्वारी के लिए प्रावधान	-	-	-	-	2.02	2.02
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	6.82	6.82	-	13.34	13.34
उप–योग	**50,65.61**	**15,79.56**	**66,45.17**	**38,69.94**	**15,08.47**	**53,78.41**

टिप्पणी 27.1: लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.65	1.50
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरण)	0.55	0.50
लेखापरीक्षा पर जीएसटी	0.40	0.36
योग	**2.60**	**2.36**

टिप्पणी 28: आय कर व्यय (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू आय कर:		
– अवधि से संबंधित	-	2,70.51
– पूर्व वर्षों से संबंधित (निवल)	37.38	(95.05)
आस्थगित कर:		
– अवधि से संबंधित	27,05.32	13,08.67
– पूर्व वर्षों से संबंधित (निवल)	96.11	-
योग	**28,38.81**	**14,84.13**

टिप्पणी 28.1: कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के मध्य समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	1,08,29.41	61,87.97
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**1,08,29.41**	**61,87.97**
जोड़ें: कटौतियोंग्य एवं गैर कटौतियोंग्य मदें	(81.20)	(31.07)
स्थाई अस्वीकृति के समायोजन के पश्चात लेखांकन लाभ	**1,07,48.21**	**61,56.91**
चालू वर्ष के कर व्यय	**27,05.32**	**15,79.18**
कर दर	25.17%	25.65%
लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित आय कर व्यय	**28,38.81**	**14,84.13**
लेखांकन लाभ पर पूर्व वर्ष की मदों के प्रभाव सहित प्रभावी कर दर	26.21%	23.98%

टिप्पणी 29: प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपए प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	79.91	47.04
बंद प्रचालनों से	-	-
डायल्युटिड ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	79.91	47.04
बंद प्रचालनों से	-	-

टिप्पणी 29.1: प्रति शेयर मूल उपार्जन

पिछले वर्ष के संबंध में प्रति शेयर मूल उर्पाजन एवं ईपीएस के आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों से आय एवं भारित औसत संख्या का वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों के समायोजन के पश्चात पुनः उल्लेख किया गया है। (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ		
जारी प्रचालनों से	79,90.60	47,03.84
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	79,90.60	47,03.84
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपए है]	1,00.00	1,00.00

टिप्पणी 29.2: प्रति शेयर डायल्युटिड आय

प्रति शेयर डायल्युटिड आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का प्रति शेयर मूल आय के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान होता है:- (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ:		
– जारी प्रचालनों से	79,90.60	47,03.84
– बन्द प्रचालनों से		-
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर डायल्युटिड उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	**79,90.60**	**47,03.84**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपए है]	100.00	100.00

टिप्पणी 30: अनुमान एवं पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के प्रति अनिश्चितता एवं प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

- **पूंजी कार्य प्रगति पर:** कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।
- **पट्टाधारित भूमि:** कम्पनी द्वारा उन मामलों में ऐसी पट्टाधारित भूमि के पंजीकरण की संभावित लागत के अनुमान के लिए अपने निर्णय का उपयोग किया है जो पंजीकरण के लिए लंबित है। कम्पनी ने तुलन पत्र की प्रभावी तिथि के अनुसार सर्कल रेट के आधार पर पंजीकरण की लागत का अनुमान आंका है और भूमि का वास्तविक पंजीकरण होने तक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को पुनरू अनुमान आंके जाएंगे।
- **ऋण लागत:** विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के पूंजीयन के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें" के पैराग्राफ 6(ङ) कम्पनी द्वारा अनुमानों का उपयोग किया गया है। कम्पनी ने कार्यात्मक मुद्रा में ऋण की लागत के साथ विनिमय उतार–चढ़ाव हानि की तुलना के लिए संचयी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अनुमान कम्पनी के पास उपलब्ध बाजार रूझान के अनुसार है।
- **प्रावधान:** तुलन पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
- आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियांरू आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता तथा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है एवं इनका समायोजन चालू प्रबंधन अनुमानों के अनुसार किया जाता है।
- **गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि:** संपति, संयंत्र एवं उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की निर्धारण के आधार पर तय की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति:** आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन के आधार पर की जाती है जिसके प्रति आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्व:** कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ भावी विकासों में छूट दर, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित अनुमान शामिल हैं। कम्पनी का यह मानना है कि उसके दायित्वों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमा उचित और प्रलेखित हैं। तथापि, ऐसे अनुमानों से किसी परिवर्तन का परिणामी गणना पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- **पट्टे:** कम्पनी अपने निर्णय का उपयोग इस निर्धारित के लिए करता है कि किसी अनुबंध में पट्टा शामिल है अथवा नहीं है, क्या पट्टा समझौते के विस्तार विकल्प एवं पट्टा अनुबंध की समाप्ति के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा पट्टों के उपयोग और पट्टे की अवधि के लिए उचित छूट दर की गणना करने में अनुमान का उपयोग किया जाता है।
- उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया जाता है। जहां संभव हो वहां इन विधियों के इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सीमा तक विवेकी निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय चलनिधि जोखिम क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से पूर्वानुमानों में परिवर्तन होने से वित्तीय प्रपत्रों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।
- **करः** आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब यह संभावना हो कि इससे ऐसे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकता है, आस्थगित कर संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है समय की अनुरूपता एवं भावी करयोग्य लाभ तथा योजना रणनीतियों पर आधारित होती हैं।
- संपत्ति संयंत्र और उपकरण का उपयोज्यता कालरू टिप्पणी 2.7 में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल दिया गया हैं।

  संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल अप्रचलन मांग प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोज्यता काल की समीक्षा करता है।

टिप्पणी 31: पूंजी प्रबंधन

कम्पनी अपनी पूंजी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने का सुनिश्चय करने एवं क्षमता को सुरक्षित करने के लिए करता है जिससे कि कम्पनी अपने शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करती रह सके।

इसके अलावा कम्पनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रभाव एवं वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजन के लिए करती है। पूर्वावधि से चालू अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणी 32: ऋण निधियों का उपयोग

(i) कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से पास थ्रू सहायता (अथवा बैंक टू बैंक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जा एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण/परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ii) कम्पनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी, गौण नामे (केन्द्रीय कर), गौण नामे (राज्य कर) एवं गौण नामे (सरकारी भूमि) के प्रति गौण नामे प्राप्त हुए हैं। परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार निधियों का उपयोग केवल दिल्ली–गाज़ियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना पर व्यय जैसी मदों के वित्तीयन के लिए किया गया है।

टिप्पणी 33: अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	0.61	1.45	-57.93%	चालू देयता में वृद्धि मुख्यतरू आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से पास थ्रू सहायता, एमडीबी से प्राप्त ऋण का लंबित वितरण, के रूप में प्राप्त सहायता से संबंधित है
2	नामे इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल नामे	कुल इक्विटी	5.19	3.92	32.40%	परियोजना का प्रमुख स्रोत भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त गौण नामे सहित ऋण है। रिपोर्टिंग अवधि में ऋण का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है।
3	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पश्चात लाभ	कुल इक्विटी औसत	3.90%	2.83%	37.81%	कम्पनी निर्माण चरण में होने तथा किसी प्रकार का प्रचालनात्मक लाभ न होने के कारण यह अनुपात तुलना योग्य नहीं है।
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज एवं कर पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	0.78%	0.69%	13.04%	कम्पनी निर्माण चरण में होने तथा किसी प्रकार का प्रचालनात्मक लाभ न होने के कारण यह अनुपात तुलना योग्य नहीं है।

स्पष्टीकरण नोट

कम्पनी के प्रचालन अभी न होने के कारण निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं है, तदनुसार वर्ष के लिए प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं:–

क. नामे सेवा कवरेज अनुपात

ख. मालसूची टर्नओवर अनुपात

ग. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

घ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

ङ. निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात

च. निवल लाभ अनुपात

छ. निवेश पर लाभ

टिप्पणी 34: उचित मूल्य मापन

(i) वर्गानुसार वित्तीय लिखत

(₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
		परिशोधन लागत	
वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) प्रतिभूति जमा	7.2 & 10.4	20,35.35	16,28.81
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	1,34,40.09	9,35,42.27
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10.3	19,71,24.49	17,35,71.92
(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7.2 & 10.4	95,05.68	34,66.03
योग वित्तीय परिसम्पतियां		**22,21,05.61**	**27,22,09.03**
वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण (संदर्भ नोट 15)	15	1,17,39,84.21	71,69,55.77
(ii) अन्य वित्तीय देयता – गैर चालू (संदर्भ टिप्पणी 16)	16	-	8.23
(iii) अन्य वित्तीय देयता – चालू	19.1&19.2	5,16,56.15	2,38,63.67
योग वित्तीय देयताएं		**1,22,56,40.36**	**74,08,27.67**

(ii) उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 – समान प्रकार की परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिया बाजार से उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में उद्धृत मूल्यों से भिन्न उन इनपटों को शामिल किया गया है जो परिसंपत्ति अथवा देयता के संबंध में प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्धारित) रूप में स्पष्ट हैं।

स्तर 3 –परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो स्पष्ट बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर स्पष्ट इनपुट)।

(iii) परिशोधन लागत के आधार पर उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पतियां					
(i) प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 7 एवं 10.4)	स्तर 3	20,35.35	20,35.35	16,28.81	16,28.81
योग		**20,35.35**	**20,35.35**	**16,28.81**	**16,28.81**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों तथा अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण समान प्रकार से उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

ख. दीर्घावधि के प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का आकलन चालू बाजार दर पर डिस्काउंट करके नकदी प्रवाह के अनुसार किया गया है। इनका वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर–3 के अनुसार हैं क्योंकि इनमें गैर स्पष्ट इनपुट शामिल हैं।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

क. 12 माह से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों को उनके उचित मूल्य की प्रस्तुति के लिए विचार में लिया गया है।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पतियों एवं दैयताओं के उचित मूल्यों का अग्रेषण डिस्काउंट दर से नकदी प्रवाह प्रवाह को डिस्काउंट करते हुए परिशोधन लागत पर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में आवृति आधार एवं परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की उचित मूल्य मापन तारतम्यता प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य मापन तारतम्यता का प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः– (₹ लाख में)

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:–				
प्रतिभूति जमा	-	-	20,35.35	20,35.35
31 मार्च, 2023 को स्थिति	-	-	20,35.35	20,35.35
विवरण	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**योग**
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैं:–				
प्रतिभूति जमा	-	-	16,28.81	16,28.81
31 मार्च, 2022 को स्थिति	-	-	16,28.81	16,28.81

टिप्पणी 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम कारक

कम्पनी के सम्मुख वित्तीय लिखतों के संबंध में कोई जोखिम व्याप्त नहीं है। कम्पनी की मूल वित्तीय देयताओं में ऋण, अन्य देय प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी हैं। कम्पनी की प्रमुख वित्तीय परिसम्पतियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से होती है। तथापि, प्रमुख प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। सम्मुख के सम्मुख व्याप्त अत्यधिक प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया है:–

क). बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के 60% तक का परियोजना वित्तीयन (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के अलावा) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की संकल्पना के साथ दिनाक 7 मार्च, 2019 को दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर नामक प्रथम आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्रत्येक 500 मिलियन डालर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाह्य वित्तीयन आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक टू बैक आधार पर किया जाएगा। ऋण की शर्तों में एलआईबीओआर/एसओएफआर से सम्बद्ध परिवर्तनशील दरों पर अर्ध–वार्षिक ब्याज शामिल है तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलआईबीओआर/एसओएफआर की मूवमेंट पर आधारित ब्याज दर जोखिम है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कम्पनी के सम्मुख भारत सरकार द्वारा बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव के रूप में बाजार जोखिम व्याप्त है जो वित्त मंत्रालय के साथ की गई मानक व्यवस्था के अनुसार बैक टू बैक आधार पर कम्पनी को पास ऑन किया जाता है। ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में चुकता किए जाने वाले भुगतान भी यूएसडी, यूरो तथा क्रोना की मूवमेंट से होने भारतीय रुपए पर होने बाजार जोखिम के कारक हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कम्पनी के सम्मुख व्याप्त महत्वपूण विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नलिखित हैं:–

31 मार्च, 2023 को स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	क्रोना	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	56,05.85	67,98.36	6,59.22	1,30,63.43
योग	**56,05.85**	**67,98.36**	**6,59.22**	**1,30,63.43**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	30,43.85	5,67.47	70.25	36,81.57
ऋण	63,58,84.21	-	-	63,58,84.21
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	56,48.78	-	-	56,48.78
योग	**64,45,76.84**	**5,67.47**	**70.25**	**64,52,14.56**

31 मार्च, 2022 को स्थिति				
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	64,19.25	1,05,72.91	9,06.57	1,78,98.73
योग	**64,19.25**	**1,05,72.91**	**9,06.57**	**1,78,98.73**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	6,86.63	4,12.97	-	10,99.60
ऋण	31,99,55.77	-	-	31,99,55.77
ब्याज उपार्जित पर ऋण पर देय नहीं	3,26.36	-	-	3,26.36
योग	**32,09,68.76**	**4,12.97**	**-**	**32,13,81.73**

ग) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि आवश्यकताओं की मासिक पूर्वानमानों के अनुसार निगरानी की जाती है। कम्पनी के लिए चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अंशदान एवं सरकारी अनुदान/गौण नामे के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

कम्पनी अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन नकद अंतर्प्रवाह की निगरानी करके एवं नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके करता है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना में उपलब्ध नकदी में से किया जाता है।

अल्पावधि की चलनिधि अपेक्षाओं में मुख्यतरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार चुकता किए जाने विविध लेनदारों के देय, देय व्यय, धारण एवं व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जमा शामिल होते हैं। अपनी अल्पकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए कम्पनी नकद एवं नकद समतुल्यों एवं अन्य बैंक शेष को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित करता है।

कम्पनी द्वारा अपनी दीर्घकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से किया जाता है। कम्पनी की गैर–चालू देयताओं में ब्याज मुक्त गौण नामे एवं पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण कम्पनी की ओर से अपेक्षित भुगतान से पूर्व की तिथि की वित्तीय देयताओं के नकद प्रवाह के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:– **(₹ लाख में)**

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	-	1,17,39,84.21	1,17,39,84.21
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,17,39,84.21**	**1,17,39,84.21**

31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:– **(₹ लाख में)**

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	-	71,69,55.77	71,69,55.77
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,69,55.77**	**71,69,55.77**

टिप्पणी 36: प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

36.1. प्रावधान

नोट 17 तथा नोट 22 में वर्ष के दौरान इंड–एएस 37 श्प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियों के अंतर्गत किए प्रावधान एवं प्रावधानों की मूवमेंट से संबंधित प्रकटीकरण किए गए हैं।

36.2. आकस्मिक देयता

इंड एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतिया' के प्रकटीकरण के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम में क्रम्पनी की आकस्मिक देयता (ब्याज के अलावा) ठेकेदार द्वारा किए गए दावों के लिए 2,46,46.26 24 लाख रुपए (1,14,22.24 लाख रुपए) है, जिसकी कम्पनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं की गई है।

36.3. आकस्मिक परिसम्पतियां

इंड एएस 37 श्प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पतियोंश के अनुसार आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण

31 मार्च 2023 तक कम्पनी की आकस्मिक परिसम्पति शून्य (शून्य) है।

टिप्पणी 37 सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित है:–

37.1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची

37.1.1: सहायक कम्पनी

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (पूर्ण स्वामित्व)

37.1.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं इक्विटी के लिए नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री आशीष कुंद्रा	नामित निदेशक
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक (01.05.2022 से)
सुश्री वीनू गुप्ता	नामित निदेशक (06.05.2022 से)
श्री बृजेश कुमार	नामित निदेशक (08.06.2022 से)
श्री अरुण कुमार गुप्ता	नामित निदेशक (03.08.2022 से)
श्री कुलदीप नारायण	नामित निदेशक (28.12.2022 से)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री अनिल कुमार सिंगारिया	निदेशक परियोजना
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक ई एंड आरएस
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक प्रणाली एवं परिचालन
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक वित्त
श्री कामरान रिज़वी	नामित निदेशक (28.12.2022 तक)
श्री देवेन्द्र सिंह	नामित निदेशक (31.07.2022 तक)
श्री ओम प्रकाश सिंह	नामित निदेशक (31.05.2022 तक)
श्री टी. रविकांत	नामित निदेशक (06.05.2022 तक)
श्री दीपक कुमार	नामित निदेशक (01.05.2022 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव

37.1.3: सरकार से संबंधित कम्पनियां

कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अध्याधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कम्पनी का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार धारित 50% इक्विटी शेयरों तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा 12.5% इक्विटी शेयर धारिता द्वारा किया जाता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार जिन इकाईयों पर समान सरकार का नियंत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग इकाई एवं अन्य इकाईयों को सम्बद्ध पार्टी माना जाता है। इन पार्टियों के मध्य होने वाले संव्यवहार बाजार स्थितियों के अनुसार आर्म लैंथ आधार पर किए जाने हैं। कम्पनी द्वारा सरकार से संबंधित इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट का आवेदन किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

कम्पनी ने सरकार से संबंधित निम्नलिखित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार किए हैं:–

इकाई का नाम	सम्बद्धता
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक

हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
दिल्ली मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

37.2: अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं:–

37.2.1: प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों एवं निदेशकों के साथ संव्यवहार

नाम	संबंध	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
शून्य				

37.2.2: प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया गया है:–

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ	2,95.95	2,66.62
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	49.15	33.41
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	40.60	33.96
योग	**3,85.70**	**3,33.99**

37.2.3: अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं:– (₹ लाख में)

विवरण	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्राप्तियां / आय				
पास थ्रू सहायता सहित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	47,10,00.00	44,72,00.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	18,00.00	82,00.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	-	-
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	13,06,00.00	5,70,00.00
निविदा दस्तावेज की बिक्री से प्राप्त	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	5.00
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	बेंगलुरू मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार सम्बद्ध इकाई	22.42	-
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार सम्बद्ध इकाई	2.66	-
परामर्श आय	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार सम्बद्ध इकाई	371.70	-

सम्पति का किराया	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	1.10	-
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	1,84.16	1,95.77
परामर्श	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	22.03
मशीनरी का किराया	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	3,74.94	-
अन्य	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	0.05	
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	85.97	
परामर्श प्रभार	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	-	19.72
परामर्श प्रभार पर जीएसटी	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	3.55	-
अन्य व्ययों का पुनर्भुगतान	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	-	3,39

37.2.4: एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के परिसर को एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय के पते के रूप में उपयोग करने के लिए एक अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया था। तथापि, बाद में कम्पनी तथा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस लिमिटेड के बीच 1 अक्तूबर, 2022 से 1 सितम्बर, 2023 की अवधि के लिए जीएसटी सहित 18332 रुपए प्रतिमाह के किराए के लिए एक पट्टा करार किया गया था।

37.2.5: अन्य सम्बद्ध पार्टियों से बकाया शेष निम्नानुसार है:– (₹ लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
परिसम्पतियां / वसूलीयोग्य				
इक्विटी शेयरों में निवेश	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	1,00.00	1,00.00
अचल सम्पति के किराए के प्राप्त प्राप्य राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	0.37	-
देयताएं / देय				
प्राप्त ऋण के प्रति राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	25,80,00.00	22,12,00.00
प्राप्त अग्रिम के प्रति राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	30,38,56.77	15,82,79.89
प्राप्त अग्रिम के प्रति राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	2,47,50.00	2,29,50.00
प्राप्त अग्रिम के प्रति राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	500.00	5,00.00
प्राप्त ऋण के प्रति राशि	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,79,00.00	1,79,00.00
प्राप्त ऋण के प्रति राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	26,22,00.00	15,79,00.00
व्ययों का पुनर्भुगतान	दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	0.03	-
प्राप्त परामर्श के प्रति देय राशि	एनसीआरटीसी एक्सप्रैल ट्रांजिट लिमिटेड	सहायक कम्पनी	-	17.75

टिप्पणी 38: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में लागू सीमा की पूर्ति करने वाली कम्पनी से अपने पिछले निकटतम तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2: व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर करने की अपेक्षा की गई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
i) पिछले वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	74.84	29.47
ii) वर्ष के दौरान कम्पनी से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	97.49	58.71
iii) वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	97.49	58.71
iv) वर्ष के दौरान किया गया व्यय	6.82	13.34
क. किन्हीं परिसम्पतियों का निर्माण/अधिग्रहण	-	-
ख. (क) के अलावा अन्य उद्देश्य से	6.82	13.34
v) वर्ष के अंत में व्यय न किया गया शेष (सीएसआर खाते में अलग से रखा गया)	1,65.51	74.84
vi) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों का विवरण	-	-
vii) दायित्व के वहन के लिए किए गए प्रावधान के अनुसरण में प्रावधान के संचालन पर अनुबंध के माध्यम से किए गए व्यय	-	-
viii) वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने के कारण	जारी परियोजनाओं से संबंधित	

ix) **सीएसआर गतिविधि की प्रकृति:** आधुनिक कृषि व्यवहारों में बागवानी एवं सम्बद्ध कार्यों का कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास/प्रशिक्षण कार्यक्रम, भीकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर हाई स्कूल में 4 कक्षाओं तथा सराय कालेखान, दिल्ली में 3 सार्वजनिक शौचालय सेट्स का निर्माण

स्पष्टीकरण नोट:

(i) कम्पनी ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय सीमा में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) का अनुसरण करते हुए एक अलग बैंक खाते में जारी परियोजनाओं से संबंधित 97.49 लाख रुपए (पिछले वर्ष 58.71 लाख रुपए) की अव्ययित राशि जमा करवाई है।

टिप्पणी 39: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस)–19 "कर्मचारी हितलाभ"–31.3.2023 की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित मूल्य। वर्ष के अंत में कर्मचारी हितलाभों का बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के संबध में प्रकटीकरण

39.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:–

क) भविष्य निधि:

कम्पनी की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। कम्पनी भविष्य निधि के प्रति पूर्व निर्धारित दर पर नियत अंशदान करता है। इस देयता की स्वीकृति बीमांकन आधार पर की जाती है।

ख) उपदान:

कम्पनी द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपायों के तौर पर कम्पनी के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने, शारीरिक आसामर्थ्यता की स्थिति में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का निधियन कम्पनी करती है। इंड एएस–19 के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता की स्वीकृति वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

ग) पेंशन:

कर्मचारियों के लिए कम्पनी की अधिवार्षिता परिभाषित पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 2.5: की दर से प्रावधान किए गए हैं।

अवधि के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रावधान का कम्पनीन कर्मचारी लागत पर बीमांकन आधार पर किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन अंशदान का आकलन मूल संगठन ध सरकारी संगठन के अनुसार किया जाता है तथा लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

कम्पनी की अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) है जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके पतिध्पत्नी को इंडोर उपचार के लिए नियमित कर्मचारी के संबंध में लागू समान दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके प्रति देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ङ) **छुट्टी:**

कम्पनी द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष क्रमशरू 30 दिन एवं 20 दिन हैं। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार केवल इस छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है जबकि अधिवार्षित के समय अधिक 300 दिन (गैर नकदी योग्य भाग एवं कम्यूटेशन के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया जाता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन का अंशदान उनके मूल विभाग ध संगठन को उनके मूल विभाग/संगठन के नियमों के आधार पर चुकता वेतन के अनुसार किया जाता है तथा इसका लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

च) **छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):**

कम्पनी प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार सहित मुख्यालय से किसी दुरस्थ पर स्थित उनके गृह स्थल अथवा कहीं अन्यत्र स्थल पर यात्रा हेतु विश्राम एवं मन बहलाव के लिए अपनी नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

क. **अन्य हितलाभः**

i) कर्मचारियों को अधिवार्षिता के समय अपने गृह स्थल अथवा कहीं अन्य ऐसे स्थल पर निवास के लिए, जहां वह अथवा उसका परिवार भारत में निवास करना चाहता है, वैयक्तिक सामान सहित परिवहन व्यय की पूर्ति की जाती है।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

ii) कम्पनी में अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं योगदान को स्वीकृति प्रदान करना, उन्हें पुरस्कृत करने सहित उन्हें दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान करना।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

39.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन पत्र में स्वीकृत विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व (₹ लाख में)

विवरण	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	33.30
अधिग्रहण समायोजन	72.75	95.66	-	-	-
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
चालू सेवा लागत	1,66.99	5,00.51	4.81	1,45.05	2.51
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	(3.86)	(1,05.67)	-	-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(11.98)	(1,31.92)	(6.44)	31.11	0.03
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**6,78.35**	**1,320.07**	**8.82**	**4,14.69**	**36.15**

विवरण	31.03.2022 की स्थिति के अनुसार				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25	2.08
अधिग्रहण समायोजन	21.19	48.81	-	-	-
ब्याज लागत	18.25	38.72	0.07	8.48	0.14
चालू सेवा लागत	1,25.26	3,57.62	5.99	88.75	1.73
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	-	(9.98)	1.55	-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(6.02)	(1,00.91)	1.08	2.05	0.29
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**	**4.24**

(ख) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अत मूल्य	6,78.35	13,20.07	8.82	4,14.69	36.15
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अत मूल्य	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	4.25
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	6,78.35	13,20.07	8.82	4,14.69	36.15
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	6,78.35	13,20.07	8.82	4,14.69	36.15

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	4.25
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	4.25

(घ) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	1,66.99	5,00.51	4.81	1,45.05	2.51
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
बीमांकन (लाभ) / हानि	-	(1,31.92)	(6.44)	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**1,97.47**	**4,33.08**	**(0.93)**	**1,61.05**	**2.82**

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	1,25.26	3,57.62	5.99	88.75	1.73
ब्याज लागत	18.25	38.72	0.07	8.48	0.14
बीमांकन (लाभ) / हानि	-	(1,00.91)	1.08	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**1,43.51**	**2,95.43**	**7.14**	**97.23**	**1.87**

(ङ) अन्य व्यापक आय (लाभ)/हानि में स्वीकृत पुनर्मापन (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	11.98	-	-	31.11	(0.03)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**11.98**	**-**	**-**	**31.11**	**(0.03)**

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	6.02	-	-	(2.05)	(0.29)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**6.02**	**-**	**-**	**(2.05)**	**(0.29)**

(च) गैर चालू एवं चालू दायित्वों का वर्गीकरण

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	6,51.78	12,00.63	4.41	4,13.73	29.82
चालू प्रावधान	26.57	1,19.44	4.41	0.97	6.33
योग प्रावधान	**6,78.35**	**13,20.07**	**8.82**	**4,14.70**	**36.15**

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	4,17.36	8,49.40	4.88	2,22.02	4.22
चालू प्रावधान	6.61	47.60	4.87	0.51	0.03
योग प्रावधान	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**	**4.25**

(छ) भारित औसत में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकन अनुमान

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धित की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
विवरण	**31.3.2022 की स्थिति**				
	उपदान	**अर्जित छुट्टी**	**छुट्टी यात्रा रियायत**	**सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ**	**अन्य**
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धित की संभावित दर	6.50%	6.50%	लागू नहीं	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

संवेदी विश्लेषण:

उपर्युक्त सभी अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर किए गए पूर्वानुमानों में परिवर्तन पर आधारित संवेदी विश्लेषण है। व्यावहारिक रूप से इनके घटित होने की संभावना नहीं है तथा पूर्वानुमानों के कुछ परिवर्तनों में सह–सम्बद्धता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता का आकलन करते समय महत्वपूर्ण बीमांकन पूर्वानुमानों की समान विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है जबकि परिभाषित हितलाभ दायित्व की वित्तीय स्थिति विवरण में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार गणना की जाती है।

निम्नलिखित में परिवर्तन		31.3.2023 की स्थिति				
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(41.48)	(80.38)	लागू नहीं	(28.42)	(0.47)
	-0.5%	45.68	89.28	लागू नहीं	30.51	0.49
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	36.07	89.62	लागू नहीं	लागू नहीं	0.49
	-0.5%	(33.87)	(81.39)	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.48)

निम्नलिखित में परिवर्तन		31.3.2022 की स्थिति				
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(26.18)	(65.84)	NA	(15.25)	(0.28)
	-0.5%	28.85	60.24	NA	16.37	0.29
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	23.75	60.37	NA	NA	0.29
	-0.5%	(22.38)	(66.48)	NA	NA	(0.29)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	26.57	119.44	4.41	0.97	6.33
1–2 वर्ष	39.69	72.59	4.41	3.59	15.23
2–3 वर्ष	32.70	73.02	-	5.62	5.25
3–4 वर्ष	42.58	82.92	-	2.62	1.76
4–5 वर्ष	26.01	41.77	-	7.03	1.76
5–6 वर्ष	27.62	37.39	-	12.00	0.23
6 वर्ष से आगे	4,83.18	8,92.94	-	3,82.86	5.59
परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	6.61	47.60	4.88	0.51	0.02
1–2 वर्ष	18.20	70.30	4.87	1.93	0.02
2–3 वर्ष	31.47	51.32	-	3.02	0.03
3–4 वर्ष	23.10	44.67	-	1.41	0.06
4–5 वर्ष	26.79	54.47	-	3.77	0.08
5–6 वर्ष	16.21	26.77	-	6.43	0.06
6 वर्ष से आगे	3,01.59	6,01.87	-	2,05.46	3.98

टिप्पणी 40

"सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देयताओं का विवरण निम्नलिखित हैं:– (रुपए लाख में)

क्र.सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
1	(i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और ब्याज तथा उनका चुकता न किया गया शेष:	-	-
	(ii) उपर्युक्त में से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों' को देय मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज	22,91.73	2,45.54
	(iii) उपरोक्त पर देय ब्याज	-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के पश्चात किए गए भुगतान के साथ चुकता ब्याज की राशि	-	-

3	भुगतान में देरी के कारण देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता की गई है) जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि तथा अचुकता शेष	-	-
5	आगामी वर्षों में भी देय बकाया ब्याज एवं भुगतान की राशि, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतियोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को ब्याज देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान किए जाने तक के लिए आकलन की जानी है।	-	-

*सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार नियत तिथियों को देयताओं का भुगतान किया गया है।

टिप्पणी 41: परिसम्पतियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मानना है कि कम्पनी की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों के आर्थिक निष्पादन संभावना से कम नहीं है तथा तदनुसार तुलन पत्र तिथि को किसी परिसम्पति के लिए कोई क्षमता क्षति नहीं हुई है।

टिप्पणी 42: शेष की पुष्टि

कम्पनी में बैंकों तथा अन्य पार्टियों से शेष के सबंध में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित है। नामे अग्रिम एवं ऋणदाताओं के संबंध में पार्टियों को शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ प्राप्य अन्य परिसम्पतियों एवं अन्य देयों के शेष पुष्टि/पुनःसमाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अध्याधीन हैं। तथापि, प्रबंधन का यह मानना है कि ऐसी बकाया पुष्टियों/पुनःसमाधान से किसी प्रकार का वस्तुगत वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पणी 43: संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण 68,16,12.75 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1275302.62 लाख रुपए) है।

टिप्पणी 44: इंड एएस 116: पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

टिप्पणी 44: इंड एएस 116: पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

(i) प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यवहार्य उपायों का संक्षेप

क) इस छूट को लागू किया गया है कि प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को 12 माह से कम के पट्टा काल वाली उपयोग अधिकार परिसम्पतियों एवं देयताओं को पट्टे के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना है।

ख) प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया जाना है।

ग) इंड एएस–116 की उपयोज्यता केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए की जानी है जिनका पट्टा वर्गीकरण पहले इंड एएस–17 के अंतर्गत किया गया था।

घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल डिस्काउंटर दर लागू की गई है।

ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं तो पट्टा काल के निर्धारण के लिए दूरदृष्टि का उपयोग किया जाना है।

(ii) इंड एएस–17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व एवं पारगमन की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के मध्य व्याप्त अंतर मुख्यतरू पट्टा देयताओं की इंड एएस–116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के अनुसार डिस्काउंटिंग किए जाने के कारण है।

(iii) कम्पनी की प्रचालन पट्टे के अंतर्गत परिसम्पतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: **(₹ लाख में)**

क्र.सं.	परिसम्पतियों का विवरण	पट्टा अवधि	वहन मूल्य		एसबीआई 3एम एमसीएलआर दर	समापन खंड	विस्तार विकल्प
			31 मार्च, 2023	31 मार्च 2022			
(क)	सीडब्ल्यूजी गांव में भूमि	5 साल	7.18	14.61	7.50%	पट्टादाता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता को समझौते को आगे विस्तारित करने का अधिकार है।
	कुल		**7.18**	**14.61**			

(iv). पट्टा देयताओं की मूवमेंट (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	**16.19**	**165.98**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज	1.21	12.45
पट्टा सुधार	-	-
वर्ष के दौरान भुगतान/नकदी बर्हिप्रवाह का योगध पट्टे के लिए समायोजन	9.17	162.24
वर्ष के अंत में अंत शेष	**8.23**	**16.19**

(अ). कम्पनी ने अल्पावधि के पट्टों अथवा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टों को स्वीकृति न दिए जाने का निर्धारण किया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता को मापन में शामिल नहीं किया जाता है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अल्पावधि पट्टे	12.86	98.03
योग	**12.86**	**98.03**

(vi). तुलन पत्र में पट्टा देयताओं की प्रस्तुति निम्नानुसार की गई है:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
चालू भाग	**8.23**	**7.96**
गैर–चालू भाग	-	8.23
योग	**8.23**	**16.19**

(vii). पट्टा देयताओं की गैर–डिस्काउंटिड आधार पर संविदागत परिपक्वता का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023		
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2 वर्ष से अधिक
पट्टा देयताएं	8.23	-	
योग	**8.23**	-	-
विवरण	**31 मार्च, 2022**		
	1 वर्ष से कम	**1–2 वर्ष**	**2 वर्ष से अधिक**
पट्टा देयताएं	7.96	8.23	-
योग	**7.96**	**8.23**	-

(viii). परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य है।

(ix). उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के उप–पट्टों से प्राप्त होने वाली आय कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

(x). बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों से प्राप्त लाभ ६ हानि कम्पनी के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45: घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

कम्पनी का प्रमुख व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्तपोषण करना है। कम्पनी भारत में प्रचालन करती है और इसके प्रचालन ऐसे आर्थिक परिवेश में नहीं होते जहां विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं प्रतिफल हों। इस प्रकार इसे एकल भौगोलिक घटक में प्रचालन माना गया है।

घटक रिपोर्ट

कम्पनी का रिपोर्ट योग्य केवल एक प्रचालनात्मक घटक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्तपोषण करने से संबंधित है तथा यह अपनी सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार एकल प्रचालन घटक है। तदनुसार स्टैंडएलोन इंडएएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि कम्पनी के एकल प्रचालन घटक से संबंधित है। वर्तमान में कम्पनी के पास सावधि जमा परामर्श आय और अन्य विविध आय पर ब्याज आय के रूप में राजस्व के स्रोत हैं।

टिप्पणी 46: विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उपार्जन		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लाभ	4,78.17	2,83.18
योग	**4,78.17**	**2,83.18**
व्यय		
परामर्श	56,35.63	38,07.70
कार्य	6,98,78.34	5,20,51.57
अन्य	-	-
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव हानि	34,319.44	5,390.90
योग व्यय	**10,98,33.41**	**6,12,50.17**

टिप्पणी 47: इंड एएस 27 "अलग वित्तीय विवरण" के अनुसार अनुपालन का प्रकटीकरण:

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा "एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड" नामक एक सहायक कम्पनी की स्थापना की गई है। संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेशों का इंड एएस 27 "अलग वित्तीय विवरण" के प्रावधानों के अनुसार मापन किया जाता है।

पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कम्पनी: कम्पनी का नाम	व्यवसाय का प्रधान स्थल एवं निगमन देश	प्रमुख गतिविधियां	कम्पनी द्वारा धारित स्वामित्व हित एवं वोटिंग अधिकारों का अनुपात
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	भारत	ट्रांजिट प्रणाली की योजना डिजाइनिंग, वित्तीय, कार्यान्वयन, प्रचालन प्रबंधन एवं अनुरक्षण	100-00%

टिप्पणी 48: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियमावली, 2023 जारी की गई है। भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियमावली, 2023 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:–

i) भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण (इंड एएस–101)

ii) शेयर आधारित भुगतान (इंड एएस–102)

iii) व्यवसाय सम्मिश्रण (इंड एएस–103)

iv) वित्तीय लिखत रू प्रकटीकरण (इंड एएस–107)

v) वित्तीय लिखत (इंड एएस–109)

vi) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व (इंड एएस–115)

vii) वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति (इंड एएस–1)

viii) लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों तथा चूकों में परिवर्तन (इंड एएस–8)

ix) आयकर (इंड एएस–12)

x) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस–34)

ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से अथवा उसके पश्चात की वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के संबंध में लागू होंगे तथा इनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण –

इंड एएस 1 (वित्तीय विवरणों का निर्माण), इंड एएस 107 (वित्तीय लिखतरू प्रकटीकरण) एवं इंड एएस 34 (अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- 'महत्वपूर्ण' शब्द को हटाकर 'सामग्रीगत' किया गया है।
- इकाईयों से यह अपेक्षित किया गया है कि वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्रीगत लेखांकन नीति का प्रकटीकरण करें क्योंकि 'सामग्री' इंड एएस में परिभाषित है तथा स्टेकधारक अच्छी तरह से समझते हैं।
- इस निर्धारण के लिए दिशानिर्देशन दिया गया है कि क्या लेखांकन नीति सूचना सामग्रीगत है अथवा नहीं है।

ख) लेखांकन अनुमानों की परिभाषा –

इंड एएस 8 (लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों एवं चूकों में परिवर्तन) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- 'लेखांकन अनुमान में परिवर्तन' की परिभाषा के स्थान पर 'लेखांकन अनुमान' की परिभाषा कर दिया गया है।
- 'लेखांकन अनुमान' में परिवर्तन की परिभाषा की प्रस्तुति इकाईयों को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के स्थान पर लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन का अंतर समझने के लिए दी गई है।
- यह निर्धारित किया गया है कि लेखांकन अनुमान में परिवर्तन नई सूचना अथवा नए विकास के परिणामस्वरूप हो सकते हैं तथा यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं हैय और यदि पूर्वावधि की त्रुटियों के सुधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न न हों तो लेखांकन अनुमान विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट अथवा मापन विधि में परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन होते हैं।

ग) एकल संव्यवहार से उत्पन्न परिसम्पतियों एवं देयताओं से सम्बद्ध आस्थगित कर –

इंड एएस 12 (आयकर) एवं इंड एएस 101 (भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण)

इस संशोधन से इंड एएस 12 के पैराग्राफ 15 एवं 24 के अनुसार छूट की स्वीकृति का दायरा सीमित हो गया है तथा यह अब ऐसे सव्यवहारों के संबंध में उपयोग के लिए नहीं है जिनसे प्रारंभिक स्वीकृति पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं, उदाहरण के लिए– पट्टों के मामले में एवं कमीशनिंग समाप्ति के दायित्व के मामले में।

घ) इंड एएस में संपादकीय सुधार

इंड एएस 101 (भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण), इंड एएस 102 (शेयर आधारित भुगतान), इंड एएस 103 (व्यवसाय सम्मिश्रण), इंड एएस 109 (वित्तीय लिखत) एवं इंड एएस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) में हुए परिवर्तनों से संदर्भों एवं शब्दों आदि को अद्यतन किया गया है तथा इनसे इंड एएस के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणी 49: इंड एएस–1: वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता में संवर्धन के लिए कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ लाइन मदों का तुलन पत्र में पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:–

(₹ लाख में)

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के पश्चात
चालू परिसम्पतियां			
नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,35,60.93	(18.66)	9,35,42.27
उपर्युक्त (पप) के अलावा बैंक शेष	17,35,53.26	18.66	17,35,71.92
गैर चालू परिसम्पतियां			
अन्य वित्तीय देयताएं	-	48.55	48.55
चालू देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	2,39,04.26	(48.55)	2,38,55.71

टिप्पणी 50: कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधन किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। समूह ने उक्त संशोधनों को अपने वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया है तथा उक्त संशोधन के अनुपालन के तौर पर निम्नलिखित नीचे प्रकटीकरण किए गए हैं:–

(i). वर्ष के दौरान समूह ने क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में किसी प्रकार का व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

(ii). समूह के पास इक्विटी परिवर्तन में अलग से प्रकटीकरण के लिए कोई पूर्वावधि चूकें नहीं हैं।

(iii) समूह के पास कोई प्रभार अथवा संतुष्टि नहीं है, जिसका पंजीयन आरओसी के सम्मुख सांविधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अब तक नहीं करवाया गया है।

(iv) समूह ने विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (ओं) को इस उद्देश्य से धनराशि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है अथवा निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थः

(क) समूह ("परम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के लिए, अथवा

(ख) अंतिम लाभार्थियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही किसी गारंटी प्रदान करने के लिए।

(अ) समूह ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई ("निधियन पार्टी") से ऐसे किसी निर्धारण, (जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो) के साथ कि समूह द्वाराः

(क) किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी ("परम लाभग्राहियों") की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान करेगा।

(v) समूह के पास प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है।

(vi) प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–वर्तमान निवेशों के अलावा व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य संपत्तियों का मूल्य तुलन पत्र में सूचित मूल्य से कम नहीं है।

(vii) उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(ix) वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची ण्ण् के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(x) समूह के पास कोई बेनामी संपत्ति नही है, जिसके संबंध में समूह के खिलाफ किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है अथवा लंबित है।

(xi) समूह के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xii) समूह से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने अपेक्षित नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii) बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा समूह को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiv) समूह द्वारा कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियमावली, 2017 के साथ पठि अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) का अनुपालन किया गया है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

(xv) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ समूह का वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। तदनुसार कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है।

टिप्पणी 51: जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनात्मकता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन पुनःव्यवस्थित/पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
विशाल गुप्ता	**विजय कुमार**	**नमिता मेहरोत्रा**	**विनय कुमार सिंह**
साझेदार	कम्पनी सचिव	निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	प्रबंध निदेशक
सदस्यता संख्याः 098796	सदस्यता संख्या एफ7801	डीआईएनः 07916304	डीआईएनः 06497700
यूडीआईएनः 23098796BGZOZA1451			
नई दिल्लीः 30 जून, 2023			

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

सत्यमेव जयते

संख्या/No. DGA/Infra/IHQ-I/27-113/2022-23/260

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक/Dated 01. 09. 2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आई एन ए
नई दिल्ली - 110023

विषय: **कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone & Consolidated) पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'टिप्पणियाँ'**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड **(Standalone and Consolidated)** के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 'टिप्पणियाँ' अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,
अतूर्वा सिन्हा
अतूर्वा सिन्हा
प्रधान निदेशक

संलग्न: 'टिप्पणियाँ **(Standalone and Consolidated)**

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार निर्माण करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा अपनी दिनांक 30 जून, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आए हैं तथा जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

क. तुलन पत्र

इक्विटी एवं देयताएं

गैर–चालू देयताएं

ऋण (नोट संख्या 15)–11,739.84 करोड़ रुपए

उपर्युक्त में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 5,381 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त गौण ऋण शामिल है। ऋणदाता राज्यों से संबंधित नोट संख्या 15 के स्पष्टीकरण नोट संख्या (iii) में यह उल्लेख है कि *'अन्य मेट्रो कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यवहार के अनुसार ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों पर किया गया है जिस मूल्य पर वे प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें इनका उचित मूल्य माना गया है।'*

'सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण' से संबंधित इंड एएस 20 के पैराग्राफ 10 क में यह उल्लेख है कि बाजार दर से कम ब्याज दर पर प्राप्त सरकार ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान माना जाना है। इसके अलावा, वित्तीय लिखत से संबंधित इंड एएस 109 के अनुसार ऋण की स्वीकृति एवं उसका मापन उचित मूल्य पर किया जाना आवश्यक है।

ऋण शून्य ब्याज दर पर होने के कारण उक्त ऋणों की स्वीकृति एवं मापन वित्तीय लिखित से संबंधित इंड एएस109 पर किया जाना आवश्यक है। कम्पनी ने न तो उचित मूल्य पर ऋणों की स्वीकृति की है तथा न ही ऋणों की स्वीकृति उचित मूल्य पर न किए जाने कारण दिए हैं जो कि वित्तीय विवरणों में की गई प्रस्तुति के अनुसार इंड एएस 109 का उल्लंघन है।

इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इंड एएस 109 एवं इंड एएस 20 के उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट इस संदर्भ में अपूर्ण है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/–
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थलः नई दिल्ली
दिनांकः 01 सितंबर, 2023

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित एनसीआरटीसी के वित्तीय विवरणों (स्टेंडएलोन) से संबंधित दिनांक 1 सितम्बर, 2023 की सी एंड एजी रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर
क. तुलन पत्र इक्विटी एवं देयताएं गैर–चालू देयताएं ऋण (नोट संख्या 15) – **11,739.84 करोड़ रुपए** उपर्युक्त में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 5,381 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त गौण ऋण शामिल है। ऋणदाता राज्यों से संबंधित नोट संख्या 15 के स्पष्टीकरण नोट संख्या (iii) में यह उल्लेख है कि 'अन्य मेट्रो कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यवहार के अनुसार ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों पर किया गया है जिस मूल्य पर वे प्राप्त हुए हैं, अतरू इन्हें इनका उचित मूल्य माना गया है।' 'सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण' से संबंधित इंड एएस 20 के पैराग्राफ 10 क में यह उल्लेख है कि बाजार दर से कम ब्याज दर पर प्राप्त सरकार ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान माना जाना है। इसके अलावा, वित्तीय लिखत से संबंधित इंड एएस 109 के अनुसार ऋण की स्वीकृति एवं उसका मापन उचित मूल्य पर किया जाना आवश्यक है। ऋण शून्य ब्याज दर पर होने के कारण उक्त ऋणों की स्वीकृति एवं मापन वित्तीय लिखित से संबंधित इंड एएस109 पर किया जाना आवश्यक है। कम्पनी ने न तो उचित मूल्य पर ऋणों की स्वीकृति की है तथा न ही ऋणों की स्वीकृति उचित मूल्य पर न किए जाने कारण दिए हैं जो कि वित्तीय विवरणों में की गई प्रस्तुति के अनुसार इंड एएस 109 का उल्लंघन है। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इंड एएस 109 एवं इंड एएस 20 के उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट इस संदर्भ में अपूर्ण है।	1. इंड एएस 109 में वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दर विधि से किए जाने की व्यवस्था है। मानक के पैरा 5.4.1 में प्रभावी ब्याज दर की गणना के लिए वित्तीय लिखतों का अनुमानित उपयोज्यता काल निर्धारित करने की व्यवस्था है। 2. भारत सरकार द्वारा परियोजना के संबंध में जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार इक्विटी पूंजी के स्थान पर प्रोमोटर अंशदान के प्रति, तथा साथ ही केन्द्रीय/राज्य करों एवं सरकारी भूमि के वित्तपोषण के लिए भी, गौण नामे (एसडी) प्रावधान किए गए हैं। 3. उपर्युक्त स्वीकृति आदेश के अनुसार कम्पनी से परियोजना के संबंध में प्राप्त सम्पूर्ण सीनियर ऋण का पुनर्भुगतान करने के पश्चात ही अपने शेयरधारकों को गौण ऋण का पुनर्भुगतान किए जाने किए जाने की अपेक्षा है। कृपया नोट करें कि स्वीकृति आदेश में गौण ऋण के लिए कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं है। एनसीआरटीसी द्वारा अभी तक परियोजना से संबंधित सीनियर ऋणे सहित ऋणों को टाई अप न किए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्भुगतान किए जाने की तिथि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उचित मूल्यांकन के लिए अल्ट्रा लांग टर्म (अल्ट्रा दीर्घकालिक) नामे की ऐसी ब्याज दरें भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रचलित नहीं हैं। 4. इस प्रकार, निर्धारक भिन्नताओं से संबंधित सूचना उपलबध न होने के कारण गौण ऋण का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। 5. एनसीआरटीसी द्वारा नोट संख्या 15 के माध्यम से वित्तीय विवरणों के नोट संख्या (i), (ii) एवं (iii) गौण नामे के मूल्यांकन से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:– (i) कम्पनी को आरआरटीएस के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त गौण ऋण प्राप्त हुए हैं। इस ऋण का पुनर्भुगतान सीनियर ऋण का भुगतान करने के पश्चात किया जाना है। (ii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त गौण ऋण का पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) को ब्याज युक्त सीनियर ऋण का पुनर्भुगतान किए जाने के पश्चात किया जाना है। (iii) ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों पर किया जाता है जिन मूल्यों पर उनकी प्राप्ति हुई थी, जो कि अन्य अन्य मेट्रो कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यवहार के अनुसार है तथा इस प्रकार इसे उचित मूल्य माना गया है। 6. इसके अलावा, एनसीआरटीसी द्वारा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के नोट संख्या 2.23 (उचित मूल्य मापन) में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "कम्पनी द्वारा ऐसी मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया जाता है जो परिस्थितियों के अनुसार यथोचित हैं तथा जिनके संबध में उचित मूल्य के मापन, सम्बद्ध प्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग में संवर्धन करने तथा अप्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग में कमी लाने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है।" 7. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों के अनुसार किया है जिन मूल्यों पर उनकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, हमारे विचार से इंड एएस 109 के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि यथोचित प्रकटीकरण प्रस्तुत किए गए थे। 8. इसके अलावा, एनसीआरटीसी द्वारा उपर्युक्त उपचार का अनुसरण निरंतर किया जा रहा है। इस व्यवहार का अनुसरण अन्य मेट्रो कम्पनियां भी निरंतर कर रही हैं। 9. तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुति की जाती है कि एनसीआरटीसी द्वारा विद्यमान प्रकटीकरणों की समीक्षा की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय विवरणों में यथोचित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे। 10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अतिरिक्त अनंतिम टिप्पणी के प्रत्युत्तर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए आश्वासन के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा	विनय कुमार सिंह
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07916304	डीआईएनः 06497700

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः **18.09.2023**

आकर्षक रूप से डिजाइन किए गए आरआरटीएस स्टेशन परिचालन के लिए तैयार

दुहाई स्थित आरआरटीएस डिपो निर्धारित समय से पूर्व हुआ परिचालित

यमुना पर निर्माणाधीन आरआरटीएस वायाडक्ट का निर्माण पूर्ण होने के करीब

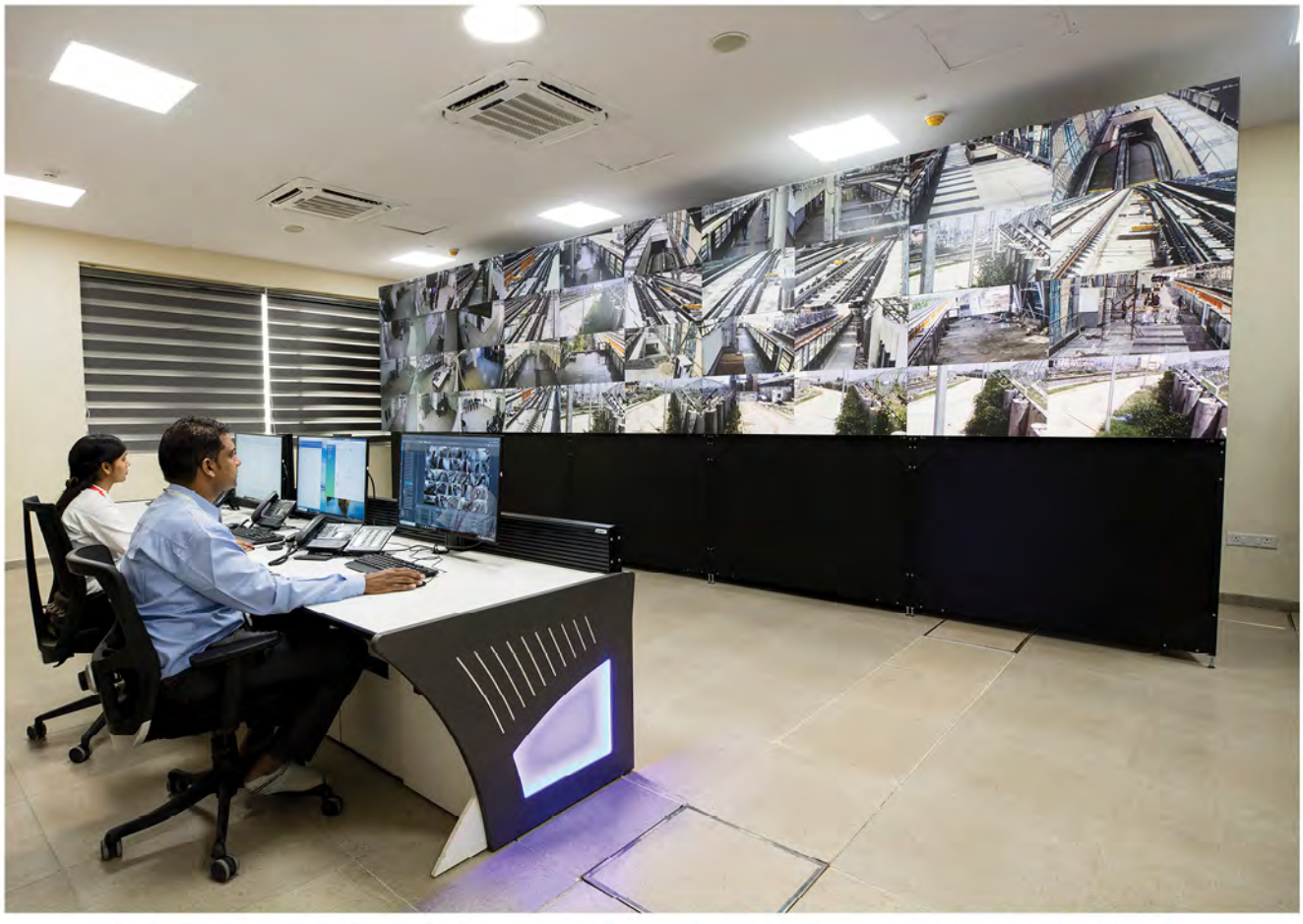

दुहाई स्थित आरआरटीएस डिपो पर सिक्यूरिटी रूम का काम पूरा सभी सिस्टम हुए परिचालित

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
नई दिल्ली

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की रिपोर्ट

मत

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ('समूह') के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के तुलन पत्र, लाभ और हानि के विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), नकदी प्रवाह विवरण तथा इक्विटी परिवर्तन विवरण और इस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य विवरणात्मक सूचना सहित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के नोट शामिल हैं।

हमारे मत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के आधार पर ऊपर उल्लिखित समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण, यथासंशोधित कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 ("इंड एएस") के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत भारतीय लेखांकन मानकों एवं भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2023 को समाप्त तिथि के अनुसार, समूह कम्पनी के क्रियाकलापों एवं लाभ एवं हानि (अन्य विस्तृत आय सहित), इक्विटी परिवर्तन एवं समेकित नकदी प्रवाह के विवरण उस सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति करते हैं, जिसकी अपेक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") में की गई है।

मत का आधार

हमने कम्पनी अधिनियम की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों ("एसए") के अनुसरण में लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत, हमारे उत्तरदायित्वों का विस्तृत वर्णन हमारी रिपोर्ट में समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण के खंड में वर्णित लेखापरीक्षक के दायित्व में किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों तथा उनके अंतर्गत निर्मित नियमों के अंतर्गत, हमारे द्वारा की गयी समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा, हमारी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध आचार संहिता अपेक्षाओं के साथ ही साथ इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी आचार संहिता के अनुरूप है, जिसके अंतर्गत हम समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन अपेक्षाओं तथा इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") की आचार संहिता के उत्तरदायित्वों का पालन किया है। हमारा यह मानना है कि हमारे द्वारा एकत्र किए गए लेखापरीक्षा प्रमाण वित्तीय विवरणों के संबंध में हमारे मत की प्रस्तुति के आधार के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों एवं उनसे संबंधित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

धारक कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के प्रति उत्तरदायी है। अन्य सूचना में निदेशक मंडल की रिपोर्ट एवं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित निदेशक मंडल की रिपोर्ट में शामिल की गई सूचनाएं आती हैं परन्तु इनमें समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण एवं उनसे संबंधित हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट शामिल नहीं है जो लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि के पश्चात हमें उपलब्ध करवाई जानी संभावित है।

हमारे मतानुसार, इंड एएस वित्तीय विवरणों के अंतर्गत अन्य सूचना नहीं आती है तथा उनके संबंध में हम निष्कर्ष रूपी आश्वासन की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं।

समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से जुड़ा हमारा दायित्व ऊपर विचार में ली गई अन्य सूचना को पढ़ने, जब कभी हमें उपलब्ध हो, तथा ऐसा करते हुए, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों अथवा लेखापरीक्षा की प्रक्रिया के दौरान, हमें प्राप्त जानकारियों अथवा अन्यथा रूप में वस्तुगत स्वरूप में गलतबयानी की प्रतीति होने, अन्य सूचना से उसकी तारतम्यता होने अथवा न होने पर विचार करना है।

यदि हमारे द्वारा निष्पादित कार्य के आधार पर अन्य सूचना में, हमारे निष्कर्ष के अनुसार कोई वस्तुगत गलतबयानी प्रतीत होता है तो हम से उसके तथ्य को रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा की गई है। इसके संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारक कंपनी का निदेशक मंडल, अधिनियम की धारा 134(5) में निर्दिष्ट मामलों के निर्माण के संबंध में इंड एएस (भारतीय लेखांकन मानक) एवं भारत में सामान्यतरू स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समूह की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन, इक्विटी परिवर्तन एवं नकदी प्रवाहों की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में समूह की परिसम्पतियों की सुरक्षा तथा जालसाजियों एवं अन्य अनियमितताओं से उनके बचाव के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों का रखरखाव करनेय उचित लेखांकन नीति का चयन एवं उपयोग करनेय औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत निर्णय निर्धारण करने एवं अनुमान लगानेय तथा सत्य एवं स्वच्छ प्रस्तुत करने वाले एवं प्रत्येक प्रकार वस्तुगत मिथ्या विवरण, जालसाजी अथवा चूक के कारण, से मुक्त वित्तीय विवरणों का निर्माण करने एवं प्रस्तुत करने के सुनिश्चय के उद्देश्य से डिजाइन करने, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के लिए प्रभावी प्रक्रिया कर रहे हैं, का कार्यान्वयन एवं सुनिश्चय, जिनका उपयोग उपर्युक्तानुसार धारक कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से किया गया है, करने के उत्तरदायित्व भी शामिल हैं।

यदि प्रबंधन की मंशा अपनी सम्बद्ध इकाईयों का ऋणशोधन करने अथवा अपने परिचालन बन्द करने की नहीं है अथवा ऐसा करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तो धारक कम्पनी का प्रबंधन समूह की गोइंग कंसर्न के आधार पर क्षमता का मूल्यांकन करने, गोइंग कंसर्न के संबंध में यथा लागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन के आधार के लिए गोइंग कंसर्न से संबंधित मामलों एवं उनका उपयोग करने के प्रति उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कम्पनी एवं इसकी सम्बद्ध कम्पनियों की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के प्रति भी उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के संबंध में लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य, समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को पूर्ण रूप से सामग्रीगत दुर्विवरण, जो जालसाजी के कारण हों अथवा किसी चूक के कारण हों, से मुक्त रखे जाने का युक्तिसंगत आश्वासन प्राप्त करके,

अपने मत के समावेश के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना है। युक्तिसंगत आश्वासन को आश्वासन का उच्चतर स्तर कहा जा सकता है परन्तु इसमें की गई लेखापरीक्षा के संबंध में यह गारंटी नहीं होती है कि एसए प्रक्रिया के अंतर्गत की जाने वाले लेखापरीक्षा से सामग्रीगत दुर्विवरण, यदि कोई हो, को निश्चित रूप से ज्ञात किया जा सकेगा। सामग्रीगत दुर्विवरण जालसाजी अथवा चूक के कारण हो सकता है अथवा इसे सामग्रीगत तभी माना जा सकता है, जब इनसे अलग–अलग अथवा समस्त रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ता द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों पर किसी प्रकार का औचित्यपरक प्रभाव होने की संभावना हो।

एसए के अंतर्गत की जाने वाली लेखापरीक्षा के अंतर्गत हमें लेखापरीक्षा की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान संशयात्मक दृष्टिकोण से युक्त व्यावसायिक निर्धारण करने होते हैं, जिनमें निम्नलिखित भी शामिल हैं:–

- इंड एएस समेकित वित्तीय विवरणों में वस्तुगत गलतबयानी के जोखिमों, जो चाहे जालसाजी अथवा चूक के कारण हों, का संज्ञान करना तथा मूल्यांकन करते हुए ऐसे जोखिमों के प्रति प्रतिक्रियात्मक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के स्वरूप का निर्माण करके, अपने मत के आधार के लिए, ऐसे लेखापरीक्षा प्रमाण की प्राप्ति करना, जो पर्याप्त एवं औचित्यपरक हों। किसी जालसाजी के कारण वस्तुगत गलतबयानी का संज्ञान न होने के जोखिम के परिणाम किसी चूक से उत्पन्न होने वाले जोखिमों से कहीं अधिक होते हैं क्योंकि जालसाजियां किसी प्रकार की साठ गांठ, धोखाधड़ी, जानबूझ कर की गई क्रियाएं, मिथ्याकथन अथवा आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना किए जाने के कारण हो सकती हैं।
- परिस्थितियों के अनुकूल लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के निर्माण के लिए लेखापरीक्षा से सम्बद्ध वित्तीय नियंत्रण को संज्ञान में लेना। अधिनियम की धारा 143(3)(1) के अंतर्गत हम इस मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति भी उत्तरदायी हैं कि क्या कम्पनी द्वारा पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है अथवा नहीं की गई है तथा क्या ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता है अथवा नहीं है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की पर्याप्तता एवं प्रबंधन द्वारा लगाए गए लेखा अनुमानों के औचित्य तथा सम्बद्ध प्रकटनों का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए उपयोग में लाए गए गोइंग कंसर्न के आधार तथा प्राप्त लेखापरीक्षा परिणामों के आधार की उपयुक्तता के संबंध में यह निश्चय करना कि क्या ऐसी स्थितियां अथवा परिस्थितियां हैं, जिनसे यह तथ्यपरक अनिश्चितता होती हो तथा जिनसे कम्पनी की गोइंग कंसर्न की क्षमता पर किसी प्रकार का प्रभाव होने की आशंका हुई हो। यदि ऐसी किसी प्रकार की तथ्यपरक अनिश्चितता को शामिल किया जाता है तो हम से अपनी लेखापरीक्षा से सम्बद्ध इंड एएस वित्तीय विवरणों के संबंध में किए गए प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करवाए जाने अथवा ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त होने की स्थिति में अपना मत संशोधित करने की अपेक्षा की गई है। हमारे निष्कर्ष हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित तिथि के दौरान प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा प्रमाणों पर आधारित है। तथापि, भावी स्थितियों अथवा परिस्थितियों के परिणाम कम्पनी की प्रक्रियाओं को गोइंग कंसर्न के रूप में जारी न रखे जाने का कारण बन सकते हैं।
- प्रकटीकरणों सहित वित्तीय विवरणों की पूर्ण प्रस्तुति, संरचना एवं सार संक्षेप का मूल्यांकन करना तथा यह ज्ञात करना कि क्या समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों में लेन देन संव्यवहार एवं स्थिति का विवरण उचित स्वरूप में दिया गया है अथवा नहीं दिया गया है।

हम अन्य मामलों के साथ–साथ शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को योजनाबद्ध कार्यक्षेत्र तथा लेखापरीक्षा की समय–सारणी एवं लेखापरीक्षा के निष्कर्षों और साथ ही हमारे द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आई आंतरिक नियंत्रण से जुड़ी खामियों के संबंध में जानकारी प्रदान करते हैं।

हम, शासन व्यवस्था (गवर्नेंस) की देखरेख करने वाले पदाधिकारियों को स्वतंत्रता से सम्बद्ध आचार अपेक्षाओं तथा हमारी लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता एवं उससे जुड़े सुरक्षा उपायों, जहां लागू हों, के प्रभाव के लिए प्रत्येक प्रकार की औचित्यपरक संबद्धता एवं अन्य मामलों की सम्बद्धता सूचित करने के लिए हमने हमारे द्वारा समेकित किया गया विवरण भी दिया है।

अन्य विधिक एवं विनियामक अपेक्षाओं की रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

   हमने वे सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं, जिनकी आवश्यकता हमें हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन से थी।

क. हमारे मतानुसार, समूह द्वारा विधिक अपेक्षाओं के अनुसार लेखा बहियों का उचित रखरखाव किया गया है, जो कि हमें इन बहियों के संबंध में हमारी जांच से प्रतीत हुआ है।

ख. इस रिपोर्ट में वर्णित अन्य व्यापक आय, इक्विटी परिवर्तन विवरण एवं नकदी प्रवाह विवरण सहित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि विवरण लेखा बहियों से मेल खाते हैं।

ग. हमारे मतानुसार, उपरोक्त समेकित वित्तीय विवरण कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखाकन मानकों के अनुरूप हैं।

घ. यह समूह एक सरकारी कम्पनी है जिसके कारण कम्पनी अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

ङ. समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की प्रचालनात्मक प्रभाव्यता "अनुलग्नक–क" में प्रस्तुत हमारी पृथक रिपोर्ट में दी गई है।

च. कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी राय और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम निम्नानुसार रिपोर्ट करते हैं कि:–

- लंबित मुकदमों का समूह की वित्तीय स्थिति पर होने वाले प्रभाव का प्रकटीकरण (संदर्भ नोट संख्या 36.2) में किया गया है।
- समूह के डेरियेटिव अनुबंधों सहित ऐसे कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है, जिनसे भविष्य में किसी प्रकार की महत्वपूर्ण पूर्वानुमानित हानि होने की संभावना हो।
- समूह से निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में वर्ष के दौरान किसी राशि का अंतरण किया जाना अपेक्षित नहीं है।

- प्रबंधन ने यह प्रस्तुति दी है कि लेखांकन नोट में किए गए प्रकटीकरण के अलावा उनकी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार,

i. समूह द्वारा किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई (मध्यवर्ती संस्थाएं) को ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि मध्यवर्ती संस्था द्वारा कम्पनी ("परम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) जारी नहीं की गई हैंय

ii. समूह ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई ("निधियन पार्टी") से ऐसे किसी निर्धारण, जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो, के साथ कि समूह द्वारा किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी ("परम लाभग्राहियों") की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से किसी प्रकार के अग्रिम अथवा ऋण अथवा निवेश के लिए किसी प्रकार की निधियां (जो वैयक्तिक अथवा सकल रूप में वस्तुगत हों) प्राप्त नहीं की हैंय

iii. परिस्थितियों के अनुसार औचित्यपरक एवं यथोचित मानी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के उपयोग के आधार पर हमारी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं आया है जो हमारी ऐसी किसी मान्यता का कारक बने कि ऊपर (i) एवं (ii) में दिए गए अनुसार नियम 11(ङ) के उप–वाक्य (i) एवं (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुतियों में किसी प्रकार की कोई गलतबयानी की गई है।

- चालू वित्तीय वर्ष के दौरान समूह ने किसी प्रकार के लाभांश की घोषणा अथवा भुगतान नहीं किया है।

(छ) कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 3(1) का परंतुक कम्पनी के संबंध में 1 अप्रैल, 2023 से लागू होने के कारण कम्पनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली के नियम 11(छ) के अंतर्गत रिपोर्टिंग अपेक्षित नहीं है।

(ज) कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 5.6. 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) के अनुसार कम्पनी अधिनियम,2013 की धारा 197 सरकारी कम्पनियों के लिए लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क्र.सं.	निर्देश	लेखापरीक्षक का प्रेक्षण
(1)	क्या समूह मे सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था के माध्यम से सभी लेन–देन व्यवहारों की प्रक्रिया किए जाने की व्यवस्था की गई है? यदि हां, तो सूचना प्रौद्योगिकी व्यवस्था से अलग किए जाने वाले लेखांकन व्यवहारों से लेखों की सत्यता पर होने वाले उलझाव तथा वित्तीय उलझाव, यदि कोई हों, का विवरण प्रस्तुत करें।	समूह में सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से किए जाने की व्यवस्था स्थापित है। सभी लेखांकन संव्यवहार सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से किए जाते हैं तथा लेखों की सत्यता के संबंध में किसी प्रकार का वित्तीय उलझाव नहीं है।
(2)	क्या समूह ने ऋण की अदायगी न किए जाने की असमर्थता के कारण समूह के किसी ऋणदाता द्वारा समूह को किसी विद्यमान ऋण अथवा किसी कर्ज/ऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा किए जाने का कोई मामला है? यदि हां, तो उससे हुए वित्तीय प्रभाव का विवरण प्रस्तुत करें। क्या ऐसे मामलों का उचित रूप से लेखांकन किया जाता है अथवा नहीं किया जाता है? (यदि ऋणदाता कोई सरकारी कम्पनी है तो ये निदेश ऋणदाता कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के लिए भी लागू हैं)	समूह के संबंध में किसी कर्जऋण/ब्याज इत्यादि के लिए छूट/बट्टा से संबंधित कोई मामला नहीं है।
(3)	क्या केन्द्र/राज्य सरकार अथवा उनकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त/प्राप्य (अनुदान/राजसहायता इत्यादि) निधियों का उचित लेखांकन/उपयोग सम्बद्ध नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है। व्युत्क्रम के मामलों की सूची प्रस्तुत करें।	जी, हां। ऐसे सभी संव्यवहारों का उचित स्वरूप में लेखांकन एवं नियम एवं शर्तों के अनुसार इनका उपयोग किया जाता है।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्लीः 30 जून, 2023

कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की समतिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उप धारा 3 के खंड (1) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रिपोर्ट

हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के संबंध में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार, वर्ष में समाप्त उक्त तिथि के समेकित इंड एस वित्तीय विवरणों के संयोजन में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रति प्रबंधन के उत्तरदायित्व

धारक कम्पनी का निदेशक मंडल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की लेखापरीक्षा के दिशानिर्देश नोट के अनुसार, इसमें उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की स्थापना तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। इन उत्तरदयित्वों में कम्पनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा, जालसाजी और चूकों को संज्ञान में लेने, लेखांकन रिकार्डों की सटीकता एवं पूर्णता के साथ साथ कंपनी अधिनियम, 2013 के अतर्गत की गई अपेक्षाओं के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर निर्माण करने सहित अपने व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल रूप में संचलन करने के सुनिश्चय के लिए प्रचालनात्मक प्रभाव्यता से युक्त, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता का निर्माण करने, कार्यान्वयन करने एवं अनुरक्षण करने के दायित्व शामिल हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदयित्व

हमारा उत्तरदायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर, समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के संबंध में अपना मत व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के दिशानिर्देश टिप्पणी तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) में विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों तथा दिशानिर्देश टिप्पणी में हमसे नैतिक अपेक्षाओं का अनुसरण करते हुए, इस युक्तिसंगत आश्वासन की प्राप्ति के उद्देश्य से यह ज्ञात करने के लिए लेखापरीक्षा की जानी अनिवार्य की गई है कि क्या वित्तीय रिर्पोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित किए गए हैं तथा इनका अनुरक्षण किया जा रहा है तथा क्या प्रत्येक वस्तुगत विषयों के लिए ऐसे नियत्रण कारगर रूप से प्रचालन कर रहे हैं।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की पर्याप्तता और उनके प्रचालन की सटीकता एवं उनकी प्रचालनात्मक प्रभाव्यता के संबंध में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की निष्पादन प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा, सामग्रीगत दोष के रूप में विद्यमान जोखिम के मूल्यांकन तथा मूल्यांकित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के अभिकल्प और प्रचालन कुशलता का परीक्षण और मूल्यांकन किया जाना शामिल है। वित्तीय विवरणो के सामग्रीगत दुर्विवरण, जो जालसाजी के कारण हो अथवा किसी त्रुटि के कारण, के मूल्यांकन सहित प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षकों के विवेक पर निर्भर है।

हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर समूह की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारे लेखापरीक्षा मत की प्रस्तुति के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर्याप्त एवं उपयुक्त आधार हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो का अभिप्राय

वित्तीय रिपोर्टिंग पर किसी कपनी के आतरिक वित्तीय नियंत्रण की प्रक्रिया वित्तीय रिपोर्टिंग एवं सामान्य स्वीकृत लेखाकन सिद्धातों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों से वित्तीय विवरणों को तैयार करने की विश्वसनीयता के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध कराने की विशेष निर्मित प्रकिया है। कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मे वे नीतियां और प्रक्रियाएं शमिल हैं, जो (1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित होती हैं जो उचित, विस्तृत एवं सटीक होते हैं तथा परिसम्पतियों के व्यवहार और निपटान को यथोचित रूप से प्रदर्शित करती हैं जिससे रिकार्डों के अनुरक्षण, युक्तिसंगत ब्यौरे, सटीकता तथा स्पष्टता के साथ समूह की परिसंपत्तियों के संव्यवहारों और निपटान प्रदर्शित होता हो। (2) जिससे यह युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध होता हो कि सामान्य रुप से स्वीकृत लेखांकन नीति के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए यथा आवश्यक रुप से संव्यवहारों को रिकार्ड किया गया है और समूह की प्राप्तियों और व्यय के संव्यवहार केवल समूह के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार से किए गए हैंय (3)जिससे समूह की परिसंपत्ति के अनाधिकृत आधिग्रहण, प्रयोग अथवा निपटान के निवारण और समय पर संसूचन के संबंध मे युक्तिसंगत आश्वासन उपलब्ध प्राप्त होते हों तथा जो समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों को वास्तविक रुप से प्रभावित कर सकते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणो की अंतर्निहित परिसीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित परिसीमाओं में आंतरिक वित्तीय नियत्रणों की दुरभिसंधि अथवा अनुचित प्रबंधन करते हुए नियंत्रणों के अधिरोहण, चूक और जालसाजी के कारण वस्तुगत गलत बयानी, संभावनाएं शामिल हैं, जिनका सज्ञान नहीं भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियत्रणो के किसी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के मद्देनजर है कि आतरिक रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों मे परिवर्तन के कारण अनुपयुक्त हो सकता है अथवा नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर खराब हो सकता है।

मत

हमारे मतानुसार, हमारी जानकारी एवं हमें दिए गएहमारे मतानुसार, समूह ने प्रत्येक वस्तुगत स्वरूप में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों को विचार में लेकर वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय प्रणाली की स्थापना की है तथा ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

अनुपालन प्रमाणपत्र

हमने **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड** के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक निदेशों/उप–निदेशों का अनुसरण करते हुए की है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन हमने किया है।

कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट
फर्म पंजीकरण संख्या 015546सी

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली: 30 जून, 2023

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण			टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
I.	**परिसम्पतियां**				
1	**गैर–चालू परिसम्पतियां**				
	(क)	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण	3	13,18,39.84	7,98,68.64
	(ख)	उपयोग अधिकार परिसम्पतियां		1,28.68	1,82.97
	(ग)	पूंजी कार्य प्रगति पर		1,32,38,10.41	62,09,55.75
	(घ)	अमूर्त परिसम्पतियां		1,07,27.05	20,11.77
	(ङ)	विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	6.2	6,43.19	65.02
	(च)	वित्तीय परिसम्पतियां			
		(i) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7	19,71.91	24,35.40
	(छ)	आस्थगित कर परिसम्पतियां (निवल)	8	-	-
	(ज)	अन्य गैर–चालू परिसम्पतियां	9	10,23,52.17	13,58,86.04
				1,57,14,73.25	84,14,05.59
2	**चालू परिसम्पतियां**				
	(क)	वित्तीय परिसम्पतियां			
		(i) व्यापार प्राप्य	10.1	-	-
		(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	1,35,11.70	9,35,48.62
		(iii) उपर्युक्त (पप) के अलावा बैंक शेष	10.3	19,71,49.99	17,36,42.92
		(iv) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	10.4	95,71.60	26,59.46
	(ग)	चालू कर परिसम्पतियां (निवल)	11	15,52.96	17,13.57
	(ग)	अन्य चालू परिसम्पतियां	12	2,51.88	2,84.27
				22,20,38.13	27,18,48.84
योग परिसम्पतियां				**1,79,35,11.38**	**1,11,32,54.43**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन:07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त स्थिति के अनुसार समेकित तुलन पत्र

(₹ लाख में)

विवरण			टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
II.	**इक्विटी एवं देयताएं**				
1	**इक्विटी**				
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	13	1,00,00.00	1,00,00.00
	(ख)	अन्य इक्विटी	14	21,60,33.13	17,29,46.63
				22,60,33.13	18,29,46.63
2	**देयताएं**				
(i)	**गैर–चालू देयताएं**				
	(क)	वित्तीय देयताएं			
		(i) ऋण	15	1,17,39,84.21	71,69,55.77
		(ii) पट्टा देयताएं	16.1	-	8.23
		(iii) अन्य वित्तीय देयताएं	16.2	74.78	48.55
	(ख)	आस्थगित कर देयता (निवल)	8	37,93.68	10,24.36
	(ग)	प्रावधान	17	23,00.37	14,97.88
	(घ)	अन्य गैर–चालू देयताएं	18	2,52,50.00	2,34,50.00
				1,20,54,03.04	74,29,84.79
(ii)	**चालू देयताएं**				
	वित्तीय देयताएं				
	(क)	(i) पट्टा देयताएं	19.1	8.23	7.96
		(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	19.2	5,16,48.08	2,38,38.12
		(iii) व्यापार देय	20	-	-
	(ख)	अन्य चालू देयताएं	21	31,01,83.36	16,33,31.37
	(ग)	अल्पकालिक प्रावधान	22	2,35.54	1,45.56
	(घ)	चालू कर देयता (निवल)		-	-
				36,20,75.21	18,73,23.01
योग इक्विटी एवं देयताएं				**1,79,35,11.38**	**1,11,32,54.43**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार	2
लेखांकन नोट	3 से 51

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता महेरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन:07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित लाभ एवं हानि विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	परिचालनों से राजस्व		-	-
II	अन्य आय	**23**	1,39,57.20	8,951.47
III	**कुल आय (I+II)**		**1,39,57.20**	**8,951.47**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	**24**	10,73.37	7,05.50
	वित्त लागतें	**25**	-	3.97
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	**26**	4,71.38	5,40.97
	अन्य व्यय	**27**	15,82.73	15,11.25
IV	**योग व्यय (IV)**		**31,27.48**	**27,61.69**
V	**अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**1,08,29.72**	**61,89.78**
VI	अपरिहार्य मदें		-	-
VII	कर पूर्व लाभ (V - VI)		**1,08,29.72**	**61,89.78**
VIII	कर व्ययः	**28**		
	(1) चालू कर			
	– अवधि के लिए		-	**2,71.15**
	– पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		37.38	(95.05)
	(2) आस्थगित कर (निवल)			
	– अवधि के लिए		26,95.91	13,09.02
	– पूर्व वर्षों के लिए (निवल)		96.19	-
IX	**जारी परिचालनों से अवधि के दौरान लाभ / (हानि) (VII-VIII)**		**80,00.24**	**47,04.66**
X	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद परिचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद परिचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)		-	-
XIII	**अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**80,00.24**	**47,04.66**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		(43.06)	(3.68)
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		22.78	0.93
	ख. (i) मदें जिनका पुनवर्गीकरण लाभ अथवा हानि में नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) लाभ अथवा हानि में पुनवर्गीकरण न की जाने मदों से संबंधित आयकर		-	-
XV	अवधि के दौरान कुल व्यापक आय (XIII+XIV) ख्अवधि के दौरान लाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय युक्त,		**79,79.96**	**47,01.91**

(₹ लाख में)

विवरण		नोट संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
XVI	प्रति इक्विटी शेयर आय रू	**29**		
	(जारी परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपए में)	**29.1**	80.00	47.05
	(2) डायल्युटिड (रुपए में)	**29.2**	80.00	47.05
XVII	प्रति इक्विटी शेयर आय रू			
	(बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपए में)		-	-
	(2) डायल्युटिड (रुपए में)		-	-
XVII	प्रति इक्विटी शेयर आय रू			
	(जारी एवं बंद परिचालनों से)			
	(1) मूल (रुपए में)	**29.1**	80.00	47.05
	(2) डायल्युटिड (रुपए में)	**29.2**	80.00	47.05

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन:07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
अपरिहार्य मदों एवं कर पूर्व लाभ		1,08,29.72	61,89.78
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
मूल्यह्रास		4,71.38	5,40.97
पट्टा देयता पर ब्याज		-	**3.97**
स्थिर परिसम्पतियों की बिक्री से हानि		0.66	-
वित्तीय परिसम्पतियों से ब्याज आय		(95.68)	(55.94)
ब्याज आय		(1,24,75.27)	(84,59.35)
अनुदान का परिशोधन		(2,77.19)	-
बट्टा की गई परिसम्पतियां		0.07	2.02
विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्नता		1.07	2.79
परिचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ	**(1)**	**(15,45.24)**	**(17,75.76)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
अन्य चालू परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		32.39	(71.15)
अन्य चालू वित्तीय परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		(33,86.89)	(5,83.79)
अन्य गैर–चालू वित्तीय परिसम्पतियों में घटत/(बढ़त)		5,59.17	(3,93.16)
अन्य वित्तीय देयताओं में (घटत)/बढ़त		2,24,86.47	(40,22.30)
अन्य चालू देयता में (घटत)/बढ़त		12,70.00	31,36.41
दीर्घकालिक प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		7,59.43	5,77.25
अल्पकालिक प्रावधानों में (घटत)/बढ़त		89.98	77.76
	(2)	2,18,10.55	(12,78.98)
नकदी उत्पति वाले परिचालन		**2,02,65.31**	**(30,54.74)**
चुकता आयकर (धनवापसियों का निवल)		1,23.23	(13,47.99)
परिचालन गतिविधियों से कुल नकदी उत्पति		**2,03,88.54**	**(44,02.73)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
संपति,संयंत्र एवं उपकरण का क्रय, सीडब्ल्यूआईपी, अन्य अमूर्त परिसम्पतियां एवं विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (बिक्री लाभ का निवल)		(70,95,93.41)	(40,45,33.84)
प्राप्त ब्याज		89,04.46	86,36.20
पूंजी अग्रिम		3,35,79.43	(5,96,48.62)
अन्य बैंक शेष में परिवर्तन		(2,35,07.07)	(4,44,33.34)
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल नकदी		**(69,06,16.59)**	**(49,99,79.60)**
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
प्राप्त अनुदान से लाभ		**3,53,83.73**	**2,81,42.56**
निम्नलिखित से प्राप्त अग्रिम –			
– भारत सरकार (आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय) से पास थ्रू सहायता के प्रति		14,55,81.99	11,39,81.58
– हरियाणा सरकार		18,00.00	82,00.00

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ऋणों से लाभः–		
– भारत सरकार, रा.रा.क्षे.दि.सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार से अधीनस्थ नामे	14,11,00.00	12,25,00.00
– एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	10,91,14.19	21,33,99.21
– न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	5,02,62.35	2,63,78.55
– एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से व्यवस्था किया गया भारत सरकार से प्राप्त ऋण	12,22,32.47	-
सुरक्षा जमा	26.23	48.55
पट्टा भुगतान	(7.96)	(1,49.79)
पट्टा देयता पर चुकता ब्याज	(1.21)	(12.45)
ऋण पर चुकता ब्याज एवं प्रतिबद्धता प्रभार	(1,53,00.66)	(18,34.78)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकदी उत्पति	**59,01,91.13**	**51,06,53.43**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में निवल बढ़त/(घटत) (क+ख+ग)	**(8,00,36.92)**	**62,71.10**
प्रारंभ नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,35,48.62	8,72,77.52
समापन नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,35,11.70**	**9,35,48.62**
नकदी एवं नकदी समतुल्य में शामिल		
बैंकों में शेषः		
–चालू खाते एवं फ्लैक्सी जमा खाते में	1,35,07.99	5,40,40.98
–इम्प्रैस्ट खाते में	3.71	5.64
3 माह अथवा कम अवधि की परिपक्वता वाले सावधी जमा	-	3,95,02.00
तुलन पत्र के अनुसार नकदी एवं नकदी समतुल्य	**1,35,11.70**	**9,35,48.62**

31.3.2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	पट्टा देयता	कुल
संदर्भ नोट	14.2	18 & 21	15	19.2	16 & 19.1	
प्रारंभ शेष (क)	**16,10,82.80**	**18,17,24.78**	**71,69,55.77**	**3,26.36**	**16.19**	**1,06,01,05.90**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	-	-	-	(1,53,00.66)	(9.17)	(1,53,09.83)
वर्ष के दौरान प्राप्त	3,53,83.73	14,73,81.99	42,27,09.01	-	-	60,54,74.73
योग (ख)	**3,53,83.73**	**14,73,81.99**	**42,27,09.01**	**(1,53,00.66)**	**(9.17)**	**59,01,64.90**
गैर नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	-	-	3,43,19.44	-	-	3,43,19.44
वसूली योग्य	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	-	-	-	2,06,23.08	1.21	2,06,24.29
अनुदान परिशोधन	(2,77.19)	-	-	-	-	(2,77.19)
योग (ग)	**(2,77.19)**	**-**	**3,43,19.44**	**2,06,23.08**	**1.21**	**5,46,66.54**
अंत शेष (क+ख+ग)	**19,61,89.34**	**32,91,06.77**	**1,17,39,84.22**	**56,48.78**	**8.23**	**1,70,49,37.34**

31.3.2022 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न देयताओं का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	आस्थगित आय	अग्रिम	ऋण	वित्त लागत	पट्टा देयता	कुल
संदर्भ नोट	14.2	18 & 21	15	19.2	16 & 19.1	
प्रारंभ शेष (क)	**13,18,65.00**	**5,95,43.20**	**34,92,87.11**	**1,39.67**	**1,65.98**	**54,10,00.96**
नकदी प्रवाह से उत्पन्न परिवर्तन						
वर्ष के दौरान चुकता	-	-	-	(18,34.78)	(1,62.24)	(19,97.02)
वर्ष के दौरान प्राप्त	2,81,42.55	12,21,81.58	36,22,77.76	-	-	51,26,01.89
योग (ख)	**2,81,42.55**	**12,21,81.58**	**36,22,77.76**	**(18,34.78)**	**(1,62.24)**	**51,06,04.87**
गैर नकदी परिवर्तन						
विदेशी मुद्रा भिन्नता	-	-	53,90.90	-	-	53,90.90
वसूली योग्य	10,75.25	-	-	-	-	10,75.25
वर्ष के दौरान उपार्जित वित्त लागत	-	-	-	20,21.47	12.45	20,33.92
योग (ग)	**10,75.25**	**-**	**53,90.90**	**20,21.47**	**12.45**	**85,00.07**
अंत शेष (क+ख+ग)	**16,10,82.80**	**18,17,24.78**	**71,69,55.77**	**3,26.36**	**16.19**	**1,06,01,05.90**

स्पष्टीकरण नोटः –

(i) समेकित नकदी प्रवाह विवरण का निर्माण इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया द्वारा नकदी प्रवाह विवरण के संबंध में जारी इंड एएस–7 में निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार किया गया है।

चालू वर्ष के साथ तुलना के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनःवर्गीकरण/पुनःसमूहन किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता महेरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी परिवर्तन विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2023 की स्थिति (₹ लाख में)

विषय	1 अप्रैल, 2022 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनरूउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	1,00,00.00	-	-	-	1,00,00.00

31 मार्च, 2022 की स्थिति (₹ लाख में)

विषय	1 अप्रैल, 2021 को शेष	पूर्वावधि चूकों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के प्रारंभ में पुनरूउल्लिखित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	100	-	-	-	100
राशि	1,00,00.00	-	-	-	1,00,00.00

ख. अन्य इक्विटी

31 मार्च, 2023 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			
	सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	कुल
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष	-	**16,10,82.80**	**1,18,66.87**	**17,29,49.67**
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	80,00.24	80,00.24
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)	-	-	**(20.28)**	**(20.28)**
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	**16,10,82.80**	**1,98,46.83**	**18,09,29.63**
जोड़ः वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ नोट 14.2.1)		3,51,06.54	-	3,51,06.54
चुकता लाभांश		-	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष	-	**19,61,89.34**	**1,98,46.83**	**21,60,36.17**

2. 31 मार्च, 2022 की स्थिति (₹ लाख में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष			
	सामान्य रिजर्व	आस्थगित आय	धारित आय	कुल
1 अप्रैल, 2022 की स्थिति के अनुसार शेष		**13,18,65.00**	**71,65.78**	**13,90,30.78**
वर्ष के दौरान लाभ		-	47,03.84	47,03.84
वर्ष के दौरान अन्य व्यापक आय (आयकर का निवल)		-	**(2.75)**	**(2.75)**
वर्ष के दौरान कुल व्यापक आय	-	**13,18,65.00**	**1,18,66.87**	**14,37,31.87**
जोड़ें: वर्ष के दौरान (परिशोधन के पश्चात) प्राप्त राशि (संदर्भ नोट 14.2.1)		2,92,17.80	-	2,92,17.80
चुकता लाभांश		-	-	
31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार शेष	-	**16,10,82.80**	**1,18,66.87**	**17,29,49.67**

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्या: 098796
यूडीआईएन: 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन:07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 06497700

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

समेकित वित्तीय विवरणों के नोट

1. समूह सूचना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, भारत में स्थापित एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी [U60200DL2013GOI256716] है, तथा इसका निगमन भारत में कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसाधारण के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए यथोचित, द्रुतगामी, विश्वसनीय, सुरक्षित, आरामदायक, कुशल एवं संवहनीय यात्रा समाधान प्रदान करने एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आर्थिक विकास को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया था।

समेकित वित्तीय विवरणों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (धारक कम्पनी के नाम से भी संदर्भित) एवं इसकी सहायक कम्पनी (एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड) (सामूहिक रूप से "समूह" के नाम से संदर्भित) के वित्तीय विवरण शामिल हैं।

धारक कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 में स्थित है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश

2.1 निर्माण का आधार – अनुपालन विवरण

धारक कम्पनी के समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण लेखांकन के प्रोद्भवन आधार एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसरण में अधिसूचित कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियमावली, 2015 (यथासंशोधित) एवं लागू अन्य प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखांकन मानकों तथा भारत में सामान्यतरू स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का अनुसरण करके गोइंग कंसर्न के आधार पर किया गया है। इसके अलावा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शी टिप्पणियों/घोषणाओं को भी धारक कम्पनी ने यथालागू अपेक्षा के अनुसार अंगीकार किया है। धारक कम्पनी ने प्रस्तुत अवधियों के संबंध में लेखांकन नीतियों का उपयोग समान रूप से किया है।

धारक कम्पनी के निदेशक मंडल ने दिनांक 30 जून, 2023 को आयोजित अपनी बैठक में इन वित्तीय विवरणों के प्रति अपना अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

2.02 समेकन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण समान प्रकार के संव्यवहारों एवं समान प्रकार की परिस्थितियों में अन्य कार्यों के लिए समान लेखांकन नीति का उपयोग करके किया गया है। यदि समूह का कोई सदस्य समान प्रकार के संव्यवहारों एवं समान प्रकार की परिस्थितयों में अन्य कार्यों के उद्देश्य से समेकित वित्तीय विवरणों के लिए अंगीकार की गई लेखांकन नीतियों से विलग किसी अन्य लेखांकन नीति का उपयोग करता है तो समूह की लेखांकन नीतियों में अनुरूपता का सुनिश्चय करने के लिए समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय समूह के सदस्य के वित्तीय विवरणों में यथोचित समायोजन किए जाते हैं।

समेकन के उद्देश्य से उपयोग में लाए गए सभी इकाईयों के वित्तीय विवरण धारक कम्पनी की रिपोर्टिंग तिथि की समान तिथि यथा 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के अनुसार हैं।

2.02.1 सहायक कम्पनियां

सहायक कम्पनियां वे सभी इकाईयां हैं जिनपर धारक कम्पनी को नियंत्रण प्राप्त है। धारक कम्पनी द्वारा किसी इकाई का नियंत्रण इकाई में उसकी भागीदारी से विभिन्न प्रतिफलों के प्रति एक्सपोज होने, अथवा उसका अधिकार प्राप्त होने तथा ऐसे प्रतिफलों से इकाई की सम्बद्ध क्रियाओं को अपनी शक्ति के माध्यम से प्रभावित करने की क्षमता होने की स्थिति में प्राप्त होता है। समूह में नियंत्रण अंतरित करने की तिथि से सहायक कम्पनियों को पूर्णतः समेकित किया गया है। उनका विनियंत्रण नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से होता है।

समूह में मूल कम्पनी एवं इसकी सहायक कम्पनियों के वित्तीय विवरण परिसम्पतियों, देयताओं, इक्विटी, आय एवं व्यय जैसी मदों को जोड़कर क्रम वार संयुक्त किए जाते हैं। समूह कम्पनियों के मध्य अंतर्कम्पनी संव्यवहार, शेष एवं संव्यवहारों पर अप्राप्त लाभ को हटा दिया जाता है। यदि संव्यवहार में अंतरित परिसम्पति की क्षमता क्षति के प्रमाण नहीं होते हैं तो अतृप्त हानियों को भी हटा दिया जाता है।

जब समूह का सहायक कम्पनी पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, तो सहायक कम्पनी की संपत्ति और देनदारियों, और किसी भी संबंधित गैर नियंत्रणकारी हितों और इक्विटी के अन्य घटकों की स्वीकृति समाप्त हो जाती है। नियंत्रण समाप्त होने की तिथि से पूर्व सहायक कम्पनी में रखे गए किसी भी हित को उचित मूल्य पर मापा जाता है। किसी भी परिणामी लाभ या हानि को लाभ या हानि में स्वीकृत किया जाता है।

2.02.2 सहायक कम्पनियों के लिए समेकित प्रक्रिया

- मूल कम्पनी की परिसम्पतियों, देयताओं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह जैसी मदों को सहायक कम्पनियों की मदों के साथ मिला दिया जाता है।
- प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल कम्पनी के निवेश और प्रत्येक सहायक कम्पनी में मूल कम्पनी के इक्विटी अंशभाग की वहन राशि को ऑफसेट (लुप्त) कर दिया जाता है।
- समूह की कम्पनियों के मध्य इंट्राग्रुप परिसम्पतियों एवं देयताओं, इक्विटी, आय, व्ययों एवं नकदी प्रवाहों से संबंधित संव्यवहार (इंट्राग्रुप संव्यवहारों से उत्पन्न वे लाभ एवं हानियां जिनकी स्वीकृति परिसम्पतियों, जैसे कि मालसूची एवं स्थिर परिसम्पतियां, पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जाती हैं) पूर्ण रूप से समाप्त हो जाते हैं।

- इट्रागुप हानियों से ऐसी क्षमता क्षति के संकेत प्राप्त हो सकते हैं जिसकी समेकित वित्तीय विवरणों में स्वीकृति की जानी अपेक्षित है।
- लाभ अथवा हानि तथा अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के प्रत्येक घटक की सम्बद्धता समूह की मूल कम्पनी के इक्विटी धारकों से है। समूह की लेखांकन नीतियों के साथ अनुरूपता के लिए सहायक कम्पनियों की लेखांकन नीतियों में आवश्यकता पड़ने पर समायोजन किए जाते हैं। समूह के सदस्यों के मध्य प्रत्येक इंट्रागुप परिसम्पतियां एवं देयताएं, इक्विटी, आय, व्यय एवं नकदी प्रवाह से संबंधित सभी संव्यवहार समेकन के लिए लुप्त कर दिए जाते हैं।

2.02.3 मापन का आधार

उचित मूल्य पर मापन की गई कुछ वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के अलावा समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण ऐतिहासिक लागत एवं उपार्जन आधार पर किया गया है तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभों का मापन सम्बद्ध इड–एएस की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है।

2.03 अनुमानों एवं प्रबंधन विवेक का उपयोग

इंड एएस की अपेक्षाओं के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों के निर्माण के उद्देश्य से प्रबंधन को ऐसे न्यायपरक निर्णय, अनुमानों एवं पूर्वानुमानों का उपयोग करना पड़ता है जिनसे लेखांकन नीतियों की उपयोज्यता एवं रिपोर्ट की गई परिसम्पतियों, देयताओं की राशियों, समेकित वित्तीय विवरणों की तिथि को आकस्मिक परिसम्पतियों और देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण तथा आय एवं व्यय की रिपोर्ट की गई राशि प्रभावित हो सकती है। वास्तविक परिणाम लगाए गए अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमानों एवं संबंधित पूर्वानुमानों की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है। अनुमानों में परिवर्तन तथा वास्तविक परिणामों के मध्य भिन्नता के कारण भावी परिणाम भिन्न हो सकते हैं तथा अनुमानों की स्वीकृति उस अवधि के लिए की गई है जिसके लिए परिणाम ज्ञात हुए हैं/व्यवहार में लाए गए हैं।

2.04 प्रत्येक वित्तीय सूचना भारतीय रुपए में प्रस्तुत की गई है तथा यदि कहीं अन्यथा उल्लेख नहीं है तो सभी मूल्यों को निकटतम लाख में राउंड ऑफ किया गया है।

2.05 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की रिपोर्टिंग अप्रत्यक्ष विधि के उपयोग से की गई है जबकि गैर–नकदी प्रकार एवं किन्हीं पूर्व अथवा भावी नकद प्राप्तियों अथवा भुगतानों के स्थगन अथवा उपचय के संव्यवहारों के प्रभाव के लिए कर पूर्व लाभ/(हानि) का समायोजन किया गया है। समूह की प्रचालनों, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से उत्पन्न नकदी प्रवाह को उपलब्ध सूचना के आधार पर पृथक किया गया है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों से नकद एवं नकद समतुल्यों में उपलब्ध नकदी, बैंकों में नकदी शेष, बैंकों में मांग जमा, बैंक ओवरड्राफ्टों का वह निवल जिसका मांग पर पुनर्भुगतान किया जाना है तथा जो समूह की नकदी प्रबंधन प्रणाली का भाग है, शामिल है।

2.06 कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा

समेकित इड एएस वित्तीय विवरणों में शामिल की गई मदों का मापन उस मूलभूत आर्थिक परिवेश की मुद्रा (कार्यात्मक मुद्रा) के उपयोग से किया गया है जिसमें समूह अपने प्रचालन करता है। समेकित इंड एएस वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति भारतीय रुपए (आईएनआर) में की गई है जो समूह की कार्यात्मक एवं उपयोग की मुद्रा है।

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा संव्यवहारों की प्रस्तुति उनके संव्यवहार की तिथि की प्रचलित विनिमय दरों के उपयोग से की गई है। विदेशी मुद्राओं वाली मौद्रिक मदों को रिपोर्टिंग तिथि की प्रचलित विनिमय दरों में परिवर्तित किया जाता है। मौद्रिक मदों के समाधान अथवा अंतरण से उत्पन्न होने वाली विनिमय भिन्नताओं की स्वीकृति लाभ अथवा हानि के रूप में की जाती है जो कि ऐसी विनिमय भिन्नताओं के लिए नहीं की जाती है जो ब्याज लागतों के समायोजन के लिए विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न हुई हों तथा जिन्हें ऋण लागत माना गया हो।

2.07 सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण

(क) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मापन लागत में से संचित मूल्यह्रास एवं क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। परिसम्पति की लागत में निम्नलिखित शामिल है रू

i. रिसम्पतियों के अधिग्रहण से संबद्ध प्रत्यक्ष लागत जिनमें परिसम्पति को स्थल पर लाने तथा आशित उद्देश्य के लिए उसे परिचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक अपेक्षाओं की पूर्ति करने की लागतें शामिल हैं।

ii. मदों को खंडित करने अथवा हटाने तथा यदि स्वीकृति मापदंड पूरे होते हैं तो उसके मूल स्थल पर पुनरूस्थापित करने की अनुमानित लागतों का वर्तमान मूल्य।

(ख) प्रतिस्थापन, प्रमुख जांच, महत्वपूर्ण भागों की मरम्मत की लागत का पूंजीयन स्वीकृति मापदंडों की पूर्ति होने पर किया जाता है।

(ग) सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद की स्वीकृति निपटान किए जाने अथवा परिसम्पतियों के निरंतर उपयोग से किसी पकार के भावी आर्थिक लाभों की संभावना न होने की स्थिति में समाप्त की जाती है। सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी मद का निपटान अथवा परित्याग किए जाने से उत्पन्न लाभ अथवा हानि का निर्धारण बिक्री से प्राप्त होने वाले धन एवं परिसम्पति की वहन राशि के मध्य भिन्नता के अनुसार किया जाता है तथा लाभ अथवा हानि विवरण में इसकी स्वीकृति की जाती है।

मूल्यह्रास

(क) फर्निचर जुड़नार, कार्यालय उपकरण एवं आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई अन्य परिसम्पतियों, जिनका मूल्यह्रास 4 वर्ष की अवधि में किया जाता है, के अलावा सम्पति, संयंत्र

एवं उपकरण का मूल्यह्रास सीधी रेखा विधि (एसएलएम) के उपयोग से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए विनिर्देशन के अनुसार परिसम्पतियों के उपयोज्यता काल में किया जाता है।

(ख) 5,000/– रुपए अथवा कम मूल्य की वैयक्तिक परिसम्पतियों का 100% मूल्यह्रास उनके क्रय के वर्ष में उनके वाणिज्यिक काल को विचार में लेकर तथा पहचान के उद्देश्य से 1 रुपए के टोकन मूल्य को स्वीकृति देकर किया जाता है।

(ग) यदि किसी भाग की लागत किसी मद की कुल लागत से अधिक है तथा ऐसे भाग का उपयोज्यता काल परिसम्पति के शेष उपयोज्यता काल से भिन्न है तो सम्पति,संयंत्र एवं उपकरण के प्रत्येक भाग का मूल्यह्रास अलग अलग किया जाता है।

सम्पति,संयंत्र एवं उपकरण की महत्वपूर्ण मदों के संबंध में परिसम्पतियों का चालू एवं तुलनात्मक अवधि का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नलिखित है:–

परिसम्पतियां	उपयोज्यता काल (वर्ष में)
संयंत्र एवं मशीनरी	15
कम्प्यूटर	3
अस्थाई भवन/संरचना	3
कार्यालय उपकरण	5
फर्नीचर एवं जुड़नार	10
भवन	60
कर्मचारियों के आवासीय कार्यालय में उपलब्ध करवाई गई परिसम्पतियां	4

(घ) पट्टाधारित सुधारों का परिशोधन पट्टा अवधि के दौरान उस माह से किया गया है जिस माह में ऐसे सुधारों का पूंजीयन हुआ है।

(ङ) मूल्यह्रास विधियों, उपयोज्यता काल एवं शेष मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

2.08 अमूर्त परिसम्पतियां

अमूर्त परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक लाभ समूह को प्राप्त होने की संभावना हो तथा परिसम्पति का मापन विश्वसनीयता के साथ किया जा सकता हो। अमूर्त परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण ऐतिहासिक लागत घटा संचित परिशोधन तथा क्षमता हानि, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

अनुसंधान व्यय की स्वीकृति व्यय के रूप में तब की जाती है जब इनका व्यय किया जाता है। विकास गतिविधियों पर व्यय की स्वीकृति अमूर्त परिसम्पति के रूप में तब की जाती है जब यह इंड एएस 38 'अमूर्त परिसम्पतियां' के पात्रता मापदंडों के अनुरूप हो तथा ऐसा न होने पर इसकी स्वीकृति व्यय के रूप में की जाती है।

परिशोधन

अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन सीधी रेखा आधार पर उनके उपयोग के लिए उपलब्ध होने की तिथि से उनके संबंधित अनुमानित उपयोज्यता काल में किया जाता है।

अमूर्त परिसम्पतियों का अनुमानित उपयोज्यता काल निम्नानुसार है:–

क) ऐसे साफ्टवेयर (अधिग्रहित/स्वयं तैयार किया गया), जो हार्डवेयर का अभिन्न भाग नहीं है, का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 3 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया जाता है।

ख) अन्य अमूर्त परिसम्पतियों (अधिग्रहित/स्वयं तैयार की गई) का परिशोधन, उपयोग की विधिक अधिकार की अवधि अथवा 5 वर्ष में, जो भी पहले हो, सीधी रेखा विधि के उपयोग से किया जाता है।

2.09 पूंजी कार्य प्रगति पर

क) ऐसे व्यय जिनकी प्रत्यक्ष पहचान धारक कम्पनी द्वारा निवर्हन की जा रही परियोजना से संबंधित हो सकती है उसे "पूंजी परियोजना व्यय" के अंतर्गत "पूंजी कार्य प्रगति पर" में नामे किया जाता है। कर्मचारी हितलाभ एवं अप्रत्यक्ष व्यय जैसे परियोजना से संबंधित अप्रत्यक्ष व्यय परियोजना में प्रभारित किए गए हैं। अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।

ख) निविदा दस्तावेजों की बिक्री इत्यादि जैसी निर्माण अवधि से संबंधित आय का समायोजन निर्माण के दौरान किए गए व्यय में किया गया है।

2.10 पूंजी अग्रिम

सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के अधिग्रहण के प्रति चुकता किए भुगतान के बकाया का प्रत्येक तुलन पत्र तिथि में वर्गीकरण अन्य गैर–चालू परिसम्पतियों के अंतर्गत पूंजी अग्रिम के रूप में किया गया है।

2.11 भूमि

क) भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत समेकित इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के फ्रेमवर्क की अपेक्षा के अनुसार नियंत्रण के आधार पर भूमि की स्वीकृति परिसम्पति के रूप में की गई है।

ख) विभिन्न सरकारी निकायों एवं विभागों सहित भू–स्वामियों द्वारा सौंपे गए तथा धारक कम्पनी द्वारा कब्जा प्राप्त किए गए भूखंडों का पूंजीयन धारक कम्पनी द्वारा भूमि का कब्जा प्राप्त किए जाने अथवा भुगतान किए जाने, जो भी हो, के समय कर लिया जाता है तथा ऐसा कब्जा प्राप्त किए जाने एवं मूल्य ज्ञात न होने की स्थिति में नहीं किया जाता है।

ग) सरकार से टोकन मूल्य पर प्राप्त भूमि, जिसके स्वामित्व अधिकार धारक कम्पनी के पास हैं, की स्वीकृति इस विचार से टोकन मूल्य पर की जाती है कि भूमि का आबंटन विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया गया है।

घ) संवर्धित प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, को राशि के अनुमान न लगाए जा सकने के कारण तब प्रभारित किया जाएगा जब भुगतान देय होता है।

ङ.) भूमि से संबंधित स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार, अन्य संबंधित शुल्क, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की लागत एवं अन्य सम्बद्ध किए जाने योग्य व्यय भूमि में लागत में जोड़े जाते हैं।

च) कब्जा प्राप्त पट्टाधारित भूमि सहित अस्थाई/अनुवर्ती प्रभाव से भूमि की लागत अथवा प्रतिपूर्ति के लिए किए गए भुगतान, संरचनाओं के अधिग्रहण की लागत, जिसमें से ध्वंस की गई संरचनाओं से प्राप्त बिक्री प्रतिफल को घटाया जाना है, को भूमि अथवा पट्टाधारित भूमि की लागत माना जाता है।

छ) समूह के लिए भूमि की खरीद के "भूमि अधिग्रहण सक्षम प्राधिकारी' (सीएएलए) के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाते में जमा की गई राशि को प्रारंभ में भूमि के लिए अग्रिम माना जाता है। सीएएलए खातों में से भू–स्वामियों को उक्त उद्देश्य से सीधे किए गए भुगतान का समायोजन भूमि की लागत में किया जाता है तथा सीएएलए में बकाया शेष को अग्रिम के रूप में दर्शाया जाता है।

2.12 गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि

परिसम्पतियों की क्षमता हानि से संबंधित इंड एएस 36 के अनुसार कम्पनी की परिसम्पतियों की वहन राशियों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को यह निर्धारण करने के लिए की जाती है कि क्या इनमें किसी प्रकार के क्षमता हानि के संकेत प्रतीत हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। यदि ऐसे कोई संकेत विद्यमान होते हैं तो परिसम्पति की वसूलीयोग्य राशि के अनुमान उचित मूल्य से उच्चतर मूल्य पर बिक्री की लागत एवं उपयोग मूल्य को घटाकर लगाए जाते हैं। लाभ एवं हानि विवरण में किसी क्षमता हानि की स्वीकृति तब की जाती है जब किसी परिसम्पति अथवा इनकी नकद उत्पति यूनिट की वहन राशि इसकी वसूलीयोग्य राशि से अधिक होती है। यदि वसूलीयोग्य हानि के अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तथा ऐसी हानियों का अब कोई आस्तित्व नहीं है अथवा ये कम हो गई हैं तो पूर्व लेखांकन अवधियों में अक्षमता हानि के लिए प्रदान की गई स्वीकृति को रिवर्स कर दिया जाता है। क्षमता हानि में किए गए ऐसे रिवर्सल की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

2.13 (क) राजस्व स्वीकृति

i. राजस्व की स्वीकृति उस सीमा तक की जाती है जब यह संभावना हो कि उससे प्राप्त होने वाले आर्थिक लाभ समूह को मिलेंगे और राजस्व का मापन विश्वसनीयता से किया जा सकेगा। तथापि, राजस्व में पहले से ही शामिल किसी प्राप्ति के संबंध में किसी प्रकार की अनिश्चितता उत्पन्न होती है तो वसूली न किए जाने योग्य राशि, अथवा वह राशि जिसकी वसूली की संभावना समाप्त हो गई है, की स्वीकृति पहले से ही स्वीकृत की गई राजस्व राशि के समायोजन के स्थान पर व्यय के रूप में की जाती है।

ii. ग्राहकों के साथ किए गए अनुबंध से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति तब की जाती है जब माल अथवा सेवाओं का अंतरण ग्राहक को उस प्रतिफल के रूप में दर्शाई गई राशि पर किया जाता है जो समूह माल अथवा सेवाओं का विनिमय किए जाने पर प्राप्त किए जाने की प्रत्याशा करता है।

iii. प्राप्त अथवा प्राप्तियोग्य प्रतिफल के राजस्व का मापन उचित मूल्य पर किया जाता है।

iv. प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति उस लेखांकन अवधि में की जाती है जिस अवधि में सेवाएं प्रदान की गई हैं। राजस्व की स्वीकृति समय अथवा समय के किसी एक बिन्दु पर निष्पादन दायित्व पूरे किए जाने के आधार पर की जाती है।

क. किसी समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट होने के मामले में राजस्व की स्वीकृति प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के प्रति रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर प्रदान की गई कुल सेवाओं के अनुपात के आधार पर की स्वीकृति की जाती है। ऐसे निर्धारण भौतिक प्रगति, प्रयासों, संव्यवहार की कुल अनुमानित लागत के वहन के लिए अद्यतन व्यय, व्ययतित समय, निष्पादित सेवा अथवा प्रबंधन द्वारा उचित समझी गई अन्य किसी विधि के आधार पर किए जाते हैं।

ख. अन्य मामलों में, जहां समय बिन्दु पर निष्पादन दायित्व संतुष्ट नहीं होते हैं, राजस्व की स्वीकृति समय बिन्दु पर की जाती है।

ग. ऐसे अनुबंधों के मामले में जिनमें ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर नियत राशि का भुगतान करता है, तो यदि समूह द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक होती हैं तो अनुबंध परिसम्पति की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यदि भुगतान प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होते हैं तो अनुबंध दायित्व की स्वीकृति की जाती है।

घ. संग्रहण शुल्क को गतिविधियों/अनुबंधकार्य आदेश के निबंधनों के अनुसार संव्यवहारों के पूर्ण होने के चरण के आधार पर राजस्व की स्वीकृति दिए जाने तक ग्राहक अग्रिम माना जाता है।

ङ. धनवापसी योग्य एवं आपूर्तियों का लेखांकन प्रोद्भवन आधार पर किया जाता है।

च. निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण नियंत्रण के लिए राजस्व की स्वीकृति प्रबंधन, ग्राहक से लंबित अनुमोदन, यदि कोई हो, द्वारा प्रत्येक अनुबंध के लिए निर्धारित कार्य सम्पन्नता/निर्माण लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में की जाती है।

(ख) अन्य राजस्व स्वीकृति

i. ब्याज आय की स्वीकृति समय अनुपात आधार पर प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से बकाया राशि के लेखे एवं लागू ब्याज दर को विचार में लेकर की जाती है।

ii. लाभांश आय की स्वीकृति भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित होने, इकाई को आर्थिक लाभ प्रवाहित होने एवं राशि का मापन विश्वसनीयता के साथ किए जाने की स्थिति में किया जाता है।

2.14 सेवानिवृत्ति हितलाभ

(क) **परिभाषित अंशदान योजनाएं:** समूह द्वारा भविष्य निधि योजना एवं कर्मचारी पेंशन योजना के संबंध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को परिभाषित अंशदान चुकता किए जाते हैं। समूह द्वारा कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना के लिए कर्मचारियों को लाभ प्रदान किए जाते हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत

चुकता/देय भुगतान की स्वीकृति उस अवधि में की जाती है जिस अवधि में कर्मचारी संबंधित सेवाएं प्रदान करता है।

(ख) **परिभाषित हितलाभ योजनाएं:** परिभाषित हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत उपदान, छुट्टी नकदीकरण, छुट्टी यात्रा रियायत, सेवा समाप्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ, सामान भत्ता शामिल हैं। इनकी देयताओं की स्वीकृति तुलन पत्र में परिभाषित हितलाभ दायित्व के विद्यमान मूल्य पर तुलन पत्र तिथि को की जाती है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की गणना स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट क्रेडिट विधि (पीयूसी) के उपयोग से की जाती है।

- समूह द्वारा परिभाषित हितलाभ योजना के निवल दायित्व की तुलन पत्र में स्वीकृति निवल दायित्व के रूप में की जाती है।
- पुनः मापन किए गए निवल परिभाषित देयता के माध्यम से लाभ अथवा हानि की स्वीकृति अन्य व्यापक आय में की जाती है।
- निवल परिभाषित हितलाभ देयता/(परिसम्पति) पर सेवा लागत एवं निवल ब्याज लागत/(आय) की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में की जाती है।

(ग) बीमांकित लाभ एवं हानियों से युक्त पुनः मापन के लिए, परिभाषित हितलाभ दायित्व एवं योजनागत परिसम्पतियों के प्रतिफल (निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा) के निवल ब्याज में शामिल राशियों के अलावा, परिसम्पति की ऊपरी सीमा के प्रभाव की अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में संबंधित अवधि में तत्काल स्वीकृति तब की जाती है जब यह घटित होता है। अनुवर्ती अवधि में लाभ एवं हानि के पुनःमापन का पुनःवर्गीकरण नहीं किया जाता है।

(घ) प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में उनके मूल संगठन की प्रतिनियुक्ति से संबंधित नियम एवं शर्तों के आधार पर विदेश सेवा अंशदान के लिए प्रावधान/दायित्व पूरे किए जाते हैं तथा इन्हें प्रोदभवन आधार पर चुकता अथवा लेखा बहियों में लेखांकित किया जाता है।

2.15 ऋण लागतें

सामान्य तथा विशिष्ट ऋण लागतों, जिनकी संबद्धता प्रत्यक्ष रूप से किसी अर्हक परिसम्पति के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से होती है, का पूंजीयन उस समयावधि के दौरान किया जाता है जिसमें परिसम्पति को उसके आशित उद्देश्य से उपयोग के लिए तैयार किया जाता है।

अर्हक परिसम्पति वह परिसम्पति है जिसे आशित उपयोग के लिए किसी निश्चित समय अवधि में तैयार किया जाता है। अन्य सभी ऋण लागतों की स्वीकृति लाभ एवं हानि विवरण में व्यय किए जाने की अवधि में की जाती है।

विदेशी मुद्रा ऋण से उत्पन्न विनिमय भिन्नताओं का समायोजन ब्याज लागतों में तब किया जाता है जब उन्हें ऐसी ऋण लागत माना जाता है जो अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण अथवा उत्पादन से सीधे सम्बद्ध है।

समायोजन के लिए योग्य विनिमय दर उतार चढ़ाव हानि का निर्धारण विदेशी मुद्रा में ऋण लागत तथा संचयी अवधि एप्रोच पर उतार चढ़ाव वाली विदेशी मुद्रा की ऋण के मध्य तुलना करके किया जाता है।

2.16 आय कर

(क) चालू आय कर

आय पर कर का निर्धारण आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत आकलित करयोग्य आय एवं कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

चालू कर परिसम्पतियों एवं चालू कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब स्वीकृत राशियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा परिसम्पतियों एवं देयताओं का निवल आधार पर निपटान किए जाने की मशा हो।

अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित चालू कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

ख) आस्थगित कर

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा "आय कर" के संबंध में जारी भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस 12) के अनुसार

i. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति ऐसी अस्थाई भिन्नताओं के लिए की जाती है जिनका आकलन कर दरों एवं प्रवर्तित अथवा रिपोर्टिंग तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित कर विधियों के उपयोग से किया जाता है।

ii. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की स्वीकृति तब की जाती है जब ऐसी संभावना हो कि उससे करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे जिनसे कटौतियोग्य अस्थाई भिन्नताओं एवं अप्रयुक्त कर क्रेडिटों का अग्रेषण तथा अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं का समंजन (आफसेट) तब किया जाता है जब चालू कर से संबंधित देयताओं के प्रति परिसम्पतियों के समंजन का प्रवर्तनयोग्य विधिक अधिकार हो तथा जब आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं आस्थगित कर देयताओं की सम्बद्धता समान शासी कराधान विधि द्वारा आय पर लगाए गए करों से हो।

iv. आस्थगित कर परिसम्पतियों एवं देयताओं का मापन उन कर दरों एवं कर विधियों के उपयोग से किया जाता है जो प्रवर्तित अथवा तुलन पत्र तिथि को वस्तुतः प्रवर्तित हैं। प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समूह अस्वीकृत आस्थगित कर परिसम्पतियों, यदि कोई हों, का पुनः मूल्याकन करता है।

v. आस्थगित आय कर परिसम्पतियों की वहन राशि की पुनरीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है तथा इसे उस सीमा तक न्यून किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना प्रतीत नहीं होती है कि इससे उपयोग में लाई

जाने वाली प्रत्येक अथवा आंशिक आस्थगित आय कर परिसम्पतियों के लिए पर्याप्त करयोग्य लाभ उपलब्ध हो सकेंगे।

vi. अन्य व्यापक आय मदों से संबंधित आस्थगित कर की स्वीकृति अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में की जाती है।

2.17 निवेश सम्पतियां

क) निवेश सम्पति में सम्पूर्ण सम्पति, निर्माणाधीन सम्पति वित्त पट्टे के अंतर्गत वह सम्पति शामिल होती है जिसका धारण व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में बिक्री अथवा उत्पादन अथवा प्रशासनिक कार्यों के लिए न किए जाने के स्थान पर किराया उपार्जित करने अथवा पूंजी प्रतिफल प्राप्त करने अथवा दोनों के लिए किया गया हो।

ख) निवेश सम्पतियों की प्रस्तुति लागत पर, संचित मूल्यह्रास एवं उत्पन्न अक्षमता हानियों का निवल, यदि कोई हो, की जाती है।

ग) मूल क्रय किए जाने की तिथि से समूह द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में किए गए वर्णन के अनुसार निवेश सम्पति के प्रत्येक घटक का मूल्यह्रास किया जाता है।

घ) निवेश सम्पतियों की स्वीकृति तब समाप्त की जाती है जब उनकी बिक्री कर दी गई हो अथवा उन्हें स्थाई रूप से उपयोग में न लाया जा रहा हो तथा उनके निपटान से किसी प्रकार के भावी आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना न हो। परिसम्पति के निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशि के मध्य भिन्नता की स्वीकृति लाभ एवं हानि में स्वीकृति समाप्त किए जाने की अवधि में की जाती है।

2.18 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक परिसम्पतियां

क) देयताओं के संबंध में प्रावधानों की स्वीकृति केवल तब की जाती है जब अनुमानों के किसी महत्वपूर्ण स्तर तक उनका मापन किया जाना संभव हो, जिसके लिए रू

i. समूह के पास किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व हो।

ii. ससाधनों के बर्हिप्रवाह से दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभ प्राप्त होने की संभावना होय तथा

iii. जब दायित्व की राशि के विश्वसनीय अनुमान लगाए जा सकते हों। प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को की जाती है।

प्रावधानों को न्यून करना

जब धन का समय मूल्य प्रभाव वस्तुगत होता है तो प्रावधान की राशि दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित संभावित व्यय होती है।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता हैः–

i. किसी पूर्व घटना के कारण उत्पन्न कोई विद्यमान दायित्व, जिसमें दायित्व के निपटान के लिए ससाधनों का बर्हिप्रवाह अपेक्षित होने की संभावना न हो।

अथवा

ii. विद्यमान दायितव के लिए विश्वसनीय अनुमान न लगाए जा सकते होंय अथवा

iii. यदि संसाधन के बर्हिप्रवाह की संभावना काफ़ी कम नहीं है तो किसी संभावित दायित्व के लिए

आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक दायित्व एवं आकस्मिक परिसम्पति के प्रति अपेक्षित प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ के अंतर्प्रवाह की संभावना हो।

2.19 पट्टे

(क) पट्टाधारक के रूप में

(i) समूह द्वारा उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति एवं पट्टा देयताएं की स्वीकृति पट्टा प्रारंभ होने की तिथि को की जाती हैं। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का प्रारंभिक मापन लागत पर किया जाता है जिसमें प्रारंभ तिथि को अथवा उससे पूर्व किए गए पट्टा भुगतान जमा व्यय की गई कोई प्रत्यक्ष लागत तथा परिसम्पति को विखंडित करने तथा हटाने अथवा परिसम्पति अथवा स्थल, जहां यह स्थित है, को पुनरू स्थापित पर व्यय की गई प्रारंभिक लागत में से प्राप्त प्रकार के पट्टा प्रोत्साहन घटाकर समायोजन के साथ पट्टा देयताएं की प्रारंभिक राशि शामिल होती है।

(ii) उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति का अनुवर्ती मूल्यह्रास उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के उपयोज्यता काल अथवा पट्टा काल के अंत से पहले की प्रारंभ तिथि से सीधी रेखा विधि का उपयोग करके किया जाता है। उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के अनुमानित उपयोज्यता काल का निर्धारण भी सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण के समान आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की आवधिक न्यूनता अक्षमता हानियों, यदि कोई हों, के लिए की जाती है तथा इन्हें पट्टा देयताएं के कतिपय पुनरूमूल्यांकनों में समायोजित किया जाता है।

(iii) पट्टा देयताएं का प्रारंभिक मापन प्रारंभ तिथि को चुकता न किए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर, पट्टे की अंतर्निहित ब्याज दर अथवा यदि दर का निर्धारण तत्काल नहीं किया जा सकता है तो समूह की आवर्धित ऋण दर में कटौती करके, किया जाता है।

(iv) प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से पट्टा देयताएं का परिशोधन लागत पर मापन किया जाता है, इसका पुनरूमापन तब किया जाता है जब सूचकांक अथवा में परिवर्तन के कारण भावी पट्टा भुगतान में परिवर्तन होता है। जब इस प्रकार से पट्टा देयताएं का पुनःमापन किया जाता है तो उपयोग अधिकार वाली सम्पति की वहन राशि में अनुवर्ती समायोजन किए जाते हैं अथवा यदि उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की वहन राशि कम होकर शून्य हो गई है तो इसे लाभ एवं हानि में रिकार्ड किया जाता है।

(v) समूह द्वारा उस उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति की प्रस्तुति की जाती है जो तुलन पत्र में "उपयोग अधिकार वाली

परिसम्पति" के लिए निवेश परिसम्पति एवं पट्टा दायित्वों के लिए तुलन पत्र में "अन्य वित्तीय दायित्वों" की परिभाषा में नहीं आती है।

(vi) अल्पावधि के पट्टे तथा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टे:–

समूह ने अल्पकालिक पट्टे तथा न्यून मूल्य की परिसम्पतियों के पट्टों के संबंध में समूह ने 12 माह से कम पट्टा काल के पट्टों तथा न्यून मूल्य की उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों एवं पट्टा देयताओं की स्वीकृति न करने का चयन किया है। समूह ऐसी परिसम्पतियों से सम्बद्ध पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा आधार पर व्यय के रूप में पट्टा काल के लिए करता है।

(ख) पट्टाकार के रूप में

जब समूह पट्टाकार के रूप में प्रक्रिया करता है तो इसके द्वारा प्रारंभ में प्रत्येक पट्टे के संबंध में किसी पट्टे के वित्त पट्टे होने अथवा परिचालन पट्टे होने का निर्धारण किया जाता है। प्रत्येक पट्टे के वर्गीकरण के लिए समूह सम्पूर्ण मूल्यांकन करके यह ज्ञात करता है कि क्या पट्टा अंतरणों से पट्टे के स्वामित्व से जुड़े इसके सभी महत्वपूर्ण जोखिम एवं प्रतिफल का अंतरण होता है अथवा नहीं होता है। यदि ऐसा होता है तो तो वित्त पट्टा होता है तथा यदि नहीं होता है तो यह परिचालन पट्टा होता है। अपने मूल्यांकन के अंतर्गत कम्पनी परिसम्पति से सम्बद्ध आर्थिक उपयोज्यता काल से सम्बद्ध कारको के होने तथा होने जैसे विभिन्न सूचकों पर भी विचार करती है।

समूह द्वारा परिचालन पट्टे के अंतर्गत प्राप्त पट्टा भुगतानों की स्वीकृति सीधी रेखा विधि के उपयोग से "अन्य आय" के अंतर्गत पट्टा काल के लिए आय के रूप में की जाती है।

2.20 अनुदान

(i) सरकार से इक्विटी के प्रति परिसम्पतियों के निर्माण हेतु पूंजी व्यय के लिए प्राप्त अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(ii) परिसम्पतियों के निर्माण के लिए पूंजी व्यय के रूप में अन्यों से प्राप्त तकनीकी अनुदान को प्रारंभ में 'आस्थगित आय' के रूप में दर्शाया जाता है। सम्बद्ध परिसम्पतियों के काल में आय के रूप में प्रत्येक वर्ष इनकी तदनंतर स्वीकृति ऐसी परिसम्पतियों का मूल्यह्रास करते हुए आनुपातिक रूप में की जाती है।

(iii) राजस्व व्यय के लिए अन्यों से प्राप्त अनुदान को व्यय के वास्तविक वहन के दौरान राजस्व व्यय माना गया है।

2.21 प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मौलिक आय का आकलन अवधि से संबंधित निवल लाभ अथवा हानि को इक्विटी शेयर धारकों की अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या के भारित औसत से विभाजित करके किया जाता है। प्रति शेयर डाय्ल्युटिड आय का आकलन करने के उद्देश्य से वर्ष में अर्जित निवल लाभ अथवा हानि को बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत से सम्बद्ध करके उनका समायोजन संभावित इक्विटी शेयरों पर डाय्ल्युटिड प्रभाव के लिए किया जाता है।

2.22 इक्विटी धारकों को लाभांश

प्रदत्तध्देय लाभांश की स्वीकृति उस वर्ष के लिए की जाती है जिस वर्ष संबंधित लाभांशों को निदेशक मंडल द्वारा यथा उपयुक्त के रूप में अनुमोदित किया जाता है।

2.23 उचित मूल्य मापन

i. कम्पनी द्वारा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को कतिपय वित्तीय प्रपत्रों का उचित मूल्य पर मापन किया जाता है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसम्पति की बिक्री किए जाने पर प्राप्त होने अथवा देयता के अंतरण के लिए भुगतान किए जाने हेतु मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच व्यवस्थित संव्यवहार से प्राप्त होता है। उचित मूल्य मापन इस अनुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयताओं के अंतरण का संव्यवहार इनमें से किसी रुप में निष्पादित होगा:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रमुख बाजार, अथवा
- प्रमुख बाजार की अनुपस्थिति में, बाजार या देयता के लिए सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार।

समूह के लिए प्रमुख या सर्वाधिक लाभपूर्ण बाजार सुगम्य होना चाहिए। परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन इस अनुमान के साथ किया जाता है कि बाजार भागीदार इसका प्रयोग परिसंपत्ति या दायित्व के मूल्य निर्धारण हेतु, इस अनुमान के साथ कि बाजार भागीदार अपने सर्वोत्तम आर्थिक हितों पर कार्य करेंगे।

समूह उन मूल्याकन तकनीकों का प्रयोग करता है जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त होते हैं और जिसके लिए उचित मूल्य मापन हेतु पर्याप्त आकड़े उपलब्ध हैं, जिससे संगत अवलोकनीय जानकारियों के अधिकतम प्रयोग और अनावश्यक जानकारियों के निम्नतम प्रयोग को संभव बनाया जा सके।

2.24 वित्तीय लिखत:–

(i) प्रारंभिक स्वीकृति एवं मापन

वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की स्वीकृति तब की जाती है जब समूह लिखत के संविदागत प्रावधानों में पार्टी बनता है।

वित्तीय परिसम्पतियों एवं दायित्वों का प्रारंभिक मापन उचित मूल्य पर किया जाता है। अधिग्रहण अथवा वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं (लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य की वित्तीय परिसम्पतियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों को वित्तीय परिसम्पति अथवा वित्तीय देयता की प्रारंभिक स्वीकृति के लिए मापन किए गए उचित मूल्य जोड़ अथवा घटा दिया जाता है।

(ii) अनुवर्ती मापन

वित्तीय परिसम्पतियां

वित्तीय परिसम्पतियों का निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है:–

क. परिशोधन लागत पर

वित्तीय परिसम्पतियों का अनुवर्ती मापन परिशोधन लागत पर तब किया जाता है जब वित्तीय परिसम्पतियों का धारण ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य ऐसी परिसम्पतियों के धारण से संविदागत नकदी प्रवाह का संग्रह करना है तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ख. अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

वित्तीय परिसम्पतियों का उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से मापन तब किया जाता है जब ऐसी वित्तीय परिसम्पतियों का धारण किसी ऐसे व्यवसाय मॉडल के लिए किया गया हो जिसका लक्ष्य संविदागत नकदी प्रवाह एवं वित्तीय परिसम्पतियों की बिक्री, दोनों, के माध्यम से पूर्ति करना हो तथा वित्तीय परिसम्पति की संविदागत शर्तों से किन्हीं विशिष्ट तिथियों को ऐसे नकदी प्रवाह की उत्पति हो सके जो केवल बकाया मूल राशि के प्रति मूल एवं ब्याज के भुगतान के लिए हो।

ग. लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

उचित मूल्य पर लाभ एवं हानि के माध्यम से वित्तीय परिसम्पतियों का मापन तब किया जाता है जब प्रारंभिक स्वीकृति पर इनका मापन परिशोधन लागत अथवा अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर न किया गया हो। वित्तीय परिसम्पतियों के अधिग्रहण से प्रत्यक्ष सम्बद्ध संव्यवहार लागतों तथा लाभ अथवा हानि के माध्यम से देयताओं के उचित मूल्य की त्वरित स्वीकृति लाभ अथवा हानि में की जाती है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण निम्नानुसार है रू–

क. परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रभावी ब्याज दर विधि के उपयोग से व्यापार तथा अन्य देयों, प्रतिभूति जमा राशियों और प्रतिधारण राशियों के रुप में परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं की प्रस्तुति आरंभिक तौर पर उचित मूल्य और तत्पश्चात परिशोधित लागत पर की जाती है।

ख. एफवीटीपीएल पर वित्तीय देयताएं

समूह ने एफवीटीपीएल पर किसी वित्तीय परिसंपत्तियों को निर्दिष्ट नहीं किया है।

(iii) गैर–स्वीकार्यता

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्ति (अथवा, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का भाग अथवा समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का भाग) को केवल तभी गैर–स्वीकृत किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह का संविदागत अधिकार समाप्त हो जाता है अथवा वह व्यापक स्तर पर वित्तीय परिसपत्तियों को अंतरित करता है अथवा परिसंपत्ति के स्वामित्व के सभी जोखिमों या लाभों को अंतरित करता है।

वित्तीय देयता

वित्तीय देयता को गैर–स्वीकृत तब किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का पालन हो जाता है अथवा वे रद्द अथवा समाप्त हो जाते हैं। जब व्यापक रुप से भिन्न शर्तों पर अथवा मौजूदा देयताओं की शर्तों पर व्यापक आशोधनों द्वारा मौजूदा वित्तीय देयता को समान ऋणदाता से अन्य वित्तीय देयता के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है तो ऐसे विनियम या आशोधन को मूल देयता की गैरस्वीकृति माना जाएगा और नए देयता को स्वीकार किया जाएगा, तथा संबंधित प्रतिधारण राशि में अंतर को लाभ और हानि विवरण में स्वीकार किया जाएगा।

(iv) वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानिः

समूह क्षमता हानि के मापन तथा स्वीकृति के लिए संभावित ऋण घाटा मॉडल (ईसीएल) का प्रयोग करता है। समूह व्यापार प्राप्य पर क्षतिपूर्ण घाटा भत्ते की स्वीकृति के लिए सरलीकृत परिदृश्य का अनुसरण कर रहा है। सरलीकृत परिदृश्य के अनुप्रयोग के लिए समूह को क्रेडिट जोखिम में ट्रैक परिवर्तनों की आवश्यकता नहीं होती है। अपितु आरंभिक स्वीकृति से ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को ईसीएल के उपयोज्यता काल के आधार पर क्षमता हानि को स्वीकृति दी जाती है।

समूह परिशोधित लागत और एफवीटीओसीआई ऋण प्रपत्रों के माध्यम से अग्रेषित अपनी परिसंपत्तियों को संबद्ध अनुमानित ऋण घाटों के आधार पर आकलन करता है।

इस अवधि के दौरान स्वीकृत ईसीएल क्षमता हानि भत्ते (रिवर्सल पर) को लाभ और हानि विवरण में आयध्व्यय के रुप में स्वीकृत किया जाता है।

2.25 बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतियों का परिसम्पतियों के रूप में वर्गीकरण तब किया जाता है जब उनकी वहन राशि की मूलतरू वसूली बिक्री संव्यवहार के माध्यम से की जानी हो तथा बिक्री की संभावना अत्यधिक प्रबल हो। बिक्री की संभावना को अत्यधिक प्रबल तब माना जाता है जब परिसम्पति अथवा निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में बिक्री के लिए तत्काल उपलब्ध हो, जिसमें बिक्री के प्रत्याहार की संभावना न हो और वर्गीकरण किए जाने की तिथि से बिक्री एक वर्ष में किए जाने की संभावना हो। बिक्री के धारित के रूप वर्गीकृत किए गए निपटान समूह की प्रस्तुत निम्नतर वहन राशि एवं बिक्री लागत घटा उचित मूल्य पर की जाती है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकरण की गई सम्पति, संयत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास अथवा परिशोधन नहीं किया जाता है। बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसम्पतियों एवं देयताओं की प्रस्तुति वित्तीय विवरणों में अलग से की जाती है।

"बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसम्पतिया तथा समाप्त प्रचालन" से संबंधित इंड एएस 105 में उल्लिखित मापदंड यदि पूरे नहीं होते हैं तो बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान समूह का वर्गीकरण समाप्त हो जाता है। बिक्री के धारित के

वर्गीकरण से बाहर की गई गैर–चालू परिसम्पतियों का मापन (प) बिक्री के लिए धारित के रूप में किए गए वर्गीकरण से पूर्व की उनकी वहन से न्यून स्तर पर करके उस मूल्यह्रास के लिए समायोजित किया जाता है जिसकी स्वीकृति तब की जाती यदि परिसम्पति का वर्गीकरण बिक्री के लिए धारित के रूप में न किया जाता, तथा (पप) उस तिथि को इसकी वसूलीयोग्य राशि न्यून स्तर पर है जब बिक्री के लिए धारित के रूप में निपटान समूह का वर्गीकरण समाप्त हुआ था।

2.26 तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं

तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित होने वाली घटनाओं को इंड एएस 10 (आकस्मिकताएं एवं तुलन पत्र तिथि के पश्चात घटित घटनाएं) के अनुसरण में समेकित वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय विचार में लिया जाता है।

2.27 सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश

सहायक कम्पनियों, संयुक्त उद्यमों एवं सम्बद्ध कम्पनियों में निवेश का वहन लागत में से संचित क्षमता हानियों, यदि कोई हों, को घटाकर किया जाता है। जब क्षमता हानि के संकेत विद्यमान होते हैं तो निवेश की वहन राशि का मूल्यांकन किया जाता है तथा इसकी वसूलीयोग्य राशि का प्रतिलेखन किया जाता है। निवेश के निपटान के पश्चात निवल निपटान प्रतिफल एवं वहन राशियों के मध्य के अंतर की स्वीकृति लाभ अथवा हानि विवरण में की जाती है।

2.28 पूर्वावधि समायोजन

पूर्वावधि की सामग्रीगत चूकों में पूर्वव्यापी तौर पर सुधार करके उनका पुनर्लेखन तुलनात्मक राशियों के उल्लेख के साथ उन पूर्वावधियों के लिए किया जाता है जिस अवधि में चूक हुई है। यदि चूक की उत्पति प्रस्तुत पूर्वावधि से पहले की है तो पूर्व प्रस्तुत पूर्वावधि के लिए परिसम्पतियों, देयताओं एवं इक्विटी के अथ शेषों का, यदि अव्यवहार्य नहीं है, पुनः उल्लेख किया गया है तथा अव्यवहार्य होने के मामले में तुलनात्मक सूचना का समायोजन व्यवहार्य पूर्व तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ नई लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

2.29 वे लेखांकन नीतियां जो वर्तमान में समूह से सम्बद्ध नहीं है उनके संबंध में प्रकटीकरण नहीं किए गए हैं। जब कभी ऐसी लेखांकन नीतियां सम्बद्ध होंगी तो प्रकटीकरण किए जाएंगे।

टिप्पणी 3: संपति, संयंत्र एवं उपकरण

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए संपति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	5,53,74.77	3,73,83.40	(48,24.50)	8,79,33.67	-	-	-	-	8,79,33.67
पट्टाधारित भूमि	2,03,61.47	1,46,29.93	45,54.19	3,95,45.59	-	-	-	-	3,95,45.59
फ्रीहोल्ड भवन	4,76.66	1,75.27	-	6,51.93	2.96	-	-	2.96	6,48.97
पट्टाधारित सुधार	22,23.69	6,22.35	(0.25)	28,45.79	5,99.38	10,34.86	-	16,34.24	12,11.55
अस्थाई भवन	13,41.82	-	-	13,41.82	7,62.08	4,42.98	-	12,05.06	1,36.76
ईडीपी परिसम्पतिया	4,23.07	9,97.21	(52.12)	13,68.16	2,33.72	2,76.38	(41.27)	4,68.83	8,99.33
कार्यालय उपकरण	8,55.89	2,08.80	(3.52)	10,61.17	2,98.52	1,62.19	(2.59)	4,58.12	6,03.05
फ़र्नीचर एवं जुड़नार	9,02.90	1,61.84	(13.86)	10,50.88	1,94.97	98.26	(1.10)	2,92.13	7,58.75
सयंत्र एव मशीनरी	-	10.58	-	10.58	-	0.48	-	0.48	10.10
यात्री स्क्रीनिग	-	1,09.45	-	1,09.45	-	17.38	-	17.38	92.07
योग	**8,19,60.27**	**5,42,98.83**	**(3,40.06)**	**13,59,19.04**	**20,91.63**	**20,32.53**	**(44.96)**	**40,79.20**	**13,18,39.84**

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संपति, संयंत्र एवं उपकरण (₹ लाख में)

विवरण	सकल वहन राशि				संचित मूल्यह्रास				निवल वहन मूल्य
	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	1 अप्रैल, 2022 की स्थिति	आवर्धन	निपटान/ समायोजन	31 मार्च, 2023 की स्थिति	
फ्रीहोल्ड भूमि	4,16,43.39	74,68.94	62,62.44	5,53,74.77	-	-	-	-	5,53,74.77
पट्टाधारित भूमि	2,42,86.18	23,37.73	(62,62.44)	2,03,61.47	-	-	-	-	2,03,61.47
फ्रीहोल्ड भवन	-	4,76.66	-	4,76.66	-	2.96	-	2.96	4,73.70
पट्टाधारित सुधार	10,68.51	17,63.28	(6,08.10)	22,23.69	7,67.76	4,39.72	(6,08.10)	5,99.38	16,24.31
अस्थाई भवन	13,39.54	2.28	-	13,41.82	3,41.64	4,20.44	-	7,62.08	5,79.74
ईडीपी परिसम्पतिया	3,42.88	1,07.57	(27.38)	4,23.07	1,51.56	1,03.60	(21.44)	2,33.72	1,89.35
कार्यालय उपकरण	4,42.01	4,19.72	(5.84)	8,55.89	1,77.73	1,25.85	(5.06)	2,98.52	5,57.37
फर्नीचर एवं जुड़नार	6,12.71	3,10.82	(20.63)	9,02.90	1,01.94	98.79	(5.76)	1,94.97	7,07.93
योग	**6,97,35.22**	**1,28,87.00**	**(6,61.95)**	**8,19,60.27**	**15,40.63**	**11,91.36**	**(6,40.36)**	**20,91.63**	**7,98,68.64**

स्पष्टीकरण नोट

(i) फ्री होल्ड भूमि, इसमें निम्नलिखित शामिल है:–

क जिला गाजियाबाद में दुहाई, भीकनपुर एवं बसंतपुर सथिल ग्रामों में दुहाई डिपो के लिए 0.9514 हेक्टेयर (6.14 हेक्टेयर) की निजी भूमि की लागत की 8,76.99 लाख रुपए (61,62.51 लाख रुपए) की स्टाम्प ड्यूटी सहित राशि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 33.385 हेक्टेयर (29.71 हेक्टेयर) माप की भूमि का नाम परिवर्तन धारक कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 17.885 हेक्टेयर (21.22 हेक्टेयर) माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

ख जिला मेरठ के गांव सिवाया में मोदीपुरम डिपो के लिए 21.33 हेक्टेयर की निजी भूमि की स्टाम्प ड्यूटी सहित 1,41,02.70 लाख रुपए की लागत का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है। दरों का निर्धारण जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद की अध्यक्षता वाली जिला स्तर दर निर्धारण समिति द्वारा किया गया था तथा इसके लिए अनुमोदन मंडल आयुक्त, मेरठ ने प्रदान किया है। 20.05 हेक्टेयर माप की भूमि का नाम परिवर्तन धारक कम्पनी के नाम से कर दिया गया है तथा 1.28 हेक्टेयर माप की शेष भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया की जा रही है।

ग जिला गाजियाबाद के बोहांजा, दुहाई तथा धारगल में 62,599.17 वर्गमीटर भूमि की लागत की स्टाम्प डयूटी सहित 2,21,39.82 लाख रुपए की राशि का पूंजीयन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दर एवं मूल्य पर वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है।

घ दिल्ली में चाक चिल्ला ग्राम में 293.82 वर्गमीटर की भूमि की स्टाम्प ड्यूटी सहित 7.80 लाख रुपए की राशि की लागत का पूंजी वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है।

ङ विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा आबंटित भूमि, अनुबंध के कारण विलंबित अंतरण, का विवरण नीचे दिया गया है:

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम/वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि (रुपए लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	धारक कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2019-20	1588.54 वर्गमीटर	2,01.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन हैं।
2	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सराय कालेखान, दिल्ली	2020-21	2.98 एकड़	18,44.91	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	पूर्वी दिल्ली नगर निगम	खिचड़ीपुर, दिल्ली	2021-22	7241.54 वर्गमीटर	13,69.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	सिद्धार्थ एक्सटेंशन, दिल्ली	2021-22	12.56 वर्गमीटर	1.92	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	दक्षिण दिल्ली नगर निगम	जगपुरा, दिल्ल	2021-22	259.50 वर्गमीटर	39.70	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**34,57.36**		

*सकल वहन राशि में 2,56.10 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की हक विलेख के अंतरण के समय चुकता की जाने वाली अनुमानित राशि शामिल है जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान कर लिया गया है।

(ii) पट्टाधारित भूमि

(क) जंगपुरा, दिल्ली में 5.27 हेक्टेयर भूमि की 80,61.63 लाख रुपए की राशि (स्टांप शुल्क और स्वामित्व हस्तांतरण शुल्क 5,97.16 लाख रुपए) शामिल है, जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 में भूमि विकास कार्यालय, आवास एवं शहरी विकास मन्त्रालय द्वारा आवंटन किए जाने पर किया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा आईएसबीटी के निर्माण के लिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीटीआईडीसी) को सराय काले खां और आनंद विहार में भूमि पार्सल आवंटित किए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा डीटीआईटीसी को आईएसबीटी सराय काले खान, दिल्ली में आबंटित 17528 वर्गमीटर तथा आईएसबीटी आनन्द विहार, दिल्ली आबंटित 10198 वर्गमीटर भूमि का पूंजीयन, भूमि के क्रय मूल्य के रूप में डीटीआईडीएस को दिनांक 10.12.2020 को 45,54.19 लाख रुपए का भुगतान फ्रीहोल्ड भूमि के लिए किया गया है जिसका कब्जा 11.12.2020 को, दिल्ली विकास प्राधिकरण से अनुमोदन/सहमति प्राप्त होने की शर्त के साथ, प्राप्त किया गया है। यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की होने के विचार से इसका पट्टा सीधे डीडीए से प्राप्त करना उचित समझा गया था तथा डीड़ीए से लीजहोल्ड भूमि के रूप में प्राप्त मांग के आधार पर, कंपनी ने वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान डीडीए को 4975.82 लाख रुपए का भुगतान किया तथा भूखंड का पुनवर्गीकरण, पट्टे के पंजीकरण के समय चुकता की जाने वाली 3,97.95 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी सहित, 53,73.78 लाख की पट्टा धारित भूमि के रूप में किया है। डीटीआईडीसी को भुगतान की गई 45,54.19 लाख रुपए की राशि को 31 मार्च 2023 तक वसूली योग्य अन्य राशि (संदर्भ नोट 10.4 – अन्य वर्तमान वित्तीय संपत्ति) में शामिल किया गया है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 1,75,08.65 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से आवंटन किए जाने पर जंगपुरा, दिल्ली में 3,62.70 वर्गमीटर (3123 वर्गमीटर) भूमि की लागत, 70.30 लाख रुपए (स्टांप ड्यूटी और स्वामित्व अंतरण शुल्क 5.21 लाख रुपए सहित) (5,60.45 लाख रुपए) एवं अन्य खर्चों सहित, का पूंजीयन वित्तीय वर्ष के दौरान किया गया है।

(घ) साहिबाबाद आरआरटीएस (प्रवेश और निकास), गाजियाबाद में 12,18.15 लाख रुपए (स्टांप शुल्क और स्वामित्व हस्तांतरण शुल्क 90.23 लाख रुपए सहित) की 2500 वर्गमीटर की भूमि का पूजीयन वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(ङ) गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा हिंडन मोटल मेरठ तिराहा, गाजियाबाद में आवंटित 7,29.85 लाख रुपए (भूमि भुगतान के लिए 99 लाख रुपए सहित) मूल्य की 2417 वर्ग मीटर का पूजीयन वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान पट्टाधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(च) मेरठ (शताब्दी नगर स्टेशन प्रवेश और निकास) में 22,69.67 वर्गमीटर भूमि तथा शताब्दी नगर, गाजियाबाद में आरएसएस के लिए 40,00.00 वर्गमीटर भूमि का पूंजीयन क्रमशरू 67.67 लाख रुपए (भूमि भुगतान के लिए 50 लाख रुपए सहित) तथा 1,08,42 लाख रुपए (भूमि भुगतान के लिए 50 लाख रुपए सहित) की राशि के लिए वित्त वर्ष 22–23 के दौरान पट्टधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(छ) मुरादनगर (मुरादनगर में आरएसएस) में 45,83.53 वर्ग मीटर की 1,68.66 लाख रुपए (स्टांप ड्यूटी और स्वामित्व अंतरण शुल्क 1,68.66 लाख रुपए सहित) की भूमि का पूंजीयन वित्तीय वर्ष 22–23 के दौरान पट्टधारित भूमि के रूप में किया गया है।

(ज) निम्नलिखित भूखंडों के संबंध में पट्टा विलेख का निष्पादन लंबित है:

क्र. सं.	हक विलेख धारक का नाम /वर्तमान प्राधिकरण	स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति धारित	क्षेत्र	सकल वहन राशि (रुपए लाख में)	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/निदेशक का कर्मचारी है	धारक कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2019-20	12 हेक्टेयर	1,83,57.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	दिल्ली विकास प्राधिकरण	पटपड़गंज इंस्टीट्यूशनल एरिया, दिल्ली	2020-21	335 वर्गमीटर	72.86	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	2153 हेक्टेयर	3,37.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	दिल्ली विकास प्राधिकरण	यमुना खादर, दिल्ली	2020-21	4500 हेक्टेयर	7,05.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

5	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	गुलधर, गाजियाबाद	2021-22	6059.02 हेक्टेयर	9,41.38	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	297 हेक्टेयर	6,91.22	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	दिल्ली जल बोर्ड	जंगपुरा, दिल्ली	2021-22	3123 हेक्टेयर	6,05.29	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	दिल्ली विकास प्राधिकरण	न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2021-22	313 हेक्टेयर	60.66	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2021-22	398 हेक्टेयर	2,18.10	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
10	दिल्ली जल बोर्ड	कल्याणपुरी कॉडली ब्रिज के निकट, दिल्ली	2022-23	362.70 हेक्टेयर	70.30	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय	जंगपुरा, दिल्ली	2022-23	5.27 हेक्टेयर	80,61.63	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	उत्तर प्रदेश राज्य विकास प्राधिकरण	साहिबाबाद, गाजियाबाद	2022-23	2500 हेक्टेयर	12,18.15	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	दिल्ली विकास प्राधिकरण	सराय कालेखान , दिल्ली	2022-23	17528 हेक्टेयर	33,97.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	दिल्ली विकास प्राधिकरण	आनंद विहार, दिल्ली	2022-23	10198 हेक्टेयर	19,76.61	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मुरादनगर, जिला गाजियाबाद	2022-23	4583.53 हेक्टेयर	1,68.66	नहीं	हक विलेख के अंतरण का निष्पादन 20 अप्रैल, 2023 को कर दिया गया है।
योग					**3,68,82.92**		

*सकल वहन मूल्य में 49,22.08 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी शामिल है जो वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त भूखंड के लिए 32,93.20 लाख रुपए के साथ हक विलेख अंतरण के समय चुकता की जानी है।

(i) धारक कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों ध प्राधिकरणों से टोकन मूल्य पर स्थाई आधार पर अंतरित भूमि पर कार्य की अनुमति प्राप्त हुई है जिसका विवरण नीचे दिया गया है:—

क्र सं	हक विलेख धारक का नाम/ वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य तथा स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पत्ति धारित	क्षेत्र (वर्गमीटर)	सकल वहन राशि*	क्या हक विलेख धारक प्रोमोटर, निदेशक अथवा प्रोमोटर/निदेशक से संबंधित अथवा प्रोमोटर/ निदेशक का कर्मचारी है	धारक कम्पनी के नाम धारित न होने के कारण
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	मुरादनगर स्टेशन, मुरादनगर, गाजियाबाद	2020-21	95,69.00	3,36.83	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
2	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश दृ गंगा	सब–स्टेशन अर्थला, दिल्ली	2020-21	40,00.00	25.60	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
3	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, जनुबी, चौराहा, दिल्ली	2020-21	6,13.21	4.09	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
4	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	स्टेशन प्रवेश / निकास, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	80,00.00	17.64	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
5	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश–गंगा	चेनेज 2507 से 23043 के बीच निर्माण, अर्थला, दिल्ली	2020-21	6,39.00	2.54	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
6	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	शताब्दी नगर आरक्षित वन	2020-21	63,90.00	1,68.66	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
7	वन विभाग, उत्तर प्रदेश (आरक्षित वन)	रिथानी आरक्षित वन, मेरठ	2020-21	9,20.00	3,93.77	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
8	उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	मुरादनगर सब स्टेशन, गाजियाबाद	2020-21	45,83.00	1,38.34	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
9	गाजियाबाद नगर निगम	वैशाली से गाजियाबाद तिराहा, गाजियाबाद वाया डक्ट निर्माण	2020-21	1,41,44.00	72.82	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।

10	उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	वैशाली से गाजियाबाद तिराहा, गाजियाबाद वाया डक्ट निर्माण	2020-21	78,60.00	2,35.06	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
11	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	साहिबाबाद साहिबाबाद स्टेशन, गाजियाबाद	2020-21	22,20.00	14.45	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
12	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	मैसाली मैसाली स्टेशन	2020-21	75,34.00	11.16	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
13	जिला न्यायाधीश , गाजियाबाद	दुहाई दुहाई डिपो	2020-21	32,85.00	28.17	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
14	जिला न्यायाधीश , गाजियाबाद	दुहाई डिपो, भीकनपुर, गाजियाबाद	2020-21	93,02.00	0.72	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
15	जिला न्यायाधीश , मेरठ	सिवाया गाव मोदीपुरम डिपो	2020-21	2,34,76.00	0.64	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
16	जिला न्यायाधीश , मेरठ	भूलब्राल अमीनपुर मेरठ दक्षिण स्टेशन	2020-21	4,70.00	4.28	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
17	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा खादर, दिल्ली	2020-21	94.34	66.32	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
18	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट चिल्ला सरोदा बागर, न्यू अशोक नगर, दिल्ली	2020-21	35,60.72	1,48.98	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
19	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	2020-21	16,28.65	60.20	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
20	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश	वायाडक्ट, कौंडली, दिल्ली	2020-21	14,23.14	26.51	नहीं	हक विलेख अंतरण दस्तावेज संबंधित सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख विचाराधीन है।
योग					**17,56.78**		

* सकल वहन राशि में 17,56.76 लाख रुपए की स्टाम्प ड्यूटी की अनुमानित राशि शामिल है जिसका भुगतान हक विलेख अंतरण के समय किया जाना है तथा जिसका पूंजीयन वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान किया गया है।

(iii) फ्रीहोल्ड भवन में सिद्धार्थ एक्सटेंशन, नई दिल्ली के लिए वित्तीय वर्ष 22–23 में चुकता किए भुगतान एवं आंतरिक कार्य के 1,75.27 लाख रुपए के भुगतान (पिछले वर्ष 4,76.66 लाख रुपए) स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण प्रभार आदि की राशि सहित शामिल हैं।

(iv) पट्टाधारित सुधार में वित्तीय वर्ष 2022–23 में लक्ष्मी बाई नगर, आईएनए, नई दिल्ली में स्थित परियोजना कार्यालय के संबध में पूंजीयन की गई 5,71.48 लाख रुपए की राशि शामिल है।

टिप्पणी 4: उपयोग अधिकार परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	भूमि	भवन	योग
31 मार्च, 2021 की स्थिति	**36.89**	**7,51.24**	**7,88.13**
आवर्धन	3,05.28	-	3,05.28
निपटान/समायोजन	-	(7,51.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**3,42.17**	**-**	**3,42.17**
आवर्धन	28.33	-	28.33
निपटान/समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**3,70.50**	**-**	**3,70.50**
मूल्यह्रास			
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति	**14.86**	**6,23.56**	**6,38.42**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	1,44.34	1,27.68	2,72.02
निपटान/समायोजन	-	(7,51.24)	(7,51.24)
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,59.20**	**-**	**1,59.20**
वर्ष के दौरान मूल्यह्रास	82.62	-	82.62
निपटान/समायोजन		-	-
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**2,41.82**	**-**	**2,41.82**
निवल वहन मूल्य			
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**1,28.68**	**-**	**1,28.68**
31 मार्च, 2022 की स्थिति	**1,82.97**	**-**	**1,82.97**

स्पष्टीकरण नोट

(i). उपयोग अधिकार (भूमि) के आवर्धन में भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा लक्ष्मी बाई नगर, आईएनए में 28.33 लाख रुपए के मूल्य पर आवंटित कार्यालय भवन की पट्टाधारित भूमि शामिल है।

टिप्पणी 5: पूंजी कार्य प्रगति पर (₹ लाख में)

विवरण	योग
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ शेष	**22,14,15.99**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	40,11,18.63
समायोजन (पूंजीयन)	(15,78.87)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**62,09,55.75**
आवर्धन (अनुवर्ती व्यय)	70,39,54.04
समायोजन (पूंजीयन)	(10,99.38)
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**1,32,38,10.41**

टिप्पणी 5.1:– पूंजी कार्य प्रगति पर का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	1.4.2021 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	1.4.2022 की स्थिति	आवर्धन	समायोजन (पूंजीयन)	31.3.2023 की स्थिति
क) पूंजी डब्ल्यूआईपी–अन्य (गैर–परियोजना)							
पट्टा धारित सुधार	4,99.88	6,32.56	(11,32.44)	-	-	-	-
अन्य	3,05.28	-	(3,05.28)	-	-	-	-
योग (क)	**8,05.16**	**6,32.56**	**(14,37.72)**	-	-	-	-
ख) परियोजना व्यय							
स्थाई मार्ग (वे)	77,76.96	1,59,97.92	-	2,37,74.88	4,05,94.74	-	6,43,69.62
रोलिंग स्टॉक	56,23.87	22,65.52	-	78,89.39	4,05,81.73	-	4,84,71.12
वायाडक्ट पुल, टन्नल्स, पुलिया बंडर	8,88,74.06	19,16,76.57	-	28,05,50.63	28,94,23.30	-	56,99,73.93
सिग्नलिंग एवं दूरसंचार उपकरण	4,85.53	90,23.95	-	95,09.48	1,98,78.83	-	2,93,88.31
सुरक्षा उपकरण	2.99	-	-	2.99	-	-	2.99
सुरक्षा उपकरण	-	13,17.80	-	13,17.80	-	(5,53.20)	7,64.60
संयंत्र एवं मशीनरी	8,90.83	4,98,54.74	-	5,07,45.57	7,53,76.80	-	12,61,22.37
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	1,69.60	1,19,87.28	-	1,21,56.88	1,26,71.47	-	2,48,28.35
ट्रैक्शन एवं बिजली आपूर्ति	11,78.69	35,79.46	-	47,58.15	70,58.95	-	1,18,17.10
स्टाफ क्वार्टर्स	14,17.56	1,05,15.01	-	1,19,32.57	1,43,44.10	4,83.42	2,67,60.09
डिपो एवं कार्यशाला	2,88,50.78	4,85,75.67	(1,34.72)	7,72,91.73	8,65,10.23	(61.18)	16,37,40.78
जीएसटी / सीमाशुल्क पूंजीयन	-	-	-	-	8,86.78	-	8,86.78
स्वचालित किराया संग्रहण	-	-	-	-	1,80.08	-	1,80.08
प्लेटफार्म स्क्रीन डोर	6,17,01.01	3,60,70.97	-	9,77,71.98	4,48,78.55	(4,85.00)	14,21,65.53
निर्माण के दौरान व्यय (निवल)	2,36,38.95	1,91,37.76	(6.43)	4,27,70.28	7,15,68.48	-	11,43,38.76
निर्माण के दौरान आनुशंगिक व्यय (संदर्भ टिप्पणी संख्या 5.2)							
योग (ख)	**22,06,10.83**	**40,00,02.65**	**(1,41.15)**	**62,04,72.33**	**70,39,54.04**	**(6,15.96)**	**1,32,38,10.41**
ग) मार्गस्थ मशीन							
डिपो सह कार्यशाला	-	4,83.42	-	4,83.42	-	(483.42)	-
योग (ग)	-	**4,83.42**	-	**4,83.42**	-	**(483.42)**	-
कुल योग	**22,14,15.99**	**40,11,18.63**	**(15,78.87)**	**62,09,55.75**	**70,39,54.04**	**(10,99.38)**	**1,32,38,10.41**

स्पष्टीकरण नोटः

(i) वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में पूंजी अग्रिम का अनंतिम निपटान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआईपी को ₹ 91,60.95 लाख का अंतरण 19 ट्रांसमिशन लाइनों के लिए किया गया है जो कि इन ट्रांमिशन लाइनों को प्रारंभ करने एवं ऊर्जावान करने के अनुमानों पर आधारित है।

(ii) धारक कम्पनी ने सीडब्ल्यूआईपी के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को आपूर्तियोंध्कार्य इत्यादि के लिए किए गए 8,64,71.24 लाख रुपए (पिछले वर्ष 48,521.63 लाख) के भुगतान के प्रति जीएसटी/सीमाशुल्क का पूंजीयन किया है जो व्यय से संबंधित परियोजनाओं के संबंध में सीजीएसटी अधिनियम की धारा 17(5) के अंतर्गत अपात्र जीएसटी क्रेडिट है। जीएसटी को कॉरीडोर वित्तीय मॉडल के आधार पर सीडब्ल्यूआई माना गया है तथा दिनांक 7 मार्च, 2019 के स्वीकृति आदेश के प्रति अप्रत्यक्ष करों (सीमाशुल्क एवं जीएसटी) का निधियन गौण नामे के रूप में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा किया जाना है। इसके अलावा, धारक कम्पनी को गौण नामे के प्रति 13,90,00.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष 6,81,00.00 लाख रुपए) की कर राशि प्राप्त हुई है जिसके प्रति 31 मार्च, 2023 तक के लिए जीएसटी के संबंध में 16,55,67.08 लाख रुपए (पिछले वर्ष 7,75,16.74 लाख रुपए) का व्यय हुआ है।

(iii) धारक कम्पनी को विभिन्न सरकारी एजेंसियों से भूमि पर कार्य के लिए अस्थाई आधार पर अनुमति प्राप्त हुई है। इससे संबंधित विवरण निम्नलिखित हैः—

क्र.सं.	हक विलेख किस नाम से धारित है/वर्तमान प्राधिकरण	उद्देश्य एवं स्थल	किस वित्तीय वर्ष से सम्पति का धारण है	क्षेत्र (वर्ग मीटर)
1	सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश—गंगा	अर्थला, दिल्ली में वायाडक्ट का निर्माण	2020-21	7705
2	उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	भैसाली भैसाली स्टेशन, मेरठ	2020-21	7586

(iv) वर्ष के दौरान पूंजीयन किया गया पूंजी कार्य प्रगति लक्ष्मी बाई नगर, आईएनए, नई दिल्ली में स्थिति परियोजना कार्यालय भवन के पट्टाधारित सुधारों के लिए 5,71.48 लाख रुपए (संदर्भ टिप्पणी 3) तथा भूमि एवं विकास कार्यालय, आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 28.33 लाख रुपए (संदर्भ टिप्पणी 4) मूल्य पर आबंटित परियोजना कार्यालय की पट्टाधारित भूमि के पूंजीयन से संबंधित है।

टिप्पणी 5.2:— निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्ययों का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कर्मचारी हितलाभ व्यय	**24**	95,12.88	67,21.51
वित्त लागतें	**25**	5,49,43.73	74,20.85
मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें	**26**	20,46.26	11,26.92
अन्य व्यय	**27**	50,65.61	38,61.29
योग		**7,15,68.48**	**1,91,30.57**

टिप्पणी 5.3:— सीडब्ल्यूआई की निर्माण अनुसूची का उपयोज्यता कालक्रम 31 मार्च 2023

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	70,28,54.66	39,95,39.76	16,51,01.37	5,63,14.62	1,32,38,10.41
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**70,28,54.66**	**39,95,39.76**	**16,51,01.37**	**5,63,14.62**	**1,32,38,10.41**

31 मार्च 2022 (₹ लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
परियोजना प्रगति पर	40,03,44.92	16,42,96.21	4,45,42.46	1,17,72.16	62,09,55.75
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**40,03,44.92**	**16,42,96.21**	**4,45,42.46**	**1,17,72.16**	**62,09,55.75**

टिप्पणी 5.4:– सीडब्ल्यूआईपी कार्य निष्पादन विलम्ब अनुसूची

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

31 मार्च 2022 (₹ लाख में)

पूंजी कार्य प्रगति पर	निम्नलिखित अवधि में सीडब्ल्यूआईपी की राशि				योग
	1 वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
	शून्य				

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो विलंबित हो अथवा जिसमें तुलन पत्र तिथि के अनुसार मूल अनुमान से अधिक लागत हुई हो।

टिप्पणी 6.1:– अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	स्पैक्ट्रम लाइसेंस	प्लेटफार्म स्क्रीन डोर अधिकार	भूमि अधिकार	साफ्टवेयर	योग
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति को प्रारंभ शेष	-	-	**16,24.49**	**1,89.20**	**18,13.69**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	-	-	2,55.38	2,55.38
समायोजन	-	-	2,92.41	-	2,92.41
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	-	-	**19,16.90**	**4,44.58**	**23,61.48**
वर्ष के दौरान आवर्धन	77,24.59	4,15.86	5,71.44	4,05.88	91,17.77
समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**77,24.59**	**4,15.86**	**24,88.34**	**8,50.46**	**1,14,79.25**
परिशोधन					-
1 अप्रैल, 2021 की स्थिति को प्रारंभ शेष	-	-	**76.34**	**68.86**	**1,45.20**
वर्ष के दौरान परिशोधन	-	-	68.51	1,36.00	2,04.51
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	-	-	1,44.85	2,04.86	3,49.71
वर्ष के दौरान परिशोधन	84.65	1.60	69.03	2,47.21	4,02.49
वर्ष के दौरान क्षमता हानि	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**84.65**	**1.60**	**2,13.88**	**4,52.07**	**7,52.20**
निवल वहन मूल्य					
31 मार्च, 2023 की स्थिति	**76,39.94**	**4,14.26**	**22,74.46**	**3,98.39**	**1,07,27.05**
31 मार्च, 2022 की स्थिति	-	-	**17,72.05**	**2,39.72**	**20,11.77**

स्पष्टीकरण नोटः

(i) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा भारत सरकार को विशिष्ट सेवाओं के कैप्टिव उपयोग के लिए स्पैक्ट्रम प्रभारों के प्रति जीएसटी सहित 77,24.59 लाख रुपए चुकता किए गए हैं।

(ii) वर्ष के दौरान धारक कम्पनी ने 4,15.86 लाख रुपए के व्यय के अंशभाग को स्वीकृति दी है जो अमूर्त परिसम्पतियों के रूप में मैसर्स भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड के साथ प्लेटफार्म डोर टैक्नोलॉजी के विकास के लिए संयुक्त रूप से व्यय किए गए थे। प्लेटफार्म स्क्रीन डोर की 1,80.08 लाख रुपए की लागत को पूंजी व्यय प्रगति पर (प्लेटफार्म स्क्रीन डोर) में नामे किया गया है।

टिप्पणी 6.2:– विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	एसएपी एस4 /एचएएनए	पीएसडी प्रणाली	साफ्टवेयर/ मोबाइल एप्प	योग
1 अप्रैल, 2021	-	-	**2,43.67**	**2,43.67**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	65.02		65.02
समायोजन/(पूंजीयन)	-	-	(2,43.67)	(2,43.67)
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	**-**	**65.02**	**-**	**65.02**
वर्ष के दौरान आवर्धन	5,41.33	5,30.92	1,01.86	11,74.11
समायोजन/(पूंजीयन)	-	(5,95.94)	-	(5,95.94)
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**5,41.33**	**-**	**1,01.86**	**6,43.19**

टिप्पणी 6.2.1:– विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियों की उपयोज्यता कालक्रम अनुसूची

31 मार्च 2023 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
साफ्टवेयर/मोबाइल एप्प	1,01.86				1,01.86
एसएपी एस 4/एचएएनए	5,41.33				5,41.33
योग	**6,43.19**	**-**	**-**	**-**	**6,43.19**

31 मार्च 2022 (₹ लाख में)

विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां	निम्नलिखित अवधि के लिए सीडब्ल्यूआईपी की राशि				
	एक वर्ष से कम	1–2 वर्ष	2–3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
पीएसडी परियोजना प्रगति पर	65.02	-	-	-	65.02
अस्थाई रूप से निलंबित परियोजनाएं	-	-	-	-	-
योग	**65.02**	**-**	**-**	**-**	**65.02**

टिप्पणी 6.2.2: ऐसी कोई विकासाधीन अमूर्त परिसम्पतियां नहीं हैं जिनका निष्पादन विलंबित हो अथवा जो अनुमानित लागत से अधिक हुई हों।

टिप्पणी 7: वित्तीय परिसम्पतियां–गैर–चालू

अन्य वित्तीय परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अप्रतिभूत, अच्छा समझा गया		
प्रतिभूति जमा	19,54.43	15,48.21
ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा (संदर्भ टिप्पणी 7.2.1)	15.77	887.19
पूर्व चुकता व्यय	1.71	-
योग	**19,71.91**	**24,35.40**

टिप्पणी 7.1 ग्रहणाधिकार के रूप में सावधि जमा का विवरण (जिनकी परिपक्वता रिपोर्टिंग तिथि से 12 माह से अधिक हो) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग	0.76	0.76
कार्यकारी अभियंता, सिविल प्रभाग संख्या III, आई एंड एफसी विभाग	-	5,00.00
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	-	3,72.87
कार्यकारी अभियंता, नगर निगम गाजियाबाद	0.20	0.20
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, गाजियाबाद	7.63	6.18
प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मेरठ	7.18	7.18
योग	**15.77**	**8,87.19**

टिप्पणी 8:– आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
क. आस्थगित कर देयताएं		
संपति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास	(97,39.65)	(10,13.36)
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	-	(11.94)
आस्थगित कर देयताओं का योग	**(97,39.65)**	**(10,25.30)**
ख. आस्थगित कर परिसम्पतियां		
व्यापार हानियां	59,34.27	-
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	10.84	-
प्रारंभिक व्यय	0.36	0.54
अप्रयुक्त कर हानियां	0.50	0.40
आस्थगित कर परिसम्पतियों का योग	**59,45.97**	**0.94**
आस्थगित कर परिसम्पतियां / (देयताएं) निवल	**(37,93.68)**	**(10,24.36)**

टिप्पणी 8.1: आस्थगित कर परिसम्पति / (देयता) में मूवमेंट

विवरण	अग्रेषित हानियां	प्रावधान	सम्पति, संयंत्र एवं उपकरण का मूल्यह्रास एवं अग्रेषित हानियां	प्रयुक्त कर हानियां	प्रारंभिक व्यय	योग
1 अप्रैल, 2021 को प्रारंभ शेष	-	**(12.87)**	**2,95.31**	**0.40**	**0.89**	**2,83.73**
वर्ष 2021–22 में (प्रभारित) / क्रेडिट						
लाभ एवं हानि में	-	-	(13,08.67)	-	(0.35)	(13,09.02)
अन्य व्यापक आय में	-	0.93	-			0.93
31 मार्च, 2022 को अंत शेष	-	**(11.94)**	**(10,13.36)**	**0.40**	**0.54**	**(10,24.36)**
वर्ष 2022–23 में (प्रभारित) / क्रेडिट						
लाभ एवं हानि में	59,34.27		(87,26.29)	0.10	(0.18)	(27,92.10)
अन्य व्यापक आय में	-	22.78	-			22.78
31 मार्च, 2023 को अंत शेष	**59,34.27**	**10.84**	**(97,39.65)**	**0.50**	**0.36**	**(37,93.68)**

टिप्पणी 9:– अन्य गैर चालू परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
क) पूंजी अग्रिम		
– निर्माण कार्यों के लिए अग्रिम (अप्रतिभूत तथा अच्छा समझा गया) (संदर्भ नोट 1)	7,33,45.33	11,43,40.96
– भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम (संदर्भ नोट 2)	2,85,23.00	2,11,06.80
ख) उचित मूल्य समायोजन हृ प्रतिभूति जमा (संदर्भ नोट 3)	4,83.84	4,38.28
योग	**10,23,52.17**	**13,58,86.04**

स्पष्टीकरण नोट:–

i. ठेकेदारों को बैंक गारंटियों, रेहन आदि के साथ दिए गए 5,97,11.28 लाख रुपए (पिछले वर्ष 10,37,12.73 लाख रुपये) का अग्रिम

ii. भूमि अधिग्रहण के लिए अग्रिम के रूप दी गई राशि, जो भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 के अंतर्गत "सक्षम प्राधिकारी को गाजियाबाद एवं मेरठ में भूमि अधिग्रहण बैंक खाता' में जमा करवाई गई है।

iii. यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

iv. वर्ष के दौरान ट्रांसमिशन लाइन के संबंध में पूंजी अग्रिम का अनंतिम समाधान नहीं हुआ है। तथापि, निर्माण कार्यों के लिए ट्रांसमिशन लाइनों की कमीशनिंग एवं इन्हें ऊर्जावान किए जाने के अनुमानों के आधार पर 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार सीडब्ल्यूआई को 19 ट्रांसमिशन लाइनों के संबंध में 91,60.95 लाख रुपए की राशि अंतरित की गई है।

टिप्पणी 10: वित्तीय परिसम्पतियां – चालू

टिप्पणी 10.1: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार प्राप्य नहीं हैं तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के लिए तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

टिप्पणी 10.2: नकदी एवं नकदी समतुल्य (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
उपलब्ध नकदी	-	-
बैंकों में जमा:		
– चालू खाते में	5.71	54,15.94
– फ्लैक्सी जमा (संदर्भ टिप्पणी 10.2.1)	1,35,02.28	4,86,25.04
– अग्रदाय	3.71	5.64
सावधी जमा*	-	3,95,02.00
योग	**1,35,11.70**	**9,35,48.62**

*प्राप्ति की तिथि से 3 माह में परिपक्व होने वाले

टिप्पणी 10.2.1: फ्लैक्सी जमा में 6,82.81 लाख रुपए (पिछले वर्ष शून्य) की फ्लैक्सी जमा से प्राप्त भूमि अधिग्रहण के अग्रिम का ब्याज सम्बद्ध है।

टिप्पणी 10.3: नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सावधी जमा (3 माह से कम परन्तु 12 माह से अधिक परिपक्वता वाले)	18,68,25.50	17,36,23.68
ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा (संदर्भ टिप्पणी 10.3.1)	1,02,56.49	0.58
बैंकों में चिन्हांकित शेष (संदर्भ टिप्पणी 10.3.2)	68.00	18.66
योग	**19,71,49.99**	**17,36,42.92**

टिप्पणी 10.3.1 ग्रहणाधिकार के रूप में रखे गए फ्लैक्सी जमा का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	1,15.12	0.58
साख पत्र के प्रति मार्जिन धन	92,67.00	-
अधिशासी अभियंता, सिविल डिवीजन सं. III, सिंचाई एवं वन संरक्षण विभाग	5,00.00	-
भारत इलक्ट्रानिक्स लिमिटेड	3,72.87	-
आयुक्त दिल्ली नगर निगम, दिल्ली	1.50	-
योग	**1,02,56.49**	**0.58**

टिप्पणी 10.3.2: बैंकों में चिन्हांकित शेष बैंक खाते में से व्यय न किए गए सीएसआर के शेष हैं।

टिप्पणी 10.4: अन्य चालू वित्त परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सावधि जमा पर ब्याज उपचय	44,60.46	8,89.65
अन्य प्राप्य	49,15.55	6,07.51
वसूली योग्य एडीबी तकनीकी अनुदान	-	10,75.25
वसूली योग्य जेएफपीआर अनुदान	1,14.67	6.45
प्रतिभूति जमा किराया	74.92	74.44
अन्य प्रतिभूति जमा	6.00	6.16
योग	**95,71.60**	**26,59.46**

स्पष्टीकरण नोट:

i. सावधि जमा से उपार्जित ब्याज में 3,96.47 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1,07.92 लाख रुपए) के ग्रहणाधिकार वाले एफडीआर का ब्याज शामिल है।

ii. अन्य प्राप्यों में 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार डीटीआईडीसी से प्राप्य 45,54.19 लाख रुपए की राशि शामिल है। [संदर्भ टिप्पणी 3(ii) (ख)]

टिप्पणी 11: चालू कर परिसम्पतियां/देयताएं (निवल) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अग्रिम जमा एवं स्रोत पर कर कटौती	15,52.96	42,47.14
घटाएं: आय कर के लिए प्रावधान	-	(25,33.57)
योग	**15,52.96**	**17,13.57**

टिप्पणी 12:– अन्य चालू परिसम्पतियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अग्रिम		
कर्मचारियों को चुकता अग्रिम	9.43	2.04
अन्य	32.87	62.91
उचित मूल्य समायोजन– प्रतिभूति जमा *	1,09.54	83.00
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	22.47	1.17
पूर्व चुकता व्यय	77.57	1,35.15
स्वीकृति/इक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतिया	-	2.02
घटाएं: स्वीकृति/इंक्वारी के लिए लंबित बट्टा की जाने वाली परिसम्पतियां के लिए प्रावधान	-	(2.02)
योग	**2,51.88**	**2,84.27**

*यह प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य एवं संव्यवहार मूल्य के गैर–परिशोधित भाग से संबंधित है।

टिप्पणी 13: इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00.00	1,00,00.00
जारी अभिदत्त एवं प्रदत्त शेयर पूंजी		
100 रुपए मूल्य प्रत्येक के 1,00,00,000 इक्विटी शेयर	1,00,00.00	1,00,00.00
योग	**1,00,00.00**	**1,00,00.00**

टिप्पणी 13.1: इक्विटी शेयरों की संख्या एवं इक्विटी पूंजी का समाधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
	शेयरों की संख्या लाख में	राशि	शेयरों की संख्या लाख में	राशि
वर्ष के प्रारंभ में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
वर्ष के अंत में बकाया जारी/अभिदत्त एवं प्रदत्त इक्विटी पूंजी	100	1,00,00.00	100	1,00,00.00

13.2: शेयरों से सम्बद्ध राइट्स अधिमान एवं प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: धारक कम्पनी के केवल एक ही श्रेणी के प्रति शेयर 100 रुपए मूल्य के शेयर हैं। प्रत्येक शेयरधारक धारित प्रति शेयर के लिए एक वोट का पात्र हैं। ऋणशोधन की स्थिति में शेयरधारिता के अनुसार सभी अधिमान राशियों का वितरण किए जाने के पश्चात इक्विटी शेयरधारक धारक कम्पनी की शेष परिसम्पतियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

13.3: धारक कम्पनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों का धारण करने वाले शेयरधारकों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति				
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
– रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%
राज्य सरकार				
– रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
– उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%
योग	**10000000**	**100.00%**	**10000000**	**100.00%**

टिप्पणी 13.4 प्रोमोटरों की शेयरधारिता

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
प्रोमोटर का नाम	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता का %	
निम्नलिखित के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति					
– आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
– रेल मंत्रालय	2250000	22.50%	2250000	22.50%	0.00%
– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	500000	5.00%	500000	5.00%	0.00%
राज्य सरकार					
– रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
– हरियाणा सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
– राजस्थान सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%
– उत्तर प्रदेश सरकार	1250000	12.50%	1250000	12.50%	0.00%

13.5: रिपोर्टिंग तिथि से तत्काल पूर्व पांच वर्ष की अवधि के दौरान बोनस के रूप में जारी पूर्ण प्रदत्त इक्विटी शेयरों की कुल संख्या – शून्य

टिप्पणी 14: अन्य इक्विटी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
क. प्रतिधारित उपार्जन*	1,98,43.79	1,18,63.83
ख. आस्थगित आय	19,61,89.34	16,10,82.80
योग	**21,60,33.13**	**17,29,46.63**

*प्रतिधारित उपार्जन धारक कम्पनी के अवितरित लाभ से संबंधित है।

टिप्पणी 14.1: प्रतिधारित उपार्जन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अथ शेष	1,18,63.83	71,61.92
घटाएं: पिछले वर्ष के दौरान पूंजीयन किए गए व्यय का रिवर्सल	-	-
जोड़ें: लाभ एवं हानि में से अंतरित अवधि के दौरान लाभ	80,00.24	47,04.66
जोड़ें: वर्ष के दौरान अंतरित अन्य व्यापक आय	(20.28)	(2.75)
अंत शेष	**1,98,43.79**	**1,18,63.83**

टिप्पणी 14.2: आस्थगित आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
मौद्रिक अनुदान		
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए पूंजी अनुदान	19,48,65.00	15,97,65.00
अन्य के लिए पूंजी अनुदान	13,24.34	13,17.80
अंत शेष	**19,61,89.34**	**16,10,82.80**

14.2.1: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 20 "सरकारी अनुदान सहायताओं का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण" के संबंध में प्रकटीकरण"

वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2022 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए						
भारत सरकार	9,60,65.00	88,00.00	10,48,65.00	-	-	10,48,65.00
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	-	86,00.00	-	-	86,00.00
उत्तर प्रदेश सरकार	5,51,00.00	2,63,00.00	8,14,00.00	-	-	8,14,00.00
योग क	**15,97,65.00**	**3,51,00.00**	**19,48,65.00**	**-**	**-**	**19,48,65.00**
अन्य के लिए						
एशियन डेवलपमेंट बैंक–तकनीकी सहायता	13,17.80	2,83.73	16,01.53	-	2,77.19	13,24.34
योग ख	**13,17.80**	**2,83.73**	**16,01.53**	**-**	**2,77.19**	**13,24.34**
योग (क+ख)	**16,10,82.80**	**3,53,83.73**	**19,64,66.53**	**-**	**2,77.19**	**19,61,89.34**

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान प्राप्त पूंजी अनुदान का विवरण निम्नलिखित है: (₹ लाख में)

विवरण	अथ शेष	वर्ष के दौरान आवर्धन	योग	31.3.2021 तक आय में अंतरित	चालू वर्ष में आय में अंतरित	अंत शेष
दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर के निर्माण के लिए						
भारत सरकार	7,72,65.00	1,88,00.00	9,60,65.00	-	-	9,60,65.00
रा.रा.क्षे.दिल्ली सरकार	86,00.00	-	86,00.00	-	-	86,00.00
उत्तर प्रदेश सरकार	4,60,00.00	91,00.00	5,51,00.00	-	-	5,51,00.00
योग क	**13,18,65.00**	**2,79,00.00**	**15,97,65.00**	**-**	**-**	**15,97,65.00**
अन्य के लिए						
एशियन डेवलपमेंट बैंक–तकनीकी सहायता	-	13,17.80	13,17.80	-	-	13,17.80
योग ख	**-**	**13,17.80**	**13,17.80**	**-**	**-**	**13,17.80**
योग (क+ख)	**13,18,65.00**	**2,92,17.80**	**16,10,82.80**	**-**	**-**	**16,10,82.80**

स्पष्टीकरण नोटः–

वर्ष के दौरान एडीबी–टीए–अनुदान में से निर्मित स्थिर परिसम्पतियों के मूल्यह्रास से यथानुपात में 2,77.19 लाख रुपये के अनुदान का परिशोधन हुआ है।

टिप्पणी 15: ऋण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
अप्रतिभूत				
क. निम्नलिखित से ब्याज मुक्त गौण ऋणरू –				
क. आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार				
गौण नामे	19,09,00.00		17,41,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	4,33,00.00		2,33,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	2,38,00.00	25,80,00.00	2,38,00.00	22,12,00.00
ख. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार				
गौण नामे	1,72,00.00		1,72,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	3,00.00		3,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	4,00.00	1,79,00.00	4,00.00	1,79,00.00
ग. उत्तर प्रदेश सरकार				
गौण नामे	16,28,00.00		11,03,00.00	
गौण नामे (केन्द्रीय कर)	4,00,00.00		1,76,00.00	
गौण नामे (राज्य कर)	5,50,00.00		2,65,00.00	
गौण नामे (सरकारी भूमि)	44,00.00	26,22,00.00	35,00.00	15,79,00.00
ख. भारत सरकार द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज				
ऋण संख्या **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
एलएन3964–आईएनडी 15.02.2029		40,94,33.56	-	27,34,05.50
ब्याज दरः एलआईबीओआर ओवरनाइट 0.50: परिपक्वता **प्रीमियम 0.20%**+अधिभार 0.19%				
प्रतिबद्धता प्रभार 0.15: प्रतिवर्ष				
ग. भारत सरकार द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज				
ऋण संख्या **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
20 आईएन 04 15.03.29		10,25,22.50	-	4,65,50.27
ब्याज दरः (एलआईबीओआर 1.35:) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभारः 0.25% प्रति वर्ष				
घ. भारत सरकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमैंट बैंक से व्यवस्थित ऋणों पर ब्याज				
ऋण संख्या **पुनर्भुगतान प्रारंभ तिथि**				
एल0352ए 15.11.29		12,39,28.15	-	-
ब्याज दरः (एसओएफआर 1.29:) प्रतिवर्ष				
प्रतिबद्धता प्रभारः 0.25% प्रतिवर्ष				
योग		**1,17,39,84.21**		**71,69,55.77**

स्पष्टीकरण नोटः

(i) धारक कम्पनी को आरआरटीएस के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त गौण ऋण प्राप्त हुए हैं। ऋण का पुर्नभुगतान सीनियर नामे के भुगतान के पश्चात किया जाना है।

(ii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार के ब्याज मुक्त गौण ऋण का पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) के ब्याज युक्त सीनियर ऋणों का पुनर्भुगतान किए जाने के पश्चात किया जाना है।

(iii) ब्याज मुक्त ऋण/गौण नामे का लेखांकन प्राप्ति के मूल्य पर उसी व्यवहार के अनुसार किया जाता है जिसका अनुसरण अन्य मैट्रो कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, उनके द्वारा उचित मूल्य को विचार में लिया जाता है।

(iv) भारत सरकार ने एडीबी एनडीबी तथा एआईआईबी के साथ प्रत्येक द्वारा 500 मिलियन यूएस डालर का ऋण दिल्ली–मेरठ आरआरटी परियोजना हेतु किए जाने के लिए ऋण अनुबंध किया है। सभी ऋणों का काल 8 वर्ष की अनुग्रह अवधि सहित 25 वर्ष है। ऋणदाता एजेंसियों के साथ सहमत निधि प्रवाह व्यवस्था के अनुसार ऋण का लाभ बैक टू बैक आधार पर पास थ्रू सहायता के रूप में कम्पनी को सौंपा जाना है। ऋणों का पुनर्भुगतान अर्ध–वार्षिक आधार पर परिशोधन अनुसूची के अनुसार किया जाना है जो वर्ष 2029 में प्रारंभ होगी।

टिप्पणी 16.1: अन्य वित्तीय देयताएं रू पट्टा देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
पट्टा देयताएं	-	8.23
योग	**-**	**8.23**

टिप्पणी 16.2: अन्य वित्तीय देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
प्रतिभूति जमा	74.78	48.55
योग	**74.78**	**48.55**

टिप्पणी 17: दीर्घकालिक प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	6,51.78	4,17.36
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	12,00.63	8,49.40
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	4,47.96	2,31.12
योग	**23,00.37**	**14,97.88**

टिप्पणी 18: अन्य गैर–चालू दायित्व (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अग्रिम		
हरियाणा सरकार से अग्रिम	2,47,50.00	2,29,50.00
राजस्थान सरकार से अग्रिम	5,00.00	5,00.00
योग	**2,52,50.00**	**2,34,50.00**

स्पष्टीकरण नोटः

(i) यह हरियाणा सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर तथा दिल्ली पानीपत कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

(ii) यह राजस्थान सरकार से दिल्ली एसएनबी कॉरीडोर की स्वीकृति लंबित परियोजना के लिए प्राप्त अग्रिम है जिसकी प्राप्त निधियों का इसकी प्रकृति (अनुदान/गौण नामे) के आधार पर वर्गीकरण नहीं हो सका है।

टिप्पणी 19: वित्तीय देयताएं

टिप्पणी 19.1: पट्टा देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
पट्टा देयताएं	8.23	7.96
योग	**8.23**	**7.96**

टिप्पणी 19.2: अन्य वित्तीय देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
ब्याज उपचय पर ऋण पर देय नहीं	56,48.78	3,26.36
व्ययों के लिए लेनदार–अन्य	3,80,22.37	2,02,90.41
व्ययों के लिए लेनदार–सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	22,91.73	2,45.54
प्रतिभूति जमा	56,85.20	29,75.81
योग	**5,16,48.08**	**2,38,38.12**

टिप्पणी 20: व्यापार प्राप्य

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई व्यापार देय नहीं हैं तथा 31 मार्च, 2022 की स्थिति के लिए तदनुसार काल प्रभावन अनुसूची लागू नहीं है।

टिप्पणी 21: अन्य चालू देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
सांविधिक देय		
स्रोत पर कर कटौती देय	26,36.03	23,02.63
जीएसटी देय (जीएसटी पर टीडीएस सहित)	18,54.90	15,05.05
भुगतान योग्य भवन एवं श्रम कल्याण उप–कर	8,10.33	6,99.13
भविष्य निधि	1,01.94	77.71
अन्य	9,23.39	4,72.07
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम [संदर्भ नोट (i) नीचे प्रस्तुत]	30,38,56.77	15,82,74.78
योग	**31,01,83.36**	**16,33,31.37**

स्पष्टीकरण नोट

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान 42,54,00.00 लाख रुपए (पिछले वर्ष 47,11,00.00 लाख रुपए) का अग्रिम एशियन डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से से पास थ्रू सहायता के रूप में ऋण का वितरण लंबित होने के चलते प्राप्त हुआ है। 30,38,56.77 लाख रुपए (पिछले वर्ष 15,82,74.78 लाख रुपए) के शेष अग्रिम का समायोजन व्यय के पश्चात किया जाना है तथा इसका वित्तीयन अनेक बैंकों से ऋण के माध्यम से किया जाना है।

टिप्पणी 22: अल्पकालिक प्रावधान (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए प्रावधान	26.57	6.61
छुट्टी नकदीकरण के लिए प्रावधान	1,06.38	47.60
अन्य कर्मचारी हितलाभों के लिए प्रावधान	1,02.59	91.35
योग	**2,35.54**	**1,45.56**

टिप्पणी 23: अन्य आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज	1,24,75.27	84,59.35
(क)	**1,24,75.27**	**84,59.35**
अन्य गैर–प्रचालन आय		
वित्तीय परिसम्पतियों पर ब्याज आय	95.68	55.94
आस्थगित आय (अनुदान परिशोधन)	2,77.19	-
मौद्रिक अनुदान (जेएफपीआर	67.51	47.11
अन्य विविध आय	2,25.80	45.69
परामर्श आय	3,37.58	60.20
विनिमय दर उतार चढ़ाव लाभ	4,78.17	283.18
(ख)	**14,81.93**	**4,92.12**
योग (क+ख)	**1,39,57.20**	**89,51.47**

टिप्पणी 24: कर्मचारी हितलाभ व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	87,69.31	8,95.83	96,65.14	61,42.00	6,28.24	67,70.24
कर्मचारी कल्याण व्यय	1,44.50	77.04	2,21.54	1,21.24	11.20	1,32.44
भविष्य एवं अन्य निधियों में अंशदान*	5,99.07	1,00.50	6,99.57	4,58.27	66.06	5,24.33
योग	**95,12.88**	**10,73.37**	**1,05,86.25**	**67,21.51**	**7,05.50**	**74,27.01**

स्पष्टीकरण नोट:

*भविष्य निधि, पेंशन, उपदान, सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ, छुट्टी लाभ एवं अन्य टर्मिनल लाभों के लिए 1,21.86 लाख रुपए (पिछले वर्ष 95.60 लाख रुपए) की राशि प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के संबंधित संगठनों को चुकता की गई हैध्देय है तथा इसे कर्मचारी हितलाभ व्यय में शामिल किया गया है।

टिप्पणी 25: वित्त लागतें (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
पट्टा देयताओं पर ब्याज व्यय	1.21	-	1.21	8.48	3.97	12.45
ऋण लागत						
क. बहुपक्षीय निधियन एजेंसियों से प्राप्त ऋण	2,06,23.08	-	2,06,23.08	20,21.47	-	20,21.47
ख. ब्याज लागतों में समायोजित विनिमय दर भिन्नता	3,43,19.44	-	3,43,19.44	53,90.90	-	53,90.90
योग	**5,49,43.73**	**-**	**5,49,43.73**	**74,20.85**	**3.97**	**74,24.82**

स्पष्टीकरण नोटः

विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें" के पैराग्राफ 6(ङ) की उपयोज्यता के दौरान समूह द्वारा "संचयी अवधि एप्रोच' का अनुसरण किया गया है क्योंकि समूह का यह मत है कि विचाराधीन निर्माण परिसम्पतियों की लम्बी निर्माण अवधि के विचार से 'संचयी अवधि एपोच' अधिक उचित है।

31 मार्च, 2023 तक की 4,05,82.84 लाख रुपए की ब्याज लागत के संचयी समायोजन की तुलना में 31 मार्च, 2023 तक 4,03,04.40 लाख रुपए की संचयी विनिमय दर हानि का पूंजीयन किया गया है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022–23 की 3,43,19.44 लाख रुपए की विनिमय दर हानि की समग्र राशि को ऋण लागत का भाग माना गया है।

टिप्पणी 26: मूल्यह्रास एवं परिशोधन लागतें (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
मूर्त परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 3)	16,55.64	3,76.89	20,32.53	8,65.91	3,25.45	11,91.36
उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों का मूल्यह्रास (टिप्पणी सं. 4)	61.57	21.05	82.62	1,72.55	99.47	2,72.02
अमूर्त परिसम्पतियों का परिशोधन (टिप्पणी सं. 6.1)	3,29.05	73.44	4,02.49	88.46	1,16.05	2,04.51
योग	**2,046.26**	**471.38**	**2,517.64**	**1,126.92**	**540.97**	**1,667.89**

टिप्पणी 27: अन्य व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए		
	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय	निर्माण पर व्यय	लाभ एवं हानि में प्रभारित व्यय	सकल व्यय
कार्यालय किराया	12.86	-	12.86	81.84	16.19	98.03
शुल्क, दरें एवं कर	-	4.89	4.89	-	4.49	4.49
मरम्मत अनुरक्षण मशीनरी एवं अन्य	46.13	32.39	78.52	68.27	52.07	1,20.34
ऊर्जा एवं ईंधन	1,28.03	85.99	2,14.02	1,33.18	73.96	2,07.14
वाहन परिचालन एवं अनुरक्षण	15,56.74	1,39.35	16,96.09	10,80.60	1,35.33	12,15.93
यात्रा व्यय	5,74.81	23.85	5,98.66	2,41.06	5.76	2,46.82
इंटरनेट प्रभार	36.45	17.64	54.09	28.10	26.46	54.56
लेखापरीक्षकों को भुगतान (टिप्पणी सं. 27.1)	-	2.75	2.75	-	2.51	2.51
विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	7.99	99.37	1,07.36	1,07.15	83.90	1,91.05

तकनीकी जांच एवं सर्वेक्षण व्यय	35.11	-	35.11	4,27.32	-	4,27.32
प्रशिक्षण एवं भर्ती व्यय	-	30.98	30.98	-	59.91	59.91
परामर्श प्रभार	6,99.97	65.24	7,65.21	3,61.88	1,03.06	4,64.94
सुरक्षा व्यय	3,04.95	68.96	3,73.91	1,82.06	41.54	2,23.60
मुद्रण एवं लेखन सामग्री	9.68	83.39	93.07	4.85	1,14.57	1,19.42
संचार व्यय	1,42.00	23.85	1,65.85	84.12	16.82	1,00.94
पुस्तकें एवं पत्रिकाएं	1.24	3.98	5.22	0.61	8.79	9.40
विज्ञापन एवं प्रचार –अन्य	62.97	29.86	92.83	10.30	13.72	24.02
विज्ञापन एवं प्रचार – निविदा	72.12	0.10	72.22	57.61	1.55	59.16
बैठक एवं सम्मेलन व्यय	67.02	78.80	1,45.82	48.53	1,07.83	1,56.36
शुल्क एवं अंशदान प्रभार	14.86	9.55	24.41	0.38	8.71	9.09
हाउसकीपिंग व्यय	53.07	2,57.04	3,10.11	1.72	273.32	2,75.04
साफ्टवेयर व्यय	1,28.14	32.04	1,60.18	1,13.01	54.47	1,67.48
आउटसोर्सिंग व्यय	8,34.05	2,02.73	10,36.78	7,83.24	1,16.01	8,99.25
कार्यालय व्यय	2,75.91	1,53.62	4,29.53	45.18	1,30.38	1,75.56
विविध व्यय	1.51	1,29.47	1,30.98	0.28	42.52	42.80
बट्टा लेखित परिसम्पतियां	-	0.07	0.07	-	2.02	2.02
परिसम्पतियों की प्रतिक्षित बट्टा लेखन स्वीकृति/ इक्वारी के लिए प्रावधान	-	-	-		2.02	2.02
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व	-	6.82	6.82	-	13.34	13.34
उप–योग	**50,65.61**	**15,82.73**	**66,48.34**	**38,61.29**	**15,11.25**	**53,72.54**

विवरण 27.1: लेखापरीक्षकों के भुगतान का विवरण (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
लेखापरीक्षक के रूप में लेखापरीक्षकों को भुगतान		
लेखापरीक्षा शुल्क	1.80	1.65
अन्य क्षमता में (परियोजना वित्तीय विवरण)	0.55	0.50
लेखापरीक्षा पर जीएसटी	0.40	0.36
योग	**2.75**	**2.51**

विवरण 28: आय कर व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू आय कर:		
– अवधि से संबंधित	-	2,71.15
– पूर्व वर्षों से संबंधित(निवल)	37.38	(95.05)
आस्थगित कर:		
– अवधि से संबंधित	26,95.91	13,09.02
– पूर्व वर्षों से संबंधित(निवल)	96.19	-
योग	**28,29.48**	**14,85.12**

विवरण 28.1: कर व्यय एवं लेखांकन लाभ के मध्य समाधान: (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखांकन लाभ	1,08,29.72	61,89.78
आय कर पूर्व लेखांकन लाभ	**1,08,29.72**	**61,89.78**
जोड़ें: कटौतियोग्य एवं गैर कटौतियोग्य मदें	(81.20)	(31.07)
स्थाई अस्वीकृति के समायोजन के पश्चात लेखांकन लाभ	**1,07,48.52**	**61,58.72**
चालू वर्ष के कर व्यय	26,95.91	15,80.17
कर दर	**25.08%**	**25.66%**
लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित आय कर व्यय	2,829.48	1,485.12
लेखांकन लाभ पर पूर्व वर्ष की मदों के प्रभाव सहित प्रभावी कर दर	**26.13%**	**23.99%**

विवरण 29: प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
	(रुपए प्रति शेयर)	
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	80.00	47.05
बंद प्रचालनों से	-	-
डायल्युटिड ईपीएस		
जारी प्रचालनों से	80.00	47.05
बंद प्रचालनों से	-	-

विवरण 29.1: प्रति शेयर मूल उपार्जन

पिछले वर्ष के संबंध में प्रति शेयर मूल उर्पाजन एवं ईपीएस के आकलन के लिए प्रयुक्त इक्विटी शेयरों से आय एवं भारित औसत संख्या का वर्ष के दौरान जारी बोनस शेयरों के समायोजन के पश्चात पुनःउल्लेख किया गया है। (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ		
जारी प्रचालनों से	80,00.24	47,04.66
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	**80,00.24**	**47,04.66**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपए है]	100.00	100.00

विवरण 29.2: प्रति शेयर डायल्युटिड आय

प्रति शेयर डायल्युटिड आय के उद्देश्य से इक्विटी शेयरों की भारित संख्या का प्रति शेयर मूल आय के आकलन के लिए उपयोग में लाई गई इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से निम्नानुसार मिलान होता है:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कम्पनी के इक्विटी धारकों से सम्बद्ध लाभ : – जारी प्रचालनों से – बन्द प्रचालनों से	80,00.24	47,04.66 -
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर डायल्युटिड उपार्जन की गणना के लिए प्रयुक्त आय	**80,00.24**	**47,04.66**
प्रति शेयर मूल उपार्जन के उद्देश्य से शेयरों की भारित औसत संख्या (लाख में) [प्रति शेयर अंकित मूलय 100 रुपए है]	100.00	100.00

विवरण 30: अनुमान एवं पूर्वानुमान

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के प्रति अनिश्चितता एवं प्रमुख स्रोतों से संबंधित प्रमुख पूर्वानुमान नीचे दिए गए हैं जिनसे अगले वित्तीय वर्ष में परिसपत्तियों और देनदारियों की वहन राशि के लिए सामग्री समायोजन का महत्वपूर्ण जोखिम हो सकता है।

- **पूंजी कार्य प्रगति पर:** कर्मचारी हितलाभ एवं अन्य ऐसे अप्रत्यक्ष व्यय जो परियोजना एवं परियोजना से अलग हैं, उन्हें संबंधित परियोजना कॉरीडोर एवं अन्य संबंध कारकों को विचार में लेकर प्रबंधन निर्णय के अनुसार आनुपातिक रूप से परियोजना से सम्बद्ध किया गया है।
- **पट्टाधारित भूमि:** कम्पनी द्वारा उन मामलों में ऐसी पट्टाधारित भूमि के पंजीकरण की संभावित लागत के अनुमान के लिए अपने निर्णय का उपयोग किया है जो पंजीकरण के लिए लंबित है। कम्पनी ने तुलन पत्र की प्रभावी तिथि के अनुसार सर्कल रेट के आधार पर पंजीकरण की लागत का अनुमान आंका है और भूमि का वास्तविक पंजीकरण होने तक प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को पुनरू अनुमान आंके जाएंगे।
- **ऋण लागत:** विदेशी मुद्रा ऋणों से उत्पन्न विनिमय दर भिन्नताओं के पूंजीयन के लिए इंड एएस 23 'ऋण लागतें" के पैराग्राफ 6(ङ) कम्पनी द्वारा अनुमानों का उपयोग किया गया है। कम्पनी ने कार्यात्मक मुद्रा में ऋण की लागत के साथ विनिमय उतार–चढाव हानि की तुलना के लिए संचयी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसके अनुमान कम्पनी के पास उपलब्ध् बाजार रूझान के अनुसार है।
- **प्रावधान:** तुलन पत्र की तिथि को दायित्व के निपटान के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
- **आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियां:** आकस्मिक देयताएं/परिसम्पतियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर होता तथा प्रत्येक तुलन पत्र तिथि को समीक्षा की जाती है एवं इनका समायोजन चालू प्रबंधन अनुमानों के अनुसार किया जाता है।
- **गैर–वित्तीय परिसम्पतियों की क्षमता हानि:** संपति, संयत्र एवं उपकरण की वसूली योग्य राशि तकनीकी विशेषज्ञों की निर्धारण के आधार पर तय की जाती है।
- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति:** आस्थगित कर परिसंपत्ति की पहचान भविष्य की कर योग्य आय की संभावना के आकलन के आधार पर की जाती है जिसके प्रति आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।
- **कर्मचारी सेवानिवृत्ति हितलाभ योजनाओं के अंतर्गत भावी दायित्व:** कर्मचारी हितलाभ दायित्वों का मापन बीमांकिक अनुमानों के आधार पर किया जाता है जिसमें मृत्यु दर और निकासी दरों के साथ–साथ भावी विकासों में छूट दर, वेतन वृद्धि की दर और मुद्रास्फीति दर से संबंधित अनुमान शामिल हैं। कम्पनी का यह मानना है कि उसके दायित्वों के मापन के लिए उपयोग किए जाने वाले अनुमा उचित और प्रलेखित हैं। तथापि, ऐसे अनुमानों से किसी परिवर्तन का परिणामी गणना पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है।
- **पट्टे:** कम्पनी अपने निर्णय का उपयोग इस निर्धारित के लिए करता है कि किसी अनुबंध में पट्टा शामिल है अथवा नहीं है, क्या पट्टा समझौते के विस्तार विकल्प एवं पट्टा अनुबंध की समाप्ति के विकल्प का प्रयोग किया जाएगा अथवा नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, कम्पनी द्वारा पट्टों के उपयोग और पट्टे की अवधि के लिए उचित छूट दर की गणना करने में अनुमान का उपयोग किया जाता है।
- **उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया वित्तीय** परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों का मापन डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन विधियों के उपयोग से किया जाता है। जहां संभव हो वहां इन विधियों के इनपुट अवलोकन योग्य बाजारों से प्राप्त किए जाते हैं, लेकिन जहां यह संभव नहीं है, उचित मूल्य ज्ञात करने के लिए कुछ सीमा तक विवेकी निर्णय लिए जाने की आवश्यकता होती है। निर्णय लेते समय चलनिधि जोखिम क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट पर विचार किया जाता है। इन कारकों से पूर्वानुमानों में परिवर्तन होने से वित्तीय प्रपत्रों के सूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

- **करः** आस्थगित कर परिसंपत्तियों की स्वीकृति तब की जाती है जब यह संभावना हो कि इससे ऐसे कर योग्य लाभ प्राप्त होंगे जिनके प्रति हानियों का उपयोग किया जा सकता है. आस्थगित कर संपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय की आवश्यकता होती है समय की अनुरूपता एवं भावी करयोग्य लाभ तथा योजना रणनीतियों पर आधारित होती हैं।
- **संपत्ति संयंत्र और उपकरण का उपयोज्यता कालः** टिप्पणी 2.7 में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल दिया गया है।

संपत्ति संयंत्र और उपकरणों का अनुमानित उपयोज्यता काल अप्रचलन मांग प्रतिस्पर्धा और अन्य आर्थिक कारकों के प्रभावों सहित कई कारकों पर आधारित है। कम्पनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में संपत्ति संयंत्र और उपकरणों के उपयोज्यता काल की समीक्षा करता है।

विवरण 31: पूंजी प्रबंधन

समूह अपनी पूंजी का प्रबंधन कम्पनी की गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने का सुनिश्चय करने एवं क्षमता को सुरक्षित करने के लिए करता है जिससे कि कम्पनी अपने शेयरधारकों एवं अन्य स्टेकधारकों को अधिकतम प्रतिफल प्रदान करती रह सके।

इसके अलावा कम्पनी अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन आर्थिक परिस्थितियों के परिवर्तन के प्रभाव एवं वित्तीय प्रसंविदाओं की अपेक्षाओं के अनुसार समायोजन के लिए करती है। पूर्वावधि से चालू अवधि में पूंजी के प्रबंधन के उद्देश्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

विवरण 32: ऋण निधियों का उपयोग

(i) धारक कम्पनी को एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट बैंक से पास थ्रू सहायता (अथवा बैंक टू बैंक आधार पर ऋण) के रूप में सॉवेरन ऋण के प्रति भारत सरकार से निधियां प्राप्त हुई हैं। इन निधियों का उपयोग उन मदों पर व्यय के लिए किया गया है जा एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक के साथ दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ परियोजना के लिए सहमत हुई हैं तथा संबंधित ऋण/परियोजना अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार हैं।

(ii) धारक कम्पनी को भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से इक्विटी, गौण नामे (केन्द्रीय कर), गौण नामे (राज्य कर) एवं गौण नामे (सरकारी भूमि) के प्रति गौण नामे प्राप्त हुए हैं। परियोजना स्वीकृति आदेश के अनुसार निधियों का उपयोग केवल दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस परियोजना पर व्यय जैसी मदों के वित्तीयन के लिए किया गया है।

टिप्पणी 33: अनुपात विश्लेषण

क्र. सं.	विवरण	गणक	विभाजक	चालू वित्तीय वर्ष	पूर्व वित्तीय वर्ष	% भिन्नता	भिन्नता के कारण
1	चालू अनुपात (समय पर)	चालू परिसम्पतियां	चालू देयताएं	0.61	1.45	-57.93%	चालू देयता में वृद्धि मुख्यतरू आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय से पास थ्रू सहायता, एमडीबी से प्राप्त ऋण का लंबित वितरण, के रूप में प्राप्त सहायता से संबंधित है
2	नामे इक्विटी अनुपात (समय पर)	कुल नामे	कुल इक्विटी	5.19	3.92	32.40%	परियोजना का प्रमुख स्रोत भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से प्राप्त गौण नामे सहित ऋण है। रिपोर्टिंग अवधि में ऋण का अंतर्प्रवाह बढ़ गया है।
3	इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल (% में)	कर पश्चात लाभ	कुल इक्विटी औसत	3.90%	2.83%	37.81%	समूह की कम्पनियां निर्माण चरण में होने तथा किसी प्रकार का प्रचालनात्मक लाभ न होने के कारण यह अनुपात तुलना योग्य नहीं है।
4	नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (% में)	ब्याज एवं कर पूर्व उपार्जन	नियोजित पूंजी	0.78%	0.69%	13.04%	समूह की कम्पनियां निर्माण चरण में होने तथा किसी प्रकार का प्रचालनात्मक लाभ न होने के कारण यह अनुपात तुलना योग्य नहीं है।

स्पष्टीकरण नोट

धारक कम्पनी के प्रचालन अभी न होने के कारण निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं है, तदनुसार वर्ष के लिए प्रकटीकरण नहीं किए गए हैः–

क. नामे सेवा कवरेज अनुपात

ख. मालसूची टर्नओवर अनुपात

ग. व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

घ. व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

ङ. निवल पूंजी टर्नओवर अनुपात

च. निवल लाभ अनुपात

छ. निवेश पर लाभ

विवरण 34: उचित मूल्य मापन

(i) वर्गानुसार वित्तीय लिखत (₹ लाख में)

विवरण	संदर्भ नोट	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
		परिशोधन लागत	
वित्तीय परिसम्पतियां			
(i) प्रतिभूति जमा	7 & 10.4	20,35.35	16,28.81
(ii) नकदी एवं नकदी समतुल्य	10.2	1,35,11.70	9,35,48.62
(iii) नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा बैंक शेष	10.3	19,71,49.99	17,36,42.92
(i) अन्य वित्तीय परिसम्पतियां	7 & 10.4	95,06.45	34,66.05
योग वित्तीय परिसम्पतियां		**22,22,03.49**	**27,22,86.40**
वित्तीय देयताएं			
(i) ऋण (संदर्भ टिप्पणी 15)	15	1,17,39,84.21	71,69,55.77
(ii) अन्य वित्तीय देयता – गैर चालू (संदर्भ टिप्पणी 16)	16	-	8.23
(iii) अन्य वित्तीय देयता – चालू	19.1 & 19.2	5,16,56.31	2,38,46.08
योग वित्तीय देयताएं		**1,22,56,40.52**	**74,08,10.08**

(ii) उचित मूल्य तारतम्यता

स्तर 1 – समान प्रकार की परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए सक्रिया बाजार से उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2 – स्तर 1 में उद्धृत मूल्यों से भिन्न उन इनपटों को शामिल किया गया है जो परिसंपत्ति अथवा देयता के संबंध में प्रत्यक्ष (यथा मूल्यों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष (यथा मूल्यों से निर्धारित) रूप में स्पष्ट हैं।

स्तर 3 –परिसंपत्तियों या देयताओं के लिए इनपुट, जो स्पष्ट बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (गैर स्पष्ट इनपुट)।

(iii) परिशोधन लागत के आधार पर उचित मूल्य पर मापन की गई परिसम्पतियों एवं देयताओं का प्रकटीकरण किया गया है।

(₹ लाख में)

विवरण	स्तर	31 मार्च, 2023 को स्थिति		31 मार्च, 2022 को स्थिति	
		वहन मूल्य	उचित मूल्य	वहन मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसम्पतियां					
(i) प्रतिभूति जमा (टिप्पणी 7 एवं 10.4)	स्तर 3	20,35.35	20,35.35	16,28.81	16,28.81
योग		**20,35.35**	**20,35.35**	**16,28.81**	**16,28.81**

क. नकदी एवं नकदी समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों तथा अन्य देयों को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण समान प्रकार से उचित मूल्य पर विचार में लिया गया है।

ख. दीर्घावधि के प्रतिभूति जमा के उचित मूल्य का आकलन चालू बाजार दर पर डिस्काउंट करके नकदी प्रवाह के अनुसार किया गया है। इनका वर्गीकरण उचित मूल्य तारतम्यता के स्तर–3 के अनुसार हैं क्योंकि इनमें गैर स्पष्ट इनपुट शामिल हैं।

(iv) उचित मूल्यों के निर्धारण के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकें एवं प्रक्रियाएं

क. 12 माह से कम परिपक्वता वाली वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के वहन मूल्यों को उनके उचित मूल्य की प्रस्तुति के लिए विचार में लिया गया है।

ख. अन्य वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं के उचित मूल्यों का अग्रेषण डिस्काउंट दर से नकदी प्रवाह प्रवाह को डिस्काउंट करते हुए परिशोधन लागत पर किया गया है।

नीचे दी गई तालिका में आवृति आधार एव परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियों एवं देयताओं की उचित मूल्य मापन तारतम्यता प्रस्तुत की गई है।

वित्तीय परिसम्पतियों के संबंध में उचित मूल्य मापन तारतम्यता का प्रमात्रात्मक प्रकटीकरणः– **(₹ लाख में)**

विवरण	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	योग
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैंः–				
प्रतिभूति जमा	-	-	20,35.35	20,35.35
31 मार्च, 2023 को स्थिति	-	-	20,35.35	20,35.35
विवरण	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**योग**
परिशोधन लागत पर मापन की गई वित्तीय परिसम्पतियां जिनके उचित मूल्य प्रकटीकरण किए गए हैंः–				
प्रतिभूति जमा	-	-	16,28.81	16,28.81
31 मार्च, 2022 को स्थिति	**-**	**-**	**16,28.81**	**16,28.81**

विवरण 35: वित्तीय जोखिम प्रबंधन

समूह के सम्मुख वित्तीय लिखतों के संबध में कोई जोखिम व्याप्त नहीं है। समूह की मूल वित्तीय देयताओं में ऋण, अन्य देय प्रतिभूति जमा एवं ईएमडी हैं। समूह की प्रमुख वित्तीय परिसम्पतियों में अन्य प्राप्य तथा नकद एवं नकद समतुल्य शामिल हैं जिनकी प्राप्ति प्रत्यक्ष रूप से इसके प्रचालनों से होती हैं। तथापि, प्रमुख प्रकार के जोखिम बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं चलनिधि जोखिम हैं। सम्मुख के सम्मुख व्याप्त अत्यधिक प्रमुख वित्तीय जोखिमों का वर्णन नीचे किया गया हैरू–

क). बाजार जोखिम

भारत सरकार द्वारा परियोजना लागत के 80% तक का परियोजना वित्तीयन (सरकारी भूमि, राज्य करों एवं निजी क्षेत्र की प्रतिभागिता के अलावा) बहुपक्षीय/द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त करने की संकल्पना के साथ दिनांक 7 मार्च, 2019 को दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ कॉरीडोर नामक प्रथम आरआरटीएस कॉरीडोर के लिए स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अनुसरण में भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक तथा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) से प्रत्येक 500 मिलियन डालर के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बाहा निधियन आर्थिक कार्य विभाग (डीईए) की मानक व्यवस्था के अनुसार बैक टू बैक आधार पर किया जाएगा। ऋण की शर्तों में एलआईबीओआर/एसओएफआर से सम्बद्ध परिवर्तनशील दरों पर अर्ध–वार्षिक ब्याज शामिल हैं तथा इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलआईबीओआर /एसओएफआर की मूवमेंट पर आधारित ब्याज दर जोखिम है।

विदेशी मुद्रा जोखिम

कम्पनी के सम्मुख भारत सरकार द्वारा बहुपक्षीय विकास बैंकों से प्राप्त ऋणों के संबंध में विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव के रूप में बाजार जोखिम व्याप्त है जो वित्त मत्रालय के साथ की गई मानक व्यवस्था के अनुसार बैक टू बैक आधार पर कम्पनी को पास ऑन किया जाता है। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं को विदेशी मुद्रा में चुकता किए जाने वाले भुगतान भी यूएसडी, यूरो तथा क्रोना की मूवमेंट से होने भारतीय रुपए पर होने बाजार जोखिम के कारक हैं।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समूह के सम्मुख व्याप्त महत्वपूण विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नलिखित हैंः–

31 मार्च, 2023 को स्थिति **(₹ लाख में)**

विवरण	संव्यवहार की मुद्रा			योग
	यूएसडी	यूरो	क्रोना	
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	56,05.85	67,98.36	6,59.22	1,30,63.43
योग	**56,05.85**	**67,98.36**	**6,59.22**	**1,30,63.43**

देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	30,43.85	5,67.47	70.25	36,81.57
ऋण	63,58,84.21	-	-	63,58,84.21
योग	**63,89,28.06**	**5,67.47**	**70.25**	**63,95,65.78**
31 मार्च, 2022 को स्थिति				
परिसम्पतियां				
ठेकेदारों को अग्रिम	64,19.25	1,05,72.91	9,06.57	1,78,98.73
योग	**64,19.25**	**1,05,72.91**	**9,06.57**	**1,78,98.73**
देयताएं				
अन्य वित्तीय देयताएं	6,86.63	4,12.97	-	10,99.60
ऋण	31,99,55.77	-	-	31,99,55.77
योग	**32,06,42.40**	**4,12.97**	**-**	**32,10,55.37**

ग) चलनिधि जोखिम

हमारी चलनिधि आवश्यकताओं की मासिक पूर्वानमानों के अनुसार निगरानी की जाती है। समूह के लिए चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी एवं नकदी समतुल्य हैं जो रिपोर्टिंग तिथि को अंशदान एवं सरकारी अनुदानध्गौण नामे के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

समूह अपनी चलनिधि आवश्यकताओं का प्रबंधन नकद अंतर्प्रवाह की निगरानी करके एवं नकदी एवं नकदी समतुल्यों का पर्याप्त अनुरक्षण करके करता है। किसी प्रकार की न्यूनता का निर्धारण निवल नकद अपेक्षाओं की तुलना में उपलब्ध नकदी में से किया जाता है।

अल्पावधि की चलनिधि अपेक्षाओं में मुख्यतरू प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार चुकता किए जाने विविध लेनदारों के देय, देय व्यय, धारण एवं व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया में उत्पन्न होने वाले जमा शामिल होते हैं। अपनी अल्पकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए समूह नकद एवं नकद समतुल्यों एवं अन्य बैंक शेष को पर्याप्त रूप से अनुरक्षित करता है।

समूह द्वारा अपनी दीर्घकालिक चलनिधि अपेक्षाओं की आवधिक आधार पर समीक्षा की जाती है तथा उनका प्रबंधन आंतरिक उपार्जनों के माध्यम से किया जाता है। समूह की गैर–चालू देयताओं में ब्याज मुक्त गौण नामे एवं पट्टा देयताओं का पुनर्भुगतान शामिल है।

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय देयताओं की अनुबंधित परिपक्वता का विवरण दिया गया है। इस तालिका का निर्माण समूह की ओर से अपेक्षित भुगतान से पूर्व की तिथि की वित्तीय देयताओं के नकद प्रवाह के आधार पर किया गया है।

31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार विवरण निम्नलिखित है:– **(₹ लाख में)**

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	-	1,17,39,84.21	1,17,39,84.21
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,17,39,84.21**	**1,17,39,84.21**

31 मार्च 2022 तक विवरण इस प्रकार हैं:– **(₹ लाख में)**

विवरण	6 माह से कम	6 माह से 1 वर्ष	1 से 3 वर्ष	3 से 5 वर्ष	5 वर्ष से अधिक	योग
ऋण	-	-	-	-	71,69,55.77	71,69,55.77
योग	**-**	**-**	**-**	**-**	**71,69,55.77**	**71,69,55.77**

टिप्पणी 36: प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां

36.1. प्रावधान

टिप्पणी 17 तथा टिप्पणी 22 में वर्ष के दौरान इंड–एएस 37 प्रावधान आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसम्पतियों के अंतर्गत किए प्रावधान एवं प्रावधानों की मूवमेंट से संबंधित प्रकटीकरण किए गए हैं।

36.2. आकस्मिक देयता

इंड एएस 37 'प्रावधान आकस्मिक देयताए और आकस्मिक परिसम्पतियां' के प्रकटीकरण के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण

31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार व्यवसाय के सामान्य क्रम में समूह की आकस्मिक देयता (ब्याज के अलावा) ठेकेदार द्वारा किए गए दावों के लिए 2,46,46.26 लाख रुपए (1,14,22.24 लाख रुपए) है, जिसकी समूह द्वारा ऋण के रूप में स्वीकृति नहीं की गई है।

36.3. आकस्मिक परिसम्पतियां

इंड एएस 37 'प्रावधानों आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक परिसम्पतियों' के अनुसार आकस्मिक परिसम्पतियों का प्रकटीकरण 31 मार्च 2023 तक समूह की आकस्मिक परिसम्पति शून्य (शून्य) है।

टिप्पणी 37 सम्बद्ध पार्टी प्रकटीकरण

इंड एएस 24 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' के अनुपालन में प्रकटीकरण निम्नलिखित हैः–

37.1 सम्बद्ध पार्टियों की सूची

37.1.1 प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं इक्विटी के लिए नामित निदेशक

नाम	पदनाम
श्री मनोज जोशी	अध्यक्ष
सुश्री अर्चना अग्रवाल	नामित निदेशक
श्री आशीष कुंद्रा	नामित निदेशक
श्री नितिन रमेश गोकर्ण	नामित निदेशक (01.05.2022 से)
सुश्री वीनू गुप्ता	नामित निदेशक (06.05.2022 से)
श्री बृजेश कुमार	नामित निदेशक (08.06.2022 से)
श्री अरुण कुमार गुप्ता	नामित निदेशक (03.08.2022 से)
श्री कुलदीप नारायण	नामित निदेशक (28.12.2022 से)
श्री विनय कुमार सिंह	प्रबंध निदेशक
श्री अनिल कुमार सिंगारिया	निदेशक परियोजना
श्री महेंद्र कुमार	निदेशक ई एंड आरएस
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक प्रणाली एवं परिचालन
सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक वित्त
श्री कामरान रिज़वी	नामित निदेशक (28.12.2022 तक)
श्री देवेन्द्र सिंह	नामित निदेशक (31.07.2022 तक)
श्री ओम प्रकाश सिंह	नामित निदेशक (31.05.2022 तक)
श्री टी. रविकांत	नामित निदेशक (06.05.2022 तक)
श्री दीपक कुमार	नामित निदेशक (01.05.2022 तक)
श्री विजय कुमार	कंपनी सचिव

37.1.2: सरकार से संबंधित कम्पनियां:

धारक कम्पनी आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अध्याधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। कम्पनी का प्रशासनिक नियंत्रण भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रपति के नाम 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार धारित 50% इक्विटी शेयरों तथा हरियाणा सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, राजस्थान सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक द्वारा 12.5% इक्विटी शेयर धारिता द्वारा किया जाता है। इंड एएस 24 के पैरा 25 एवं 26 के अनुसार जिन इकाईयों पर समान सरकार का नियत्रण अथवा संयुक्त नियंत्रण अथवा महत्वपूर्ण प्रभाव है तो रिपोर्टिंग इकाई एवं अन्य इकाईयों को सम्बद्ध पार्टी माना जाना है। इन पार्टियों के मध्य होने वाले संव्यवहार बाजार स्थितियों के अनुसार आर्म लैंथ आधार पर किए जाते हैं। समूह द्वारा सरकार से संबंधित इकाईयों के लिए उपलब्ध छूट का आवेदन किया गया है तथा इसके लिए वित्तीय विवरणों में सीमित प्रकटीकरण किए हैं।

समूह ने सरकार से संबंधित निम्नलिखित इकाईयों के साथ महत्वपूर्ण संव्यवहार किए हैं:–

इकाई का नाम	सम्बद्धता
आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय,भारत सरकार	प्रशासनिक मंत्रालय
रेल मंत्रालय, भारत सरकार	शेयरधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड	शेयरधारक
हरियाणा सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
राजस्थान सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
उत्तर प्रदेश सरकार	शेयरधारक एवं स्टेकधारक
दिल्ली मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
बेंगलुरू मैट्रो रेल निगम	समान मंत्रालय के अध्याधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम
हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हरियाणा सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

37.2: सम्बद्ध पार्टियों के साथ किए गए संव्यवहार निम्नानुसार हैं:–

37.2.1: प्रमुख प्रबंधन कार्मिक एवं निदेशक के साथ संव्यवहार

नाम	संबंध	भुगतान की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
शून्य				

37.2.2 प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को प्रतिपूर्ति:

निदेशकों तथा प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के अन्य सदस्यों को वर्ष के दौरान निम्नानुसार पारिश्रमिक दिया गया है:– (रुपए लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
अल्पकालिक हितलाभ	2,95.95	2,66.62
सेवानिवृत्ति पश्चात हितलाभ	49.15	33.41
अन्य दीर्घकालिक हितलाभ	40.60	33.96
	3,85.70	**3,33.99**

37.2.3 अन्य सम्बद्ध पार्टियों के साथ निम्नानुसार संव्यवहार किए गए हैं:– (रुपए लाख में)

विवरण	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष
प्राप्तियां / आय				
पास थ्रू सहायता सहित दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	47,10,00.00	44,72,00.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	18,00.00	82,00.00
दिल्ली एसएनबी आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	-	-
दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरीडोर परियोजना के लिए प्राप्त निधियां	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	13,06,00.00	5,70,00.00
निविदा दस्तावेज की बिक्री से प्राप्त	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	5.00
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	बेंगलुरू मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	22.42	-
परियोजना मॉनीटरिंग टूल स्पीड का कार्यान्वयन	हरियाणा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	2.66	-
परामर्श आय	हरियाणा मॉस रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	3,71.70	-
व्यय / भुगतान				
प्रशिक्षण व्यय	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	1,84.16	1,95.77
परामर्श	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	-	22.03
मशीनरी का किराया	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	3,74.94	-
अन्य	दिल्ली मैट्रो रेल निगम लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	0.05	
किराया प्रभार	बेंगलुरू मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	85.97	

37.2.4 अन्य सम्बद्ध पार्टियों से बकाया शेष निम्नानुसार है:– (₹ लाख में)

संव्यवहार की प्रकृति	सम्बद्ध पार्टी का नाम	सम्बद्धता की प्रकृति	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
		देयताएं / देय		
प्राप्त ऋण के प्रति राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	25,80,00.00	22,12,00.00
प्राप्त अग्रिम के प्रति राशि	भारत सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	30,38,56.77	15,82,79.89
प्राप्त अग्रिम के प्रति राशि	हरियाणा सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	2,47,50.00	2,29,50.00
प्राप्त अग्रिम के प्रति राशि	राजस्थान सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	5,00.00	5,00.00
प्राप्त ऋण के प्रति राशि	रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	1,79,00.00	1,79,00.00
प्राप्त ऋण के प्रति राशि	उत्तर प्रदेश सरकार	सरकार से संबंधित इकाई	26,22,00.00	15,79,00.00
व्ययों का पुनर्भुगतान	दिल्ली मैट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सरकार से संबंधित इकाई	0.03	-

टिप्पणी 38: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में लागू सीमा की पूर्ति करने वाली कम्पनी से अपने पिछले निकटतम तीन वित्तीय वर्षों के अपने औसत निवल लाभ का कम से कम 2% व्यय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित गतिविधियों पर करने की अपेक्षा की गई है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
i) पिछले वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	74.84	29.47
ii) वर्ष के दौरान समूह से व्यय के लिए अपेक्षित राशि	97.49	58.71
iii) वर्ष के दौरान व्यय न किया गया शेष	97.49	58.71
iv) वर्ष के दौरान किया गया व्यय	6.82	13.34
क. किन्हीं परिसम्पतियों का निर्माण / अधिग्रहण	-	-
ख. (क) के अलावा अन्य उद्देश्य से	6.82	13.34
v) वर्ष के अंत में व्यय न किया गया शेष (सीएसआर खाते में अलग से रखा गया)	1,65.51	74.84
vi) सम्बद्ध पार्टी संव्यवहारों का विवरण	-	-
vii) दायित्व के वहन के लिए किए गए प्रावधान के अनुसरण में प्रावधान के संचालन पर अनुबंध के माध्यम से किए गए व्यय	-	-
viii) वर्ष के दौरान व्यय न किए जाने के कारण	जारी परियोजनाओं से संबंधित	
ix) सीएसआर गतिविधि की प्रकृति रू आधुनिक कृषि व्यवहारों में बागवानी एवं सम्बद्ध कार्यों का कौशल प्रदान करने के लिए कौशल विकास / प्रशिक्षण कार्यक्रम, भीकनपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के सरकारी जूनियर हाई स्कूल में 4 कक्षाओं तथा सराय कालेखान, दिल्ली में 3 सार्वजनिक शौचालय सेट्स का निर्माण		

स्पष्टीकरण नोट:

(i) धारक कम्पनी ने वर्ष के दौरान निर्धारित समय सीमा में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135(6) का अनुसरण करते हुए एक अलग बैंक खाते में जारी परियोजनाओं से संबंधित 97.49 लाख रुपए (पिछले वर्ष 58.71 लाख रुपए) की अव्ययित राशि जमा करवाई है।

टिप्पणी 39: भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) – 19 "कर्मचारी हितलाभ" – 31.3.2023 की स्थिति के अनुसार प्रदर्शित मूल्य। वर्ष के अंत में कर्मचारी हितलाभों का बीमांकन मूल्यांकन किए जाने के संबंध में प्रकटीकरण

39.1 विभिन्न परिभाषित कर्मचारी हितलाभ योजनाओं का सामान्य वर्णन निम्नानुसार है:–

क) भविष्य निधि:

समूह की भविष्य निधि का प्रबंधन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा किया जाता है। समूह भविष्य निधि के प्रति पूर्व निर्धारित दर पर नियत अंशदान करता है। इस देयता की स्वीकृति बीमांकन आधार पर की जाती हैं।

ख) उपदान:

समूह द्वारा सामाजिक सुरक्षा उपायो के तौर पर समूह के कर्मचारियों को उनकी अधिवार्षिता सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र दिए जाने, शारीरिक आसामर्थ्यत्ता की स्थिति में उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

योजना का निधियन समूह करता है। इंड एएस–19 के अंतर्गत सूचना का प्रकटीकरण वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार किया गया है तथा देयता की स्वीकृति वास्तविक बीमांकन मूल्यांकन के अनुसार की गई है।

ग) पेंशन:

कर्मचारियों के लिए कम्पनी की अधिवार्षिता परिभाषित पेंशन योजना में पात्र कर्मचारियों के लिए मूल वेतन के 2.5% की दर से प्रावधान किए गए हैं।

अवधि के लिए किए जाने वाले अंशदान के प्रावधान का समूहन कर्मचारी लागत पर बीमाकन आधार पर किया गया है। प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के मामले में पेंशन अंशदान का आकलन मूल संगठन ध्सरकारी संगठन के अनुसार किया जाता है तथा लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

घ) सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा:

समूह की अपनी सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) हैं जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उसके पतिध्पत्नी को इंडोर उपचार के लिए नियमित कर्मचारी के संबंध में लागू समान दर पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है।

इसके प्रति देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

ङ) छुट्टी:

समूह द्वारा समूह के कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी एवं अर्द्ध वेतन छुट्टी के लाभ प्रदान किए जाते हैं जो प्रतिवर्ष क्रमशरू 30 दिन एवं 20 दिन हैं। सेवा के दौरान प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में एक बार केवल इस छुट्टी का नकदीकरण किया जा सकता है जबकि अधिवार्षित के समय अधिक 300 दिन (गैर नकदी योग्य भाग एवं कम्यूटेशन के बिना अर्द्ध वेतन छुट्टी) का नकदीकरण किया जाता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों के मामले में छुट्टी वेतन का अंशदान उनके मूल विभाग ध संगठन को उनके मूल विभाग ध संगठन के नियमों के आधार पर चुकता वेतन के अनुसार किया जाता है तथा इसका लेखांकन बीमांकन आधार पर होता है।

च) छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी):

समूह प्रतिनियुक्ति पर तैनात कर्मचारियों को उनके परिवार सहित मुख्यालय से किसी दुरस्थ पर स्थित उनके गृह स्थल अथवा कहीं अन्यत्र स्थल पर यात्रा हेतु विश्राम एवं मन बहलाव के लिए अपनी नीति के अनुसार वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इस देयता की स्वीकृति बीमांकन मूल्यांकन आधार पर की जाती है।

क) अन्य हितलाभ:

i) कर्मचारियों को अधिवार्षिता के समय अपने गृह स्थल अथवा कहीं अन्य ऐसे स्थल पर निवास के लिए, जहां वह अथवा उसका परिवार भारत में निवास करना चाहता है, वैयक्तिक सामान सहित परिवहन व्यय की पूर्ति की जाती है।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

ii) कम्पनी में अनेक वर्षों से कार्यरत कर्मचारियों की प्रतिबद्धता एवं योगदान को स्वीकृति प्रदान करना, उन्हें पुरस्कृत करने सहित उन्हें दीर्घकालिक सेवा पुरस्कार प्रदान करना।

इससे संबंधित देयता की स्वीकृति बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार होती है।

39.2 लाभ एवं हानि विवरण, अन्य व्यापक आय (ओसीआई) तथा तुलन पत्र में स्वीकृत विभिन्न परिभाषित हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति एवं अन्य प्रकटीकरण निम्नलिखित हैं:

(क) निवल परिभाषित हितलाभ दायित्व (₹ लाख में)

31.03.2023 की स्थिति के अनुसार	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	33.30
अधिग्रहण समायोजन	72.75	95.66	-	-	-
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
चालू सेवा लागत	1,66.99	5,00.51	4.81	1,45.05	2.51
चुकताध्बट्टा लेखित हितलाभ	(3.86)	(1,05.67)	-	-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभध(हानि)	(11.98)	(1,31.92)	(6.44)	31.11	0.03
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**6,78.35**	**13,20.07**	**8.82**	**4,14.69**	**36.15**
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
देयता का वर्तमान प्रारंभ मूल्य	2,65.29	5,62.74	1.06	1,23.25	2.08
अधिग्रहण समायोजन	21.19	48.81	-	-	-
ब्याज लागत	18.25	38.72	0.07	8.48	0.14
चालू सेवा लागत	1,25.26	3,57.62	5.99	88.75	1.73
चुकता/बट्टा लेखित हितलाभ	-	(9.98)	1.55	-	-
दायित्व पर बीमांकन लाभ/(हानि)	(6.02)	(1,00.91)	1.08	2.05	0.29
देयता का वर्तमान अंत मूल्य	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**	**4.24**

(ख) योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	6,78.35	13,20.07	8.82	4,14.69	36.15
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

विवरण	31.3.2022 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पति का प्रारंभ उचित मूल्य	-	-	-	-	-
योजना परिसम्पति पर वास्तविक लाभ	-	-	-	-	-
अंशदान	-	-	-	-	-
चुकता हितलाभ	-	-	-	-	-
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
दायित्व का वर्तमान अंत मूल्य	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	4.25
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-

(ग) तुलन पत्र में स्वीकृत राशि (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	6,78.35	13,20.07	8.82	4,14.69	36.15
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	6,78.35	13,20.07	8.82	4,14.69	36.15
	31.3.2022 की स्थिति				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
वर्ष के अंत में दायित्व के अनुमानित वर्तमान मूल्य	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	4.25
वर्ष के अंत में योजना परिसम्पतियों का उचित मूल्य	-	-	-	-	-
निधियन स्थिति	-	-	-	-	-
तुलन पत्र में स्वीकृत निवल देयता	4,23.97	8,97.00	9.75	2,22.53	4.25

(घ) लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	1,66.99	5,00.51	4.81	1,45.05	2.51
ब्याज लागत	30.48	64.49	0.70	16.00	0.31
बीमांकन (लाभ)/हानि	-	(1,31.92)	(6.44)	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**1,97.47**	**4,33.08**	**(0.93)**	**1,61.05**	**2.82**
	31.3.2022 की स्थिति				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
चालू सेवा लागत	1,25.26	3,57.62	5.99	88.75	1.73
ब्याज लागत	18.25	38.72	0.07	8.48	0.14
बीमांकन (लाभ)/हानि	-	(1,00.91)	1.08	-	-
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय तथा पूंजी कार्य प्रगति पर का योग	**1,43.51**	**2,95.43**	**7.14**	**97.23**	**1.87**

(ङ) अन्य व्यापक आय (लाभ)/हानि में स्वीकृत पुनर्मापन (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	11.98	-	-	31.11	(0.03)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**11.98**	**-**	**-**	**31.11**	**(0.03)**
	31.3.2022 की स्थिति				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
योजना परिसम्पतियों का पुनर्मापन	-	-	-	-	-
दायित्वों का पुनर्मापन	6.02	-	-	(2.05)	(0.29)
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत (लाभ)/हानि का योग	**6.02**	**-**	**-**	**(2.05)**	**(0.29)**

(च) गैर चालू एवं चालू दायित्वों का वर्गीकरण (₹ लाख में)

विवरण	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	6,51.78	12,00.63	4.41	4,13.73	29.82
चालू प्रावधान	26.57	119.44	4.41	0.97	6.33
योग प्रावधान	**6,78.35**	**13,20.07**	**8.82**	**4,14.70**	**36.15**
	31.3.2022 की स्थिति				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
गैर–चालू प्रावधान	4,17.36	8,49.40	4.88	2,22.02	4.22
चालू प्रावधान	6.61	47.60	4.87	0.51	0.02
योग प्रावधान	**4,23.97**	**8,97.00**	**9.75**	**2,22.53**	**4.24**

(छ) भारित औसत में अभिव्यक्त प्रमुख बीमांकन अनुमान (₹ लाख में)

	31.3.2023 की स्थिति				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%	7.39%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धित की संभावित दर	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)
	31.3.2022 की स्थिति				
विवरण	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
डिस्काउंट दर	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%	7.19%
ब्याज की इंप्युटिड (आरोपित) लागत	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धित की संभावित दर	6.50%	6.50%	NA	6.50%	6.50%
प्रयुक्त विधि	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)	प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट (पीयूसी)

संवेदी विश्लेषणः

उपर्युक्त सभी अन्य पूर्वानुमानों को स्थिर रखकर किए गए पूर्वानुमानों में परिवर्तन पर आधारित संवेदी विश्लेषण है। व्यावहारिक रूप से इनके घटित होने की संभावना नहीं है तथा पूर्वानुमानों के कुछ परिवर्तनों में सह–सम्बद्धता है। परिभाषित हितलाभ दायित्व की संवेदात्मकता का आकलन करते समय महत्वपूर्ण बीमांकन पूर्वानुमानों की समान विधि (प्रक्षेपित यूनिट क्रेडिट विधि) का उपयोग किया गया है जबकि परिभाषित हितलाभ दायित्व की वित्तीय स्थिति विवरण में स्वीकृति प्राप्त के अनुसार गणना की जाती है।

(₹ लाख में)

निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2023 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(41.48)	(80.38)	लागू नहीं	(28.42)	(0.47)
	-0.5%	45.68	89.28	लागू नहीं	30.51	0.49
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	36.07	89.62	लागू नहीं	NA	0.49
	-0.5%	(33.87)	(81.39)	लागू नहीं	NA	(0.48)
निम्नलिखित में परिवर्तन	31.3.2022 की स्थिति					
	पूर्वानुमानों में परिवर्तन	उपदान दायित्व का प्रभाव	छुट्टी नकदीकरण का प्रभाव	छुट्टी यात्रा रियायत का प्रभाव	सेवानिवृत्ति पश्चात कर्मचारी हितलाभ का प्रभाव	अन्यों से प्रभाव
डिस्काउंट दर	+0.5%	(26.18)	(65.84)	लागू नहीं	(15.25)	(0.28)
	-0.5%	28.85	60.24	लागू नहीं	16.37	0.29
वेतन वृद्धि दर	+0.5%	23.75	60.37	लागू नहीं	NA	0.29
	-0.5%	(22.38)	(66.48)	लागू नहीं	NA	(0.29)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख में)

परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल	31.3.2023 की स्थिति				
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	26.57	1,19.44	4.41	0.97	6.33
1–2 वर्ष	39.69	72.59	4.41	3.59	15.23
2–3 वर्ष	32.70	73.02	-	5.62	5.25
3–4 वर्ष	42.58	82.92	-	2.62	1.76
4–5 वर्ष	26.01	41.77	-	7.03	1.76
5–6 वर्ष	27.62	37.39	-	12.00	0.23
6 वर्ष से आगे	4,83.18	8,92.94	-	3,82.86	5.59
परिभाषित हितलाभ दायित्वों का परिपक्वता प्रोफाइल			31.03.2022		
	उपदान	अर्जित छुट्टी	छुट्टी यात्रा रियायत	सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा हितलाभ	अन्य
	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)	(गैर–निधियन)
0–1 वर्ष	6.61	47.60	4.88	0.51	0.02
1–2 वर्ष	18.20	70.30	4.87	1.93	0.02
2–3 वर्ष	31.47	51.32	-	3.02	0.03
3–4 वर्ष	23.10	44.67	-	1.41	0.06
4–5 वर्ष	26.79	54.47	-	3.77	0.08
5–6 वर्ष	16.21	26.77	-	6.43	0.06
6 वर्ष से आगे	3,01.59	6,01.87	-	2,05.46	3.98

नोट 40

"सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006" (एमएसएमईडी अधिनियम) में की गई परिभाषा के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों को देयताओं का विवरण निम्नलिखित हैः– **(₹ लाख में)**

क्र. सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
1	(i) प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को देय मूल राशि और ब्याज तथा उनका चुकता न किया गया शेष रू	-	-
	(ii) उपर्युक्त में से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों' को देय मूल राशि एवं उस पर देय ब्याज	22,91.73	2,45.54
		-	-
2	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के दौरान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 की धारा 16 के उपबंधों के अंतर्गत आपूर्तिकर्ता को नियत तिथि के पश्चात किए गए भुगतान के साथ चुकता ब्याज की राशि	-	-
3	भुगतान में देरी के कारण देय एवं भुगतान योग्य ब्याज की राशि (जो वर्ष के दौरान नियत तिथि के पश्चात चुकता की गई है) जिसमें सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अधिनियम 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार ब्याज जोड़ा नहीं गया है।	-	-
4	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में उपार्जित ब्याज की राशि तथा अचुकता शेष	-	-
5	आगामी वर्षों में भी देय बकाया ब्याज एवं भुगतान की राशि, जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम,2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौतियोग्य व्यय की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को ब्याज देय होने की तिथि से वास्तविक भुगतान किए जाने तक के लिए आकलन की जानी है।	-	-

*सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में की गई निर्दिष्टि के अनुसार नियत तिथियों को देयताओं का भुगतान किया गया है।

टिप्पणी 41: परिसम्पतियों की क्षमता हानि

समीक्षा के आधार पर प्रबंधन का यह मानना है कि समूह की गैर–वित्तीय परिसम्पतियों के आर्थिक निष्पादन संभावना से कम नहीं है तथा तदनुसार तुलन पत्र तिथि को किसी परिसम्पति के लिए कोई क्षमता क्षति नहीं हुई है।

टिप्पणी 42: शेष की पुष्टि

समूह में बैंकों तथा अन्य पार्टियों से शेष के संबंध में आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की प्रणाली स्थापित है। नामे अग्रिम एवं ऋणदाताओं के संबंध में पार्टियों को शेष पुष्टि के लिए पत्र भेजे गए थे। कुछ प्राप्य अन्य परिसम्पतियों एवं अन्य देयों के शेष पुष्टि/पुनःसमाधान एवं परिणामी समायोजन, यदि कोई हों, के अध्याधीन हैं। तथापि, प्रबंधन का यह मानना है कि ऐसी बकाया पुष्टियों ध पुनरूसमाधान से किसी प्रकार का वस्तुगत वित्तीय प्रभाव नहीं होगा।

टिप्पणी 43: संविदागत प्रतिबद्धताएं

परियोजना के संबंध में संविदागत प्रतिबद्धताओं का विवरण 68,16,12.75 लाख रुपए (पिछले वर्ष 1275302.62 लाख रुपये) है।

टिप्पणी 44: इंड एएस 116 रू पट्टे के अंतर्गत प्रकटीकरण

समूह ने विभिन्न कार्यालयों के साथ पट्टा अनुबंध किए हैं तथा प्रचालन पट्टों को स्वीकृति प्रदान की है।

(i) प्रारंभिक उपयोज्यता के लिए चयनित व्यवहार्य उपायों का संक्षेप

क) इस छूट को लागू किया गया है कि प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को 12 माह से कम के पट्टा काल वाली उपयोग अधिकार परिसम्पतियों एवं देयताओं को पट्टे के लिए स्वीकृत नहीं किया जाना है।

ख) प्रारंभिक उपयोज्यता की तिथि को उपयोग अधिकार वाली परिसम्पति के मापन में से प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों को शामिल नहीं किया जाना है।

ग) इंड एएस–116 की उपयोज्यता केवल उन्हीं अनुबंधों के लिए की जानी है जिनका पट्टा वर्गीकरण पहले इंड एएस–17 के अंतर्गत किया गया था।

घ) पट्टों के पोर्टफोलियो के लिए एकल डिस्काउंटर दर लागू की गई है।

ङ) यदि अनुबंध में पट्टे को विस्तारित करने अथवा समाप्त करने के विकल्प हैं तो पट्टा काल के निर्धारण के लिए दूरदृष्टि का उपयोग किया जाना है।

(ii) इंड एएस–17 के अंतर्गत पट्टा दायित्व एवं पारगमन की तिथि को पट्टा देयता के मूल्य के मध्य व्याप्त अंतर मुख्यतः पट्टा देयताओं की इंड एएस–116 के अंतर्गत वर्तमान मूल्य के अनुसार डिस्काउंटिंग किए जाने के कारण है।

(iii) समूह की प्रचालन पट्टे के अंतर्गत परिसम्पतियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: (₹ लाख में)

क्र. सं.	परिसम्पतियों का विवरण	पट्टा अवधि	वहन मूल्य		एसबीआई 3एम एमसीएलआर दर	समापन खंड	विस्तार विकल्प
			31 मार्च, 2023	31 मार्च 2022			
(क)	सीडब्ल्यूजी गाव में भूमि	5 साल	7.18	14.61	7.50%	पट्टादाता को अनुबंध समाप्त करने का अधिकार है	पट्टादाता को समझौते को आगे विस्तारित करने का अधिकार है।
	योग		**7.18**	**14.61**			

(iv). पट्टा देयताओं की मूवमेंट (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
वर्ष के प्रारंभ में अथ शेष	**16.19**	**165.98**
वर्ष के दौरान आवर्धन	-	
वर्ष के दौरान स्वीकृत ब्याज	1.21	12.45
पट्टा सुधार	-	-
वर्ष के दौरान भुगतानध नकदी बर्हिप्रवाह का योगध पट्टे के लिए समायोजन	9.17	162.24
वर्ष के अंत में अंत शेष	**8.23**	**16.19**

(v). समूह ने अल्पावधि के पट्टों अथवा न्यून मूल्य वाली परिसम्पतियों के पट्टों को स्वीकृति न दिए जाने का निर्धारण किया है। इन पट्टों से संबंधित व्यय पट्टा देयता को मापन में शामिल नहीं किया जाता है। इससे संबंधित विवरण नीचे दिया गया है:–

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
अल्पावधि पट्टे	12.86	98.03
योग	**12.86**	**98.03**

(vi). तुलन पत्र में पट्टा देयताओं की प्रस्तुति निम्नानुसार की गई है:– (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को स्थिति	31 मार्च, 2022 को स्थिति
चालू भाग	8.23	7.96
गैर–चालू भाग	-	8.23
योग	**8.23**	**16.19**

(vii). पट्टा देयताओं की गैर–डिस्काउंटिड आधार पर संविदागत परिपक्वता का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ लाख में)

	31 मार्च, 2023		
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1–2 वर्ष**	**2 वर्ष से अधिक**
पट्टा देयताए	8.23	-	
योग	**8.23**	-	-
		31 मार्च, 2022	
विवरण	**1 वर्ष से कम**	**1–2 वर्ष**	**2 वर्ष से अधिक**
पट्टा देयताए	7.96	8.23	-
योग	**7.96**	**8.23**	-

(viii). परिवर्तनीय पट्टा भुगतानों से संबंधित व्यय शून्य है।

(vi). उपयोग अधिकार वाली परिसम्पतियों के उप–पट्टों से प्राप्त होने वाली आय समूह के लिए लागू नहीं है।

(v). बिक्री एवं पट्टा वापसी संव्यवहारों से प्राप्त लाभ/हानि समूह के लिए लागू नहीं है।

टिप्पणी 45: घटक रिपोर्टिंग इंड एएस 108

समूह का प्रमुख व्यवसाय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्तपोषण करना है। कम्पनी भारत में प्रचालन करती है और इसके प्रचालन ऐसे आर्थिक परिवेश में नहीं होते जहां विभिन्न प्रकार के जोखिम एवं प्रतिफल हों। इस प्रकार इसे एकल भौगोलिक घटक में प्रचालन माना गया है।

घटक रिपोर्ट

समूह का रिपोर्ट योग्य केवल एक प्रचालनात्मक घटक है जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में क्षेत्रीय द्रुतगामी परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) के लिए डिजाइनिंग, निर्माण, वित्तपोषण करने से संबंधित है तथा यह अपनी सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठनात्मक संरचना एवं आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार एकल प्रचालन घटक है। तदनुसार समेकित इंडएएस वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत राशि समूह के एकल प्रचालन घटक से संबंधित है। वर्तमान में समूह के पास सावधि जमा परामर्श आय और अन्य विविध आय पर ब्याज आय के रूप में राजस्व के स्रोत हैं।

टिप्पणी 46: विदेशी मुद्रा में उपार्जन और व्यय **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
उपार्जन		
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव लाभ	4,78.17	2,83.18
योग	**4,78.17**	**2,83.18**
व्यय		
परामर्श	56,35.63	38,07.70
कार्य	6,98,78.34	5,20,51.57
अन्य	-	-
विदेशी मुद्रा उतार चढ़ाव हानि	3,43,19.44	53,90.90
योग व्यय	**10,98,33.41**	**6,12,50.17**

टिप्पणी 47:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना के माध्यम से भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियमावली, 2023 जारी की गई है। भारतीय लेखांकन मानक संशोधन नियमावली, 2023 में निम्नलिखित मानकों में संशोधन किए गए हैं:–

i) भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण (इंड एएस–101)

ii) शेयर आधारित भुगतान (इंड एएस–102)

iii) व्यवसाय सम्मिश्रण (इंड एएस–103)

iv) वित्तीय लिखत रू प्रकटीकरण (इंड एएस–107)

v) वित्तीय लिखत (इंड एएस–109)

vi) ग्राहकों के साथ अनुबंधों से प्राप्त राजस्व (इंड एएस–115)

vii) वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति (इंड एएस–1)

viii) लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों तथा चूकों में परिवर्तन (इंड एएस–8)

ix) आयकर (इंड एएस–12)

x) अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग (इंड एएस–34)

ये संशोधन 1 अप्रैल 2023 से अथवा उसके पश्चात की वार्षिक रिपोर्टिंग अवधियों के संबंध में लागू होंगे तथा इनमें निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

क) लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण –

इंड एएस 1 (वित्तीय विवरणों का निर्माण), इंड एएस 107 (वित्तीय लिखत: प्रकटीकरण) एवं इंड एएस 34 (अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- 'महत्वपूर्ण' शब्द को हटाकर 'सामग्रीगत' किया गया है।
- इकाईयों से यह अपेक्षित किया गया है कि वे महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के स्थान पर अपनी सामग्रीगत लेखांकन नीति का प्रकटीकरण करें क्योंकि 'सामग्री' इंड एएस में परिभाषित है तथा स्टेकधारक अच्छी तरह से समझते हैं।
- इस निर्धारण के लिए दिशानिर्देशन दिया गया है कि क्या लेखांकन नीति सूचना सामग्रीगत है अथवा नहीं है।

ख) लेखांकन अनुमानों की परिभाषा –

इंड एएस 8 (लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों एवं चूकों में परिवर्तन) में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

- 'लेखांकन अनुमान में परिवर्तन' की परिभाषा के स्थान पर 'लेखांकन अनुमान' की परिभाषा कर दिया गया है।
- 'लेखांकन अनुमान' में परिवर्तन की परिभाषा की प्रस्तुति इकाईयों को लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के स्थान पर लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन का अंतर समझने के लिए दी गई है।
- यह निर्धारित किया गया है कि लेखांकन अनुमान में परिवर्तन नई सूचना अथवा नए विकास के परिणामस्वरूप हो सकते हैं तथा यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं हैं और यदि पूर्वावधि की त्रुटियों के सुधार के परिणामस्वरूप उत्पन्न न हों तो लेखांकन अनुमान विकसित करने के लिए उपयोग की जाने वाली इनपुट अथवा मापन विधि में परिवर्तन के प्रभाव लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन होते हैं।

ग) एकल संव्यवहार से उत्पन्न परिसम्पतियों एवं देयताओं से सम्बद्ध आस्थगित कर–

इंड एएस 12 (आयकर) एवं इंड एएस 101 (भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण)

इस संशोधन से इंड एएस 12 के पैराग्राफ 15 एवं 24 के अनुसार छूट की स्वीकृति का दायरा सीमित हो गया है तथा यह अब ऐसे संव्यवहारों के संबंध में उपयोग के लिए नहीं है जिनसे प्रारंभिक स्वीकृति पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर उत्पन्न होते हैं, उदाहरण के लिए– पट्टों के मामले में एवं कमीशनिंग समाप्ति के दायित्व के मामले में।

घ) इंड एएस में संपादकीय सुधार

इंड एएस 101 (भारतीय लेखांकन मानकों का प्रथम बार अंगीकरण), इंड एएस 102 (शेयर आधारित भुगतान), इंड एएस 103 (व्यवसाय सम्मिश्रण), इंड एएस 109 (वित्तीय लिखत) एवं इंड एएस 115 (ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व) में हुए परिवर्तनों से संदर्भों एवं शब्दों आदि को अद्यतन किया गया है तथा इनसे इंड एएस के सिद्धांतों में परिवर्तन नहीं हुआ है।

टिप्पणी 48: इंड एएस –1 रू वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति से संबंधित प्रकटीकरण

चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों के साथ तुलनात्मक अवधि के वित्तीय विवरणों की तुलनात्मकता में संवर्धन के लिए कुछ पुनर्वर्गीकरण किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप कुछ लाइन मदों का तुलन पत्र में पुनर्वर्गीकरण किया गया है जिसका विवरण निम्नलिखित है:– **(₹ लाख में)**

विवरण	पुनर्वर्गीकरण से पूर्व	पुनर्वर्गीकरण	पुनर्वर्गीकरण के पश्चात
चालू परिसम्पतियां			
नकदी एवं नकदी समतुल्य	9,35,67.28	(18.66)	9,35,48.62
उपर्युक्त (ii) के अलावा बैंक शेष	17,36,24.26	18.66	17,36,42.92
गैर चालू परिसम्पतियां			
अन्य वित्तीय देयताएं	-	48.55	48.55
चालू देयताएं			
अन्य वित्तीय देयताएं	2,38,86.67	48.55	2,38,38.12

टिप्पणी 49: सहायक कम्पनी के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताएं दर्शाने वाला विवरण

49.1: व्यवसाय की सामान्य प्रकृति

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड भारतीय मूल की एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है तथा ट्रांजिट प्रणाली तथा अन्य अन्य सम्बद्ध कार्यों अथवा उप–प्रणालियों के किसी सामुच्चय की योजना, डिजाइनिंग, वित्तीयन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, परिचालन एवं अनुरक्षण के उद्देश्य से इसका निगमन 6 अगस्त, 2020 को हुआ था।

क. एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड*	
क.	निगमन की तिथि	6 अगस्त, 2020	
ख.	वित्तीय वर्ष समापन की तिथि	31–03–23	
ग.	व्यवसाय का प्रधान स्थल	भारत	
		वित्त वर्ष 22–23	**वित्त वर्ष 21–22**
घ.	शेयर पूंजी	100.00	100.00
ङ	अन्य इक्विटीध्आरक्षित एवं अधिशेष (यथा लागू)	(1.35)	(1.58)
च.	देयताएं	0.53	0.25
छ.	योग इक्विटी एवं देयता	**99.18**	**98.67**
ज.	योग परिसम्पतियां	99.18	98.67
झ.	निवेश	-	-
ञ.	टर्नओवर	-	19.72
ट.	कराधान पूर्व लाभ/(हानि)	0.31	3.27
ठ.	कराधान के लिए प्रावधान	0.08	0.99
ड.	कराधान के पश्चात लाभ	**0.23**	**2.28**
ढ.	अंतरिम लाभांश – इक्विटी	NA	NA
ण.	अंतरिम लाभांश – अधिमान	NA	NA
त.	प्रस्तावित लाभांश – इक्विटी	NA	NA
थ.	प्रस्तावित लाभांश – अधिमान	NA	NA
द.	% शेयर धारिता	100%	100%
ध.	जारी शेयरों की संख्या (लाख में)	1.00	1.00
न.	सहायक कम्पनी में कुल शेयर (लाख में)	1.00	1.00
प.	अधिग्रहण की तिथि को अधिग्रहित निवल परिसम्पतियां	100%	100%
फ.	प्रतिफल	100%	100%
ब.	वित्तीयन में स्वीकृत साख	-	-

*वित्तीय के आंकडे लेखापरीक्षित अंतिम लेखों पर आधारित हैं।

ख. कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसरण में अतिरिक्त सूचना

31 मार्च, 2023 को स्थिति (₹ लाख में)

इकाई का नाम	निवल परिसम्पतियां यथा कुल परिसम्पतियों घटा देयताओं का योग		लाभ अथवा (हानि) में अंशभाग		वर्ष के अंत में अन्य व्यापक आय में अंशभाग		कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित निवल परिसम्पतियों का %	राशि (रुपए)	समेकित लाभ अथवा हानि %	राशि (रुपए)	समेकित लाभ अथवा हानि %	राशि (रुपए)	समेकित कुल व्यापक आय का %	राशि (रुपए)
मूल कम्पनी								
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	100.00%	22,60,35.01	99.99%	79,99.08	100.00%	(20.28)	99.99%	79,78.80
सहायक कम्पनी								
एनसी. आरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लि. मिटेड	0.00%	(1.88)	0.01%	1.16	0.00%	-	0.01%	1.16
निवल योग	**100.00%**	**2,60,33.13**	**100%**	**80,00.24**		**(20.28)**		**79,79.96**

31 मार्च, 2022 को स्थिति (₹ लाख में)

इकाई का नाम	निवल परिसम्पतियां यथा कुल परिसम्पतियों घटा देयताओं का योग		लाभ अथवा (हानि) में अंशभाग		वर्ष के अंत में अन्य व्यापक आय में अंशभाग		कुल व्यापक आय में अंशभाग	
	समेकित निवल परिसम्प. तियों का %	राशि (रुपए)	समेकित लाभ अथवा हानि %	राशि (रुपए)	समेकित लाभ अथवा हानि %	राशि (रुपए)	समेकित कुल व्यापक आय का %	राशि (रुपए)
मूल कम्पनी								
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमि. टेड	100.00%	18,29,49.67	99.98%	47,03.84	100.00%	(2.75)	99.98%	47,01.09
सहायक कम्पनी								
एनसी. आरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लि. मिटेड	0.00%	(3.04)	0.02%	0.82	0.00%	-	0.02%	0.82
निवल योग	**100%**	**18,29,46.63**	**100%**	**47,04.66**	**100.00%**	**(2.75)**	**100%**	**47,01.91**

टिप्पणी 50:

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 24 मार्च, 2021 की अधिसूचना के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में कुछ प्रकटीकरणों के संबंध में संशोधन किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2021 से लागू हैं। समूह ने उक्त संशोधनों को अपने वित्तीय विवरणों में शामिल कर लिया है तथा उक्त संशोधन के अनुपालन के तौर पर निम्नलिखित नीचे प्रकटीकरण किए गए हैं:–

(i). वर्ष के दौरान समूह ने क्रिप्टो मुद्रा अथवा वर्चुअल मुद्रा में किसी प्रकार का व्यापार अथवा निवेश नहीं किया है।

(ii). समूह के पास इक्विटी परिवर्तन में अलग से प्रकटीकरण के लिए कोई पूर्वावधि चूकें नहीं हैं।

(iii). समूह के पास कोई प्रभार अथवा संतुष्टि नहीं है, जिसका पंजीयन आरओसी के सम्मुख सांविधिक अवधि की समाप्ति के पश्चात भी अब तक नहीं करवाया गया है।

(iv) समूह ने विदेशी इकाईयों (मध्यस्थों) सहित किसी भी अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा इकाई (ओं) को इस उद्देश्य से धनराशि का अग्रिम अथवा ऋण नहीं दिया है अथवा निवेश नहीं किया है कि मध्यस्थ रू

(क) समूह ("परम लाभग्राहियों") की ओर से किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में परम लाभग्राहियों की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के लिए, अथवा

(ख) अंतिम लाभार्थियों को अथवा उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही किसी गारंटी प्रदान करने के लिए।

(अ) समूह ने किसी व्यक्ति अथवा विदेशी इकाई सहित किसी इकाई ("निधियन पार्टी") से ऐसे किसी निर्धारण, (जो लिखित अथवा अन्य स्वरूप में रिकार्ड किया गया हो) के साथ कि समूह द्वारारू

(क) किसी भी स्वरूप में व्यक्तियों अथवा संज्ञान में ली गई इकाईयों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वरूप में निधियन पार्टी ("परम लाभग्राहियों") की ओर से ऋण अथवा निवेश करने अथवा

(ख) अंतिम लाभार्थियों की ओर कोई गारंटी, प्रतिभूति अथवा समरूपी लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदान करेगा।

(vi). समूह के पास प्रमोटरों, निदेशकों, मुख्य प्रबंधन कार्मिकों एवं अन्य संबंधित पार्टियों को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम नहीं है।

(vii). प्रबंधन के मतानुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और गैर–वर्तमान निवेशों के अलावा व्यवसाय के सामान्य क्रम में अन्य संपत्तियों का मूल्य तुलन पत्र में सूचित मूल्य से कम नहीं है।

(viii) उपयोग अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित संपत्ति संयंत्र और उपकरण का वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(ix) वर्ष के दौरान अमूर्त संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(x). समूह के पास कोई बेनामी सपत्ति नहीं है, जिसके संबंध में समूह के खिलाफ किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कोई कार्यवाही शुरू की गई है अथवा लंबित है।

(xi). समूह के पास निवेश संपत्ति नहीं है, इसलिए अनुसूची प्प् के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xii). समूह से बैंकों या वित्तीय संस्थानों को त्रैमासिक स्टॉक विवरण प्रस्तुत करने अपेक्षित नहीं है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiii). बैंकों या वित्तीय संस्थानों द्वारा समूह को जानबूझकर चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, इसलिए अनुसूची III के अनुसार अपेक्षित अनुवर्ती प्रकटीकरण लागू नहीं हैं।

(xiv). समूह द्वारा कपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियमावली, 2017 के साथ पठि अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) का अनुपालन किया गया है। तदनुसार कपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण अपेक्षित नहीं है।

(xv). कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत हटाई गई कंपनियों के साथ समूह का वर्ष के दौरान कोई संव्यवहार नहीं हुआ है। तदनुसार कपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के अनुसार रिपोर्ट अपेक्षित नहीं है।

टिप्पणी 51:

जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां चालू वर्ष की प्रस्तुति के साथ तुलनात्मकता के लिए पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुनः समूहन/पुनःव्यवस्थित/पुनर्वर्गीकरण किया गया है।

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड

(सीआईएनः यू60200डीएल2013जीओआई256716)

फार्म संख्या एओसी 1

सहायक कम्पनियों/सम्बद्ध कम्पनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

[कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2015 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप–धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में]

भाग क– सहायक कम्पनी (₹ लाख में)

1	सहायक कम्पनी का नाम	**एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड**
2	सहायक कम्पनी की रिपोर्टिंग अवधि	**01.04.2022 से 31.03.2023**
3	विनिमय दर	**लागू नहीं**
4	शेयर पूंजी	1,00.00
5	आरक्षित एवं अतिरेक	(1.35)
6	कुल परिसम्पतियां	99.18
7	कुल देयताएं	99.18
8	निवेश	-
9	टर्नओवर	-
10	कराधान पूर्व लाभ	0.31
11	कराधान के लिए प्रावधान	0.08
12	कराधान पश्चात लाभ	0.23
13	प्रस्तावित लाभांश	-
14	% शेयरधारिता	100%

भाग ख–सम्बद्ध कम्पनियां एवं संयुक्त उद्यम (₹ लाख में)

क्र. सं.	**सम्बद्ध कम्पनी का नाम**	
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र तिथि	-
2	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में कम्पनी द्वारा वर्ष के अंत में धारित शेयर	-
	संख्या	-
	सम्बद्ध कम्पनी/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	-
	शेयरधारिता का %	-
3	वर्णन करें कि महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे है	-
4	कारण बताएं कि सम्बद्ध/संयुक्त उद्यम कम्पनी को विचार में क्यों नहीं लिया गया है	-
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता से सम्बद्ध निवल सम्पति	-
6	वर्ष के दौरान लाभ/हानि	-
i.	समेकन के लिए विचार किया गया	-
ii.	समेकन के लिए विचार नहीं किया गया	-

हमारी समतिथि की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते **वी.एम.सी.ए. एंड एसोसिएट्स**
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण सं. 015546सी

कृते एवं निदेशक मंडल के निमित्त

हस्ता/–
विशाल गुप्ता
साझेदार
सदस्यता संख्याः 098796
यूडीआईएनः 23098796BGZOYZ9092
नई दिल्ली, 30 जून, 2023

हस्ता/–
विजय कुमार
कम्पनी सचिव
सदस्यता संख्या एफ7801

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएनः07916304

हस्ता/–
विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 06497700

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

संख्या / No. DGA/Infra/IHQ-I/27-113/2022-23/260

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग,
कार्यालय प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT,
OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), DELHI

दिनांक / Dated 01.09.2023

सेवा में,

प्रबंध निदेशक
नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड
गतिशक्ति भवन, आई एन ए
नई दिल्ली - 110023

विषय: **कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अधीन 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड के वार्षिक लेखों (Standalone & Consolidated) पर भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'टिप्पणियाँ'**

महोदय,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन लिमिटेड **(Standalone and Consolidated)** के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की 'टिप्पणियाँ' अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

भवदीया,
अतूर्वा सिन्हा
अतूर्वा सिन्हा
प्रधान निदेशक

संलग्न: 'टिप्पणियाँ **(Standalone and Consolidated)**

तृतीय तल, ए–स्कन्ध, इन्द्रप्रस्थ भवन, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002
3rd Floor, A-Wing, Indraprastha Bhawan, I.P. Estate, New Delhi-110002
दूरभाष/Tele.: 011-23378473, फैक्स/Fax : 011-23378432
E-mail : pdainfradl@cag.gov.in

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार निर्माण करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों के संबंध में अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143 के अंतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा अपनी दिनांक 30 जून, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत कर लिया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड एवं इसकी सहायक कम्पनी, एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के उक्त तिथि को समाप्त वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जांच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के आधार पर मैं अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो मेरी जानकारी में आए हैं तथा जो मेरे मतानुसार वित्तीय विवरणों एवं संबंधित लेखापरीक्षा रिपोर्ट की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए आवश्यक हैं।

क. तुलन पत्र

इक्विटी एवं देयताएं

गैर–चालू देयताएं

ऋण (नोट संख्या 15)–11,739.84 करोड़ रुपए

उपर्युक्त में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 5,381 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त गौण ऋण शामिल है। ऋणदाता राज्यों से संबंधित नोट संख्या 15 के स्पष्टीकरण नोट संख्या (iii) में यह उल्लेख है कि *'अन्य मेट्रो कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यवहार के अनुसार ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों पर किया गया है जिस मूल्य पर वे प्राप्त हुए हैं, अतः इन्हें इनका उचित मूल्य माना गया है।'*

'सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण' से संबंधित इंड एएस 20 के पैराग्राफ 10 क में यह उल्लेख है कि बाजार दर से कम ब्याज़ दर पर प्राप्त सरकार ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान माना जाना है। इसके अलावा, वित्तीय लिखत से संबंधित इंड एएस 109 के अनुसार ऋण की स्वीकृति एवं उसका मापन उचित मूल्य पर किया जाना आवश्यक है।

ऋण शून्य ब्याज दर पर होने के कारण उक्त ऋणों की स्वीकृति एवं मापन वित्तीय लिखित से संबधित इंड एएस109 पर किया जाना आवश्यक है। कम्पनी ने न तो उचित मूल्य पर ऋणों की स्वीकृति की है तथा न ही ऋणों की स्वीकृति उचित मूल्य पर न किए जाने कारण दिए हैं जो कि वित्तीय विवरणों में की गई प्रस्तुति के अनुसार इंड एएस 109 का उल्लंघन है।

इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इंड एएस 109 एवं इंड एएस 20 के उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट इस संदर्भ में अपूर्ण है।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/–
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थल: नई दिल्ली
तिथि: 01 सितम्बर, 2023

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(ख) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 से संबंधित एनसीआरटीसी के वित्तीय विवरणों (समेकित) से संबंधित दिनांक 1 सितम्बर, 2023 की सी एंड एजी रिपोर्ट पर प्रबंधन के उत्तर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियां	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर
क. तुलन पत्र इक्विटी एवं देयताएं गैर–चालू देयताएं ऋण (नोट संख्या 15) – 11,739.84 करोड़ रुपए उपर्युक्त में आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त 5,381 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त गौण ऋण शामिल है। ऋणदाता राज्यों से संबंधित नोट संख्या 15 के स्पष्टीकरण नोट संख्या (iii) में यह उल्लेख है कि 'अन्य मेट्रो कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यवहार के अनुसार ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों पर किया गया है जिस मूल्य पर वे प्राप्त हुए हैं, अतरू इन्हें इनका उचित मूल्य माना गया है।' 'सरकारी अनुदानों का लेखांकन एवं सरकारी सहायता का प्रकटीकरण' से संबंधित इंड एएस 20 के पैराग्राफ 10 क में यह उल्लेख है कि बाजार दर से कम ब्याज दर पर प्राप्त सरकार ऋण के लाभ को सरकारी अनुदान माना जाना है। इसके अलावा, वित्तीय लिखत से संबंधित इंड एएस 109 के अनुसार ऋण की स्वीकृति एवं उसका मापन उचित मूल्य पर किया जाना आवश्यक है। ऋण शून्य ब्याज दर पर होने के कारण उक्त ऋणों की स्वीकृति एवं मापन वित्तीय लिखित से संबंधित इंड एएस109 पर किया जाना आवश्यक है। कम्पनी ने न तो उचित मूल्य पर ऋणों की स्वीकृति की है तथा न ही ऋणों की स्वीकृति उचित मूल्य पर न किए जाने कारण दिए हैं जो कि वित्तीय विवरणों में की गई प्रस्तुति के अनुसार इंड एएस 109 का उल्लंघन है। इसके अलावा, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट में इंड एएस 109 एवं इंड एएस 20 के उल्लंघन का कोई उल्लेख नहीं किया है जिससे स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट इस संदर्भ में अपूर्ण है।	1. इंड एएस 109 में वित्तीय लिखतों का उचित मूल्यांकन प्रभावी ब्याज दर विधि से किए जाने की व्यवस्था है। मानक के पैरा 5.4.1 में प्रभावी ब्याज दर की गणना के लिए वित्तीय लिखतों का अनुमानित उपयोज्यता काल निर्धारित करने की व्यवस्था है। 2. भारत सरकार द्वारा परियोजना के संबंध में जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार इक्विटी पूंजी के स्थान पर प्रोमोटर अंशदान के प्रति, तथा साथ ही केन्द्रीय/राज्य करों एवं सरकारी भूमि के वित्तपोषण के लिए भी, गौण नामे (एसडी) प्रावधान किए गए हैं। 3. उपर्युक्त स्वीकृति आदेश के अनुसार कम्पनी से परियोजना के संबंध में प्राप्त सम्पूर्ण सीनियर ऋण का पुनर्भुगतान करने के पश्चात ही अपने शेयरधारकों को गौण ऋण का पुनर्भुगतान किए जाने किए जाने की अपेक्षा है। कृपया नोट करें कि स्वीकृति आदेश में गौण ऋण के लिए कोई निश्चित काल निर्धारित नहीं है। एनसीआरटीसी द्वारा अभी तक परियोजना से संबंधित सीनियर ऋणे सहित ऋणों को टाई अप न किए जाने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए पुनर्भुगतान किए जाने की तिथि का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, उचित मूल्यांकन के लिए अल्ट्रा लांग टर्म (अल्ट्रा दीर्घकालिक) नामे की ऐसी ब्याज दरें भारतीय बैंकिंग प्रणाली में प्रचलित नहीं हैं। 4. इस प्रकार, निर्धारक भिन्नताओं से संबंधित सूचना उपलबध न होने के कारण गौण ऋण का मूल्यांकन किया जाना संभव नहीं है। 5. एनसीआरटीसी द्वारा नोट संख्या 15 के माध्यम से वित्तीय विवरणों के नोट संख्या (i), (ii) एवं (iii) गौण नामे के मूल्यांकन से संबंधित निम्नलिखित प्रकटीकरण किए गए हैं:– (i) कम्पनी को आरआरटीएस के निर्माण के लिए ब्याज मुक्त गौण ऋण प्राप्त हुए हैं। इस ऋण का पुनर्भुगतान सीनियर ऋण का भुगतान करने के पश्चात किया जाना है। (ii) भारत सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त ब्याज मुक्त गौण ऋण का पुनर्भुगतान एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी), न्यू डेवलपमेंट बैंक (एनडीबी) तथा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इंवेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) को ब्याज युक्त सीनियर ऋण का पुनर्भुगतान किए जाने के पश्चात किया जाना है। (iii) ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों पर किया जाता है जिन मूल्यों पर उनकी प्राप्ति हुई थी, जो कि अन्य अन्य मेट्रो कम्पनियों द्वारा अनुसरण किए जा रहे व्यवहार के अनुसार है तथा इस प्रकार इसे उचित मूल्य माना गया है। 6. इसके अलावा, एनसीआरटीसी द्वारा महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के नोट संख्या 2.23 (उचित मूल्य मापन) में भी यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि "कम्पनी द्वारा ऐसी मूल्यांकन विधियों का उपयोग किया जाता है जो परिस्थितियों के अनुसार यथोचित हैं तथा जिनके संबंध में उचित मूल्य के मापन, सम्बद्ध प्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग में संवर्धन करने तथा अप्रत्यक्ष इनपुट के उपयोग में कमी लाने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है।" 7. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने ब्याज मुक्त गौण ऋणों का लेखांकन उन मूल्यों के अनुसार किया है जिन मूल्यों पर उनकी प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार, हमारे विचार से इंड एएस 109 के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है क्योंकि यथोचित प्रकटीकरण प्रस्तुत किए गए थे। 8. इसके अलावा, एनसीआरटीसी द्वारा उपर्युक्त उपचार का अनुसरण निरंतर किया जा रहा है। इस व्यवहार का अनुसरण अन्य मेट्रो कम्पनियां भी निरंतर कर रही हैं। 9. तथापि, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तुति की जाती है कि एनसीआरटीसी द्वारा विद्यमान प्रकटीकरणों की समीक्षा की जाएगी तथा वित्तीय वर्ष 2023–24 से वित्तीय विवरणों में यथोचित अतिरिक्त प्रकटीकरण किए जाएंगे। 10. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा की गई अतिरिक्त अनंतिम टिप्पणी के प्रत्युत्तर में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को दिए गए आश्वासन के अनुसार अतिरिक्त प्रकटीकरण प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

कृते एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड
के निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–	हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा	विनय कुमार सिंह
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ	प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 07916304	डीआईएनः 06497700

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 18.09.2023

दुहाई स्थित आरआरटीएस डिपो के अत्याधुनिक वर्कशॉप में हो रहा रैपिडएक्स ट्रेनों का रखरखाव

आरआरटीएस वायाडक्ट ने किया दिल्ली–मेरठ एक्सप्रेसवे को क्रॉस

अनेक चुनौतियों को पार कर अग्रिम चरण में पहुंचा मेरठ में टनलिंग का कार्य

प्रीकास्टिंग के व्यापक उपयोग द्वारा हो रहा तेज़ गति से निर्माण कार्य,
जनता के लिए सुनिश्चित की जा रही अधिक से अधिक सुविधा

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

कंपनी का विवरण

निदेशक मंडल	क्र.स.	नाम	पद	डीआईएन
	1	श्री विनय कुमार सिंह	अध्यक्ष	06497700
	2	श्री अनिल कुमार सिंगारिया	निदेशक	08507367
	3	श्री महेंद्र कुमार	निदेशक	07093637
	4	श्री नवनीत कौशिक	निदेशक	08624052
	5	सुश्री नमिता मेहरोत्रा	निदेशक	07916304
मुख्य कार्यकारी अधिकारी	श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव (10.08.2022 से प्रभावी)			
पंजीकृत कार्यालय	गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली – 110023 वेबसाइट: www.netraindia.in			
सीआईएन	U60300DL2020GOI367547			
होल्डिंग कंपनी	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड सीआईएन: U60200DL2013GOI256716			
होल्डिंग कंपनी	मैसर्स वी.पी.बत्रा एंड कं., नई दिल्ली			
होल्डिंग कंपनी	बैंक ऑफ बड़ौदा भारतीय स्टेट बैंक			

2022–23 की वर्षिक रिपोर्ट
अनुक्रमणिका

क्र.स	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	बोर्ड की रिपोर्ट	196
2.	एकल वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट	203
3.	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरण	211
4.	एकल वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ	233

बोर्ड की रिपोर्ट

सेवा में,
शेयरधारक,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (नेत्र),
नई दिल्ली

महोदय,

निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए कंपनी की तीसरी वार्षिक रिपोर्ट और लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों को, स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट तथा उस पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के साथ प्रस्तुत करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है।

1. वित्तीय उपलब्धियां

वित्तीय वर्ष 2022–23 के वित्तीय परिणाम इस प्रकार हैं: **(₹ लाख में)**

विवरण	2022-23	2021-22
कुल राजस्व (सेवाओं की बिक्री और ब्याज आय)	4.41	24.31
कुल व्यय	4.10	21.04
कर से पूर्व लाभ/(हानि)	0.31	3.27
वर्तमान कर	-	0.64
आस्थगित कर	0.08	0.35
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	0.23	2.28
निवल आस्ति	98.65	98.42

2. नियंत्रक, सहायक कंपनी और पूंजी संरचना

आपकी कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड ('होल्डिंग कंपनी') की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और संपूर्ण शेयर पूंजी, होल्डिंग कंपनी तथा उसके नामांकित व्यक्तियों के पास है। आपकी कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है।

कंपनी की वर्तमान अधिकृत और चुकता इक्विटी शेयर पूंजी 1,00,00,000 रुपये (केवल एक करोड़ रुपये) है जो 100 रुपये (सौ रुपये मात्र) प्रत्येक के 1,00,000 (एक लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

3. लाभांश

आपके निदेशकों ने, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी लाभांश की घोषणा नहीं कर रहे है।

4. सामान्य आरक्षित निधि का विनियोग

लाभ को प्रतिधारित अर्जन के रूप में रखा गया है और समीक्षाधीन वर्ष में सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरण के लिए किसी राशि की अनुशंषा नहीं की गई है।

5. भविष्य की रूप–रेखा और गतिविधियां

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने 02 मार्च 2023 को एनसीआरटीसी के साथ मैसर्स डॉयचे बान इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर, एनसीआरटीसी द्वारा निष्पादित दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के ओ एंड एम अनुबंध के प्रबंधन के लिए परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में कार्य करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. जमा

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत जनता से कोई जमा राशि आमंत्रित नहीं की है, इसलिए, बैलेंस शीट की तारीख को मूलधन या जनता से जमा पर ब्याज के रूप में कोई राशि बकाया नहीं थी।

7. कार्मिक और मानव संसाधन प्रबंधन

क. जन–शक्ति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी पुर्नकारिक में कोई भी कर्मचारी नहीं है। तथापि, होल्डिंग कंपनी एनसीआरटीसी के कुछ कार्मिकों को, कंपनी के दिन–प्रतिदिन के मामलों को संचालित करने के लिए अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है।

ख. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटीकरण

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी के पास पूर्णकालिक कर्मचारी नहीं है, हालांकि, आपकी कंपनी का लक्ष्य, महिला कर्मचारियों के लिए उपयुक्त कार्यस्थल व्यवहार जाग्रत करने और महिलाओं के प्रति संवेदीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण प्रदान करना है, इसलिए, आपकी कंपनी, एनसीआरटीसी (होल्डिंग कंपनी) में यौन उत्पीड़न के निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष के लिए अपनाई जाने वाली नीति के समान नीति अपनाएगी। वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

आपकी कंपनी, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध है।

8. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के तहत कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अनुसार जानकारी देने की आवश्यकता, भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर लागू नहीं होती है।

9. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (पी) के तहत, बोर्ड द्वारा अपने स्वयं के और अलग–अलग निदेशकों के कार्य–निष्पादन के संबंध में किए गए औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के बारे में विवरण:

आपकी कंपनी सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(पी) के प्रावधान और प्रासंगिक नियम भारत सरकार, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 05.06.2015 की राजपत्र अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए कंपनी पर लागू नहीं होते है।

10. लेखा परीक्षक:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए मैसर्स वी पी बत्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, नई दिल्ली को सांविधिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया था। सांविधिक लेखा परीक्षकों ने 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखाओं पर रिपोर्ट दे दी है। लेखा परीक्षकों ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है।

11. वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है। दिनाक 31 मार्च, 2023 को समाप्त अवधि के वित्तीय विवरणों पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के तहत भारत के नियत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी एंड एजी) की टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इसलिए, सी एंड एजी की टिप्पणियां और उन पर प्रबधन के उत्तर, यदि कोई हों, वित्तीय विवरणों के परिशिष्ट के रूप में, अलग से संलग्न किया जाएगा।

12. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर):

कंपनी को, वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर व्यय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुसरण में, सीएसआर योगदान के लिए निर्दिष्ट किसी भी मानदंड को आपकी कंपनी पूरा नहीं करती है।

13. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण और अनुसंधान एवं विकास पर व्यय:

क) ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी आत्मसात्करण, अनुसंधान और विकास पर व्यय से संबंधित कोई महत्वपूर्ण विवरण नहीं हैं, क्योंकि आपकी कंपनी के पास कोई विनिर्माण केन्द्र नहीं है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अपना कार्यालय एनसीआरटीसी (होल्डिंग कंपनी) से पट्टे पर लिया है, जिसमें ऊर्जा के संरक्षण के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं जैसे कार्यालय में ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर आदि का उपयोग।

ख) अनुसधान एवं विकास पर व्यय (राशि भारतीय रुपये में) – वर्ष के दौरान ऐसा कोई व्यय नहीं किया गया।

14. विदेशी मुद्रा आय और व्यय

वर्ष के दौरान कंपनी के खाते में विदेशी मुद्रा में कोई आय या व्यय नहीं हुआ है।

15. निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के प्रावधानों के अनुसार आपका बोर्ड पुष्टि करता है कि:

क) वित्तीय विवरणों का निर्माण करते समय लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है तथा सामग्रीगत विचलन, यदि कोई है, तो उनके संबंध में यथोचित स्पष्टीकरण दिए गए हैं।

ख) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए गए हैं जो वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और अवधि से संबंधित कंपनी के लाभ और हानि की सत्य एवं स्वच्छ छवि की प्रस्तुति के लिए औचित्यपरक एवं विवेकसम्मत हैं।

ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पतियों की सुरक्षा और जालसाजी एवं अन्य अनियमितताओं से बचाव करने एवं उन्हें ज्ञात करने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों के अनुरक्षण के प्रति उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की है।

घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखों का निर्माण गोइंग कंसर्न आधार के सुनिश्चय के लिए किया है। तथा

ङ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां विकसित की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त एवं प्रभावी ढंग से कार्यशील थीं।

16. निदेशक मंडल और उसकी बैठकें:

16.1 दिनांक 31.03.2023 को निदेशक मंडल का संघटन निम्नानुसार था:

क्र. सं.	नाम	डीआईएन	पदनाम	नियुक्ति की तारीख
1	श्री विनय कुमार सिंह	06497700	अध्यक्ष	06.08.2020
2	श्री अनिल कुमार सिंगारिया	08507367	निदेशक	06.08.2020
3	श्री महेन्द्र कुमार	07093637	निदेशक	06.08.2020
4	श्री नवनीत कौशिक	08624052	निदेशक	06.08.2020
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	07916304	निदेशक	06.08.2020

16.2 समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

16.3 बोर्ड ने, श्री गजेन्द्र कुमार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के स्थान पर दिनांक 10.08.2022 से श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव को कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है।

16.4 स्वतंत्र निदेशकगण

आपका बोर्ड आगे पुष्टि करता है कि कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) संशोधन नियमावली, 2017 दिनांक 5 जुलाई, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, आपकी कंपनी को स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है।

16.5 बोर्ड की बैठकें और उपस्थिति:

वित्तीय वर्ष 2022–2023 के दौरान, आपके बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित विवरण के अनुसार चार बार हुईं। बोर्ड की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण नीचे दिया गया है:–

आठवीं	नौवीं	दसवीं	ग्यारहवीं
14.06.2022	22.09.2022	19.12.2022	17.03.2023

16.6 बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति:

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	बोर्ड की बैठकें			पिछली एजीएम में उपस्थिति	अन्य कंपनियों में निदेशक के रूप में सदस्यता की संख्या
		आयोजित	उपस्थिति की पात्रता	उपस्थिति		
1	श्री विनय कुमार सिंह, अध्यक्ष	4	4	4	हां	3
2	श्री अनिल कुमार सिंगारिया, निदेशक	4	4	3	हां	1
3	श्री महेन्द्र कुमार, निदेशक	4	4	3	नहीं	2
4	श्री नवनीत कौषिक, निदेशक	4	4	3	हां	1
5	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक	4	4	3	हां	3

16.7 आम सभा की बैठकें और उपस्थितिः

बैठक संख्या	दिनांक	वित्तीय वर्ष	समय	स्थान	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
दूसरी वार्षिक आम सभा	22.09.2022	2021-22	13:00 hrs	पंजीकृत कार्यालय	नहीं

16.8 बोर्ड की समितिः

कंपनी की केवल एक समिति यानी निवेश समिति है। निवेश समिति के गठन, बैठक और उपस्थित सदस्यों का विवरण नीचे दिया गया है:

क) विचारार्थ विषयः – निवेश समिति, कंपनी की निवेश नीति के प्रावधानों के अनुसार निवेश की जांच करती है और सिफारिशें करती है।

ख) बैठकों की संख्याः– वर्ष के दौरान निवेश समिति की चार (04) बैठकें क्रमशः नीचे दिए गए विवरण के अनुसार आयोजित की गई थीं:

चौथी	पांचवीं	छठी	सातवीं
04.08.2022	31.10.2022	09.12.2022	31.03.2023

ग) वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान, निवेश समिति के सदस्यों का संघटन एवं श्रेणी तथा बैठक में उपस्थिति इस प्रकार है:–

क्र. सं.	निदेशकों के नाम	पद	उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकें	बैठक में उपस्थिति
1.	श्री अनिल कुमार सिंगारिया, निदेशक	सदस्य	4	4
2.	श्री महेन्द्र कुमार, निदेशक	सदस्य	4	4
3.	श्रीमती नमिता मेहरोत्रा, निदेशक	सदस्य	4	4

17. जोखिम प्रबंधन

कंपनी की कार्यशील प्रतिष्ठान स्थिति को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई जोखिम तत्व नहीं है।

18. संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, होल्डिंग कंपनी अर्थात् एनसीआरटीसी को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के दायरे में आने वाले संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं की गई। संबंधित पक्ष के साथ कंपनी द्वारा की गई संविदा/संविदाओं या व्यवस्था/व्यवस्थाओं के विवरण का प्रकटीकरण, इस रिपोर्ट में संलग्न फॉर्म–एओसी–2 में किया गया है।

19. ऋण, गारंटी या निवेश का विवरणः

कंपनी द्वारा, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया था और इसलिए, उक्त प्रावधान लागू नहीं है।

20. ऋणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई ऋण नहीं है।

21. महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएंः

इस वित्तीय विवरण से संबंधित वित्तीय वर्ष के अंत से लेकर इस रिपोर्ट की तारीख के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं घटित नहीं हुई।

22. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना मांगने के लिए कोई आवेदनपत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कंपनी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रविधानों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रणालियां स्थापित की हैं।

23. कंपनी निम्नलिखित की पुष्टि करती है:

क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार किसी भी निदेशक को नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

ख) कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, स्वेट इक्विटी शेयर और ईएसओपी की सुविधा वाले कोई इक्विटी शेयर जारी नहीं किये हैं।

ग) वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया।

घ) निदेशक के किसी भी रिश्तेदार को लाभ के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

ङ) व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

च) वित्तीय विवरण कंपनी द्वारा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए लागू लेखांकन मानकों के अनुसार तैयार किए गए और ये वित्तीय विवरण एवं उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

छ) कंपनी के पास कोई ऐसी राशि अप्रयुक्त नहीं पड़ी थी जिसे निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता हो।

ज) कंपनी द्वारा क्रमश 'निदेशक मंडल की बैठकों' और 'आम बैठकों' से संबंधित आईसीएसआई द्वारा जारी लागू सचिवीय मानकों, यानी एसएस–1 और एसएस–2 का विधिवत पालन किया गया है।

झ) धारा 143 (12) के तहत लेखा परीक्षकों द्वारा संसूचित धोखाधड़ी के संबंध में स्वतंत्र वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी की ऐसी कोई रिपोर्टें नहीं है, केवल उन रिपोर्टों को छोड़कर जो केंद्र सरकार को रिपोर्ट करने योग्य हैं।

ञ) इस अवधि के दौरान किसी भी वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर गैर–अनुपालन, जुर्माना, आक्षेप आरोपित किए जाने की कोई घटना घटित नहीं हुई।

ट) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xi) के तहत प्रकटीकरणरू वित्तीय वर्ष के अंत तक की स्थिति के अनुसार, वर्ष के दौरान दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ और न ही कोई कार्यवाही लंबित है।

ठ) कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(5)(xii) के तहत प्रकटीकरणरू एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का कोई मामला नहीं है।

ड) लेखापरीक्षा समिति से संबंधित प्रावधान, कंपनी पर लागू नहीं है।

24. नियामकों द्वारा पारित बड़े और महत्वपूर्ण आदेशः

प्राधिकारियों द्वारा कोई ऐसा प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया गया है जो भविष्य में कंपनी की कार्यशील प्रतिष्ठान की स्थिति और कंपनी के प्रचालन को प्रभावित करता हो।

25. वार्षिक रिटर्नः

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, कंपनी का वार्षिक रिटर्न https://www.ncrtc.in/reports/ पर उपलब्ध है।

26. राजभाषाः

आपकी कंपनी, राजभाषा के प्रयोग संबंधी भारत सरकार के निदेशों को लागू करने के ठोस प्रयास करती आ रही है।

27. सतर्कताः

कंपनी, उचित समय के भीतर, सतर्कता विंग की स्थापना के लिए कदम उठाए जाएंगे। 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार कोई सतर्कता मामला लंबित नहीं है।

28. शेयरधारकों को सूचनाः

कंपनी के वित्तीय विवरण और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी कंपनी के हितधारकों को उपलब्ध है। यदि किसी भी हितधारक को किसी भी समय ऐसी किसी भी जानकारी की आवश्यकता है, तो वह, कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस पर कार्यालय खुलने के समय के दौरान इसका निरीक्षण कर सकता है।

29. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उसकी पर्याप्तताः

कंपनी, उपयुक्त निगरानी प्रचालन और वैधानिक कानूनों, विनियमों तथा कंपनी की नीतियों के अनुपालन सहित आंतरिक नियंत्रण की एक समुचित प्रणाली की व्यवस्था रखती है।

30. लागत रिकॉर्ड का रखरखावः

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा यथा–निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड तैयार रखने की आवश्यकता कंपनी को नहीं है।

31. आगारः

निदेशक मंडल, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निरंतर सहयोग और समर्थन के लिए उसका आभारी है। निदेशक मंडल शेयरधारकों, अन्य हितधारकों, बैंकरों, होल्डिंग कंपनी अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक (सी एंड एजी) के निरंतर समर्थन के लिए पूरी निष्ठा से उनकी सराहना करता है।

निदेशकगण, कंपनी के संचालन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कंपनी के सभी अंशकालिक कर्मचारियों की, उनके बहुमूल्य योगदान और समर्पित प्रयासों के लिए ईमानदारी से सराहना करते हैं और उन्हें धन्यवाद देते हैं।

32. अनुलग्नक:

विवरण	अनुलग्नक
फॉर्म एओसी–2	I
31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और स्वतंत्र वित्तीय विवरण	-

कृते एवं एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौषिक
निदेशक
डीआईएनः 08624052

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.06.2023

अनुलग्नक-I

फार्म सं. एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उप–धारा (3) के खंड (एच) और कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप–धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षों के साथ कंपनी द्वारा किए गए अनुबंधों/व्यवस्थाओं के विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र, जिसमें 31 मार्च 2023 तक उसके तीसरे परंतुक के तहत कतिपय स्वतंत्र अप्रभावित लेन–देन।

1. अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का ब्योरा, जो आर्मस लेंथ सीधे आधार पर न हों

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा संबंधित पक्ष के साथ ऐसे किसी अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन पर हस्ताक्षर नहीं किए गए, जो स्वतंत्र अप्रभावित आधार पर नहीं थे।

2. सामग्री अनुबंध या व्यवस्था या आर्मस लेंथ के आधार पर लेनदेन का विवरण:

(क)	(ख)	(ग)	(घ)	(ड)	(च)
संबंधित पार्टी का नाम और संबंध की प्रकृति	**अनुबंध/व्यवस्था/लेनदेन की प्रकृति**	**संविदा की अवधि व्यवस्था/लेनदेन**	**अनुबंध या व्यवस्था की मुख्य शर्तें या मूल्य सहित, यदि कोई हो**	**बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख/तारीखें**	**अग्रिमों के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो (₹ में)**
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी)	दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्रचालन एवं अनुरक्षण अनुबंध के प्रबंधन के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त करने के लिए एनसीआरटीसी (होल्डिंग कंपनी) के साथ करार	करार दिनांक 02 मार्च 2023 को निष्पादित किया गया था, और यह 03 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड द्वारा निष्पादित गतिविधियों की लागत का भुगतान, अनुबंध मूल्य (जीएसटी को छोड़कर) के अनुसार देय राशि के 6% की दर से प्रचालन एवं अनुरक्षण प्रचालक को परियोजना प्रबंधन सलाहकार के नाते किया जाएगा	लागू नहीं	शून्य
	एनसीआरटीसी का कार्यालय परिसर पट्टे पर लेने के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के साथ पट्टा करार	01.10.2022 से आरंभ होकर 01.09.2023 तक ग्यारह (11) महीने	18 नवंबर 2022 को ₹ 15,535/– प्रतिमाह किराए, लागू करों के साथ, का पट्टा करार निष्पादित किया गया	लागू नहीं	शून्य

कृते एवं एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
के निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौषिक
निदेशक
डीआईएनः 08624052

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 13.06.2023

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
माननीय सदस्यगण,
एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
नई दिल्ली

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट

मत

हमने एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (ष्कंपनीष्) के संलग्न स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण की लेखापरीक्षा की हैं, जिसमें 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार बैलेंस शीट और उसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष की अन्य व्यापक आय सहित वर्ष का लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, तथा भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण संबंधी टिप्पणियों के साथ महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी सूचनाएं सम्मिलित हैं।

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण ों के अनुसार, उपर्युक्त स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, यथा–संशोधित कंपनी अधिनियम (ष्अधिनियमष्) के अनुसार यथा–अपेक्षित आवश्यक सूचना प्रदान करता है और कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015, (भारतीय लेखाकरण मानक) के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखाकरण मानकों, और भारत में सामान्यतया स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुपालन में, 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की स्थिति, और उसी तारीख को समाप्त वर्ष की अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि, इक्विटी में परिवर्तन और उसके नकदी प्रवाह की एक सही और निष्पक्ष तसवीर प्रस्तुत करता है।

मत का आधार

हमने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार यह लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अंतर्गत हमारी जिम्मेदारियों का विस्तृत विवरण, हमारी रिपोर्ट के 'स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण खंड की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां' खंड में दिया गया है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता और कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों तथा उनके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार, भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा से संगत नैतिक अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी फर्म, कंपनी से स्वतंत्र अस्तित्व रखती है और हमने, इन अपेक्षाओं तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की आचार संहिता के अनुरूप अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का निर्वाह किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के बारे में हमारे मत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचना

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य सूचना में, मंडल की रिपोर्ट में शामिल जानकारी सम्मिलित है, जिसमें मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट शामिल हैं, लेकिन इसमें स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है, जो कि लेखा परीक्षक की उक्त रिपोर्ट की तारीख के बाद हमें उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ऊपर अभिनिर्धारित अन्य सूचना के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य सूचना, स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी से असंगत है अथवा अन्यथा झूठे विवरण से युक्त प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए लेखापरीक्षा कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य सूचना में झूठा विवरण दिया गया है, तो हमसे अपेक्षा है कि हम उस तथ्य की रिपोर्टिंग करें। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल, इन स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जिनसे भारत में सामान्यतया स्वीकृत भारतीय लेखाकरण मानक और अन्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी में परिवर्तन और कंपनी के नकद प्रवाह के बारे में सही एवं निष्पक्ष तसवीर प्राप्त होती है। इस उत्तरदायित्व में, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी की आस्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए पर्याप्त लेखा अभिलेख का अनुरक्षणय उपयुक्त लेखा नीतियों का चयन और अनुप्रयोगय तर्कसंगत और विवेकपूर्ण निर्णय करना और अनुमान लगानाय और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिकल्पन, कार्यान्वयन और रखरखाव करना भी शामिल है, जो लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे और जो ऐसे स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक थे, जिनसे एक सही और निष्पक्ष तसवीर मिलती है और जो झूठे विवरण से मुक्त हों, चाहे ये झूठे विवरण धोखाधड़ी से दिए गए हों या गलती से।

स्वतंत्र वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रबंधन, कंपनी के एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की क्षमता का आकलन करने, कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने से जुड़े यथा–प्रयोज्य मामलों के प्रकटीकरण और लेखाकरण के कार्यशील संस्था संबंधी आधार का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है, जब तक कि प्रबंधन का या तो कंपनी को समाप्त करने का या प्रचालन बंद करने का इरादा न हो या ऐसा करने के अलावा उसके पास कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है।

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक के दायित्व

हमारा उद्देश्य इस विषय पर तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, समग्र रूप से झूठे विवरण से मुक्त हैं या नहीं, चाहे वह झूठा विवरण धोखाधड़ी से दिया गया हो या गलती सेय और अपने मत सहित लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है। तर्कसंगत आश्वासन का आशय उच्च स्तर के आश्वासन

सें है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुपालन में संचालित की गई लेखापरीक्षा में झूठे विवरण, यदि ऐसे झूठे विवरण का अस्तित्व हो, का पता हर हालत में लग ही जाएगा। झूठे विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और झूठा विवरण उस स्थिति में महत्वपूर्ण हो जाता है जब, अलग–अलग रूप में या समग्र रूप में, इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय, इन झूठे विवरणों से प्रभावित हो जाने की यथोचित अपेक्षा की जा सकती हो।

सांविधिक लेखापरीक्षा के अनुसार की जाने वाली लेखापरीक्षा के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखापरीक्षा प्रक्रिया में व्यावसायिक संदेह बनाए रखते हैं। हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण झूठे विवरणों के जोखिमों को पहचानना और उनका आकलन करना, चाहे ये झूठे विवरण धोखाधड़ी से दिए गए हों या गलती से दिए गए हॉय उन जोखिमों के निराकरण के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं का अभिकल्पन और निष्पादन करना, और ऐसे लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले महत्वपूर्ण झूठे विवरण का पता न लग पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप दिए जाने वाले झूठे विवरण से अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर की गई चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रणों की अनदेखी शामिल हो सकती है।
- मौजूदा परिस्थितियों में यथोचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के अभिकल्पन के लिए लेखापरीक्षा से संगत आंतरिक नियंत्रण की समझ पैदा करना। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम इस बिन्दु पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है और कि क्या ऐसे नियंत्रण, प्रभावी रूप से प्रचालन में हैं।
- प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखाकरण अनुमानों और संबंधित प्रकटीकरण के औचित्य का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन द्वारा लेखाकरण की कार्यशील संस्था अवधारणा के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई बड़ी अनिश्चितता अस्तित्व में है, जिससे कार्यशील संस्था के रूप में कार्य करने की कंपनी की क्षमता पर गहरा संदेह पैदा हो सकता हो। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई बड़ी अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें लेखापरीक्षक की अपनी रिपोर्ट में स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में किए गए संबंधित प्रकटीकरण की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी मत को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी, कार्यशील संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषयवस्तु का मूल्यांकन करना, और यह देखना कि क्या वित्तीय विवरणों से अंतर्निहित लेनदेन एवं घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व हो रहा है जिससे प्रस्तुति की निष्पक्षता प्रकट हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय–सारणी तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में कंपनी के प्रशासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं, जिसमें, आंतरिक नियंत्रण में मौजूद ऐसी महत्वपूर्ण कमियां भी शामिल होती हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान करते हैं।

हम, कंपनी के प्रशासन के लिए उत्तरदायी लोगों को यह विवरण भी उपलब्ध कराते हैं कि हमने लेखापरीक्षा की स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक अपेक्षाओं का पालन किया है, और उन सभी संबंधों एवं अन्य मामलों से भी अवगत कराते हैं जिनका प्रभाव हमारी स्वतंत्रता पर पड़ने की समुचित संभावना व्यक्त की गई हो, साथ ही, जहां लागू हो, वहां इससे संबंधित सुरक्षा उपाय भी सूचित करते हैं।

अन्य विधिक और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (11) की शर्तों के अनुरूप भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश ('आदेश'), 2020 की अपेक्षा के अनुसार, हमने अनुलग्नक 'क' में, आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण दिया है।

2. अधिनियम की धारा 143(3) की आवश्यकतानुसार, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने ऐसी समस्त जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

ख) हमारे मतानुसार, कंपनी ने विधि द्वारा अपेक्षित बही–खातों का सही प्रकार से रखरखाव किया है, जैसा कि उन बही–खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट द्वारा जांचे गए तुलन–पत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ और हानि विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण बही–खातों से मेल खाता है।

घ) हमारे मतानुसार, उपर्युक्त स्वतंत्र वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखाकरण मानक का अनुपालन करते हैं।

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधान लागू नहीं हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावी परिचालन के संबंध में, "अनुलग्नक ख"में हमारी पृथक रिपोर्ट देखें।

छ) हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुरूप लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हम यह सूचित करते हैं कि:

क) कंपनी पर ऐसा कोई मुकदमा लंबित नहीं है जिसके लिए भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

ख) कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित ऐसा कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं है जिसके कारण कोई वास्तविक, पूर्वानुमान–योग्य हानि हुई हो।

ग) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा किए जाने की आवश्यकता हो।

घ)(i) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, किसी भी प्रकार की निधि (या तो उधार ली गई धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत से) को (जो अलग–अलग या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो), कंपनी द्वारा, लिखित रूप में दर्ज या अन्यथा बनी इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ('मध्यस्थ') सहित किसी संस्था को या में, अग्रिम या उधार या निवेश के रूप में, प्रदान नहीं किया गया है, कि मध्यस्थ, कंपनी ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

(ii) प्रबंधन ने यह अभ्यावेदन किया है कि, अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, किसी भी प्रकार की निधि (जो अलग–अलग या कुल मिलाकर महत्वपूर्ण हो), कंपनी द्वारा, लिखित रूप में दर्ज या अन्यथा बनी इस समझ के साथ किसी अन्य व्यक्ति या विदेशी संस्था ('वित्तपोषक पक्ष') सहित किसी संस्था से, प्राप्त नहीं की गई है, कि वित्तपोषक पक्ष ('अंतिम लाभार्थी') द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से अभिनिर्धारित अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या उनमें निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, प्रतिभूति या इसी तरह का कोई आश्वासन प्रदान करेगा।

(iii) मौजूदा परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी गई लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि नियम 11(ई) के उपखंड (i) और (ii) के तहत किए गए अभ्यावेदन, जो कि ऊपर (i) और (ii) में प्रदान किए गए हैं, में कोई भी महत्वपूर्ण झूठा विवरण शामिल है।

ङ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किसी लाभांश की घोषणा या भुगतान नहीं किया गया है।

ज) भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी, दिनांक 5 जून 2015 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं है।

3. अधिनियम की धारा 143(5) की अपेक्षाओं के अनुसार और भारत के नियंत्रक व महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निदेशों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क्रम संख्या	निदेश	लेखापरीक्षक के उत्तर
(i)	क्या कंपनी में ऐसा तंत्र लागू किया गया है कि समस्त लेखाकरण प्रविष्टियों का प्रक्रमण सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से हो? यदि हां, तो यह बताएं कि लेखाकरण प्रविष्टियों का प्रक्रमण, सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली से बाहर कराने का कैसा प्रभाव लेखाओं की संपूर्णता पर पड़ेगा? साथ ही साथ, इसके वित्तीय प्रभाव, यदि हों, तो बताएं।	कंपनी में, लेखाकरण से संबंधित समस्त लेनदेन को सूचना–प्रौद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से संसाधित कराने की प्रणाली विद्यमान है। समस्त लेखाकरण लेनदेन का लेखाजोखा आईटी प्रणाली के माध्यम से रखा जाता है और लेखाओं की संपूर्णता पर इसका कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ा है।
(ii)	ऋण लौटा पाने में कंपनी की असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा ऋणों/लेनदारियों/ब्याज आदि की अदायगी से छूट देने/बट्टे खाते में डालने के अनुरोध के कोई मामले या विद्यमान ऋण की पुनर्संरचना का कोई मामला क्या सामने आया है? यदि हां, इसके वित्तीय प्रभाव के बारे में बताए। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब–किताब रखा गया है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निदेश ऋणदाता कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक पर भी लागू होता है)	ऐसा कोई मामला नहीं है।
(iii)	क्या केन्द्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य निधियों का उचित लेखा–जोखा/उपयोग, इन निधियों के नियमों एवं शर्तों के अनुसार किया गया है? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	ऐसा कोई मामला नहीं है।

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के औचित्य पर विचार करते हुए, हमें यह सूचित करना है कि: –

(i) वर्तमान में, कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां नहीं है, इसलिए खंड (i)(क) और (i)(ख) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(ii) (क) वर्तमान में, कपनी के पास कोई वस्तु–सूची नहीं है, अतरू खंड (ii) (क) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(ख) वर्ष में किसी भी नियत समय के दौरान कपनी को, चालू आस्तियों की प्रतिभूति के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से, कुल मिलाकर, 5 करोड रुपए की कार्यशील पूंजी सीमाओं से अधिक की राशि संस्वीकृत नहीं की गई है।

(iii) कंपनी ने, कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या अन्य पार्टियों को कोई भी रक्षित या अरक्षित ऋण नहीं दिया है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड 3 (iii) (क), (ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) की अपेक्षाएं लागू नहीं होती हैं।

(iv) कंपनी के पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 में संदर्भित कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूति नहीं हैं। तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (iv) लागू नहीं होता है।

(v) कंपनी ने जनता से कोई जमा धनराशि स्वीकार नहीं की है।

(vi) हमें दी गई सूचना के अनुसार, कंपनी द्वारा संचालित की जाने वाली गतिविधियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत लागत अभिलेख रखा जाना निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) (क) वैधानिक बकाया राशि के संबंध में हमें उपलब्ध कराए गए अभिलेखों, सूचनाओं और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी सामान्यतया, उसकी ओर से देय वस्तु एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य संवर्धित कर, उप कर तथा किसी अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देयों सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि को समुचित प्राधिकारियों के पास नियमित तौर पर जमा करती है और 31 मार्च, 2023 को, कोई भी निर्विवाद देय राशि, देय होने की तारीख के बाद छह महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया नहीं थी।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए उप खंड (क) के संबंध में ऐसे कोई विवादित वैधानिक देय नहीं हैं, जो जमा न कराए गए हों।

(viii) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में आय के रूप में कोई भी ऐसा लेन–देन दर्ज नहीं किया गया है, जिसे वर्ष के दौरान सरेंडर या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया हो।

(ix) हमारी राय में तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण और अन्य उधारों के पुनर्भुगतान में या किसी भी ऋणदाता को ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है और इसलिए यह खंड लागू नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड ix(ख), (ग), (घ), (ड.) और (च) की अपेक्षा लागू नहीं होती है।

(x) (क) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर (ऋण लिखत सहित) और मियादी ऋण के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं जारी नहीं किया है।

(xi) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के प्रति या कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान कोई धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा (12) के तहत केंद्र सरकार के पास कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित एडीटी–4 के रूप में लेखा परीक्षकों द्वारा कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

(ग) वर्ष के दौरान, कंपनी को शव्हिसिल ब्लोअरश से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारे मतानुसार और हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, यह कंपनी निधि कंपनी नहीं है।

(xiii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन, अधिनियम की यथा–प्रयोज्य धारा 177 और 188 के अनुपालन में है, और प्रयोज्य लेखाकरण मानकों की अपेक्षा के अनुसार, भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों आदि में इसके विवरण का प्रकटीकरण किया गया है।

(xiv) कंपनी को, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार आंतरिक लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 में प्रदत्त मापदंड को पूरा नहीं करती है।

(xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेख की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुडे व्यक्तियों के साथ गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) कंपनी एक गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी और कोर निवेश कंपनी नहीं है, इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की

धारा 45–IA के तहत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप, कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 के खंड xvi (क), (ख), (ग), (घ) की अपेक्षा कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को, हमारी लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल वित्तीय वर्ष में और इससे ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद नुकसान नहीं हुआ है।

(xviii) वर्ष के दौरान सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कोई त्यागपत्र नहीं दिया गया है।

(xix) वित्तीय अनुपात, पुराने पड़ जाने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ अन्य जानकारी के आधार पर, और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर, हमारी यह राय है कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख को कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है और कि कंपनी, बैलेंस शीट की तारीख में मौजूदा देनदारियों को, जब ऐसी देनदारियां बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होती हैं तो, पूरा करने में सक्षम है।

(xx) कंपनी अधिनियम की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं क्योंकि यह कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 में दिए गए मानदंडों को पूरा नहीं करती है।

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

अनुपालन प्रमाण पत्र

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निदेशों/उप–निदेशों के अनुसार 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के खातों की लेखापरीक्षा की है और हम यह प्रमाणित करते हैं कि हमने, हमें जारी किए गए सभी निदेशों/उप–निदेशों का अनुपालन किया है।

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कंपनी के स्वतंत्र भारतीय मानक वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षक की सम तिथि की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप–धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों संबंधी रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2023 की स्थिति के अनुसार, एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड (ष्कंपनीष्) की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की अपनी लेखापरीक्षा के साथ की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में मार्गदर्शक टिप्पणी' में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रणों के मूलभूत तत्वों को ध्यान में रखते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में स्थापित मानकों पर आधारित, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उनका अनुपालन करने का दायित्व कंपनी के प्रबंधन का है। इन दायित्वों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा तैयार करना, उनका कार्यान्वयन करना और उनका अनुपालन करते रहना शामिल है जिनका प्रयोग कंपनी के व्यवसाय का व्यवस्थित एवं दक्ष संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से प्रभावी रूप से अमल में लाया जा रहा था, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत यथा–अपेक्षा कंपनी की नीतियों का अनुपालन करना, उसकी परिसंपत्तियों की संरक्षा करना, धोखाधड़ी और त्रुटियों से बचना और उनका पता लगाना, लेखाकरण अभिलेखों की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करना तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना समय से तैयार करना सम्मिलित है।

लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारा दायित्व, हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के बारे में अपना मत व्यक्त करने का है। हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी 'वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के बारे में जारी मार्गदर्शक टिप्पणी' ("मार्गदर्शक टिप्पणी") और लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया है, जोकि आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर यथा–स्थिति प्रयोज्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अधीन निर्धारित समझे गए हैं, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की किसी भी लेखापरीक्षा पर लागू होते हैं, और दोनों ही भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। इन मानकों और मार्गदर्शक टिप्पणियों में यह अपेक्षित है कि हम नैतिक आचरण संबंधी अपेक्षाओं का अनुपालन करने और इस बारे में यथोचित रूप से आश्वस्त होने के लिए योजना बनाकर लेखापरीक्षा करें जिससे पता चल सके कि पर्याप्त आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग की स्थापना और अनुपालन किया गया है या नहीं और कि क्या ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी रूप से संचालित हो रहे थे।

हमारी लेखापरीक्षा में, वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनके प्रचालन संबंधी प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को क्रियान्वित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को समझना, किसी गंभीर कमजोरी की मौजूदगी के कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम का आकलन करना, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रूपरेखा एवं प्रचालन प्रभावकारिता का परीक्षण एवं मूल्यांकन करना शामिल था। प्रक्रियाओं का चयन लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करता है, जिसमें वित्तीय विवरणों के गंभीर मिथ्या कथनों, चाहे वे कपट से किए गए हों या गलती से हो गए हों, के जोखिमों का आकलन शामिल है।

हमें विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वे, इस कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की प्रणाली के बारे में हमारे लेखापरीक्षा मत का आधार बनने के लिए पर्याप्त और यथोचित हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरण तैयार किए जाने के बारे में यथोचित आश्वासन प्रदान किया जाता है। किसी कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में वे नीतियां और पद्धतियां शामिल होती हैं, जो (1) ऐसे अभिलेख तैयार किए जाने के बारे में होती हैं, जो उस कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और प्रवृत्ति की परिशुद्ध और निष्पक्ष तस्वीर यथोचित विवरण के साथ प्रस्तुत करते हैंय (2) इस आशय का यथोचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि लेनदेन विवरण, यथावश्यक तरीके से इस प्रकार तैयार किया गया है, जिससे वित्तीय विवरण सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किए जा सके हैं, और कि कंपनी में प्राप्ति और व्यय, कंपनी के प्रबंधन एवं निदेशकों को दिए गए प्राधिकार के अनुसरण में ही किया जा रहा हैय तथा (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, अथवा निपटान, जिनका गंभीर प्रभाव वित्तीय विवरणों पर पड़ सकता था, से बचाव या इनका समय से पता लग जाने का यथोचित आश्वासन प्रदान करते हों।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अन्तर्भूत सीमाओं, जिसमें सांठ–गांठ अथवा कुप्रबंधन, नियंत्रणों की अनदेखी शामिल है, के कारण गलती या धोखाधड़ी से किए जाने वाले वस्तुगत मिथ्या कथन होने और इनका पता भी न चल पाने की स्थिति बन सकती है। साथ ही, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का आकलन भावी अवधियों पर आरोपित किए जाने में जोखिम यह हो सकता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण, परिस्थितियों में बदलाव के कारण या फिर नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की मात्रा में कमी आ जाने से अपर्याप्त सिद्ध हो सकते हैं।

राय

हमारे मतानुसार कंपनी में, समग्र रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली मौजूद है तथा वित्तीय रिपोर्टिंग कँ लिए इस प्रकार की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, 31 मार्च, 2023 तक, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा संबंधी मार्गदर्शक टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के मूलभूत तत्वों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के मानदंडों की स्थापना के आधार पर प्रभावी ढंग से काम कर रही थी।

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2023 का तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
I.	**परिसंपत्तियां**			
1	**गैर–चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण		-	-
	(ख) आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	3	0.86	0.94
	(ग) अन्य गैर–चालू परिसंपत्तियां			
			0.86	**0.94**
2	**चालू परिसंपत्तियां**			
	(क) वित्तीय परिसंपत्तियां	4		
	(i) व्यापार प्राप्य	4.1	-	-
	(ii) नकद एवं नकद समकक्ष	4.2	71.61	6.35
	(iii) ऊपर (ii) को छोड़कर बैंक शेष	4.3	25.50	71.00
	(iv) अन्य	4.4	0.77	17.76
	(ख) चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	5	0.08	1.77
	(ग) अन्य चालू परिसंपत्तिया	6	0.36	0.85
			98.32	**97.73**
कुल परिसंपत्तियां			**99.18**	**98.67**

सम तिथिकी हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौशिक
निदेशक
डीआईएन: 08624052

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2023 का तुलन–पत्र

(₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
II.	**इक्विटी और देयताएं**			
1	**इक्विटी**			
	(क) इक्विटी शेयर पूंजी	7	100.00	100.00
	(ख) अन्य इक्विटी	8	(1.35)	(1.58)
			98.65	**98.42**
2	**देयताएं**			
(i)	**गैर–चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(ख) प्रावधान		-	-
			-	-
(ii)	**चालू देयताएं**			
	(क) वित्तीय देयताएं			
	(i) अन्य वित्तीय देयताएं	9	0.53	0.15
	(ख) अन्य चालू देयताएं	10	-	0.10
	(ग) अल्पावधि प्रावधान		-	-
			0.53	**0.25**
कुल इक्विटी और देयताएं			**99.18**	**98.67**

सामान्य सूचना	1
महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश	2
लेखाओं पर टिप्पणियां	3 से 30

सम तिथिकी हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौशिक
निदेशक
डीआईएन: 08624052

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि विवरण (₹ लाख में)

विवरण		टिप्पणी संख्या	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	प्रचालनों से राजस्व	11	-	19.72
II	अन्य आय	12	4.41	4.59
III	**कुल राजस्व (I + II)**		**4.41**	**24.31**
	व्यय			
	कर्मचारी हितलाभ व्यय	13	-	7.19
	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय		-	-
	अन्य व्यय	14	4.10	13.85
IV	**कुल व्यय (IV)**		**4.10**	**21.04**
V	**आपवादिक मदें एवं कर पूर्व लाभ/(हानि) (III - IV)**		**0.31**	**3.27**
VI	आपवादिक मदें		-	-
VII	**कर पूर्व लाभ/(हानि) (V - VI)**		**0.31**	**3.27**
VIII	कर व्यय			
	(1) वर्तमान कर		-	0.64
	(2) पूर्व वर्ष कर		-	-
	(3) आस्थगित कर		0.08	0.35
IX	**चालू प्रचालनों से इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (VII-VIII)**		**0.23**	**2.28**
X	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि)		-	-
XI	बंद प्रचालनों का कर व्यय		-	-
XII	बंद प्रचालनों से लाभ/(हानि) (X - XI)			
XIII	**इस अवधि के दौरान लाभ/(हानि) (IX + XII)**		**0.23**	**2.28**
XIV	**अन्य व्यापक आय**			
	क. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं किया जाएगा		-	-
	ख. (i) मदें जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा			
	(ii) उन मदों से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किया जाएगा		-	-
XV	**इस अवधि के लिए कुल व्यापक आय (XIII + XIV) जिसमें इस अवधि कालाभ (हानि) एवं अन्य व्यापक आय शामिल है**		**0.23**	**2.28**
XVI	**प्रति इक्विटी शेयर अर्जनः**	15		
	(1) मूल (₹ में) (फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपए)		0.23	2.28
	(2) विलयित (₹ में) (फेस वैल्यू 100 भारतीय रुपए)		0.23	2.28

टिप्पणियां, इन वित्तीय विवरणों का अभिन्न अंग हैं।

सम तिथिकी हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौशिक
निदेशक
डीआईएनः 08624052

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक की अवधि के लिए नकदी प्रवाह का विवरण (₹ लाख में)

विवरण		31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
क. प्रचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
आपवादिक मदें एवं कर पूर्व हानि		**0.31**	**3.27**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
मूल्यह्रास		-	-
ब्याज से आय		(4.40)	(4.59)
प्रचालन पूंजी परिवर्तनों से पूर्व प्रचालन लाभ	**(1)**	**(4.09)**	**(1.32)**
निम्नलिखित के लिए समायोजनः–			
अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी/(वृद्धि)		18.25	(18.15)
अन्य वित्तीय देयता में (कमी)/वृद्धि		0.38	(1.13)
अन्य चालू देयता में (कमी)/वृद्धि		(0.10)	0.05
	(2)	18.53	(19.23)
प्रचालन से प्राप्त नकद	**(1+2)**	**14.44**	**(20.55)**
भुगतान किया गया आय करश्स्रोत पर काटा गया कर		1.69	(2.25)
प्रचालन गतिविधियों से प्राप्त कुल नकद		**16.13**	**(22.80)**
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
ब्याज से आय		3.63	4.57
अन्य बैंक जमा शेषों में परिवर्तन		45.50	20.00
निवेश गतिविधियों में प्रयुक्त निवल प्रवाह		**49.13**	**24.57**
ग. वित्त पोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह			
इक्विटी शेयरों को जारी करने से हुई आय		-	-
वित्त पोषण गतिविधियों से प्राप्त निवल नकद		**-**	**-**
नकद और नकद समतुल्य में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग)		**65.26**	**1.77**
प्रारंभिक नकद और नकद समतुल्य		6.35	4.58
अंतिम नकद और नकद समतुल्य		**71.61**	**6.35**
अंतिम नकद और नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल है			
बैंक में जमा शेषः			
– चालू खाते में		3.61	4.35
3 महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा		68.00	2.00
तुलन–पत्र के अनुसार नकद और नकद समतुल्य		**71.61**	**6.35**

टिप्पणियां: –

1. नकदी प्रवाह विवरण, नकदी प्रवाह विवरण संबंधी भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक–7 में यथा–निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अंतर्गत तैयार किया गया है।

सम तिथिकी हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौशिक
निदेशक
डीआईएनः 08624052

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी परिवर्तन का विवरण

क. इक्विटी शेयर पूंजी

1. 31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2022 के अनुसार शेष	पूर्व अवधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःकथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2023 के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	-	-	-	1
राशि	100	-	-	-	100

2. 31 मार्च, 2022 को (₹ लाख में)

विवरण	01 अप्रैल, 2021 के अनुसार शेष	पूर्व अवधि मदों के कारण इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	चालू रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में पुनःकथित शेष	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31 मार्च, 2022 के अनुसार शेष
शेयरों की संख्या (लाख में)	1	-	-	-	1
राशि	100	-	-	-	100

ख. अन्य इक्विटी

1. 31 मार्च, 2023 को (₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आ. रक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
01 अप्रैल, 2022 के अनुसार शेष	-	-	**(1.58)**	**(1.58)**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2022 को पुनरांकित शेष	-	-	**(1.58)**	**(1.58)**
वर्ष के दौरान लाभ/(हानि)	-		0.23	0.23
वर्ष की अन्य व्यापक आय (आय कर निवल)	-		-	-
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	**(1.35)**	**(1.35)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		-	-	-
लाभांश का भुगतान		-	-	-
31 मार्च, 2023 को शेष	-	-	**(1.35)**	**(1.35)**

2. 31 मार्च, 2022 को

(₹ लाख में)

विवरण	आरक्षित निधि एवं अधिशेष			कुल
	सामान्य आरक्षित निधि	आस्थगित आय	प्रतिधारित अर्जन	
01 अप्रैल, 2021 के अनुसार शेष	-	-	**(3.86)**	**(3.86)**
लेखाकरण नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि त्रुटियां	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2021 को पुनरांकित शेष	-	-	**(3.86)**	**(3.86)**
वर्ष के दौरान लाभ/हानि	-		2.28	2.28
वर्ष की अन्य व्यापक आय (आय कर निवल)	-	-	-	-
वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	**(1.58)**	**(1.58)**
जोड़ें: वर्ष के दौरान प्राप्त राशि		-	-	-
लाभांश का भुगतान		-	-	-
31 मार्च, 2022 को शेष	-	-	**(1.58)**	**(1.58)**

सम तिथिकी हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या: 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थान: नई दिल्ली,
दिनांक: 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएन: 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौशिक
निदेशक
डीआईएन: 08624052

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड

स्वतंत्र भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

1. सामान्य जानकारी

भारत में अधिवासित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एनसीईआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड, [U60300DL2020GOI367547], का निगमीकरण 6 अगस्त 2020 को ट्रांजिट प्रणाली तथा उप–प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी भी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और अनुरक्षण के उद्देश्य से किया गया था।

कंपनी का पंजीकृत कार्यालय गतिशक्ति भवन, आईएनए, नई दिल्ली–110023 पर स्थित है।

कंपनी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी, एक अलग स्वतंत्र विधिक इकाई है जिस पर मूल कंपनी का 100% स्वामित्व और नियंत्रण है।

2. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों का सारांश

2.1 तैयार करने का आधार– अनुपालन विवरण

कंपनी के स्वतंत्र वित्तीय विवरण, लेखाकरण के उपार्जन आधार पर और कंपनी अधिनियम, 2013 तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं आमतौर पर भारत में स्वीकृत अन्य लेखाकरण सिद्धांत के अंतर्गत, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा–संशोधित) के तहत यथा–अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानकों (इंड एएस) के अनुसार कार्यशील संस्था के आधार पर तैयार किए गए हैं। इसके अलावा, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) द्वारा जारी मार्गदर्शक टिप्पणिया/घोषणाएं, जहां कहीं भी लागू की जानी उपयुक्त समझी गईं, कंपनी द्वारा निरंतर अपनाई गई। कंपनी ने प्रस्तुत अवधि के दौरान समान रूप से लेखाकरण नीतियों को लागू किया है।

इन वित्तीय विवरणों को कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा 13 जून 2023 को आयोजित बैठक में अनुमोदित कर दिया गया है।

2.2 मापन का आधार

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरण, कतिपय वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं तथा परिभाषित हितलाभ योजना एवं अन्य दीर्घावधि कर्मचारी हितलाभों, जिनका मापन प्रासंगिक भारतीय लेखाकरण मानकों की अपेक्षा के अनुसार उचित मूल्य पर किया गया है, को छोड़कर, ऐतिहासिक लागत परंपरा के अंतर्गत और उपार्जन आधार पर तैयार किए गए हैं।

2.3 आकलनों और विवेक का उपयोग

भारतीय लेखाकरण मानक के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को ऐसे विनिर्णय, आकलन और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग को और वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों, देयताओं, आकस्मिक परिसंपत्तियों और देयताओं के प्रकटीकरण के साथ–साथ संसूचित आय और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से भिन्न हो सकते हैं।

आकलनों और अंतर्निहित धारणाओं की समीक्षा समय–समय पर की जाती है। भविष्य के परिणाम इन आकलनों में परिवर्तन के कारण भिन्न हो सकते हैं तथा वास्तविक परिणाम एवं आकलनों के बीच अंतर को उस अवधि में मान्य किया जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं/वास्तव में घटित होते हैं।

भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सूचना, लेखाकरण नीतियों के अनुप्रयोग में अनिश्चितता और महत्वपूर्ण निर्णय, जिनका भारतीय लेखाकरण मानक वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, नीचे दिए जा रहे हैं:

- **प्रावधानः** प्रावधानों का निर्धारण तुलन–पत्र की तारीख पर दायित्व के निपटान के आकलन के आधार पर किया जाता है।
- **आकस्मिक देयताएं/परिसंपत्तियांः** आकस्मिक देयताओं/परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण प्रबंधन के निर्णय के आधार पर किया जाता है, जिनकी समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तिथि पर की जाती है और प्रबंधन के तत्कालीन आकलन को प्रदर्शित करने के लिए इनका समायोजन किया जाता है।
- **आस्थगित कर परिसंपत्तियों का मान्यकरणः** आस्थगित कर परिसपत्ति को भावी कर योग्य आय की संभाव्यता के आकलन के आधार पर मान्य किया जाता है, जिसके सापेक्ष आस्थगित कर का उपयोग किया जा सकता है।

2.4

समस्त वित्तीय सूचना भारतीय रुपये में प्रस्तुत की गई है और सभी मूल्यों को, अन्यथा वर्णित किए जाने की स्थिति को छोड़कर, निकटतम लाख में पूर्णांकित किया गया है। कतिपय आंकड़ों जिनका प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है लेकिन जो पूर्णांकन के कारण दिखाई नहीं दे रहे हैं, का विवरण टिप्पणी 26 पर दिया गया है।

2.5 नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह की सूचना, अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके दी गई है, ऐसा करने से गैर–नकदी प्रकृति के लेनदेन के प्रभावों और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्तियों या भुगतानों के किसी भी आस्थगनों या उपार्जनों के प्रभावों के लिए कर पूर्व लाभ(हानि) को समायोजित किया जा सकता है। कंपनी के प्रचालन, निवेश और वित्त–पोषण गतिविधियों से होने वाले नकदी प्रवाह को, उपलब्ध जानकारी के आधार पर पृथक् किया जाता है।

नकदी प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए, नकद और नकद समतुल्यों में हाथ में रोकड़, बैंकों में रोकड़ शेष और बैंकों के पास मांग जमा, बकाया शुद्ध बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल हैं जो मांग पर चुकाने योग्य हैं और जिन्हें कंपनी की नकदी प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा माना जाता है।

2.6 राजस्व मान्यता

क) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

ग्राहकों के साथ अनुबंध से प्राप्त राजस्व को तब मान्य किया जाता है जब वस्तुओं या सेवाओं का नियंत्रण किसी ऐसे मूल्य पर ग्राहक को हस्तांतरित कर दिया गया हो, जो प्रतिफल के रूप में हो और जिसका अधिकार कंपनी को उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले प्राप्त होने की अपेक्षा हो।

सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त राजस्व को उस लेखा अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें सेवाएं प्रदान की जाती हैं। राजस्व को या तो कुछ समय में या एक निश्चित समय पर पूरे किए जाने वाले दायित्व के आधार पर मान्य जाता है।

यदि कुछ समय के दौरान कार्य निष्पादन दायित्व को पूरा किया जाता है तो, राजस्व को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक प्रदान की जाने वाली वास्तविक सेवा के आधार पर प्रदान की जाने वाली कुल सेवाओं के अनुपात के रूप में मान्यता दी जाती है। यह मान्यता, भौतिक प्रगति, प्रयासों, लेन–देन की कुल अनुमानित लागत की तुलना में अद्यतन तारीख तक खर्च की गई लागत, लगाए गए समय, प्रदत्त सेवा या किसी अन्य विधि जिसे प्रबंधन उचित मानता है, के आधार पर निर्धारित की जाती है।

अन्य मामलों में जहां निष्पादन दायित्व, किसी समयावधि में पूरा नहीं किया जाता है, राजस्व को एक निश्चित समय पर मान्य किया जाता है।

अनुबंधों के मामले में, जहां ग्राहक भुगतान अनुसूची के आधार पर निश्चित राशि का भुगतान करता है, यदि कंपनी द्वारा प्रदान की गई सेवाएं भुगतान से अधिक हो जाती हैं, तो अनुबंध परिसंपत्ति को मान्यता दी जाती है। भुगतान यदि प्रदान की गई सेवाओं से अधिक होता है, तो अनुबंध दायित्व को मान्यता दी जाती है।

मोबिलाइज़ेशन शुल्क को ग्राहक अग्रिम के रूप में तब तक मान्य किया जाता है जब तक कि उसे अनुबंध/कार्य आदेश की शर्तों के अनुसार गतिविधियों/लेनदेनों के पूरा होने के चरण के आधार पर राजस्व के रूप में मान्यता नहीं दे दी जाती है।

प्रतिपूर्ति योग्य राशि और आपूर्ति का लेखा–जोखा उपार्जन के आधार पर किया जाता है।

निर्माण प्रबंधन/पर्यवेक्षण अनुबंधों में, राजस्व को प्रबंधन द्वारा, ग्राहक की स्वीकृति, यदि कोई हो, मिल जाने तक, निर्धारित किए गए प्रत्येक अनुबंध के किए गए कार्य/निर्मित लागत के मूल्य के प्रतिशत के रूप में मान्य किया जाता है।

(ख) अन्य राजस्व मान्यकरण

i. ब्याज आय को, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके बकाया राशि और लागू ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्य किया जाता है।

ii. लाभांश को तब मान्य किया जाएगा जब कंपनी द्वारा भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाए, आर्थिक लाभ संस्था को प्राप्त होने वाला हो और राशि का मापन विश्वसनीय ढंग से किया जा सके।

2.7 आय कर

(क) वर्तमान आयकर

आय पर कर का निर्धारण, आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार परिगणित कर योग्य आय और कर क्रेडिट के आधार पर किया जाता है।

वर्तमान कर परिसंपत्तियां और वर्तमान कर देयताएं तब बराबर हो जाती हैं जब मान्य की गई राशियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार उपलब्ध हो और शुद्ध आधार पर परिसंपत्ति एवं देयता का निपटान करने का इरादा हो।

ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी भारतीय लेखाकरण मानक (भारतीय लेखाकरण मानक– 12) 'आय कर' के अनुसार –

i. आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन उन अस्थायी अंतरों के लिए किया जाता है जिनकी गणना रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या वास्तविक रूप से अधिनियमित कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके की जाती है।

ii. आस्थगित आयकर परिसंपत्ति को उस सीमा तक मान्य किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना बनती हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में कटौती योग्य अस्थायी अंतरों, और अप्रयुक्त कर क्रेडिट एवं अप्रयुक्त कर हानियों का उपयोग किया जा सकेगा।

iii. आस्थगित कर परिसंपत्तियां और आस्थगित कर देयताएं तब ऑफसेट हो जाती हैं जब वर्तमान कर का निरूपण करने वाली देयताओं के लिए परिसंपत्तियों को सेट ऑफ करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो और जहां आस्थगित कर परिसंपत्तियां एवं आस्थगित कर देयताएं, आय पर समान नियामक कराधान कानूनों द्वारा लगाए गए करों से संबंधित होती हैं।

iv. आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन, उन कर दरों और कर कानूनों का उपयोग करके किया जाता है जिन्हें तुलन–पत्र की तारीख तक अधिनियमित कर दिया गया हो या काफी हद तक अधिनियमित कर दिया गया हो। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर, समूह द्वारा, गैर–मान्यता प्राप्त आस्थगित कर परिसंपत्ति, यदि कोई हो, का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है।

v. आस्थगित आयकर परिसपत्तियों की वहन राशि की समीक्षा, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है और उसे उस सीमा तक घटा दिया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना न रह जाए कि आस्थगित आयकर परिसंपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों का उपयोग करने की गुंजाइश के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

2.8 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

क) उन देयताओं के संबंध में प्रावधान मान्य किया जाता है जिन्हें केवल पर्याप्त सीमा तक आकलनों का उपयोग करके मापा जा सकता हो, जब:

i. पूर्व घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान में कंपनी की देयता बनती हो।

ii. दायित्वों के निपटान के लिए आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के संभावित बहिर्गमन की आवश्यकता हो; तथा

iii. दायित्व की राशि का विश्वसनीय तौर पर अनुमान लगाया जा सकता हो। प्रत्येक तुलन–पत्र तिथि पर प्रावधानों की समीक्षा की जाती है।

प्रावधानों में छूट

जहां धन के समय मूल्य का प्रभाव काफी अधिक हो, वहां प्रावधान की राशि, दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य के बराबर होगी।

ख) आकस्मिक देयताओं का प्रकटीकरण, निम्नलिखित में से किसी भी मामले में किया जाता है:

i. पूर्व घटना से उत्पन्न वर्तमान दायित्व, जब यह संभावना न हो कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्गमन की आवश्यकता होगी। या

ii. वर्तमान दायित्व का विश्वसनीय आकलन न किया जा सकता हो। या

iii. संभावित दायित्व बनता हो, जब तक कि संसाधन के बहिर्गमन की संभावना क्षीण न हो।

आकस्मिक देयता और आकस्मिक परिसंपत्तियों के लिए आवश्यक आकस्मिक दायित्व एवं प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है।

ग) आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ की आमद संभावित होती है।

2.9 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी शेयर/ ारकों पर संगत अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर डाइल्यूटिड आय की गणना के उद्देश्य से, इक्विटी शेयरधारकों पर संगत अवधि के लिए आरोप्य शुद्ध लाभ या हानि और संगत अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या का समायोजन, समस्त डाइल्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए किया जाता है।

2.10 उचित मूल्य मापन

i. कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर कुछ वित्तीय लिखतों का मापन, उचित मूल्य पर करती है।

ii. उचित मूल्य वह मूल्य है जो, किसी परिसपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा या मापन तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच किसी व्यवस्थित लेनदेन में देयता को हस्तांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा। उचित मूल्य मापन इस पूर्वानुमान पर आधारित है कि परिसंपत्ति की बिक्री या देयता को हस्तांतरित करने के लिए लेनदेन या तो:

- परिसंपत्ति या देयता के लिए मुख्य बाजार में होगा, या
- किसी मुख्य बाजार के अभाव में, परिसंपत्ति या देयता के लिए सबसे अधिक लाभप्रद बाजार में होगा।

मुख्य या सर्वाधिक लाभप्रद बाजार, कंपनी के लिए सुलभ होना चाहिए। किसी परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य का मापन, बाजार प्रतिभागियों द्वारा परिसंपत्ति या देयता का मूल्य निर्धारण करते समय संभावित रूप से प्रयोग में लाए जाने वाले पूर्वानुमानों का प्रयोग करके किया जाता है, यह मानते हुए कि बाजार प्रतिभागी, अपने सर्वोत्तम आर्थिक हित के अनुरूप कार्य करेंगे।

कंपनी, ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करती है जो संगत परिस्थितियों में उपयुक्त होती हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध होता है, और ऐसा करते समय प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुट का अधिकतम उपयोग तथा अवलोकन के अयोग्य इनपुट का कम से कम उपयोग किया जाता है।

2.11 वित्तीय लिखत:–

(i) प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं को तब मान्य किया जाता है जब कंपनी, किसी लिखत के संविदात्मक प्रावधानों का एक पक्ष बन जाती है।

वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का मापन आरंभ में उचित मूल्य पर किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं (लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसपत्तियों एवं वित्तीय देयताओं के अलावा) के अधिग्रहण या निर्गम के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी लेनदेन लागतों को, वित्तीय परिसंपत्ति या वित्तीय देयता की प्रारंभिक मान्यता पर मापे गये उचित मूल्य में जोड़ा या घटाया जाता है।

(ii) परवर्ती मापन

वित्तीय परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

क) परिशोधित लागत पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन परिशोधित लागत पर किया जाता है यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित की जाती हैं जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए इन परिसंपत्तियों को रखने का होता है और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से ऐसे नकदी प्रवाह का सृजन विनिर्दिष्ट तिथियों पर होता हो, जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो।

ख) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है, यदि ये वित्तीय परिसंपत्तियां एक ऐसे व्यवसाय में धारित की जाती हैं जिसके उद्देश्य की पूर्ति,

संविदात्मक नकदी प्रवाह प्राप्त करने और वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री – दोनों से होती हो और वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तों से ऐसे नकदी प्रवाह का सृजन विनिर्दिष्ट तिथियों पर होता हो, जो पूरी तरह से मूलधन और बकाया मूलधन पर ब्याज का भुगतान हो।

ग) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर

वित्तीय परिसंपत्तियों का मापन, लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर किया जाता है

जब तक कि इसे परिशोधित लागत पर या उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से न मापा गया हो। लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं के अधिग्रहण पर सीधे आरोप्य लेनदेन लागतों को लाभ या हानि में तुरंत मान्य किया जाता है।

वित्तीय देयताएं

वित्तीय देयताओं को निम्नलिखित विधि से वर्गीकृत किया जाता है:

क) परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

व्यापार और अन्य देयों, प्रतिभूति जमाओं और प्रतिधारण राशि आदि द्वारा दर्शाई गई परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताओं का मापन शुरू में उचित मूल्य पर किया जाता है, और बाद में, प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर किया जाता है।

ख) लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

कंपनी ने लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर कोई वित्तीय देयता निर्दिष्ट नहीं की है।

(iii) अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्ति

किसी वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति के एक हिस्से या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह का भाग) को केवल तभी अमान्य किया जाता है जब परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाएं या कंपनी, वित्तीय परिसंपत्तियों को स्थानांतरित कर दे और काफी हद तक सभी जोखिम और संपत्ति के स्वामित्व के लाभ भी हस्तांतरित कर दे।

वित्तीय देयता

किसी वित्तीय देयता को तब अमान्य किया जाता है जब देयता के अंतर्गत दायित्व का निर्वहन हो जाए या वह रद्द या समाप्त हो जाए। जब किसी मौजूदा वित्तीय देयता का प्रतिस्थापन, उसी ऋणदाता से दूसरी देयता द्वारा, काफी हद तक भिन्न शर्तों पर कर दिया जाए, या मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित कर दिया जाए, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण के रूप में तथा एक नई देयता के मान्यकरण के रूप में मान्य किया जाता हैय और संबंधित वहन राशियों में अतर को लाभ या हानि के विवरण में दर्शाया जाता है।

2.12 तुलन–पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाएं

तुलन–पत्र की तिथि के बाद घटित होने वाली घटनाओं को भारतीय लेखाकरण मानक 10 (तुलन–पत्र की तारीख के बाद होने वाली आकस्मिकताओं और घटनाओं) के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने में मान्य जाता है।

2.13 उन लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण नहीं किया गया है जो वर्तमान में कंपनी के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। जब ऐसी लेखाकरण नीतियां प्रासंगिक हो जाएंगी, तो उनका प्रकटीकरण किया जाएगा।

टिप्पणी 3

आस्थगित कर परिसंपत्ति / (देयता) (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
क. आस्थगित कर देयताएं		
कर्मचारी हितलाभ के लिए प्रावधान	-	-
आस्थगित कर देयताओं का जोड़	-	-
ख. आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रारंभिक व्यय	0.36	0.54
अप्रयुक्त कर हानियां	0.50	0.40
आस्थगित कर परिसंपत्तियों का जोड़	0.86	0.94
आस्थगित कर परिसंपत्तियां / (देयताएं) निवल	**0.86**	**0.94**

3.1 आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) में उतार–चढाव **(₹ लाख में)**

विवरण	अप्रयुक्त कर हानियां	प्रारंभिक व्यय	कुल
01 अप्रैल 2021 को प्रारंभिक शेष	**0.40**	**0.89**	**1.29**
लाभ और हानि के लिए	-	0.35	0.35
अन्य व्यापक आय के लिए	-	-	-
31 मार्च, 2022 को अंतिम शेष	**0.40**	**0.54**	**0.94**
लाभ और हानि के लिए			
अन्य व्यापक आय के लिए	**(0.10)**	0.18	0.08
	-	-	-
31 मार्च, 2023 को अंतिम शेष	**0.50**	**0.36**	**0.86**

3.2 आय कर व्यय **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वर्तमान आय करः		
वर्तमान आय कर प्रभार	-	0.64
पूर्व वर्ष कर	-	-
आस्थगित करः		
वर्तमान वर्ष के संबंध में	0.08	0.35
जोड़	**0.08**	**0.99**

3.3 कर व्यय और लेखाकरण लाभ के बीच समाधानः **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
जारी प्रचालनों से कर पूर्व लेखाकरण लाभ/(हानि)	**0.31**	**3.27**
आय कर पूर्व लेखाकरण लाभ	**0.31**	**3.27**
भारत की 25.17% की वैधानिक आय कर दर पर,	0.08	0.82
उन धनराशियों पर कर प्रभाव जो करयोग्य आय की गणना करते समय कटौतीयोग्य (करयोग्य) नहीं हैं	-	-
जोड़ें: पिछले वर्ष के संबंध में आरंभिक व्यय के लिए समायोजन	-	0.17
लाभ एवं हानि विवरण में संसूचित आयकर व्यय (जारी प्रचालनों से संबंधित)	**0.08**	**0.99**
प्रभावी आय कर दर पर	25.17 प्रतिशत	30.33 प्रतिशत

टिप्पणी 4 वित्तीय परिसंपत्तियां– चालू

टिप्पणी 4.1

31 मार्च 2023 को और पिछले वित्तीय वर्ष में कोई व्यापार प्राप्य नहीं है।

टिप्पणी 4.2

नकद और नकद समतुल्य **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
हाथ में नकदी	-	-
हस्तगत चैक/ड्राफ्ट	-	-
बैंकों में जमा शेषः		
–चालू खाते में	3.61	4.35
अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने या उससे कम परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	68.00	2.00
जोड़	**71.61**	**6.35**

टिप्पणी 4.3

नकद और नकद समतुल्य के अतिरिक्त बैंक शेष (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अधिग्रहण की तारीख से 3 महीने से अधिक परन्तु रिपोर्टिंग की तारीख से 12 महीने तक की परिपक्वता अवधि वाली सावधि जमा	25.50	71.00
जोड़	**25.50**	**71.00**

टिप्पणी 4.4

अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सावधि जमा पर उपार्जित ब्याज	0.77	0.02
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (संबंधित पक्ष) से अनबिल्ड राजस्व	-	17.74
जोड़	**0.77**	**17.76**

टिप्पणी 5

चालू कर परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्राप्य टीडीएस	0.08	2.41
चालू कर के लिए प्रावधान	-	(0.64)
जोड़	**0.08**	**1.77**

टिप्पणी 6

अन्य चालू परिसंपत्तियां (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
अग्रिम		
जीएसटी इनपुट क्रेडिट	0.23	0.60
पूर्व भुगतान व्यय	0.13	0.25
जोड़	**0.36**	**0.85**

टिप्पणी 7

इक्विटी शेयर पूंजी (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्राधिकृत शेयर पूंजी		
100 ₹ प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
जारी/अभिदत्त तथा चुकता पूंजी		
100 ₹ प्रत्येक के 1,00,000 इक्विटी शेयर (पिछले वर्ष 1,00,000)	100.00	100.00
जोड़	**100.00**	**100.00**

टिप्पणी 7.1

इक्विटी शेयरों की संख्या और शेयर पूंजी का समाधान

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि	शेयरों की संख्या (लाख में)	राशि
जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के आरंभ में बकाया थी	1.00	100.00	1.00	100.00
जोड़ें: वर्ष के दौरान जारी शेयर	-	-	-	-
जारी/अभिदत्त और चुकता इक्विटी पूंजी जो वर्ष के अंत में बकाया थी	**1.00**	**100.00**	**1.00**	**100.00**

टिप्पणी 7.2

शेयरों से जुड़े अधिकार, अधिमान और प्रतिबंध

इक्विटी शेयर: कंपनी के पास एकल श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं जिनका सम मूल्य ₹100 प्रति शेयर है। प्रत्येक शेयरधारक, उसके द्वारा धारित प्रति शेयर एक वोट का पात्र है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के बाद कंपनी की शेष परिसंपत्तियां प्राप्त करने के पात्र हैं।

कंपनी के कुल शेयरों के 5% से अधिक शेयरों के शेयरधारकों द्वारा धारित शेयरों का विवरण

शेयरधारक का नाम	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	धारिता का प्रतिशत
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और इसके 6 नामांकित	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%
जोड़	**1,00,000**	**100.00%**	**1,00,000**	**100.00%**

प्रवर्तकों की शेयरधारिता

प्रवर्तक का नाम	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को		वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन
	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	शेयरों की संख्या	कुल शेयरों का प्रतिशत	
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड और इसके 6 नामांकित	1,00,000	100.00%	1,00,000	100.00%	शून्य

टिप्पणी 7.3: कंपनी की शुरुआत के बाद से बोनस के रूप में पूर्णतरू चुकता के रूप में जारी इक्विटी शेयरों की कुल संख्या–शून्य

टिप्पणी 8

अन्य इक्विटी

(₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रतिधारित अर्जन	(1.35)	(1.58)
जोड़	**(1.35)**	**(1.58)**

प्रतिधारित अर्जनों से तात्पर्य कंपनी के अवितरित लाभों और संचित हानियों से है।

टिप्पणी 8.1

प्रतिधारित अर्जन (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
प्रारंभिक शेष	(1.58)	(3.86)
जोड़ें: संगत अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरण से हस्तांतरित लाभ / (हानि)	0.23	2.28
अंतिम शेष	**(1.35)**	**(1.58)**

टिप्पणी 9

वित्तीय देयताएं – अन्य (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड (संबंधित पक्ष) को देय	0.37	-
व्यय के देनदार	0.16	0.15
जोड़	**0.53**	**0.15**

टिप्पणी 9.1: व्यापार देय एजिंग समय–सारणी

31 मार्च, 2023 को और पिछले वित्तीय वर्ष में कोई व्यापार देय नहीं है। इसलिए, व्यापार देय की एजिंग लागू नहीं है।

टिप्पणी 10

अन्य चालू देयताएं (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वैधानिक बकाया		
– टीडीएस देय	0.00	0.09
– आईजीएसटी आरसीएम	0.00	0.01
– जीएसटी टीडीएस देय (टिप्पणी–26)	-	-
जोड़	**0.00**	**0.10**

टिप्पणी 11

प्रचालन से राजस्व (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
सेवाओं की बिक्री	-	19.72
जोड़	**-**	**19.72**

टिप्पणी 12

अन्य आय (₹ लाख में)

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
ब्याज आय		
एफडीआर पर ब्याज आय	4.33	4.58
आय कर के रिफंड पर ब्याज	0.07	0.01
अन्य आय	0.01	-
जोड़	**4.41**	**4.59**

टिप्पणी 13

कर्मचारी अनुलाभ व्यय **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
वेतन, मजदूरी एवं बोनस	-	6.62
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में अंशदान	-	0.57
जोड़	**-**	**7.19**

टिप्पणी 14

अन्य व्यय **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
मानदेय व्यय	2.10	8.71
विधिक एवं पेशेवर शुल्क	0.06	2.43
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक		
– सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में	0.15	0.15
बैंक प्रभार एवं कमीशन	0.01	0.01
परामर्श प्रभार	0.20	0.19
सॉफ्टवेयर व्यय	0.30	0.28
वाहन व्यय*	-	1.80
आयकर व्यय	0.01	-
कार्यालय किराया	0.93	-
विविध व्यय	0.34	0.28
जोड़	**4.10**	**13.85**

*कार्यालयी प्रयोजन से किए गए वाहन व्यय की प्रतिपूर्ति

टिप्पणी 15

भारतीय लेखाकरण मानक 33 के संबंध में प्रकटीकरण

प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च 2023 को	31 मार्च 2022 को
मूल ईपीएस		
जारी प्रचालनों से (रुपए में)	0.23	2.28
बंद प्रचालनों से	-	-
विलयित ईपीएस		
जारी प्रचालनों से (रुपए में)	0.23	2.28
बंद प्रचालनों से	-	-

15.1 प्रति शेयर मूल अर्जन

मूल ईपीएस राशि की गणना, वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाले, वर्ष के लाभ/(हानि) को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों की आय और भारित औसत संख्याः– **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाला लाभः		
जारी प्रचालनों से	0.23	2.28
बंद प्रचालनों से	-	-
प्रति शेयर मूल अर्जन की गणना में प्रयुक्त अर्जन	**0.23**	**2.28**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00

15.2 प्रति शेयर विलयित अर्जन

प्रति शेयर विलयित अर्जन की गणना में प्रयुक्त इक्विटी शेयरों का अर्जन और भारित औसत संख्याः– **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
कंपनी के इक्विटी धारकों को होने वाला लाभः		
जारी प्रचालनों से	0.23	2.28
बंद प्रचालनों से	-	-
जारी प्रचालनों से प्रति शेयर विलयित अर्जन की गणना में प्रयुक्त अर्जन	0.23	2.28
विवरण	**31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए**	**31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए**
प्रति शेयर मूल अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00
विलयन का प्रभावः	-	-
प्रति शेयर विलयित अर्जन के प्रयोजन से शेयरों की भारित औसत संख्या (आंकड़े लाख में)	1.00	1.00

टिप्पणी 15.3

चूंकि कोई बंद प्रचालन नहीं है इसलिए बंद किए गए प्रचालनों के लिए प्रति शेयर अर्जन और विलयित अर्जन की गणना नहीं की गई है।

टिप्पणी 16

पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य, अपनी पूंजी का प्रबंधन इस तरह से करना है कि एक कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की उनकी क्षमता को सुनिश्चित और सुरक्षित किया जा सके ताकि कंपनी, शेयरधारकों को अधिकतम प्रतिलाभ और अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

इसके अलावा, कंपनी आर्थिक परिस्थितियों में बदलाव और वित्तीय अनुबंधों की अपेक्षाओं के आलोक में समायोजन करने के लिए अपनी पूंजी संरचना का प्रबंधन करती है।

टिप्पणी 17

अनुपात विश्लेषण

क्रम सं.	विवरण	न्यूमिरेटर	डिनॉमिनेटर	वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि	% अंतर	अंतर का कारण
क)	वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियां	वर्तमान देयताए	187	391	52%	वर्तमान देयता में वृद्धि
ख)	इक्विटी अनुपात पर लाभ	कर पश्चात निवल लाभ	शेयरधारक की औसत इक्विटी	0.24%	2.34%	90%	वर्तमान वित्तीय वर्ष सेवाओं से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ
ग)	निवल पूंजी टर्नओवर औसत	राजस्व	कार्यशील पूंजी	0.00	0.20	100%	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई टर्नओवर नहीं
घ)	लगाई गई पूंजी पर लाभ	ब्याज एवं कर पूर्व अर्जन	लगाई गई पूंजी	0.31%	3.32%	91%	वर्तमान वित्तीय वर्ष में ब्याज एवं अन्य आय को छोड़कर कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ
ङ)	निवल लाभ अनुपात	कर पश्चात निवल लाभ	राजस्व	0.00%	11.56%	100%	वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई टर्नओवर नहीं

इस वर्ष, निम्नलिखित अनुपात लागू नहीं हैं, इसलिए इनका प्रकटीकरण नहीं किया गया

क) ऋण–इक्विटी अनुपात

ख) ऋण सेवा कवरेज अनुपात

ग) माल सूची टर्नओवर अनुपात

घ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात

ङ) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात

च) निवेश पर लाभ

टिप्पणी 18 उचित मूल्य मापन

(i) श्रेणीवार वित्तीय लिखत **(₹ लाख में)**

विवरण	31 मार्च, 2023 को		31 मार्च, 2022 को	
	एफवीटीपीएल*/ एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल*/ एफवीटीओसीआई**	परिशोधित लागत
वित्तीय परिसंपत्तियां				
(i) प्रतिभूति जमा	-	-	-	-
(ii) नकद और नकद समतुल्य	-	71.61	-	6.35
(iii) नकद और नकद समतुल्य से इतर बैंक शेष	-	25.50	-	71.00
(iv) अन्य	-	0.77	-	17.76
कुल वित्तीय परिसंपत्तियां	**-**	**97.88**	**-**	**95.11**
वित्तीय देयताएं				
(i) उधारी	-	-	-	-
(ii) अन्य वित्तीय देयताएं	-	-	-	-
– गैर–तात्कालिक				
(iii) अन्य वित्तीय देयता – चालू	-	0.53	-	0.15
कुल वित्तीय देयताएं	**-**	**0.53**	**-**	**0.15**

*लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य

**अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य

क. नकद और नकद समतुल्य तथा अन्य अल्पावधि प्राप्यों एवं अन्य देयों को, अल्पावधि प्रकृति का होने के कारण, उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।

टिप्पणी 19

आकलन और पूर्वानुमान

भविष्य के संबंध में प्रमुख पूर्वानुमान, और रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं जिनको लेकर, अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देयताओं की वहन राशि में वस्तुगत समायोजन कराने में बड़ा जोखिम हो सकता है।

क) उचित मूल्यांकन मापन और मूल्यांकन प्रक्रिया

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं के उचित मूल्यों का मापन, डीसीएफ मॉडल सहित मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इन विधियों के लिए इनपुट जहां संभव हो, अवलोकन योग्य बाजारों से लिए जाते हैं, लेकिन जहां यह व्यावहारिक न हो, वहां उचित मूल्यों पर पहुंचने के लिए कुछ हद तक विवेकपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता होती है। इन विनिर्णयों में ऋणशोधन क्षमता जोखिम, क्रेडिट जोखिम और अस्थिरता जैसे इनपुट को ध्यान में रखा जाना शामिल होता है। इन कारकों के बारे में पूर्वानुमान में परिवर्तन से, वित्तीय लिखत के संसूचित उचित मूल्य प्रभावित हो सकते हैं।

ख) कर

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक मान्य किया जाता है जिस सीमा तक यह संभावना बनती हो कि ऐसा कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके बदले में हानियों का उपयोग किया जा सकता है। मान्य किए जाने योग्य आस्थगित कर परिसंपत्ति की मात्रा निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन विनिर्णय की आवश्यकता होती है जो कि भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ–साथ भावी कर योग्य लाभ के समय एवं स्तर पर आधारित होता है।

टिप्पणी 20 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में अन्य देयताएं शामिल हैं। इन वित्तीय देयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के प्रचालनों का वित्तपोषण करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में नकदी शामिल है। कंपनी की गतिविधियों की प्रकृति के कारण इसे विभिन्न प्रकार के वित्तीय जोखिमों – क्रेडिट जोखिम और परिसमापन जोखिम का सामना करना पड़ता है। कंपनी ने अपने वित्तीय जोखिमों को सुरक्षित नहीं किया है। सभी जोखिम, अरक्षित जोखिम हैं।

ऋण जोखिम

क्रेडिट जोखिम का आशय, कंपनी को होने वाले उस वित्तीय नुकसान के जोखिम से है जब कोई ग्राहक या वित्तीय लिखत का प्रतिपक्ष अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है। क्रेडिट जोखिम बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास रखी नकदी से उत्पन्न होता है। ऋण जोखिम का अधिकतम प्रभाव, वित्तीय परिसंपत्तियों के वहन मूल्य के बराबर होता है। प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के प्रबंधन का उद्देश्य, वित्तीय परिसंपत्तियों में होने वाली हानि को रोकना है। कंपनी प्रतिपक्षकारों की क्रेडिट गुणवत्ता का आकलन उनकी वित्तीय स्थिति, पिछले अनुभव और अन्य कारकों को ध्यान में रखते हुए करती है।

परिसमापन जोखिम

परिसमापन जोखिम का आशय उस जोखिम से है कि कंपनी, देय होने पर अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी। कंपनी, जहां तक संभव हो, यह सुनिश्चित करके अपने परिसमापन जोखिम का प्रबंधन करती है कि देय होने पर अपनी देयताओं को पूरा करने के लिए उसके पास हमेशा पर्याप्त ऋणशोधन क्षमता होगी।

कंपनी ऋणशोधन क्षमता, वित्तपोषण के साथ–साथ निपटान प्रबंधन का भी ध्यान रखती है। इसके अलावा, ऐसे जोखिमों से संबंधित प्रक्रियाओं और नीतियों की देखरेख वरिष्ठ प्रबंधन करता है।

टिप्पणी 21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

आकस्मिक देयता

कंपनी के समक्ष आज की तारीख में कोई आकस्मिक देयता नहीं है।

आकस्मिक परिसंपत्ति

कंपनी के पास आज की तारीख में कोई आकस्मिक परिसंपत्ति नहीं है।

टिप्पणी 22 संबंधित पक्ष प्रकटीकरण

22.1 संबंधित संस्थाएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड – होल्डिंग कंपनी

22.2 संस्था के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पद
श्री विनय कुमार सिंह	अध्यक्ष
श्री महेन्द्र कुमार	निदेशक
श्री अनिल कुमार सिगारिया	निदेशक
श्री नवनीत कौशिक	निदेशक
श्रीमती नमिता मेहरोत्रा	निदेशक

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं संबंधित पक्ष के साथ किया गया लेनदेन **(₹ लाख में)**

नाम	संबंध	लेनदेन की प्रकृति	राशि
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड	होल्डिंग कंपनी	वर्ष के दौरान प्राप्त व्यय की प्रतिपूर्ति	-
		वर्ष के दौरान सेवाओं की बिक्री	-
		वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान दिए गए परामर्श सेवा प्रभार पर जीएसटी	3.55
		वर्ष के दौरान अदा किया गया किराया	1.10
		जोड़	4.65

22.3 कंपनी के कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड के परिसर के उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया है और इस आशय के एक करार पर 11 नवंबर 2022 को हस्ताक्षर किए गए हैं।

टिप्पणी 23

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमई अधिनियम) में परिभाषित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को देय राशि का विवरण निम्नानुसार है:– **(₹ लाख में)**

क्रम सं.	विवरण	31 मार्च, 2023 को	31 मार्च, 2022 को
1.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत्त मूल राशि और उस पर देय ब्याज		
	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को देय मूलधन की राशि	-	-
	उपर्युक्त पर देय ब्याज	-	-
2.	प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान, नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि	-	-
3.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और भुगतानयोग्य ब्याज की राशि (जिसका वर्ष के दौरान भुगतान तो किया गया है लेकिन नियत दिन से परे) लेकिन इसमें एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ा नहीं गया है	-	-
4.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में उपार्जित और अप्रदत्त रही ब्याज राशि	-	-
5.	अनुवर्ती वर्षों में भी देय और ऐसी तारीख तक भुगतानयोग्य बनी रही परवर्ती ब्याज की राशि, जिस तारीख तक एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के अंतर्गत कटौती योग्य व्यय के रूप में छूट के उद्देश्य हेतु उपर्युक्त ब्याज देय राशि का छोटे उद्यम को भुगतान वास्तव में किया गया हो	-	-

टिप्पणी 24

शेष राशि की अभिपुष्टि

कंपनी ने शेष राशि की अभिपुष्टि के लिए पार्टियों को पत्र भेजे हैं। देनदारों और लेनदारों के अंतर्गत दर्शाई गई समस्त शेष राशियों की पुष्टि की जाती हैं।

टिप्पणी 25

संविदात्मक प्रतिबद्धता

परियोजना के संबंध में संविदात्मक प्रतिबद्धताओं का विवरण शून्य हैं।

टिप्पणी 26

वित्तीय विवरण लाख रुपए में प्रस्तुत किया गया है। उन मदों का विवरण नीचे दिया जा रहा है, जिनका प्रकटीकरण किया जाना अपेक्षित है परंतु निकटतम लाख रुपए में पूर्णांकन किए जाने के कारण जिनका प्रस्तुतीकरण वित्तीय विवरणों में नहीं किया जा सकता है–

तुलन पत्र मदें **(आंकड़े रुपए में)**

विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2023 को	31.03.2022 को
अन्य चालू देयताएं जीएसटी टीडीएस देय	10	-	265

टिप्पणी 27 खंड रिपोर्टिंग भारतीय लेखाकरण मानक 108

कंपनी का प्रमुख व्यवसाय, ट्रांजिट प्रणालियों और उप–प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और अनुरक्षण का हैं। कंपनी भारत के भीतर काम करती है और भिन्न–भिन्न जोखिमों एवं प्रतिफलों के आर्थिक वातावरण में प्रचालन नहीं करती है। इसलिए, इसे एकल भौगोलिक खंड में प्रचालनरत माना गया है।

वर्तमान में नियत जमाओं पर ब्याज आय से कंपनी को राजस्व प्राप्त होता है।

खंड रिपोर्ट

कंपनी के पास रिपोर्ट करने योग्य केवल एक प्रचालन खंड अर्थात् ट्रांजिट प्रणालियों और उप–प्रणालियों के किसी भी या सभी या किसी संयोजन के नियोजन, अभिकल्पन, वित्तपोषण, कार्यान्वयन, प्रबंधकन, प्रचालन तथा अनुरक्षण है और सेवाओं की प्रकृति, जोखिम एवं प्रतिफल, संगठन संरचना तथा आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर कंपनी एकल प्रचालन खंड में प्रचालित है। तदनुसार, स्वतंत्र वित्तीय विवरणों में दर्शाई गई राशियाँ, कंपनी के एकल प्रचालन खंड से संबधित हैं।

टिप्पणी 28

भारतीय लेखाकरण मानक (इंड एएस) 115, ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व पर प्रकटीकरण निम्नानुसार हैं:

1. **राजस्व मान्यता पर महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय:**

   अनुबंध राजस्व और संबंधित प्राप्तियों की मान्य राशि में, प्रत्येक अनुबंध के परिणाम और पूरा होने के चरण के संबंध में, प्रबंधन के सर्वोत्तम अनुमान को दर्शाया गया है जो वास्तविक प्रगति, प्रयासों, लेनदेन की कुल अनुमानित लागत की तुलना में अद्यतन तारीख तक व्यय की गई लागत, लगाए गए समय, निष्पादित सेवा या प्रबंधन द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य तरीके के आधार पर निर्धारित की जाती हैं।

2. कंपनी ने, ग्राहकों को माल या सेवाओं का नियंत्रण स्थानांतरित करने पर निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के आधार पर या तो समयोपरिता या किसी निश्चित समय के आधार पर राजस्व को मान्यता दी है। कंपनी द्वारा समय के आधार पर राजस्व को उस स्थिति में मान्य किया गया है यदि निम्नलिखित में से कोई एक शर्त पूरी होती है:

   - ग्राहक द्वारा लाभ प्राप्त करने और उपभोग करने का काम साथ–साथ हो
   - कपनी के कार्य–निष्पादन से ऐसी सपत्ति का सृजन या बढ़ोतरी होती है, जिसे ग्राहक द्वारा, संपत्ति के सृजन या बढ़ोतरी के समय ही नियंत्रित किया जाता है
   - कंपनी का कार्य–निष्पादन वैकल्पिक उपयोग से सृजित नहीं होता है और कंपनी के पास आज तक पूर्ण किए गए कार्य–निष्पादन के लिए भुगतान का प्रवर्तनीय अधिकार है।

यदि, उपरोक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो कंपनी द्वारा किसी निश्चित समय के आधार पर राजस्व को मान्य किया जाता है।

3. पृथक्करण राजस्व सूचना:

नीचे 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, ग्राहक के साथ अनुबंध से प्राप्त अलग–अलग राजस्व प्रस्तुत किया गया है। कंपनी का मानना है कि यह पृथक्करण हमारे राजस्व और नकदी प्रवाह की प्रकृति, राशि, समय और अनिश्चितता पर उद्योग, बाजार और अन्य आर्थिक कारक के प्रभाव को सर्वोत्तम तरीके से वर्णित करता है। **(₹ लाख में)**

विवरण	सेवाओं की बिक्री	जोड़
2022-23	-	-
2021-22	19.72	19.72

4. प्राप्य राशियों / संविदा आस्तियों / संविदा देयताओं का शेष निम्नानुसार है: **(₹ लाख में)**

विवरण	**31.03.2023** तक	**31.03.2022** तक
संविदा परिसंपत्तियां (बिल न की गई प्राप्य राशियां)	-	17.74

5. कंपनी ने अनुबंध प्राप्त करने के लिए कोई लागत वहन नहीं की है।

टिप्पणी 29

हाल ही में की गई घोषणाएं

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 31 मार्च, 2023 (जीएसआर 242 (ई)) को कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) संशोधन नियम, 2023 अधिसूचित किए। उक्त अधिसूचना में, 10 भारतीय लेखाकरण मानकों नामतरू इंड एएस 101, 102, 103, 107, 109, 115, 1, 8, 12 और 34 को संशोधित किया गया है। ये संशोधन, 1 अप्रैल 2023 को या उसके पश्चात् आरंभ होने वाली वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि से या उसके बाद से लागू होंगे और इसमें निम्नलिखित चार संशोधन शामिल हैं:

क) लेखाकरण नीतियों का प्रकटीकरण– (भारतीय लेखाकरण मानक 1 में संशोधन – वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति, भारतीय लेखाकरण मानक 107 – वित्तीय लिखतरू प्रकटीकरण और भारतीय लेखाकरण मानक 34 – अंतरिम वित्तीय रिपोर्टिंग)

उपर्युक्त भारतीय लेखाकरण मानक में किए गए संशोधन यह निर्दिष्ट करते हैं कि:

- 'सिग्निफिकेंट' शब्द के स्थान पर 'मैटीरियल' शब्द रख दिया गया।
- संस्थाओं को अपनी महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के बजाय अपनी आवश्यक लेखाकरण नीति की जानकारी का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता है क्योंकि 'आवश्यक' को भारतीय लेखाकरण मानक में परिभाषित किया गया है और इसे हितधारकों द्वारा अच्छी तरह से समझ लिया गया है।
- इसमें लेखाकरण नीति की जानकारी आवश्यक है या नहीं, यह निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।

ख) लेखाकरण प्राक्कलनों की परिभाषा– (भारतीय लेखाकरण मानक 8 में संशोधन – लेखाकरण नीतियां, लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन और त्रुटियां)

भारतीय लेखाकरण मानक 8 में किए गए संशोधन यह निर्दिष्ट करते हैं कि:

- 'लेखा प्राक्कलन में बदलाव' की परिभाषा के स्थान पर 'लेखा प्राक्कलन' की परिभाषा शब्द रखा गए हैं।
- लेखाकरण नीतियों में परिवर्तनों तथा लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तनों के बीच अंतर करने में संस्थाओं की सहायता करने के लिए 'लेखा प्राक्कलन' की परिभाषा प्रस्तुत की गई है।
- यह विनिर्धारित किया गया है कि लेखाकरण प्राक्कलन में परिवर्तन, किसी नई जानकारी या नई घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है और यह किसी त्रुटि का सुधार नहीं है; और लेखाकरण प्राक्कलन तैयार करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले इनपुट या मापन तकनीक में परिवर्तन के प्रभाव से लेखाकरण प्राक्कलनों में परिवर्तन होते हैं जब तक कि ऐसे परिवर्तन, पूर्व अवधि त्रुटियों के सुधार से न हों।

ग) **एकल लेन–देन से उत्पन्न आस्तियों और देनदारियों से संबंधित आस्थगित कर – (भारतीय लेखाकरण मानक 12 – आयकर और भारतीय लेखाकरण मानक 101 – भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बार अंगीकरण) में संशोधन।**

किए गए संशोधनों से, भारतीय लेखाकरण मानक 12 के पैराग्राफ 15 और 24 में मान्यकरण छूट का दायरा संकुचित हो जाता है ताकि यह छूट, उस लेनदेन पर लागू न हो, जो प्रारंभिक मान्यकरण पर, समान कर योग्य और कटौती योग्य अस्थायी अंतर को जन्म दे, उदाहरण के लिए– पट्टों के मामले में और डीकमीशनिंग दायित्वों के मामले में।

घ) **भारतीय लेखाकरण मानक में संपादकीय सुधार – (भारतीय लेखाकरण मानक 101 में संशोधन – भारतीय लेखाकरण मानकों का पहली बार अंगीकरण, भारतीय लेखाकरण मानक 102 – शेयर आधारित भुगतान, भारतीय लेखाकरण मानक 103 – बिजनेस कॉम्बिनेशन, भारतीय लेखाकरण मानक 109 – वित्तीय लिखत और भारतीय लेखाकरण मानक 115 – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व)**

किए गए संशोधन, यह निर्दिष्ट करते हैं कि संदर्भों और शब्दावली आदि को अद्यतन करने वाले छोटे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारतीय लेखाकरण मानक के सिद्धांतों में परिवर्तन की स्थिति नहीं बनती है।

सम तिथिकी हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी पी बत्रा एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्याः 002095N

हस्ता/–
हेमंत बत्रा
पार्टनर
सदस्यता संख्या 507807
स्थानः नई दिल्ली,
दिनांकः 13 जून 2023
यूडीआईएन– 23507807BGXCXL3411

कृते निदेशक मंडल और उनकी ओर से

हस्ता/–
नमिता मेहरोत्रा
निदेशक
डीआईएनः 07916304

हस्ता/–
नवनीत कौशिक
निदेशक
डीआईएनः 08624052

सत्यमेव जयते

PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT (INFRASTRUCTURE), NEW DELHI
प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा (इंफ्रास्ट्रक्चर), दिल्ली
3rd Floor , A Wing, I.P. Bhawan

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

Ltr No: Infrastructure-1 wing (इन्फ्रास्ट्रक्चर-1 विंग)/2023-2024/DIS-986470 /211
Date: 01 Aug 2023

To,

Chairman
NCRTC Express Transit Limited (NETRA)
Gati Shakti Bhavan, INA
New Delhi - 110023.

Subject: Nil Comments on financial statements of NCRTC Express Transit Limited for the year ended 31 March 2023

Sir/Madam,

मैं इस पत्र के साथ 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के **एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांज़िट लिमिटेड** के वार्षिक लेखों पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (b) के अन्तर्गत भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक की **'शून्य टिप्पणियाँ'** अग्रेषित करती हूँ। इन टिप्पणियों को कम्पनी की वार्षिक आमसभा मे उसी प्रकार रखा जाए जिस प्रकार वैधानिक लेखा परीक्षकों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखी जाती है।

Yours faithfully,

Atoorva Sinha

ATOORVA SINHA
Principal Director

Encls: As above

Copy to:-

Ltr No : Infrastructure-1 wing (इन्फ्रास्ट्रक्चर-1 विंग)/2023-2024/DIS-986470/C1
1 Principal Director of Audit (Infrastructure) Delhi

Ltr No : Infrastructure-1 wing (इन्फ्रास्ट्रक्चर-1 विंग)/2023-2024/DIS-986470/C2
2 Dy. Director (Infra-I)

Ltr No : Infrastructure-1 wing (इन्फ्रास्ट्रक्चर-1 विंग)/2023-2024/DIS-986470/C3
3 Sr AO (Report-I)

Ltr No : Infrastructure-1 wing (इन्फ्रास्ट्रक्चर-1 विंग)/2023-2024/DIS-986470/C4
4 Sr AO (IHQ-I)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अंतर्गत की गई टिप्पणियां

एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड वित्तीय विवरणों का कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में निर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग की रूपरेखा के अनुसार निर्माण करने का दायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक, इन वित्तीय विवरणों के संबध में अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार, अपनी स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143(10) के अतर्गत अपने मत की अभिव्यक्ति करने के प्रति उत्तरदायी हैं। यह सूचित किया जाता है कि ऐसा उनके द्वारा अपनी दिनांक 13 जून, 2023 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अंतर्गत कर लिया गया है।

मैं, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा का निर्वाह सांविधिक लेखापरीक्षकों के किसी कार्यशील प्रपत्र तक पहुंच स्थापित किए बिना किया गया है तथा यह मुख्यतः सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं कम्पनी कार्मिकों से की गई पूछताछ एवं कुछ चयनित लेखांकन रिकार्डों की जाच तक सीमित है।

मेरे द्वारा की गई संपूरक लेखा परीक्षा के आधार पर कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य मेरी जानकारी में नहीं आया है जो किसी भी प्रकार इस अधिनियम की धारा 143 (6)(बी) के अंतर्गत कानूनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी करें या फिर संपूरक प्रदान करे।

कृते एवं की ओर से
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

हस्ता/–
(अतूर्वा सिन्हा)
प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (अवसंरचना)
नई दिल्ली

स्थल: नई दिल्ली
दिनांक: 01 अगस्त 2023

साईट विजिट्स की एक झलक

श्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री दुर्गा शंकर मिश्र, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज जोशी, सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

श्री अजय सेठ, सचिव, आर्थिक कार्य विभाग

श्री उर्जित पटेल, उपाध्यक्ष, एआईआईबी

श्री शिक्रिान चेन, एडीबी

साईट विजिट्स की एक झलक

श्री जनक कुमार गर्ग, मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त

श्री अनिल कुमार लाहोटी, अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ)

श्री आशुतोश गंगल, महाप्रबंधक, उत्तर रेलवे

श्री आशीश कुंद्रा, प्रिंसिपल सचिव कम कमिश्नर, दिल्ली परिवहन विभाग

श्री मंगेश धिल्डियाल, डिप्टी सचिव, पीएमओ

डॉ. ओ. पी. अग्रवाल, पूर्व सीईओ, डब्ल्यूआरआई इंडिया

सुश्री अश्विनी भिडे, प्रबंध निदेशक, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

एनसीआरटीसी कार्यक्रमों की एक झलक

माननीय मंत्री, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने कोच्चि में आयोजित यूएमआई में एनसीआरटीसी की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने आईआईटीएफ में एनसीआरटीसी की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया

एनसीआरटीसी ने टीओडी पर कार्यशाला का आयोजन किया

52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एवं सप्ताह

एनसीआरटीसी स्पोर्ट्स मीट

कॉलेजों में नुक्कड़ नाटक

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला

जागरुकता अभियान– चित्रकला प्रतियोगिता

स्कूलों में नुक्कड़ नाटक

एनसीआरटीसी बैडमिंटन क्लब टूर्नामेंट

एनसीआरटीसी एवं डीएमआरसी क्रिकेट टूर्नामेंट

महिलाओं के लिए आत्म सुरक्षा प्रशिक्षण

नेत्र जांच शिविर

विश्व गुणवत्ता सप्ताह

National Capital Region (NCR)

आरआरटीएस फेस–1 (कुल लम्बाई 383 किलोमीटर)

क्र.सं.	कॉरीडोर	लम्बाई
1.	दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ	82
2.	दिल्ली–गुरूग्राम–एसएनबी–अलवर	198
3.	दिल्ली–पानीपत	103

ncrtc

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
परिवहन निगम लिमिटेड

गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
फोन: +91 11 24666700, फैक्स: +91 11 24666723
CIN: U60200DL2013GOI256716
ई-मेल: contactus@ncrtc.in
www.ncrtc.in
Follow us: www.ncrtc.in/